Gandhi Memorial College Of Education

हिन्दी शिक्षण

राधा शर्मा

CC-0 Agamnigam Digital Pre... Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रस्तुत पुस्तक *'हिन्दी शिक्षण'* में हिन्दी शिक्षण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश निक्षेप किया गया है। इसमें हिन्दी की यथार्थता से लेकर उसके विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप से बतलाया गया है। वाक्य विन्यास व शब्दों का समुचित समायोजन निश्चित रूप से सराहने योग्य है। रचना-कौशल और पाठ-योजना का विवेचन पुस्तक की उपयोगिता में चार चाँद लगाते हैं।

हिन्दी जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे विचार अभिव्यक्ति का भी एक महत्त्वपूर्ण साधन है। बच्चों में वृद्धि व विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद शिक्षा के द्वारा किये गये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयत्नों से उसे दशा व दिशा मिलती है। शिक्षा प्रदान करने व प्राप्त करने दोनों प्रक्रिया में माध्यम के रूप में भाषा प्रयुक्त होती है। शिक्षा चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सभी रूपों में भाषा की उपयोगिता महत्त्वपूर्ण है। भाषा को हम विचार सम्प्रेषण का माध्यम के रूप में जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसका रूप कथित, लिखित व संकेतिक हो सकता है।

ISBN : 81-7453-204-8
मूल्य : 300.00 रुपये

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

12
Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हिन्दी शिक्षण

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

संजय प्रकाशन

दिल्ली : : (भारत)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

हिन्दी शिक्षण

G.M. College of Education
Raipur, Bantalab
Jammu.
Acc. No. 6988 52(I)
Dated 30.11.06

491.4307
Sh23H

राधा शर्मा

G.M.C.E.J
6988

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

© लेखक

प्रकाशक :
सोमनाथ ढल
संजय प्रकाशन
4378/4 बी, 209, जे. एम. डी. हाउस
अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
दूरभाष : (का.) 23245808, 51045808 (मो.) 9312439193
ई-मेल : sanjay_prakashan@yahoo.com

ISBN : 81-7453-204-8

प्रथम संस्करण : 2006

मूल्य : 300.00 रुपये

शब्द-संयोजक
शुभ-दीप लेज़र प्रिंटर्स
दिल्ली-32

मुद्रक
रोशन ऑफसेट प्रिंटर्स
दिल्ली-53

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रस्तावना

बच्चों में वृद्धि व विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद शिक्षा के द्वारा किये गये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयत्नों से उसे दशा व दिशा मिलती है। शिक्षा प्रदान करने व प्राप्त करने दोनों प्रक्रिया में माध्यम के रूप में भाषा प्रयुक्त होती है। शिक्षा चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सभी रूपों में भाषा की उपयोगिता महत्त्वपूर्ण है। भाषा को हम विचार सम्प्रेषण का माध्यम के रूप में जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसका रूप कथित, लिखित व संकेतिक हो सकता है। इस महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में हमारे देश में हिन्दी भाषा का ज्यादा उपयोग होता है। यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है।

प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी शिक्षण के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश निक्षेप किया गया है। इसमें हिन्दी की यथार्थता से लेकर उसके विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप से बतलाया गया है। वाक्य विन्यास व शब्दों का समुचित समायोजन निश्चित रूप से सराहने योग्य है। रचना-कौशल और पाठ-योजना का विवेचन पुस्तक की उपयोगिता में चार चाँद लगाते हैं। हिन्दी में वर्ण-व्यवस्था और देवनागरी लिपि की समस्या को बतला कर लेखिका ने इसकी उपादेयता को और बढ़ा दिया है।

अन्त में पाठकों के लिए शुभकामनाओं सहित।

—प्रकाशक

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अनुक्रम

प्रस्तावना 5

1 **भाषा का अर्थ और उसकी प्रकृति** 9
भाषा का अर्थ, भाषा की प्रकृति, भाषा के स्वरूप।

2 **मातृभाषा का महत्त्व एवं उद्देश्य** 18
मातृभाषा, मातृभाषा के रूप में हिन्दी की उपयोगिता, मातृभाषा के रूप में मानक हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य।

3 **राष्ट्रभाषा के सिद्धान्त** 28
मातृभाषा-शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त।

4 **भाषायी कौशल** 32
भाषायी कौशल का अर्थ, प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों का महत्त्व, अध्यापक का बच्चों के साथ मधुर व्यवहार, श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण-कौशल के उद्देश्य, श्रवण-कौशल शिक्षण की विधियां, पठन कौशल का शिक्षण, वाचन का अर्थ, पठन/वाचन के प्रकार, मौन वाचन का महत्त्व, मौन वाचन के उद्देश्य, मौन वाचन के गुण एवं सावधानी, वाचन या पठन-कौशल शिक्षण की तकनीकी एवं विधियां, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण, मौखिक

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
अभिव्यक्ति का महत्त्व, मौखिक भाषा-शिक्षण के उद्देश्य, सर्वश्रेष्ठ मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएँ, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के शिक्षण की विधियां, लिपि या लिखित अभिव्यक्ति का शिक्षण, लिपि की शिक्षा की आवश्यकता एवं लेखन-कौशल का महत्त्व, लिखित अभिव्यक्ति के अध्ययन के उद्देश्य, लेखन-कौशल को विकसित करने की विधियां।

5 **हिन्दी-शिक्षण की विधियां** 62

6 **हिन्दी शिक्षण की समस्याएं एवं उपाय** 66

समस्याएं तथा उपाय।

7 **साहित्यिक सृजनात्मक के विकास के उपाय** 70

8 **हिन्दी-शिक्षक के गुण** 75

हिंदी शिक्षक के गुण।

9 **उच्चारण-शिक्षण** 82

शुद्ध उच्चारण का महत्त्व, उच्चारण-दोष के कारण, उच्चारण दोष सुधारने के उपाय।

10 **वर्तनी-शिक्षण** 86

वर्तनी का महत्त्व, वर्तनी की अशुद्धियों के कारण, वर्तनी का शिक्षण।

11 **व्याकरण-शिक्षण** 91

हिन्दी-शिक्षण में व्याकरण-शिक्षण का महत्त्व, व्याकरण-शिक्षण पर विद्वानों का मत, व्याकरण-शिक्षण के उद्देश्य, औपचारिक एवं अनौपचारिक व्याकरण-शिक्षण, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण-सीखने की विधियां, व्याकरण-शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के उपाय।

12 **गद्य शिक्षण** 103

गद्य शिक्षण का महत्त्व, गद्य शिक्षण के उद्देश्य, गद्य-शिक्षण के अंग, व्यावहारिक कार्य।

13 **कविता-शिक्षण** 112

कविता-शिक्षण का महत्त्व, कविता-शिक्षण के उद्देश्य, कविता-शिक्षण की विधियां, कविता के रसपाठ एवं बोधपाठ में अन्तर, कविता-शिक्षण के सोपान, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय (साधन)।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

14 नाटक-शिक्षण 132

नाटक, महत्त्व एवं उपयोगिता, नाटक के उद्देश्य, नाटक-शिक्षण की प्रणालियां,

15 कहानी-शिक्षण 138

कहानी की शैली तथा विषय, कहानी शिक्षण के उद्देश्य, कहानी-शिक्षण की प्रणालियां, व्यावहारिक कार्य।

16 रचना-शिक्षण 146

रचना-शिक्षण का महत्त्व, रचना-शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रणालियां, रचना में मौलिकता लाने का उपाय, रचना-शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय, अच्छी रचना के लिए अपेक्षित गुण एवं विशेषताएं, रचना में होने वाली अशुद्धियां, लिखित रचना का संशोधन, कहानी-रचना-शिक्षण, कहानी-रचना-शिक्षण की विधि, निबन्ध-रचना-प्रणाली, पत्र-लेखन-शिक्षण, पत्र के भाग।

17 वाचन-शिक्षण 167

वाचन के तत्त्व, वाचन कौशल के उद्देश्य, पठनारम्भ योग्यता, वाचन के प्रकार, वाचन की अशुद्धियां, वाचन की विधियां, मूल्यांकन, व्यावहारिक कार्य।

18 हिन्दी-शिक्षण में मूल्यांकन 177

मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन का महत्त्व, हिन्दी में मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियां एवं साधन, हिन्दी की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का मूल्यांकन कैसे किया जाए?, विभिन्न विधाओं के शिक्षण मूल्यांकन, हिन्दी में मूल्यांकन हेतु प्रश्न-पत्र का निर्माण।

19 हिन्दी में वर्ण-व्यवस्था 202

20 देवनागरी लिपि की समस्या 206

हिन्दी वर्णों के मानक और वैकल्पिक रूप, अन्य वर्तनी से सम्बन्धित नियम।

21 आदर्श पाठ योजना-1 *210*

22 आदर्श पाठ योजना-2 *214*

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

1

भाषा का अर्थ और उसकी प्रकृति

भाषा का अर्थ

भाषा मानव के लिये उतनी ही लाभदायक है जितना मानव के लिये माँ का दूध। क्योंकि भाषा के द्वारा इंसान सारी वस्तु को जान सकता है। इसका प्रयोग मनुष्य कथित, लिखित या संकेत से करता है। यह मानव की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मानव की अर्जित सम्पत्ति है। यह जन्मजात नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि भाषा मानव को अपने उत्पत्तिकाल में ही प्राप्त नहीं हो गया था। यह मानव सभ्यता के सतत् विकास के क्रम में उत्पन्न हुई जिसे मानव ने ग्रहण कर लिया। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाषा मानव की बौद्धिकता एवं सामाजिकता, के गर्भ से उत्पन्न संतान है। इसके द्वारा मानव आज सामाजिक आर्थिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में अपने विचारों एवं ज्ञान के आदान-प्रदान में समर्थ है। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भाषा भाव, विचार तथा अनुभवों को व्यक्त एवं विचार-विनिमय का साधन स्वरूप है।

सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जब किसी विषय पर मानसिक चिंतन हम व्यक्त करते हैं तो हमारे विचार भाषा का रूप लेकर सामने आते हैं। भाषा में विचार अर्न्तनिहित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिन्तन और भाषा में घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि चिंतन को व्यावहारिक रूप में हम भाषा से अलग नहीं कर सकते। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा चिंतन और अभिव्यक्ति का साधन है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विचारों तथा अनुभवों को प्रकाशित करने का सांकेतिक साधन भी भाषा को कहा जाता है। भाव हमारे हाथ-पैर, आंख, नाक, सिर, भौं आदि अंगों के संचालन द्वारा होता है। लेकिन भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति ध्वनि-संकेतों के द्वारा सरल व सुगम होती है। इस प्रकार यह ध्वनि संकेत ही पूर्ण भाषा है। आंगिक संकेतों का उपभोग प्रत्यक्ष उपस्थिति में ही किया जा सकता है। इनका संप्रेषण दूर-दूर तक नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्वनि-संकेतों का संप्रेषण दूर-दूर तक किया जा सकता है। ध्वनि-संकेत को लिपिबद्ध कर लिखित रूप भी दिया जाता है जिससे इसकी संप्रेषण और समृद्ध होती है। इसमें और अधिक स्थायित्व आ जाता है। भाषा का लिपिबद्ध रूप कालजई होता है। इस कथन के समर्थन में प्राचीन साहित्य जैसे—रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि का उदाहरण दिया जा सकता है। ये साहित्य लिपिबद्ध होकर आज भी हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। जैसा कि पुरातत्त्ववेत्ताओं का कहना है कि आर्य अपने सभ्यता के आरंभिक काल में ऋचाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी कण्ठाग्र करते थे। विकास के क्रम में लिपि की उत्पत्ति कर उसे लिपिबद्ध किया। उनका पहला लिपिबद्ध ऋचाओं का संग्रह ऋग्वेद है जिसकी रचना सप्तसिन्धु-प्रदेश (वर्तमान पंजाब) में सरस्वती नदी (जो अब लुप्त पर्याय है) के किनारे हुई। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भाव, विचार तथा अनुभवों को अभिव्यक्ति देने के लिए प्रयुक्त होनेवाले ध्वनि-संकेत, कथित या लिखित ही भाषा है।

जैसा की सोचा गया है की भाषा मनुष्य के लिये एक आवाज ध्वनि संकेत की तरह है। जो विचारों के लिये भी प्रयोग किया जाता है और इसी कारण मनुष्य सब को परख पाता है। अब यहां एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या निरर्थक ध्वनि-संकेत भी भाषा ही है? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भाषा का प्रयोग सापेक्ष अर्थों में लिया जाता है। भाषा समाज सापेक्ष है, तथा मानव-सापेक्ष भी है। समाज और मानव से विभक्त होकर न इसका कोई महत्त्व है और न ही अस्तित्व ही, क्योंकि भाषा का प्रयोग मानव करता है और वह भी अपने समाज में करता है। अतः भाषा, सहज समाज-सम्मत तथा ग्रहण करने योग्य होती है। भाषाविदों ने भाषा का अर्थ इस प्रकार किया है—विचार अभिव्यक्ति की समाज-स्वीकृति व्यक्त वर्ण ध्वनि-संकेत भाषा है। इन ध्वनि संकेतों में अर्थ की पूर्णता तथा प्रभावकारिता अंग-संचालन एवं भाव-मुद्राओं द्वारा आती है। इस तरह ये भी भाषा के एक अंग हैं। श्री स्वीट का कथन है—भाषा स्वर-ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। श्री रामचंद्र वर्मा

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भी इसी के सर्मथक हैं। उनका कहना है कि मुख से उच्चरित होनेवाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह, जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, भाषा है। यह कहना लोगों का सही है कि स्वर-ध्वनि अथवा उच्चारित शब्द-वाक्य भाषा है, लेकिन इसका लिखित स्वरूप भी भाषा ही है। वर्तमान समय में भाषा का लिखित रूप ही प्रामाणिक और उपयोगी है। क्योंकि इसमें सरल व सुलभ संप्रेषणीयता के अतिरिक्त कालातीत होने की भी क्षमता है।

भाषा मानव से कमाई गई एक महत्त्वपूर्ण संपत्ति है। इसी कारण हर क्षेत्रों की भाषा अलग की है। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ भाषाएं अधिक समृद्ध व विकसित तथा कुछ कम समृद्ध व अल्प विकसित हैं। समृद्ध व विकसित भाषाओं का रूप जरूर निश्चित है और अविकसित व कम समृद्ध भाषाओं का रूप अनिश्चित। कुछ भाषाएं तो इतनी कम प्रचलित हैं कि उनकी अपनी कोई लिपि नहीं है जिसके कारण उसका लिखित रूप अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। आदिवासियों की भाषाएं इस श्रेणी में आती हैं। विकसित भाषाओं के अंतर्गत भी कई बोलियां होती है। जैसे हिन्दी को ही लीजिए, इसकी प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी आदि। इन बोलियों में शब्दों व वाक्यों के बीच आन्तरितक समता होती है। इसके कारण विकसित भाषा की विभिन्न बोलियों के बोलने वाले लोग आपस में आसानी से विचारों का आदान-प्रदान कर लेते हैं।

संसार में कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां बहुत अधिक भाषा भिन्नता है। जैसे—लैटिन अमेरिका का प्रदेश। वहां कई सौ भाषाएं बोली जाती हैं। स्वाहिली यहां को सबसे ज्यादा विकसित भाषा है। इस क्षेत्र में विचारों की आदान-प्रदान के लिए लोग कम-से-कम दो भाषाएं सीखते हैं। अपने भारत में भी भाषा विविधता कुछ कम नहीं है। लेकिन हिन्दी सबसे ज्यादा समृद्ध और विकसित भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी भी सरल व सुबोध है।

भाषा का मानक निरूपण कई दृष्टिकोण से किया जा सकता है। समाजशास्त्री भाषा को सामाजिक आदान-प्रदान का साधन मानते हैं। वस्तुतः यह विनिमय मुख्य रूप से विचारों का होता है।

भाषा हर दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। जो हर पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखने पर भाषा एक सांस्कृतिक एवं संप्रेषणीय वस्तु है। भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी अपनी संस्कृति अगली पीढ़ी को संप्रेषित

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

करती चलती है। भाषा ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामाजिक आयाम को एक सूत्र में जोड़ती है। भाषा सांस्कृतिक चेतना का दूत है। यह केवल संस्कृति की वाहिना ही नहीं बल्कि संरक्षिका भी है। इस कार्य के लिए भी इसका लिखित रूप ही ज्यादा मानक है।

भौतिक दृष्टिकोण से भाषा की विवेचना अध्ययन स्वर-यंत्रों एवं ध्वनि-अवयवों के सन्दर्भ में किया जाता है। इस दृष्टिकोण से भाषा को ध्वनियों का एक समूहमात्र माना जाता है।

अंततोगत्वा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भाषा एक ध्वनि-संकेत है, जिसके द्वारा सामाजिक मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान करता है। भाषा का लिखित रूप भी होता है। जिसके लिए लिपि विकसित की गई है। लिपि ध्वनि प्रतीक चिह्न है। भाषा का लिखित रूप अधिक प्रामाणिक एवं स्थाई होती है। भाषा सामाजिक मानव द्वारा एक अर्जित उपलब्धि है। यह अर्जित उपलब्धि पीढ़ी-दर-पीढ़ी संप्रेषित, संवर्द्धित तथा परिष्कृत होती चलती है।

भाषा की प्रकृति

1. भाषा विचार की अभिव्यक्ति होती है—भाषा विचार की संवाहिका होती है। यह मानव मन के भावों को व्यक्त करती है। मानव की संवेदना, हास्य, व्यंग्य आदि भाव भाषा से स्पष्ट होते हैं। मानव की भाषा हमेशा उसके विचार को मुखरित करती है। ऐसा कहा जा सकता है कि भाषा और विचार एक सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। मानव जब भी अपने भाव को अभिव्यक्त करना चाहेगा उसे भाषा माध्यम की आवश्यकता महसूस होगी। दूसरी ओर मानव जब भी भाषा का प्रयोग करेगा उसके मनोभाव स्पष्ट होंगे। इस प्रकार में एक दूसरे के पुरक है।

2. भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं—भाषा परिवारिक होती है क्योंकि बालक जिस स्थान पर जन्म लेता है उसी स्थान की वह भाषा सिख लेता है। शायद इसी प्रकृति के कारण भाषा में क्षेत्र बदलने के साथ ही परिवर्तन होता रहता है। अगर बच्चा हिन्दी भाषी परिवेश में रहता है तो हिन्दी भाषा सीखेगा, अगर अंग्रेजी भाषी परिवेश में रहता है तो अंग्रेजी सीखेगा। बच्चा जन्म से किसी भाषा को सीखकर नहीं आता। वह अपने परिवर्द्धन काल में परिवेश के लोगों के विचार संप्रेषण के साधनों का अनुकरण करता है। इस सन्दर्भ में

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

एक छोटा-सा उदाहरण दिया जा सकता है—अगर हिन्दी-भाषी परिवार का बच्चा यदि जन्म के पश्चात अंग्रेजी-भाषी परिवार में पाला जाए तो वह अंग्रेजी भाषी होगा। यदि अंग्रेजी-भाषी परिवार का बच्चा जन्म के पश्चात हिन्दी-भाषी परिवार में पाला जाए तो वह हिन्दी भाषी हो जाएगा। यह परिवर्तन अन्य भाषाओं के साथ भी हो सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं होती।

3. **भाषा परिवर्तनशील होती है**—भाषा स्थान बलने के साथ ही बदल जाता है। क्योंकि भाषा पर समय स्थान और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से कोई भाषा-भाषी अपनी भाषा में विशेष परिवर्तन नहीं आने देना चाहता फिर भी कालान्तर में भाषा बहुत परिवर्तित हो जाती है। उसके लिए चौसर की अंग्रेजी की तुलना वर्तमान अंग्रेजी से की जा सकती है जो काफी विभिन्नता प्रदर्शित करती है। वेदकालीन संस्कृत भी वर्तमान संस्कृत् से एकदम भिन्न है। यहां तक कि वर्तमान हिन्दी का स्वरूप भी प्राचीन हिन्दी से अलग सा है।

4. **भाषा अनुकरणीय होती है**—भाषा ग्रहणशील होती है ठीक मानव-मस्तिष्क के समान। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क किसी भी घटना तथा परिवर्तन को तुरन्त ग्रहण करने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार भाषा भी नवीन शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा अथवा अभिव्यक्ति शैली को ग्रहण कर लेती है। भाषा की इस ग्रहणशीलता प्रकृति के कारण ही साहित्य में युग-परिवर्तन होते चलते हैं।

5. **भाषा का रूप लिखित होता है**—विकास के क्रम में मानव ने लिपि का आविष्कार किया। अब वह अपने भावों को लिपिबद्ध करता है। हड़प्पा संस्कृति के लोग चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। प्राचीन मिश्र की लिपि हरेगेलेफिक थी।

6. **भाषा परंपरा से संबंधित है**—एक पीढ़ी अपनी भाषा का आदान-प्रदान करती है। अतः भाषा परंपरागत रूप आत्मसात कर लेती है। जिसके कारण भाषा के परिवर्तित रूप में भी उसके मूलरूप के दर्शन होते हैं। भाषा में परंपरा से शब्द, वाक्य, रचना, अभिव्यक्ति शैली तथा लोकोक्ति-मुहावरे प्रविष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए सूर, तुलसी, कबीर, रहीम आदि की काव्य अभिव्यक्ति-शैली का अनुकरण वर्तमान में भी किया जा रहा है। हमारी मातृभाषा हिन्दी भी संस्कृत से परिवर्तित होकर आई है। लेकिन अभी भी शदब्-रचना, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति शैली सभी संस्कृत के सदृढ़ ही है। अतएव यह सिद्ध है कि भाषा परंपरा से संबंधित होती है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

7. भाषा का रूप उच्चरित होता है—मानव के पास ध्वनियों के उच्चारण के अवयव हैं। अतः वह अपने भावों को ध्वनि संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है।

भाषा के स्वरूप

भाषा के रूप पर हम दो दृष्टियों से विचार करते हैं—1. प्रयोग के अनुसार तथा 2. व्यावहारिक दृष्टि। इन दोनों रूपों का विभाजन सामान्य रूप से निम्न ढंग से किया जा सकता है—

1. प्रयोग के अनुसार भाषा के रूप

1. लिखित—मौखिक अथवा उच्चरित भाषा को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का स्थाई व महत्त्वपूर्ण रूप होता है। इसे स्थाई भाषा भी कहा जाता है। लिखित भाषा स्थाई होने के साथ-साथ निश्चित भी होती है। लिखित भाषा के कारण ही कि आज हम पुस्तक निर्मित करते और उसे पढ़ते हैं। लिखित भाषा संस्कृति एवं साहित्य की संरक्षिका तथा संवाहिका होती है।

2. कथित—इसे मौखिक भाषा भी कहा जा सकता है। सामान्य रूप से यह भाषा अक्षरों का ध्वन्यात्मक रूप है। सधारण बातचीत में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा बाल्यावस्था से परिवार एवं पड़ोस में सीखी जाती है। प्राचीन भाषाविदों के अनुसार भाषा का यह अस्थाई रूप हैं लेकिन विज्ञान के इस युग में कुछ ऐसी साधन उपलब्धियां एवं हमें प्राप्त हो गए हैं कि यह मान्यता महत्त्वहीन हो गई है। अब तो आधुनिक यंत्र की सहायता से उच्चरित भाषा को भी स्थाई बना दिया जाता है। वर्त्तमान एक आदमी की बचपन की उच्चरित भाषा का टेपरिकॉर्ड उसी आदमी की जवानी तथा बुढ़ापे में सुनाया जा सकता है। इन्हीं वैज्ञानिक साधनों की कृपा से हम आज भी डॉ. राजेन्द्रप्रसाद तथा जवाहर लाल आदि महापुरुषों की उच्चरित भाषा को सुन सकने में समर्थ हैं।

2. व्यावहारिक दृष्टि से भाषा के रूप

1. मातृभाषा—जिस भाषा को व्यक्ति अपने बाल्यावस्था से माता का अनुकरण करके सीखता है सामान्य रूप में वह मातृभाषा है। इसी भाषा में वह

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

शुरू से में बातचीत करता है। यह भाषा कोई बोली भी हो सकती है तथा कोई विकसित भाषा। किंतु विस्तृत अर्थ में क्षेत्र विशेष की वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। जिसे उस क्षेत्र के शिक्षित जन-समुदाय बोलता, लिखता तथा दैनिक व्यवहार में लाता है। इसी अर्थ में मातृभाषा है, उत्तर प्रदेश के लोगों की हिन्दी, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात के लोगों की गुजराती, और तमिलनाडुवालों की तामिल। मातृभाषा हमारी शिक्षा-दीक्षा, ज्ञानार्जन, अध्ययन तथा बौद्धिक विकास का साधन होती है।

2. मूल भाषा—सारे विश्व में बहुभाषी परिवार हैं। इनमें से प्रत्येक भाषा-परिवार किसी-न-किसी आदि भाषा से उत्पन्न हुई है। यह आदि भाषा जिससे अन्य भाषा जन्म लेती है उस भाषा-परिवार की मूल भाषा कहलाती है। इस मूल भाषा से ही कालांतर से अनेक भाषाएं परिष्कृत होती हैं। हमारे देश के उंत्तरी भाग की भाषाएं मुख्यतः आर्य-भाषा-परिवार की हैं जो वैदिक संस्कृति थी। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि इसी परिवार की भाषाएं हैं। इस प्रकार वैदिक संस्कृत आर्य-भाषा-परिवार की मूल भाषा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा उसके आंतरिक रूप को समझने के लिए उसकी मूल भाषा का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है।

3. सांस्कृतिक-भाषा—भाषा और संस्कृति में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होता है। एक ओर तो भाषा संस्कृति की प्रगति में साहयक देती है और दूसरी ओर संस्कृति भाषा में सुरक्षित रहती है। भाषा राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, आचार-विचार तथा जीवन-मूल्य का भंडार है। जिस भाषा में यह भंडार सुरक्षित रहता है, उसे उस राष्ट्र की संस्कृतिक भाषा कहते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की आत्मा को जानने के लिए संस्कृत भाषा का सम्यक् ज्ञान जरूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति उसी भाषा में सुरक्षित है। अतः भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। इसी प्रकार यूरोप की सांस्कृतिक भाषा लैटिन तथा ग्रीक है। अरब देशों की संस्कृति भाषा अरबी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी देश की भाषा को जानने के लिये उसकी संस्कृति भाषा का पूरा-पूरा ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी उस भाषा को जान सकते है।

4. अंतर्राष्ट्रीय भाषा—विश्व में कोई भी भाषा पूर्ण रूप से विश्व स्तर पर स्वीकार नहीं की जाती है। परन्तु जो भाषा विश्व स्तर पर बोली और समझी जाती है उस भाषा को विश्व स्तर पर दर्जा दिया जाता है। यह गौरव अंग्रेजी, फ्रेंच तथा अरबी भाषा को मुख्य रूप से प्राप्त है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा विश्व

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के अनेक राष्ट्रों में वहां ही राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा के रूप में प्रचलित है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटिश गयाना आदि देशों की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी ही है। भारत की केंद्रीय राजभाषा के रूप में अंग्रेजी अब भी चल रही है। इनके अतिरिक्त अन्य देशों में भी अंग्रेजी अब भी चल रही है। इनके अतिरिक्त अनेक अन्य देशों में भी अंग्रेजी आस्तित्व में है। इस प्रकार अंग्रेजी सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय भाषा हैं दूसरे नंबर पर फ्रेंच का स्थान है तथा तीसरे नंबर पर अरबी का। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से ही संसार के विभिन्न राष्ट्रों के लोग पारस्परिक संपर्क सुविधापूर्वक स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका महत्त्व इससे भी है कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के आदान-प्रदान में भी यह भाषा पूर्ण रूप से सहायक होती है।

5. राष्ट्रभाषा—जिस प्रकार किसी राज्य के लिये एक चिह्न होती है जो मान्यता प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार हर राज्य के लिये एक भाषा होती है जो मान्यता प्राप्त होती है। इसी भाषा को राष्ट्रभाषा का नाम दिया जाता है। राष्ट्र विशेष का सारा शासन कार्य इसी भाषा में चलाया जाता है। सामान्यतः जिस देश में एक ही विकसित भाषा बोलचाल एवं शिक्षा का माध्यम होती है, वहां राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा एक ही होती है। किन्तु संघात्मक राष्ट्रों में जहां एक से अधिक भाषाएं प्रचलित होती है। वहां एक मान्य भाषा राष्ट्रीय स्तर पर राजकाज चलाने तथा संपर्क स्थापित करने के काम में लाई जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा संविधानतः हिन्दी है। रूस की राष्ट्र भाषा रूसी है। राष्ट्र-भाषा संघात्मक राष्ट्रों में एकता स्थापित करने का एक सुदृढ़ माध्यम भी होता है।

6. राजभाषा—राजभाषा को हम सामान्य रूप से शासन-भाषा कह सकते हैं। जिस राज्य में जिस भाषा को लेकर मानव राज्य चलाता है उस भाषा को वहां की राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में कई राज्य हैं। इन राज्यों में से अलग-अलग राज्य की शासन-भाषा अलग-अलग है। यथा—बंगाल की बंगला, महाराष्ट्र की मराठी, पंजाब की पंजाबी, असम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया, तमिलनाडु की तमिल आदि। हां, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों की राज-भाषा हिन्दी है। संयोग से हिन्दी राष्ट्रभाषा भी है। जब किसी देश में एक ही भाषा विकसित होती है, तब वहां की मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही होती है। जैसे—ग्रेट ब्रिटेन की राजभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा सभी अंग्रेजी ही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मिश्र, जापान आदि में भी यथा स्थिति है। लेकिन संधात्मक देशों में अलग-अलग राज्यों की भाषा भिन्न होती है तथा भिन्न राज्यों की राजभाषा भी विभिन्न होती हैं। इसका उदाहरण रूस व भारत आदि हैं।

7. उत्तम भाषा—किसी एक क्षेत्र की भाषा कई बोलियों के सम्मिश्रण से बना होती है। उदाहरण के लिए हिन्दी भाषा की ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि कई बोलियां हैं। अपनी लोकप्रियता और बहुप्रचलित के फलस्वरूप जब कोई एक बोली आदर्श मान ली जाती है। तो पूरे क्षेत्र में उसी रूप को मानक रूप मानकर प्रयोग में लाया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी भाषा के इसी रूप को आदर्श मानकर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे—'खड़ी बोली' को आदर्श मानकर आज हिन्दी भाषा क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है और इसी को साहित्य के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। व्याकरण रचना, काव्य आदि में भाषा के इसी रूप को 'हिन्दी' भाषा का आदर्श रूप मानकर चला जाता है।

8. उपभाषा—किसी उत्तम भाषा का विगड़ा रूप उपभाषा कहलाती है। भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, ''अपभाषा भाषा का वह रूप है जिसे परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या अपभ्रष्ट समझा जाता है।'' अश्लील, गंवारू, अपभ्रष्ट, अगृहीत और अशिष्ट भाषा का प्रयोग भाषा के इसी रूप में आता है।

9. विदेशी भाषा—किसी देश में पढ़ी और समझी जाने वाली किसी दूसरे देश की भाषा, जो उस देश की मूल भाषा, सांस्कृतिक भाषा, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं होती, उस देश के लिए विदेशी भाषा कहलाती है। इस प्रकार जर्मन, फ्रेंच, चीनी, रूसी, जापानी, अंग्रेजी आदि हमारे लिए विदेशी भाषा है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

2

मातृभाषा का महत्त्व एवं उद्देश्य

मातृभाषा

जैसा कि 'मातृभाषा' शब्द से स्पष्ट है कि मातृभाषा वह शब्द जो बालक अपनी माँ की गोद से सीखता है। और उस शब्द को उस समय अपना साथी बनाता है। भाषा-विकास के प्रारंभिक काल में यह परिभाषा सही हो भी सकती थी, किंतु अब यह पूर्णतः सही नहीं कही जा सकती। आज के संदर्भ में मातृभाषा का अर्थ थोड़ा विस्तृत हो गया है। वस्तुतः मानव-शिशु जन्म के उपरांत मात्र माता के साथ ही नहीं रहता और न ही केवल उसकी भाषा का अनुसरण करता है। इसके उपरांत गांव तथा अन्य सामाजिक व्यक्तियों के संपर्क में वह आता है तथा उनकी भाषा का भी अनुकरण करता है। इस प्रकार वह माता, पिता, भाई, बहन अन्य परिजन तथा सामाजिक सदस्यों के एक पूरे समुदाय के बीच अपनी मौखिक भाषा का स्वाभाविक रूप से विकास करता है। सच तो यह है कि शिशु का जन्म के पश्चात विकास एक सामाजिक परिवेश में होता है। इस जन्मगत परिवेश से जिस भाषा को शिशु सर्वप्रथम सीखता है और बोलता है, वही उसकी मातृभाषा होती है।

शिशु के शारीरिक विकास के साथ उसकी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस शिक्षा के क्षेत्र में तो मातृभाषा का अर्थ और भी विस्तृत हो जाता है। शिशु जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है और शिक्षा प्राप्त करता है, उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति जिस भाषा द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप में पारस्परिक विचार-विनिमय करते हैं, वह मातृभाषा कहलाती है। यही मातृभाषा सामान्यतः

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम होती है। यों यह भी स्पष्ट है कि संकुचित क्षेत्र में असाहित्यिक बोलियां भी होती हैं। इन बोलियों में मौखिक रूप से पारस्परिक दैनिक व्यवहार संबंधी विचारों का आदान-प्रदान होता है किंतु इनका कोई स्थायी रूप नहीं होता। ये बोलियां एक विस्तृत क्षेत्र की लिखित एवं स्थिर भाषा से शाब्दिक तथा आर्थिक समानता रखती हैं। अतः शिक्षा-क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में इसी स्थिर तथा लिखित भाषा को ग्रहण किया जाता है। उदाहरणतः हिंदी मातृभाषावाले क्षेत्र में अनेक बोलियों को देखा जा सकता है। यथा–भोजपुरी, मगही, मैथिली, वज्जिका, अंगिका, अवधी, ब्रजभाषा आदि। अब तो मैथिली, भोजपुरी जैसी लोक भाषाओं के लिखित रूप भी स्थित हो गए हैं।

मातृभाषा के रूप में हिन्दी की उपयोगिता

1. शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम–मातृभाषा के माध्यम से बालक को शिक्षा देना काफी सरल और आसान होता है क्योंकि बालक उस भाषा को पूर्ण तरीके से जानता और समझता है। यही कारण है कि बालक किसी अन्य भाषा में सरलता से नहीं रख सकता। मातृभाषा द्वारा शिक्षा प्रभावकारी एवं स्थाई भी होती है। शिक्षक जितने सरल तथा प्रभावकारी रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है। छात्र भी उतनी सरलता एवं रुचि से उन्हें ग्रहण करता है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि सभी विषय मातृभाषा के माध्यम से केवल सरल बनाए जा सकते हैं, बल्कि उनका शिक्षण लाभकारी एवं स्थाई भी होगा। अपरिपक्व मस्तिष्क वाले छात्र विदेशी भाषा में अधुरा ज्ञान रखने के कारण उसके माध्यम से किसी भी विषय को सुंदर ढंग से समझने एवं ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। आज भी देखा जाता है कि रूस एवं चीन में अपनी-अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से समस्त विषयों की शिक्षा दी जाती है। फलस्वरूप उन देशों में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साहित्य तथा अन्य विषय अपनी सर्वोच्चता पर हैं। इसके विपरीत हमारे देश में विदेशी भाषा का माध्यम रहने के कारण आज भी इन विषयों का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। शिक्षा-क्षेत्र में मातृभाषा की उपेक्षा न केवल व्यक्ति को कमजोर बनाती है, बल्कि इससे देश का प्रगति भी अत्यंत धीमी पड़ जाती है। यहां यह भी ज्ञातव्य है कि छात्रों का अधिकांश समय हमारे देश में अंग्रेजी सीखने में ही चला जाता है। अन्य विषयों में वे स्वभावतः पिछड़ जाते हैं। साथ ही विदेशी भाषा में पूर्ण दक्ष न होने के कारण विषयों को पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाते। अतएव निर्विवाद रूप से शिक्षा का सरलतम एवं सर्वोत्तम साधन मातृभाषा है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है–'अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी हुई विद्या स्वभाव से हमारे मन की सहवर्तनी होकर नहीं चल

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सकती। यही वजह है कि हममें से अधिकांश लोगों को जितनी शिक्षा मिलती है, उतनी विद्या नहीं मिलती।' इसी प्रकार गांधीजी के शब्द भी इस महत्त्व को उजागर करते हैं—'बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के विरुद्ध पाप समझता हूं।' इन कथनों से भी इस महत्त्व की पुष्टि होती है।

2. विचार संप्रेषण का सरलतम साधन—मातृभाषा विचार प्रकट करने का सरलतम साधन है, वस्तुतः शिशु जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात् भाषा सीखने लगता है। यह उसकी अनुकरण की स्थिति होती हैं प्रारंभ में वह अपने मां-बाप तथा परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। तत्कालीन जीवन से संबंधित तथा रुचि की वस्तओं के नाम का उच्चारण करता है। मां, दूध, पानी, खाना, कौआ, खिलौना, बिल्ली, कुत्ता आदि ऐसी वस्तुएं एवं प्राणी हैं जिनसे उसका निकट का संबंध होता है अथवा जिनके प्रति उनकी रुचि होती है। इनके नाम वह बार-बार लेना पसंद करता है। यह आवृत्ति की मनोवृत्ति बच्चों में सामान्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक जीवन, आवश्यकताओं तथा रुचि से संबंधित शब्दोंवाली भाषा से शिशु का संबंध अत्यंत निकट का हो जाता है। आगे चलकर इस भाषा से वह बड़ी सुगमता से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। इतना ही नहीं उसके विचार तथा भाव भी इसी भाषा में उठते तथा स्वरूप ग्रहण करते हैं। जन्म और जीवन के संबंध रहने के कारण मातृभाषा मानव के जीवन एवं विकास का आवश्यक अभिन्न अंग बन जाती है। फलस्वरूप जितनी सुगता से मानव अपनी मातृभाषा में भाव एवं विचार अभिव्यक्त कर सकता है, उतनी सुगता से किसी भी अन्य भाषा में नहीं। सत्य तो यह है कि मातृभाषा का संबंध हमारे जीवन से अन्योन्याश्रित है। मातृभाषा मानव के अचेतन मन के तल तक पहुंच जाता है। जब अत्यधिक विपत्ति अथवा संकट में वह पड़ जाता है, तब अनायास ही उसके मुंह से त्राण के शब्द मातृभाषा में ही निकल जाते हैं। स्पष्ट है कि मातृभाषा के समान निपुणता किसी भी अन्य भाषा में नहीं प्राप्त हो सकती। अतः 'अभिव्यक्ति के सरलतम साधन' के रूप में मातृभाषा का महत्त्व निर्विवाद है।

३. सामाजिक विकास में सहायक—यह निर्विवाद है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अंदर वह विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान करता है। और यह भाषा मुख्य रूप से मातृभाषा होती है। अतएव मानव सामाजिक जीवन में अपनी विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान मातृभाषा द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से कर पाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मातृभाषा मानव

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के सामाजिक विकास में बहुत ही मूल्यवान रूप से सहायक है। नागरिकता तथा मानसिक विकास का भी सामाजिक जीवन से बहुत गहरा संबंध है। मानसिक विकास का आधार विचार-शक्ति है। दूसरी ओर विचार भाषा को जन्म देते हैं। इस प्रकार भाषा और विचार का बहुत अधिक संबंध है। हम यह भी सोचते हैं की हमारा विचार केवल मातृभाषा ही मे उत्पन्न होना चाहिये। नैतिकता तथा भाव-प्रकाशन शक्ति मातृभाषा ही प्रदान करती है। सामाजिक तथा नागरिक के गुणों के विकास में मातृभाषा का योग सर्वोच्च है। रायबर्न के विचार भी इस मान्यता को पुष्ट करते हैं–'वे समस्त गुण जो एक अच्छे नागरिक के लिए आवश्यक हैं–स्पष्ट विचार-क्षमता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, भावना, विचार एवं क्रिया की सत्यता, भावात्मक एवं सृजनात्मक जीवन की पूर्णता–इन सभी गुणों का विकास तभी संभव है जब केवल भावात्मक तथा बौद्धिक जीवन के आधार मातृभाषा पर पूर्ण ध्यान दिया जाए।' अतः मातृभाषा का सामाजिक महत्त्व भी सिद्ध ही है।

4. संस्कृति विकास के लिए सहायक–मातृभाषा का महत्त्व उसके बोलनेवाले समाज की संस्कृति के विकास में है। वस्तुतः किसी भी समुदाय की सांस्कृतिक एवं मानवीय उपलब्धियां उसकी मातृभाषा के साहित्य में प्रधान रूप से संग्रहीत होती हैं। अतः अपनी संस्कृति का समुचित ज्ञान प्राप्त करने तथा उसके साथ आंतरिक संबंध स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि अपनी मातृभाषा में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन एवं मनन-चिंतन किया ज़ाए। इस कार्य को पूर्ण दक्षता तथा निपुणता से करने के लिए मातृभाषा में निष्णात होना आवश्यक है। इस प्रकार अपनी सामाजिक संस्कृति को समझने तथा उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि मातृभाषा के ज्ञान में पूर्ण दल हुआ जाए। 'रामचरितमानस', 'महाभारत', 'कबीर-काव्य' आदि का ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से ही पूर्णरूप से हो सकता है। सूर, तुलसी, कबीर, प्रसाद, दिनकर, पंत, निराला आदि महान् कवियों की कविताओं का वास्तविक आनंद हिंदी का पूर्ण ज्ञाता ही उठा सकता है। अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से इनकी आत्मा में प्रवेश पाना सर्वथा असंभव है। इस प्रकारं हिंदी जिनकी मातृभाषा है, वे अपनी मातृभाषा में निष्णात होकर ही अपनी संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी मातृभाषा में प्रवीणता प्राप्त कर ही अपनी संस्कृति का उत्थान कर सकते हैं। मातृभाषा का अमृत डालकर ही अपनी संस्कृति को पल्लवित और पुष्पित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि मातृभाषा किसी भी राष्ट्र अथवा

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

समुदाय की संस्कृति की संरक्षिका तो होती ही है, संवाहिका और उद्भाषक भी होती है।

5. मानसिक एवं बौद्धिक विकास का साधन—मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानसिक एवं बौद्धिक विकास का आधार विचार-शक्ति है। विचार और विवेक के सहारे ही मानव की बुद्धि विकसित होती है। विचार के द्वारा ही मानव-बुद्धि को निश्चित दिशा एवं गति प्राप्त होती है। इसके साथ यह भी स्पष्ट है कि विचार तथा भाषा का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। विचार के गर्भ से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा के शरीर में विचार प्रकट होता हैं। मातृभाषा का संबंध व्यक्ति के जन्म से ही होता है, अतः उसके विचार सामान्यतः मातृभाषा में ही उद्भूत होते हैं। जिसकी भाषा जितनी ही प्रशक्त होंगी, विचार भी उसके उतने ही सुदृढ़ एवं प्रखर होंगे। महात्मा गांधी के विचार के अनुसार, 'मानसिक शक्ति के लिए भाषा उतनी ही आवश्यक है, जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। मातृभाषा ही ऐसी भाषा हो सकती है।' मातृभाषा के माध्यम से बच्चे ज्ञान-विज्ञान, साहित्य एवं अन्य विषयों का अध्ययन करने और समझने में समर्थ होते हैं। इससे उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है।

6. व्यक्तित्व के विकास में सहायक—मातृभाषा का बालकों के जीवन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। वस्तुतः मातृभाषा के अध्ययन से बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है। मातृभाषा की शिक्षा के द्वारा बच्चों में आत्मप्रकाशन की क्षमता का आश्चर्यजनक रूप से विकास होता है। साथ ही दूसरे के प्रकाशित भावों और विचारों को समझने की क्षमता भी प्राप्त होती है। यह भी सत्य है कि मातृभाषा के माध्यम से आत्म प्रकाशन सर्वोत्तम ढंग से हो सकता है। आत्मप्रकाशन में सक्षम तथा विचार-ग्रहण में प्रवीण बच्चों के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यह आत्मविश्वास का गुण व्यक्तित्व को प्रशस्त बनाने एवं विकसित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस गुण से संपन्न बच्चे अपने विचारों को निर्भीक होकर प्रकट करते हैं तथा उनके अंदर के सुसुप्त नैसर्गिक गुणों का सुंदर ढंग से विकास होता है। इतना ही नहीं, अपनी तथा अन्य जातियों की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान तो भाषा के माध्यम से ही होता है। मातृभाषा इस दिशा में सहायक तो होती ही है, साथ-साथ समाज-सम्मत आचरण को समझने में भी सहायक होती है। इसके फलस्वरूप बच्चों का सामाजिक व्यक्तित्व भी स्वाभाविक रूप से विकसित होता चलता है। अतः मातृभाषा की शिक्षा का महत्त्व स्वयंसिद्ध है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

7. राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक—हिन्दी भारत के अधिक बड़े शहरों और राज्यों की मातृभाषा है जैसे—बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की मातृभाषा है। साथ ही संविधान के अनुसार यह भारत की राष्ट्रभाषा भी है। अतः राष्ट्रभाषा के रूप में इसके क्षेत्र तथा उत्तरदायित्व दोनों बहुत ही विस्तृत हो जाते हैं। यह समस्त देश के विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों एवं राज्यों के बीच संपर्क-भाषा का भी रूप ले लेती है। प्रशासन में तथा अन्य राज्यों में पत्र-व्यवहार में भी इसको प्रश्रय प्राप्त है। किंतु, खेद का विषय है कि संविधान सम्मत अवधि (1965 ई.) समाप्त होने पर भी हिंदी को पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं दिया गया। केंद्रीय सरकार के एक परिपत्र के द्वारा अंग्रेजी को असीमित काल तक अंतर्राज्यीय संपर्क की भाषा बने रहने की छूट दे दी गई। फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान तो संविधानतः प्राप्त है ही। इसे टाला जा सकता है, बिल्कुल इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हां, तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का दायित्व और भी गुरुतर हो जाता है। इसे विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों के बीच एकसूत्रता स्थापित करने की पवित्र संकल्पना पूरा करना है। हिंदी मातृभाषावाले क्षेत्रों के लोगों का भी यह परम कर्तव्य हो जाताा है कि वे पाने अंदर सहिष्णुता, उदारता और सहृदयता के गुणों का विकास करें। इन्हीं गुणों के द्वारा वे अन्य भाषाभाषी क्षेत्रों की जनता का हृदय जीत सकेंगे तथा उनके हृदय से हिन्दी साम्राज्यवाद का भ्रम दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मातृभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता, सद्भावना एकात्मकता तथा सहृदयता के संकल्प को भी पूर्ण करके राष्ट्रभाषा के सच्चे गौरव को प्राप्त कर सकेगी। हिंदी मातृभाषा के शिक्षण को इस दिशा की ओर अग्रसर करना हिंदीभाषी के लिए लाभप्रद होगा।

8. व्यक्तित्व के विकास में अमूल्य वस्तु है—हम सभी इस सामान्य सत्य से परिचित हैं कि शारीरिक विकास के लिए संतुलित भोजन अत्यावश्यक है। वस्तुतः भोजन स्थूल शारीरिक विकास का आधार है। इसके बिना शारीरिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। किंतु, मात्र भोजन ही शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। सम्यक् शारीरिक विकास के लिए तो निद्रा एवं आंतरिक प्रसन्नता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। एक पागल मनुष्य भोजन तो करता ही है, फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति का न तो सदुपयोग किया जा सकता है और न उसे क्षीण होने से रोका जा सकता है। 'अतः मातृभाषा द्वारा वह क्षमता प्राप्त होती है जिससे साहित्य, कहानी, कविता,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मनोरंजक साहित्य, विज्ञान आदि का अध्ययन एवं मनन-चिंतन करके प्रसन्न चित्तता एवं निश्चिंत निद्रा के वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं, मातृभाषा आनंद, प्रसन्नता एवं ज्ञान का एक स्रोत है, मातृभाषा में दक्ष बच्चों को उसके साहित्य की ओर प्रवृत्त करती है तथा साहित्य का अध्ययन उन्हें प्रसन्नता तथा ज्ञान का वरदान देता है। इस प्रकार मातृभाषा का ज्ञान उनके शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों का विकास करने में सक्षम है।

9. आंतरिक गुणवत्ता में सहायक—मातृभाषा का संबंध मानव के शैशवावस्था से होता है। इसी भाषा में वह बचपन में अपनी आवश्यकता तथा रुचि की वस्तुएं मांगता है। इसी भाषा के साथ जीवन का विकास, सामाजिक, पारिवारिक संबंध तथा कड़वे-मीठे अनुभव जुड़े हुए हैं। मां की प्रथम बोली इसी भाषा में फूटती है। मां-बाप तथा परिजन-समाज का स्नेह, दुलार-प्यार इसी भाषा के माध्यम से प्रकट होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि इस भाषा के बोलनेवालों में सद्भाव एवं अपनापन का विकास हो। ऐसा देखा भी जाता है कि हमारी मातृभाषा में बोलनेवाले के प्रति हम अधिक आकर्षित होते हैं, अधिक अपनापन का अनुभव करते हैं। इस प्रकार मातृभाषा के सहारे हम समाज के सदस्यों के बीच सद्भावना एवं भावात्मक एकता का अनुभव करते हैं। वस्तुतः मातृभाषा भावात्मक सद्भावना एवं एकता के विकास में सक्रिय रूप से सहायक होती है। इसके अतिरिक्त अपनी मातृभाषा के साहित्य एवं कला-उपलब्धियों के प्रति भी आंतरिक एवं भावात्मक अनुराग उत्पन्न होता है। इससे मातृभाषा के साहित्य एवं कला के विकास की दिशा में भी हम प्रवृत्त होते हैं। स्पष्ट है कि मातृभाषा की शिक्षा न केवल बच्चों के भावात्मक विकास में सहायक है, बल्कि उन्हें साहित्य एवं कला के क्षेत्र में सृजनात्मकता की ओर भी अग्रसर करती है।

अंत में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मातृभाषा का महत्त्व मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए सर्वोपरि है। वस्तुतः मातृभाषा मात्र एक विषय नहीं है, बल्कि वह तो सभी विषयों में प्रवेश का साधन है। उसके आधार पर ही तो अन्य सभी विषयों के महल खड़े होते हैं। अतएव मातृभाषा की शिक्षा का महत्त्व सर्वमान्य एवं सर्वोपरि है। इसी भाषा में तो शिशु विचार करता तथा स्वप्न देखता है। यह मानवीय संस्कृति एवं शिक्षा की प्राण-धारा है। वैलार्ड के शब्दों में इसे यों कहा जा सकता है—"As training in the use of the Mother-tongue the tongue in which a child thinks and dreams, becomes the first important of schooling and the finest instrument of human culture.'

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मातृभाषा के रूप में मानक हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य

यह मानवीय एवं सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी भाषा अनुसरण से सीखी जाती है। लेकिन इसका निष्कर्ष यह बिल्कुल नहीं कि भाषा को सीखने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल वातावरण में सीखी गई पारिवारिक भाषा पूर्ण रूप से शुद्ध, परिमार्जित व व्याकरण-सम्मत हो यह आवश्यक नहीं। भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा को शुद्ध, व्याकरण-सम्मत व परिमार्जित होना आवश्यक है। अतः बच्चे के विकास के लिए भाषा की शिक्षा आवश्यक है। भाषा की शिक्षा से आवश्यक है कि उसका मौखिक तथा लिखित ज्ञान। बालक के सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल को विकसित करना भाषा-शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। फिर भी हम निम्न रूप से भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं—

1. **अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य**—राष्ट्रभाषा का मुख्य उद्देश्य है की छात्रों को इस योग्य बनाना की वह अपनी बात अन्य लोगों तक पहुंचा सके। इसमें इस प्रकार अभिव्यक्ति के स्तर पर दो उद्देश्य हैं—

(अ) लिखित रूप से विचाराभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। बच्चों में इस क्षमता का विकास करना कि वे शुद्ध व स्पष्ट अक्षरों को लिख सकें। लेखन में क्रमबद्धता का ध्यान रखना तथा प्रसंगानुकूल शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग करना मुख्य उद्देश्य है।

(ब) बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति का विकास करना, विचारों का आदान-प्रदान ही सामाजिकता है। अतः छात्र को इस योग्य बनाना कि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति में शुद्ध बोले। शब्दों का सही चयन करे तथा बोलने के शिष्टाचार का पालन करते हुए उचित गति व हाव-भाव के साथ बोले। अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे-लोकोक्तियां, सूक्तियों व का प्रयोग करे। इसमें क्रमबद्धता का ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक है।

2. **ग्राह्ययात्मक उद्देश्य**—ग्राह्य शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, अर्थात् बच्चों में उन कौशलों का विकास करना जो किसी के द्वारा व्यक्त, बोले अथवा लिखे भावों को ग्रहण कर सकें। इस प्रकार—

(क) पढ़कर विचारों को ग्रहण करना सिखाना, इसमें छात्रों के शब्द-भंडार में वृद्धि करना, शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, क्षमता का विकास करना, भाषा का शुद्ध उच्चारण करना, मुहावरे व लोकोक्तियों व पाठ

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

का केन्द्रीय भाव ग्रहण करना आदि है। इससे छात्रों की चिंतन-मनन की शक्ति का भी विकास होता है।

(ख) छात्रों को इस योग्य बनाना कि सुनकर विचारों को ग्रहण कर सकें। इसमें उन्हें ध्वनि, शब्द, स्वराघात, बलाघात, एकाग्रता आदि के प्रति जागरूक किया जाएगा।

3. साहित्य की ओर छात्रों को आकर्षित करना—साहित्य के द्वारा छात्रों की रुचि को सही दिशा प्रदान की जा सकती है। इसके लिए छात्रों में अतिरिक्त पठन, पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने की आदतों का विकास करना है। इससे छात्र विद्यालय में होने वाली अन्य गतिविधियों में भाग लेने में अभिप्रेरित होते हैं। कविता-वाचन, वाद-विवाद, भाषण, नाटक आदि से इस उद्देश्य की प्राप्ति होती है।

4. समालोचनात्मक उद्देश्य—समालोचना का अर्थ है साहित्य का अध्ययन करने के बाद उसके गुण-दोषों के विवेचन की क्षमता। उच्च प्राथमिक स्तर पर इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

5. सराहना करने की क्षमता का विकास—इससे छात्रों की साहित्यिक रुचि विकसित की जाती है। छात्र किसी भी साहित्यकार की कृति का अध्ययन करके इस योग्य बने जिससे उसके शब्द चयन, कला-भाव व शैली की प्रशंसा कर सके। इसमें छात्र कविता के हाव-भाव सहित वाचन कर सके तथा घटना के आधार पर कहानी को समझ सके।

6. सृजनात्मक उद्देश्य—सृजन का अर्थ है नई मौलिक रचना करना। अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चों में इस क्षमता का विकास करे जिससे वे चिंतन-मनन करके मौलिक रूप से लिख सकें। यही कारण है कि इस क्षमता के अभाव में दसवीं कक्षा तक के छात्र निबंध रट तो लेते हैं लेकिन अपने आप किसी भी विषय पर मौलिक रूप से लिखने में पंगु हैं। इससे छात्रों में आत्मविश्वास तथा लेखन के प्रति रुझान उत्पन्न होता है। इसके लिए अध्यापक छात्रों से पत्र, निबंध, कहानी, कविता, अनुच्छेद, भावपल्लवन आदि कार्य करवा सकता है। आज के भाषा शिक्षण में इस उद्देश्य का ध्यान नहीं रखा जाता है।

7. सद्वृत्तियों का विकास करना—शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सद्गुणों व सद्वृत्तियों का विकास करना ही है। साहित्य में अभिरुचि के पश्चात् उनमें दया, प्रेम, देश-प्रेम, राष्ट्रीय भावना एवं संवेदनशीलता का विकास होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

इन उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही भाषा की पाठ्य-पुस्तक की रचना की जाती है। तथा अध्यापक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह शिक्षण के समय छात्रों को इन उद्देश्यों की सम्प्राप्ति में मदद करें। इसके लिए छात्रों को सस्वर वाचन करवाना, प्रश्नोत्तर करना, चित्र का वर्णन करवाना, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लिखित के लिए सुंदर से सुंदर अक्षर लिखना, लिखित रूप से वर्णन करना, प्रश्नों का लिखित उत्तर देना, व्याख्यान, भावपल्लवन, संक्षिप्तीकरण व अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करवाना चाहिए। वास्तव में अध्यापक को शिक्षण कार्य करवाते समय उद्देश्यों का ध्यान रखना परम आवश्यक है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3

राष्ट्रभाषा के सिद्धान्त

बालक के जन्म के बाद ही मातृभाषा का सीलसीला उसकी माँ की गोद से प्रारंभ हो जाता है। बच्चे अपने मां-बाप, भाई-बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों से मातृभाषा सीखना प्रारंभ कर देते हैं। सामान्य बोल-चाल के द्वारा आवश्यक वस्तुओं तथा परिवेश की वस्तुओं के नाम बोलना वे परिवार में ही सीख लेते हैं। उन्हें पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, नाना, जैसे साधारण नाम पहले सिखाए जाते हैं। अतः मातृभाषा के शिक्षण का कार्य आसान हो जाता है। नवीन भाषा सीखने का काम मातृभाषा के शिक्षण से सर्वथा भिन्न है। स्पष्ट है कि मातृभाषा-शिक्षण के सिद्धान्त भी अन्य भाषा के शिक्षण-सिद्धान्त से कुछ अंशों में भिन्न होंगे।

यों सामान्यतः सभी विषयों के शिक्षण-सिद्धांत समान होते हैं। प्रत्येक विषय के शिक्षण में बच्चों की रुचि, रुझान तथा योग्यता को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षण-सूत्रों का अनुसरण लाभदायक होता है। किंतु, मातृभाषा के शिक्षण में एक विशेष क्रम का भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे जिस क्रम से मातृभाषा सीखते हैं, उसी क्रम से उसका शिक्षण भी लाभकारी होता है। हम देखते हैं कि बच्चे प्रारंभ में मौखिक रूप से मातृभाषा सीखते हैं। उसके पश्चात वाचन का कार्य कराते हैं। और अंत में लिखने की कला सीखते हैं। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि बच्चे दैनिक जीवन के क्रियाशीलनों में यथास्थान भाषा में सीखते जाते हैं। अतः मातृभाषा-शिक्षण के सिद्धान्त पर विचार करते हुए इन तथ्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मातृभाषा-शिक्षण के सामान्य सिद्धान्त

1. मन की अभिव्यक्ति का सम्मान—बच्चों की रुचि एवं रुझान का सम्मान करके हम बच्चों को मातृभाषा की ओर प्रभावकारी ढंग से निवृत्त कर सकते हैं। पाठ्य विषय को बच्चों की रुचि के अनुरूप रखना अति आवश्यक है। काल्पनिक वर्णनात्मक कहानियां (पारिवारिक एवं सामाजिक कहानियाँ), साहसिक गाथाएं, गेय कविताएं तथा चित्रात्मक वर्णन आदि बच्चों की रुचि एवं रुझान के अनुरूप होते हैं। इनके अतिरिक्त सरल भाषा एवं आकर्षक शिक्षोपकरण भी बच्चों की रुचि और रुझान को आकर्षित करते हैं। शिक्षक द्वारा मनोवैज्ञानिक शिक्षण-विधियों का अनुसरण बच्चों में मातृभाषा के प्रति सहज आकर्षण एवं लगाव उत्पन्न कर देता है। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मातृभाषा के पाठ्यक्रम, शिक्षोपकरण, भाषा, शिक्षण-विधियां आदि सभी बच्चों की रुचि तथा रुझान के अनुरूप रखे जाएं।

2. स्वाभाविक क्रम के अनुसार—मातृभाषा-शिक्षण में स्वाभाविक क्रम का अनुसरण करना प्रभावकारी होता है। बच्चे प्रारंभ में बोलना, फिर वाचन करना तथा अंत में लिखना सीखते हैं। यह क्रम स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। हम जानते हैं कि बच्चों की भाषा पूर्ण वाक्यों में प्रारंभ होती है। ये वाक्य एक शब्द के भी हो सकते हैं तथा व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण भी। किंतु, बच्चे उनका प्रयोग पूर्ण सार्थक वाक्यों की तरह ही करते हैं। वस्तुतः बोलने की इकाई वाक्य है, अतः बच्चों को प्रारंभ में बोलना ही सिखाते हैं। वाक्यों से शब्द तथा शब्दों से अक्षर की ओर आना स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है। हमें यह भी ज्ञात है कि वाक्य पूर्ण सार्थक होते हैं। शब्द उनसे कम सार्थक होते हैं तथा अक्षर अपने आप में सार्थक नहीं होते। शब्द के माध्यम से हम पढ़ते हैं तथा लिपि के माध्यम से लिखते हैं। अतएव यह मनोवैज्ञानिक है कि बोलना, वाचन तथा लेखन के क्रम का अनुसरण मातृभाषा-शिक्षण में करना चाहिए।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि वाचन तथा लेखन का मौलिक आधार अक्षर हैं। इनकी जानकारी के अभाव में न तो वाचन हो सकता है और न लेखन। अतएव दोनों का अलग-अलग शिक्षण समय एवं शक्ति की बरबादी है। सही तो यही होगा कि बोलने की शिक्षा के उपरांत अक्षर-ज्ञान तथा वाचन दोनों का शिक्षण साथ-साथ हो। इस विधि में लिखना तथा वाचन दोनों में बच्चे साथ-साथ प्रगति कर सकेंगे। इस समन्वित प्रक्रिया के द्वारा बच्चों की कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय दोनों में सामंजस्य स्थापित होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अतः भाषा मानव की अर्जित संपत्ति है। मानव अपने वातावरण से अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। यह सत्य मातृभाषा के संदर्भ में और भी उजागर होकर सामने आता है। इस प्रकार के अनुकरण में सर्वप्रथम बोलना, फिर पढ़ना तथा अंत में लिखने की क्रिया आती है। इस क्रम में अंतिम दो क्रियाओं को एक साथ चलाना उचित होगा। अंत में कहा जा सकता है कि मातृभाषा के शिक्षण में उक्त क्रम का अनुकरण स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है।

3. मौखिक से लिखित की ओर—मातृभाषा शिक्षण में सर्वप्रथम मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाए। इस कार्य में सर्वप्रथम मौखिक भाषा में बच्चों को अभ्यास कराया जाए। शुद्ध उच्चारण करना, बातचीत करना, मौखिक कहानी कहना, विचार प्रकट करना आदि के द्वारा उन्हें भाषा में दक्षता प्रदान की जाए। इसके उपरांत लिखित भाषा की शिक्षा दी जाए। इससे मातृभाषा का स्वाभाविक क्रम बना रहता है तथा बच्चे आशातीत रूप से इस दिशा में प्रगति भी करते हैं। मौखिक कार्य कर लेने के बाद लिखित कार्य करने में सुविधा भी होती है। जो लिखना है उसका ज्ञान उन्हें पहले ही रहता है अतः मातृभाषा-शिक्षण में सर्वप्रथम अधिक-से-अधिक मौखिक कार्य कराएं जाएं और उसके बाद लिखित भाषा का ज्ञान एवं अभ्यास कराया जाए।

4. क्रियाशीलता—क्रियाशीलता का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि भाषा एक कला है। अतः उसका अधिकाधिक अभ्यास बच्चों को भाषा पर अधिकार प्रदान करता है। भाषा शिक्षण के क्रम में बच्चों को सक्रिय रखना लाभदायक होता है। इससे बच्चे भाषा सीखने के क्रियाशीलन में संलग्न रहते हैं तथा उनका ध्यान बंटने नहीं पाता। बच्चों को लिखने, बोलने तथा पढ़ने का समुचित अवसर दिया जाए। इससे भाषा में उनकी दक्षता बढ़ती है तथा भाषा पर उनका अधिकार होता है। वर्ग-शिक्षण में प्रश्नोत्तर-विधि तथा क्रियात्मक विधि का अनुसरण कर मातृभाषा के शिक्षण को प्रभावकारी एवं रोचक बनाया जाए।

5. वैयक्तिक पृथकता का ध्यान—यह मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सत्य है कि बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है। उनकी भाषा-संबंधी अपनी-अपनी योग्यताएं, कमजोरियां तथा कठिनाइयां होती हैं। कोई वाचन में अच्छा होता है तो कोई कमजोर। कोई उच्चारण शुद्ध करता है तो कोई अशुद्ध। कोई लिखने में दक्ष होता है तो कोई बहुत धीमा। एक ही उम्र के कई बच्चे भाषा संबंधी उपलब्धियों में आपस में बहुत भिन्न होते हैं। अतः

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सभी बच्चों को एक ही विधि से मातृभाषा की शिक्षा देना लाभकारी नहीं है उन्हें तो वैयक्तिक योगयता तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखकर मातृभाषा का शिक्षण देना व्यावहारिक एवं सफल होगा। तभी उनकी रुचि मातृभाषा में बढ़ेगी तथा वे अपेक्षित प्रगति कर सकेंगे।

6. शिक्षण-यंत्र का अनुसरण—मनोवैज्ञानिक आधार पर कई शिक्षण-सूत्र विकसित किए गए हैं। ये शिक्षण-सूत्र मातृभाषा-शिक्षण के क्षेत्र में भी बहुत प्रभावकारी हैं। इनका अनुसरण सफल भाषा-शिक्षण के लिए आवश्यक है। प्रमुख शिक्षण-सूत्र हैं—ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर इत्यादि।

7. अनुपात एवं समन्वय का ध्यान—भाषा लिखित एवं मौखिक होती है। गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, अनुवाद, नाटक तथा कहानी इसके विभिन्न अंग होते हैं। अतः मात्र लिखित अथवा मौखिक भाषा का शिक्षण समानुपाती नहीं है। ऐसी अवस्था में मौखिक तथा लिखित भाषा का समानुपाती शिक्षण समीचीन होगा। इसी प्रकार केवल गद्य या पद्य, अथवा नाटक या अनुवाद की शिक्षा एकांगी है। इसके लिए मातृभाषा-शिक्षण के समय भाषा के समस्त अंगों की शिक्षा अपेक्षित मात्रा में देना आवश्यक है। भाषा के किसी भी अंग का शिक्षण करते समय प्रासंगिक रूप से अन्य अंगों का भी शिक्षण साथ-साथ होते चलना चाहिए। इससे सम्यक् भाषा-शिक्षण प्राप्त हो जाता है तथा बच्चों की प्रगति भी तीव्रगति से होती है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

4

भाषायी कौशल

भाषायी कौशल का अर्थ

मानव अपने सोच व विचार का एक दूसरे तक अदान प्रदान करना चाहता है इस कार्य के लिये वह भाषा के दोनों रूप का प्रयोग करता है—मौखिक व लिखित। मौखिक रूप का प्रयोग करने के लिए वह सुनने व बोलने की क्रिया करता है और लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए पढ़ने व लिखने की। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि सुनते और बोलते समय मौखिक भाषा का प्रयोग होता है एवं पढ़ते और लिखते समय लिखित भाषा का।

बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का लेनदेन करता है। अतः इन योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा-शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इन्हें ही भाषा-शिक्षण के कौशल्यात्मक उद्देश्य कहा जाता है। ये कौशलात्मक उद्देश्य ही भाषाई कौशल कहे जाते हैं। ये चार हैं :

1. श्रवण कौशल
2. पठन कौशल
3. मौखिक अभिव्यक्ति कौशल
4. लेखन कौशल

श्रवण और पठन कौशल ग्राह्यात्मक कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति व लेखन कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल कहे जाते हैं।

छात्रों में इन चार भाषाई कौशलों को विकसित कर उनमें विचारों के आदान-प्रदान अर्थात् दूसरों के भाव व विचार ग्रहण करने और अपने भाव व

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विचार व्यक्त करने की क्षमता व योग्यता विकसित की जाती है। छात्रों में यह क्षमता व योग्यता विकसित हुई है या नहीं इसका पता उनमें होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों से लगाया जाता है।

प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों का महत्त्व—भाषा एक कला है। कौशल में दक्षता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे की छोटी आयु से ही उसे किसी कौशल का अभ्यास कराया जाता है। तो वह उस कौशल पर शीघ्र ही पूर्णता के साथ अधिकार प्राप्त कर लेता है। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण वह कौशल का अनुकरण बड़ी तीव्रता के साथ करता है।

भाषाई कौशलों के शिक्षण की दृष्टि से भी बालक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बच्चों की शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में अनुकरण-प्रवृत्ति बड़ी तीव्र होती है और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है अतः प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बहुत सुगमता व सहजता के साथ इन भाषाई कौशलों का अभ्यास कराया जा सकता है। वैसे तो अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण, विद्यालय में आने से पूर्व ही बच्चा अपने परिवार के सदस्यों—माता-पिता, भाई-बहिन आदि से शब्दों एवं वाक्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसका अपना एक शब्द-भण्डार होता है, उसको सुनकर विचारों को ग्रहण करना आता है, उसके पास अपनी मौखिक अभिव्यक्ति भी होती है। इतना ही नहीं, कई बच्चे तो माता-पिता के निर्देश से विद्यालय आने से पूर्व कुछ-कुछ पढ़ना-लिखना भी सीख जाते हैं। कहने का तार्त्पय यह है कि प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व चारों भाषाई कौशलों का कुछ-न-कुछ ज्ञान रखते हैं। परन्तु यह जरूरी नहीं कि उनका यह ज्ञान शुद्ध ही हो।

आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक यह पता लगाए कि कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बालक कितना कुछ जान चुका है। इसी पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर चारों भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास किया जा सकता है।

अध्यापक यह भी पता लगाए कि उसका कितना ज्ञान शुद्ध है और कितना अशुद्ध। अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना होता है क्योंकि बाल्यावस्था में जो छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है वह अमिट होती है। अतः प्रथम कक्षा से ही बच्चे को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बोलने, पढ़ने-लिखने आदि का अभ्यास कराया जाए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्राथमिक स्तर पर बालक का दिमाग बिल्कुल सफेद होता है। अतः इस उम्र में उसके दिमाग में अच्छी बात डाला जाए क्योंकि इस उम्र में बालक लचीला होता है। अतः चारों भाषाई कौशलों को विकसित करने की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

इस आयु में बालक की मांसपेशियों में भी लचीलापन होता है। लिखित कौशल को विकसित करने की दृष्टि से सुन्दर, सुडौल लेख का अभ्यास कराने के लिए यही समय सर्वथा उपयुक्त है। बालक की उंगलियों को हम विभिन्न वर्णों के लेखन की दृष्टि से जिन दिशाओं में घुमाने का अभ्यास करा देंगे वह आयुपर्यन्त के लिए स्थाई प्रभाव छोड़ देगा। यदि इस समय सुडौल लेख का अभ्यास करा दिया जाए तो बालक का लेख हमेशा के लिए सुन्दर व सुडौल हो जाएगा।

यही बात उच्चारण व मौखिक अभिव्यक्ति की है। यदि बालक की जिह्वा को उचित स्थान का स्पर्श करने का अभ्यास कराकर उसे शुद्ध ध्वनि-उच्चारण सिखा दिया जाएगा तो वह हमेशा ही मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण करेगा। इसी प्रकार बोलचाल के लिए भी अवसर प्रदान कर यदि बच्चे का संकोच व हिचक दूर कर उसमें बोलने के लिए आत्मविश्वास पैदा कर दिया जाए तो वह बालक जीवन में कभी भी, किसी भी क्षेत्र में विचाराभिव्यक्ति में घबराएगा नहीं।

अध्यापक का बच्चों के साथ मधुर व्यवहार

आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो, बच्चे के मन से डर दूर कर दिया जाए, उसे खुलकर बोलने के अवसर प्रदान किए जाएं तथा उसकी त्रुटियों को प्यार के साथ समझाकर दूर कराया जाए।

विद्यालय में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की भाषा सम्बन्धी क्रियाएं व खेल आयोज़ित किए जाएं जिनमें बच्चों को इन कौशलों के अभ्यास का अवसर मिले।

इस प्रकार सुनकर विचार व भाव ग्रहण करने, बोलकर विचार व्यक्त करने, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने एवं लिखकर विचार व्यक्त करने की पहली सीढ़ी है।

यह प्राथमिक स्तर ही शिक्षा के भावी स्तरों पर आधार है। प्राथमिक स्तर पर बालक में विकसित की गई योग्यता एवं कौशल ही माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर तक उत्तरोत्तर विकसित होते रहते हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर बालक किसी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भी कौशल का अर्जन पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा तो आगे के स्तरों में उस कौशल के सम्बन्ध में वह पिछड़ा ही रहेगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर इन चारों कौशलों का ठीक रूप से ज्ञान एवं अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। अध्यापक को इंस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए।

श्रवण कौशल का अर्थ—भाषा सीखने का प्रथम तरीका 'श्रवण' है। अतः श्रवण-कौशल ही अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रथम आधार है। जो बच्चा बचपन से सुन नहीं पाता है वह बोलने में भी असफल रहता है, उसका भाषा-ज्ञान शून्य रहता है। श्रवण-कौशल के बाद ही उसमें पढ़ने-लिखने का कौशल विकसित किया जाता है। परिभाषा की दृष्टि से सोचा जाए तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर, उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया 'श्रवण' कही जाती है। वक्ता जिस अभिप्राय या उद्देश्य से अपने विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है, उस बात को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनकर, उसी अभिप्राय को ग्रहण करने की योग्यता ही श्रवण-कौशल है।

श्रवण कौशल का अर्थ—बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण-कौशल का अत्यधिक महत्त्व है। बच्चा जन्म के बाद वातावरण के ध्वनियों को सूनता है जो उसके मस्तिक में बैठ जाती है। ये अंकित ध्वनियां ही बच्चे के भाषा-ज्ञान का आधार बनती हैं। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक इन ध्वनियों के सूक्ष्म अन्तर को समझ पाता है। अतः यह श्रवण-कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है।

भाषा अनुसरण से सीखी जाती है। अपने परिवार में माता-पिता, भाई-बहन व अन्य सदस्यों को बोलता हुआ देखकर व सुनकर बच्चा उसी प्रकार बोलने की कोशिश करता है। नए-नए शब्दों को सुनकर अपने शब्द-ज्ञान में वृद्धि करता है। अपने से बड़ों व अध्यापक आदि को सुनकर स्वयं भी शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर-गति, हाव-भाव, उतार-चढ़ाव आदि के अनुसार बोलने का प्रयास करता है और इस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति में दक्षता प्राप्त करता है।

केवल मौखिक कौशल के लिए ही नहीं वरन् पठन एवं लेखन-कौशल को विकसित करने के लिए भी श्रवण-कौशल की आवश्यकता होती है।

श्रवण-क्रिया के द्वारा ही बच्चा विभिन्न ध्वनियों, शब्दों आदि को पहचानता है। ये ध्वनियां, शब्द आदि वाचन में सहायक होते हैं। अध्यापक पुस्तक दिखाते हुए अपने मुख से एक-एक वर्ण का उच्चारण करता है और बच्चे को वर्णों से

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

परिचित कराता है। अध्यापक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन को सुनकर ही बच्चा भी उसी प्रकार अनुकरण करते हुए स्वयं वाचन करता है।

लेखन-कौशल को विकसित करने की दृष्टि से भी अध्यापक शब्दों को बोलते हैं और बच्चा सुनकर लिखता है। जिससे वर्तनी आदि का अभ्यास होता है। इसी प्रकार उचित स्वर, गति एवं विराम के साथ बोलते हुए अध्यापक बच्चों को उचित गति से लिखने का अभ्यास कराता है। इस क्रिया को श्रुतलेख कहा जाता है। जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनता है वह लिखने में पिछड़ जाता है। आगे चलकर रचना-कार्यादि कराने के लिए भी अध्यापक पहले मौखिक रचना कराता है फिर इसे लिखित रूप से देना होता है। इसके लिए भी श्रवण-कौशल आवश्यक है।

केवल भाषाई कौशल ही नहीं वरन् मातृभाषा-शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में श्रवण-कौशल की आवश्यकता होती है। बच्चा कविता को सुनकर रसास्वादन करता है। कहानी आदि को सुनकर जितना आनन्द लेता है उसकी सीमा नहीं। साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन करते समय अध्यापक के द्वारा की गई विषय से सम्बन्धित व्याख्या को सुनकर ही उस विषयवस्तु को ग्रहण करता है।

विभिन्न साहित्यिक क्रियाओं का आनन्द भी श्रवण द्वारा लिया जाता है। रेडियो, टीवी आदि के कार्यक्रमों को सुनकर ही उनसे अपना मनोरंजन करता है। व्यावहारिक जीवन में पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सुनने का कार्य करना ही पड़ता है।

अतः शिक्षण के प्रारम्भ से ही छात्र को श्रवण-कौशल में दक्ष करना आवश्यक है।

श्रवण-कौशल के उद्देश्य–श्रवण-कौशल के द्वारा छात्रों में अग्रलिखित योग्यताओं को विकसित करना होता है–

(i) श्रुत सामग्री के आकर्षक व रुचिकर अंशों का चयन करने की योग्यता विकसित करना।

(ii) श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना।

(iii) छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना।

(iv) भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(v) वक्ता के मनोभावों के समझने की निपुणता विकसित करना।(vi) छात्रों को दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रेरित करना।

(vii) दूसरों के द्वारा जो उच्चारण किया गया है। उसको सुनकर शुद्ध उच्चारण के लायक अपने आप को बनाना।

(viii) छात्रों में सुनकर स्वराघात, बलाघात तथा उचित उतार-चढ़ाव के साथ बोलने व पढ़ने की क्षमता का विकास करना।

(ix) श्रुत सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना।

(x) श्रुत सामग्री के रुचिकर अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना।

श्रवण-कौशल शिक्षण की विधियां—छात्रों में श्रवण-कौशल को विकसित करने के लिए अध्यापक निम्नलिखित विधियों, सामग्री, क्रियाओं एवं उपकरणों की सहायता ले सकता है :

1. वाद-विवाद—श्रवण-कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए भाषण की तरह वाद-विवाद भी एक उपयोगी क्रिया सिद्ध होती है। वाद-विवाद में भाग लेने वाले छात्रों को हर बात ध्यानपूर्वक सुननी होती है, क्योंकि बिना सुने न तो वे प्रतिद्वंद्वी वक्ता की बातों का उत्तर दे सकेंगे, न अपने तर्क ही प्रस्तुत कर सकेंगे। भाषा-अध्यापक को कक्षा में समय-समय पर उचित विषय का चुनाव कर वाद-विवाद का आयोजन करना चाहिए। सभी छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वाद-विवाद की समाप्ति पर सभी छात्रों से प्रश्न पूछकर यह जांच करनी चाहिए कि वे वाद-विवाद के तर्क-वितर्कों को ध्यान से सुन रहे थे या नहीं।

2. भाषण—भाषण मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है; परन्तु श्रवण-कौशल का प्रशिक्षण देने में भी इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। छात्रों को भाषण से पहले यह बता दिया जाए कि वे भाषण को ध्यान से सुनें, भाषण की समाप्ति के उपरान्त उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाद में प्रश्न पूछकर यह पता लगाया जाए कि छात्रों ने भाषण को ध्यान से सुना और समझा है या नहीं।

3. कहानी के माध्यम से पाठकों को समझाना—पहले अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इससे भी पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी ध्यान से सुनी है या नहीं। वैसे भी कहानी में

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बच्चों की रुचि होती है अतः कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है।

4. प्रश्नकाल—अध्यापक को छात्रों से व्यावहारिक बातों एवं पठित सामग्री पर प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों के उत्तर से यह जांच हो जाएगी कि छात्र सुनकर विषयवस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने से छात्र भी सावधान हो जाएंगे और कक्षा में ध्यानपूर्वक अध्यापक की बात को सुनेंगे।

5. श्रुतलेख—श्रुतलेख लेखन-कौशल को विकसित करने का साधन है, परन्तु इसकी सहायता से श्रवण-कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख में बच्चों को सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा, परन्तु जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख में बीच-बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। श्रुतलेख के लिए गद्यांश का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए।

6. सस्वर वाचन—छात्र अध्यापक के द्वारा किए आदर्श वाचंन और कक्षा के किसी छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, बलाघात, गति आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्रों से भी सस्वर वाचन कराकर अध्यापक यह पता लगा सकता है कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं।

7. श्रव्य सामग्री का प्रयोग—(क) रेडियो—रेडियो के द्वारा हर चैनल पर छात्रों के लिये एक ऐसा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जो ठीक समय के अनुसार होता है और श्रवण कौशल को जारी करने में इनकी सहायता ली जाती है।

(ख) चलचित्र—चलचित्र में आवाज सुनाई देने के साथ-साथ दृश्य भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सत्य है। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते एवं सुनते हैं। अतः शैक्षिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा-शिक्षण को रोचक बना देता है।

(ग) ग्रामोफोन एवं टेपरिकॉर्डर—ग्रामोफोन एवं टेपरिकॉर्डर सामान्य रूप से मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु श्रवण-कौशल को विकसित करने के लिए भी ग्रामोफोन एवं टेपरिकॉर्डर का प्रयोग एक उपयोगी रोचक साधन के रूप में किया जा सकता है। सस्ता होने के कारण विद्यालय में इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। कहानी, कविता, महापुरुषों के भाषण,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

नाटक आदि सुनाकर बच्चों को साहित्य की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देने में भी इनकी सहायता ली जा सकती है। टेपरिकॉर्डर के द्वारा किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम को रिकार्ड करके जब चाहे छात्रों को सुनवाया जा सकता है सुनवाने के पश्चात् सम्बन्धित विषय पर वार्तालाप एवं प्रश्नोत्तर द्वारा छात्रों के श्रवण-कौशल की जांच भी जरूर करनी चाहिए।

(घ) दूरदर्शन—चलचित्र को तो हम सिनेमा हॉल में जाकर ही देख सकते हैं, परन्तु दूरदर्शन तो अब घर-घर में पहुंच चुका है। घर के कमरे में बैठे हुए हम बोलने वाले की आवाज तो सुनते ही हैं; साथ ही उसकी आकृति भी देखते हैं। श्रवण-कौशल को विकसित करने में इसका प्रयोग भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

(च) वीडियो—जिस तरह से मनुष्य या किसी भी वस्तु की आवाज को टेप करके दुरदर्शन और विभिन्न चैनलों पर दिखाया जाता है ठीक उसी प्रकार अगर विद्वानों की आवाज को इसी ढंग से छात्रों के पास पहुँचाया जाए तो इससे श्रवण कौशल के साथ मौखिक कौशल को भी विकसित होने में सहायता मिलेगी।

इस प्रकार उपर्युक्त साधनों एवं विधियों का प्रयोग कर हम छात्रों के श्रवण-कौशल को विकसित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

पठन कौशल का शिक्षण

वाचन का अर्थ—पढ़ने की शिक्षा के लिए वाचन व पठन दो शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। वाचन शब्द वाक् धातु से बना है, जिसका अर्थ है—शब्द, वाणी अथवा कथन। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है, परन्तु यह वाचन का संकुचित अर्थ है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है।

पठन एक सोद्देश्य, सार्थक तथा चिन्तन-प्रधान क्रिया है। पठन करते हुए, जैसे-जैसे पढ़ने वाले की दृष्टि छपे हुए शब्दों पर घूमती है वैसे-वैसे वह उन शब्दों में निहित अर्थ एवं भाव को भी ग्रहण करता जाता है। वास्तव में यही पठन या वाचन का सही रूप है।

पठन/वाचन के प्रकार—सामान्यतः वाचन दो प्रकार का होता है—

1. मौन वाचन
2. सस्वर वाचन

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

1. मौन वाचन—लिपिबद्ध भाषा अर्थात् लिखित सामग्री को बिना ध्वनि किए हुए मन-ही-मन में शान्तिपूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहा जाता है।

इसमें आंखें पाठ्य-सामग्री को शीघ्र पढ़ते हैं और मस्तिष्क उस सामग्री के अर्थ को ग्रहण करता जाता है। इसमें बिना होंठ हिलाए बच्चा मन ही मन में पढ़ता है।

मौन वाचन का महत्त्व—सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के पश्चात् बच्चों को मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है। जीवन में ऐसे बहुत-से अवसर आते हैं जब व्यक्ति सस्वर वाचन नहीं कर सकता है, जैसे—बहुत-से लोगों की उपस्थिति में आवाज करते हुए पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इससे दूसरों को बाधा पहुंचती है। ऐसी स्थिति में मन ही मन में पढ़ना जरूरी होता है। अतः हर बच्चे को मौन वाचन का अभ्यास होना जरूरी है। पुस्तकालय एवं वाचनालयों में या सार्वजनिक स्थानों पर, जहां जोर से पढ़ना वर्जित होता है, मौन वाचन करना पड़ता है। मौन वाचन में मनुष्य का दिमाग भी काफी तेज होता है।

मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, परन्तु उच्चारण-अवयवों को सक्रिय नहीं होना पड़ता है, अतः काफी देर तक बिना थके हुए अध्ययन किया जा सकता है।

मौन वाचन में पढ़ने की गति भी तेज होती है। अतः कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया जाता है। आंखें झटके के साथ बीच-बीच में रुकती हुई आगे बढ़ती हैं। मौन वाचन में नेत्रगति का समुचित विकास होने से दृष्टि-विराम कम होते जाते हैं और पढ़ने की गति तेज रहती है।

मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित्त होकर, ध्यान केन्द्रित कर पढ़ता है। अतः इस समय ग्रहण किया गया अर्थ अधिक स्थाई होता है। साथ ही अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है।

अवकाश के समय का सदुपयोग करने में भी मौन वाचन ही सहायक होता है। खाली समय में मनोरंजक पाठ्य-सामग्री का आनन्द मौन वाचन के द्वारा ही लिया जाता है।

मौन वाचन से ही स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मौन वाचन का अभ्यास है।

मौन वाचन के उद्देश्य—मौन वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(क) छात्रों की तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास करना।

(ख) छात्रों की परिचित शब्दावली को सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करना।

(ग) पाठ्य-सामग्री का अर्थ ग्रहण कर उसके केन्द्रीय भाव को समझने के योग्य बनाना।

(घ) छात्रों के विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना।

(ड़) अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाना।

(च) छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना।

(छ) छात्रों की वाचन में रुचि जाग्रत करना।

मौन वाचन के गुण एवं सावधानी—मौन वाचन करते हुए ध्वनि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अतः बिना होंठ हिलाए मन ही मन में पढ़ना चाहिए। एकाग्रता होनी चाहिए। पाठक का चित्त एकाग्र होने पर ही पाठ्य-वस्तु का अर्थ व भाव ग्रहण किया जा सकता है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के उपरान्त ही मौन वाचन का अभ्यास कराना चाहिए। इसी प्रकार मौन वाचन कराने से पहले कठिन शब्दों तथा कठिन स्थलों की पूर्ण व्याख्या कर देनी चाहिए। जिससे भाव ग्रहण में बाधा न हो। मौन वाचन के समय कक्षा में पूर्ण शान्ति रहनी चाहिए।

मौन वाचन के पहले छात्रों को स्पष्ट निर्देश दे देना चाहिए, जिससे बालक उन बातों को ध्यान में रखकर मौन पाठ करें। मौन वाचन के उपरान्त प्रश्न पूछकर यह जांच कर लेनी चाहिए कि बच्चों को पाठ्य वस्तु का अर्थ व भाव समझ में आया है या नहीं तथा बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे या नहीं। अध्यापक की सजगता एवं सावधानी पर ही मौन वाचन की सफलता पर निर्भर करती है।

वाचन या पठन-कौशल शिक्षण की तकनीकी एवं विधियां—पठन या वाचन भाषा का एक महत्त्वपूर्ण कौशल होने के साथ ही विचारों के आदान-प्रदान का एक प्रभावपूर्ण माध्यम भी है। वास्तव में पठन ही ज्ञानार्जन की कुंजी है। पठन के माध्यम से ही देश-विदेश में हो रहे विकास एवं परिवर्तन से परिचित हो सकते हैं। अपने देश तथा समाज की सभ्यता तथा संस्कृति की जानकारी भी पठन द्वारा ही हो सकती है। पठन ही व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि कर, उसमें उचित भावनाओं का संचार करता है और जीवन के किसी भी कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। अतः बच्चे में पठन-कौशल को विकसित करना भाषा-शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है।

भाषा की इकाई वाक्य, वाक्य की इकाई शब्द तथा शब्द की इकाई वर्ण है। अतः पठन-कौशल विकसित करने के लिए सबसे पहले वर्ण-परिचय कराना

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
आवश्यक होता है। वर्णों की पहचान होने पर ही बालक शब्दों और वाक्यों का पठन कर सकेगा। पठन-कौशल की शिक्षा देने के लिए हमें निम्न प्रक्रिया एवं विधि का प्रयोग करना चाहिए।

(अ) वाचन के लिए तैयार करना—अचानक पुस्तक देकर बच्चों को वर्ण पढ़ने के लिए कहना अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। अतः अध्यापक का कर्त्तव्य है कि बच्चों को वर्ण पढ़ना सिखाने से पहले, उनके मन में पढ़ने अर्थात् वर्णों से परिचित होने की इच्छा जाग्रत करें। रंग-बिरंगे चित्र, कहानी, कविता आदि के माध्यम से बच्चों की रुचि पढ़ने की तरफ आकर्षित की जा सकती है। जब बच्चों के मन में पढ़ने के लिए उत्सुकता पैदा हो जाए तब उसे वर्णों की पहचान करानी चाहिए।

(ब) अक्षर-ज्ञान कराना—बच्चों को हिन्दी की वर्णमाला के विभिन्न वर्णों का ज्ञान कराने तथा उनके मेल से बनने वाले शब्दों व वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास कराने के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक अपनी रुचि व विधि की उपयोगिता को देखेते हुए किसी भी विधि का प्रयोग कर सकता है। अक्षर-ज्ञान कराने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं—

1. वर्णोच्चारण विधि—इस विधि में अध्यापक एक-एक वर्ण को श्यामपट्ट पर लिखकर उसका उच्चारण करता है। छात्र श्यामपट्ट पर लिखी हुई या पाठ्य-पुस्तक में छपी हुई वर्ण की आकृति को देखते हैं और अध्यापक का अनुकरण करते हुए वर्ण का उच्चारण करते हैं। यह अत्यन्त प्राचीन विधि है। वर्णों का ज्ञान देने के पश्चात मात्राओं आदि की पहचान कराकर वाचन की ओर अग्रसर किया जाता है।

गुण—1. इस विधि से बच्चों को हिन्दी वर्णमाला के हर वर्ण का तार्किक क्रम में ज्ञान होता है।

2. वर्णों की पहचान पूरी तरह से होने के उपरान्त बच्चे अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ते हैं। इसमें सफलता मिलने पर वाचन में उनकी रूचि विकसित होती है।

3. इसमें बच्चों को ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता है।

दोष—वर्ण अपने आप में अर्थहीन है। अतः बच्चे की रुचि पढ़ने में विकसित नहीं हो पाती है। यह अमनोवैज्ञानिक भी है क्योंकि शिक्षण-सूत्रों के विपरीत चलती है। अक्षर सूक्ष्म है, अज्ञात है, कठिन है। इस विधि में पहले

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अक्षर फिर शब्द सिखाए जाते हैं। अतः अज्ञात से ज्ञात, कठिन से सरल, सूक्ष्म से स्थूल एवं अंश से पूर्ण की ओर जाना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रणाली अपूर्ण है।

2. अक्षर-बोध विधि—इस विधि में भी वर्णमाला के वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान कराया जाता है। पहले स्वर फिर व्यंजन। वर्णों की पहचान कराने के पश्चात् मात्राओं और ज्ञान कराया जाता है वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्ण से बनने वाले शब्द का चित्र भी दिखाया जाता है। जैसे—'अ' से अनार।

गुण—(क) इसमें वर्णों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है।

(2) वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ने का अभ्यास होता है।

(3) मात्रा आदि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है।

(4) उच्चारण शुद्ध होता है।

(5) चित्र, फ्लैश कार्ड आदि का प्रयोग होने से शिक्षण रुचिकर हो जाता है।

दोष—अक्षरों का बच्चों के जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे निरर्थक होते हैं। जब बालक चित्र के साथ वर्ण की पहचान करता है तो चित्र के अभाव में वर्ण पढ़ना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार एक-एक वर्ण को मिलाकर शब्द पढ़ता है। जैसे—क + म + ल = कमल, तो उसे अटक-अटककर पढ़ने का अभ्यास हो जाता है। इससे आगे चलकर उचित गति से वाचन करने में परेशानी होती है।

3. देखो और कहो विधि—इस विधि से शब्द से सम्बन्धित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा जाता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। फिर शब्द के प्रारम्भिक वर्ण व अन्य वर्णों की पहचान करते हैं। कई बार देखने-सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं।

गुण—यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर आदि शिक्षण-सूत्रों का पालन होता है। भाषा की इकाई वाक्य व वाक्य की इकाई शब्द है। शब्द सार्थक होता है। अतः इस विधि में शब्द के द्वारा वर्ण-पहचान होने से वाचन-शिक्षण रोचक हो जाता है। वाचन-शिक्षण में दृष्टि-विराम का अत्यन्त महत्त्व है। इसमें शुरू में ही दृष्टि-विराम शब्द के पश्चात् होता है, वर्ण के पश्चात् नहीं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

दोष—इस विधि में सभी शब्दों के वस्तु चित्र उपस्थित करना असम्भव है। बच्चे चित्र से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं, चित्र के अभाव में शब्द पढ़ना कठिन हो जाता है। शब्दों का परिचय कराने पर भी अन्ततः वर्ण-बोध कराना आवश्यक होता है।

4. ध्वनि-साम्य विधि—इस विधि में समान ध्वनि के वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है। जैसे—काम, दाम, राम, शाम, चाम, नाम, नर्म, मर्म, कर्म, गर्म, धर्म, चर्म आदि।

गुण—इस विधि में एक ही वर्ण को कई बार उच्चारित करने से ध्वनियों का पूर्ण अभ्यास हो जाता है।

दोष—इस विधि में ध्वनि-साम्य के कारण कई शब्द ऐसे बना लिए जाते हैं जो अर्थहीन होते हैं। दूसरे, इस विधि से सभी वर्णों का सिखाना कठिन हो जाता है। कई शब्द या वाक्य ऐसे बना लिए जाते हैं जो बनावटी से हो जाते हैं, जैसे—चल घर चल, बस कर, हठ मत कर, जल भर आदि।

5. वाक्य विधि—भाषा की इकाई वाक्य है। अतः इस विधि में चार्ट पर लिखा हुआ वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और अध्यापक वाक्य पढ़ता है। बच्चे अध्यापक का अनुकरण करते हुए वाक्य का उच्चारण करते हैं। बार-बार वाक्य को पढ़ते हुए बच्चे उसके शब्दों से परिचित हो जाते हैं। फिर वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को अलग-अलग क्रम में बच्चों के सामने रखते हैं। जैसे—

वह कलम मेरी है। कलम यह मेरी है। मेरी है यह कलम।

बच्चे इन शब्दों को पहचानते हुए, वाक्य को पढ़ने और वाचन का अभ्यास करेंगे।

गुण—यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण—इस क्रम में बच्चों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है। अतः इस विधि में बच्चा स्वाभाविक क्रम में पढ़ना सीखता है।

अवगुण—बच्चों की अनुभव-परिधि से सम्बन्धित वाक्यों का निर्माण कठिन कार्य है। बच्चे शब्द रट लेते हैं। उनका शब्द-भण्डार सीमित रह जाता है। इसलिये बच्चों को शब्द के साथ अर्थ पर ध्यान दिलाना चाहिये।

6. अनुसरण विधि—भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। इस विधि में बालक अध्यापक का अनुकरण करके शब्द तथा वर्णों का उच्चारण करना सीखते हैं। अध्यापक एक-एक वाक्य, शब्द एवं वर्ण का उच्चारण करता है और बच्चे उसका अनुसरण करते हुए शब्द की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। वैसे यह विधि हिन्दी भाषा के लिए उतनी उपयोगी नहीं जितनी अंग्रेजी भाषा के लिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

7. कहानी-विधि–बच्चों को कहानी से काफी रुचि होती है। अतः अध्यापक को चाहिये की ठीक और अच्छी कहानी का चित्र बनाकर का बच्चों को बताएँ। अध्यापक चार्ट या चित्र दिखाते हुए, चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्य को पढ़ता है। विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करते हुए उस वाक्य का उच्चारण करते हैं। धीरे-धीरे विश्लेषण द्वारा विद्यार्थी शब्दों को, फिर वर्णों को पहचानने लगते हैं।

गुण–यह वाक्य-विधि का ही विकसित रूप है। कहानी में बच्चों की रुचि होने के कारण इस विधि में वाचन रोचक हो जाता है।

दोष–वर्णों की पहचान के बिना कहानी के माध्यम से वाक्य, फिर शब्द व फिर वर्ण सिखाना बहुत कठिन कार्य है।

8. कविता-विधि–बच्चे की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस विधि का विकास किया गया। इसकी शिक्षण-प्रक्रिया कहानी-विधि जैसी ही है। कहानी के स्थान पर सरल शब्दों के वाक्य वाली कविता होती है। बच्चों से कविता का गायन कराया जाता है। धीरे-धीरे शब्दों व वर्णों की पहचान होने लगती है।

9. प्रर्दशन-विधि–इस विधि में कक्षा के कमरे की दीवार पर चित्र लगा दिए जाते हैं। इन चित्रों में शब्द व वर्ण भी लिखे होते हैं। वैसे ही शब्द व वर्ण के कार्ड कमरे में रखे होते हैं। बच्चे दीवार पर लटके चित्र के वर्णों से मिलते हुए वर्ण के कार्ड छांटकर निकालते हैं और अध्यापक इनका उच्चारण कर, बच्चों की इनसे पहचान कराता है। धीरे-धीरे चित्र, कार्ड एवं उच्चारण में साहचर्य स्थापित होता है और बालक को शब्दों तथा वर्णों का ज्ञान होता जाता है। बालक खेल-खेल में सक्रिय होकर वाचन करना सीख जाते हैं।

10. मिश्रित विधि–उपर्युक्त सभी विधियों को देखने से ज्ञात होता है कि कोई भी विधि दोषरहित नहीं है। हमें सभी विधियों के गुणों का लाभ उठाना चाहिए। यदि प्रारम्भ में ही वर्ण-परिचय के समय ही बच्चे की अरुचि हो गई तो आगे वाचन-अभ्यास कराना कठिन हो जाएगा। अतः सभी विधियों की अच्छाइयों को ग्रहण करन उनका मिश्रित रूप से प्रयोग कर वाचन-शिक्षण को रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसं मिश्रित रूप को ही संयुक्त विधि कह सकते हैं। इस विधि में वाचन-शिक्षण का निम्न क्रम होगा –

(i) सबसे पहले मौखिक वार्तालाप द्वारा बच्चों के मन में वाचन के लिए रुचि व उत्सुकता उत्पन्न करनी चाहिए।

(ii) मौखिक वार्तालाप के समय आकर्षक चित्र व उनमें लिखे हुए

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

शब्दों की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

(iii) 'देखो और कहो' विधि की सहायता से फ्लैश कार्ड, चित्र, लकड़ी के ब्लॉक आदि का प्रयोग कर वर्णो का ज्ञान कराना चाहिए। शब्दों से वर्णों को अलग कर, फिर वर्णों से शब्द बनाकर अर्थात् संश्लेषण से विश्लेषण और विश्लेषण से संश्लेषण के क्रम में वर्णो की पहचान करानी चाहिए।

(iv) फिर ध्वनि-साम्य-विधि की सहायता से एक-एक वर्ण के अनेक शब्द बनाकर वर्णों को पढ़ना सिखाया जाए।

(v) इसके उपरानत वर्णमाला के सभी वर्णों को तार्किक क्रम में एक-एक कर प्रस्तुत करना चाहिए। सभी मात्राएं यथाक्रम सिखानी चाहिए। हर वर्ष के साथ सभी मात्राएं लगाकर भी पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे—क, का, कि, की आदि। इसके बाद संयुक्त वर्णों को पढ़ना सिखाया जाए।

(vi) इसके बाद शब्द, फिर वाक्य का वाचन कराना चाहिए।

(स) वाचन-अभ्यास—सभी वर्णों तथा मात्राओं का ज्ञान होने के उपरान्त सस्वर वाचन के द्वारा बच्चों को स्वतन्त्र रूप से पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए पहले अध्यापक को स्वयं 'आदर्श वाचन' करना चाहिए। अध्यापक के आदर्श वाचन को सुनकर उसका अनुकरण करते ही कक्षा के बच्चों से अलग-अलग सस्वर वाचन कराकर बच्चों को सही ढंग से वाचन करना सिखाना चाहिए।

वाचन की सामान्य गलती—वाचन एक कला है। वाचन-कौशल को विकसित करने के लिए काफी अभ्यास करना जरूरी है। वाचन करते हुए बच्चे निम्न प्रकार की गलती करते हैं :

1. बिना अर्थ समझे पढ़ना
2. अनुचित वाचन-शैली
3. अनुचित मुद्रा (पुस्तक निकट लाकर या झुककर पढ़ना)
4. अशुद्ध उच्चारण
5. अनुचित गति

कारण

1. शब्द-भण्डार की कमी
2. वाचन-अभ्यास की कमी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3. पाठ्य-सामग्री का कठिन होना
4. पाठ्य-सामग्री में छपाई सम्बन्धी त्रुटि
5. अरुचिकर पाठ्य-सामग्री
6. असावधानी।
7. दृष्टि-दोष, वाणी सम्बन्धी दोष,
8. मनोवैज्ञानिक कारण
9. कक्षा का तनावपूर्ण वातावरण
10. अध्यापक का व्यवहार
11. वाचन सम्बन्धी मार्गदर्शन का अभाव

उपाय

1. कक्षा का आकर्षक वातावरण
2. अध्यापक का आदर्श वाचन
3. सस्वर वाचन
4. छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव
5. पाठ्य-पुस्तकों की शुद्ध छपाई
6. बच्चों से हमदर्दी का व्यवहार करना।
7. शारीरिक उपचार द्वारा दृष्टि-दोष व वाणी दोष को दूर करने का प्रयास
8. शब्द-भण्डार में वृद्धि करना
9. ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान व अभ्यास
10. वाचन सम्बन्धी उचित मार्गदर्शन
11. वाचन से पहले कठिन शब्दों की व्याख्या
12. सावधानी से पढ़ने का अभ्यास कराना

मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण

मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ—मनुष्य एक सामाजिक प्राणी का नाम है। वह अपने सोच व विचार को एक-दूसरे तक अदान-प्रदान करना चाहता है इस कार्य के लिये वह भाषा के दोनों रूप का प्रयोग करता है। वाणी व लिखित रूप—जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से, मुख के अवयवों की सहायता से, उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है तब उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है इसे ही बोलचाल भी कहा जाता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

इस प्रकार मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक भाषा है और मुख के अवयवों के माध्यम से भावों व विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति है।

मौखिक अभिव्यक्ति का महत्त्व—मानव-जीवन की जितनी भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनमें भावों व विचारों की अभिव्यक्ति भी एक अनिवार्यता है। जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता जान पड़ती है। इसके महत्त्व को निम्न दृष्टि से देखा जा सकता है :

1. मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है। मौखिक भाषा में ही मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप से दूसरों के सामने व्यक्त कर देता है।

2. दैनिक जीवन में सभी कार्य-कलापों में मौखिक भाषा ही प्रयुक्त होती है। अपने परिवार में, समाज में अन्य सदस्यों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए तथा अपनी बात उनसे कहने व उनकी बात समझने के लिए भाषा के इसी रूप का प्रयोग करना होता है।

3. मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इस बात का प्रमाण हैं।

4. मौखिक भाषा के द्वारा विचारों को नए तरीके से आदान-प्रदान कर ज्ञान में वृद्धि की जाती है। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित कर लेता है।

5. बालक के अन्दर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह तरह-तरह के प्रश्न पूछकर अपनी इस जिज्ञासा को सन्तुष्ट करता है और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इससे उसके स्वाभाविक विकास में सहायता मिलती है। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और व्यक्तित्व में निखार आता है।

6. भाषा-शिक्षण का एक स्वाभाविक क्रम है—सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मौखिक भाषा का प्रयोग बालक को सुनने व बोलने में दक्ष बनाता है। यह बोलचाल ही पढ़ने-लिखने के कौशल को विकसित करने का आधार बनता है।

7. आधुनिक युग में राजनीतिक जीवन में सफलता की दृष्टि से भी मौखिक भाषा का अपना महत्त्व है। एक नेता अपनी भाषण-कला के द्वारा ही जन-समुदाय को अपना बना लेता है और अपनी बातचीत के द्वारा अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर लेता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

8. विद्यालयी पाठ्यक्रम के सभी विषयों की शिक्षा में मौखिक भाषा ही प्रमुख माध्यम होती है।

9. वार्तालाप, बोलचाल या प्रश्नोत्तर द्वारा सीखी गई विषयवस्तु अपना स्थाई प्रभाव छोड़ती है। अतः विद्यालय में शिक्षण-पद्धति को रोचक व प्रभावशाली बनाने में भी मौखिक भाषा का अत्यधिक महत्त्व है।

10. सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने एवं सामाजिक सम्वन्धों को सुदृढ़ बनाने में भी मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है।

मौखिक भाषा-शिक्षण के उद्देश्य—मौखिक भाषा एवं मौखिक अभिव्यक्ति के महत्त्व को देखते हुए विद्यालय में मौखिक भाषा की औपचारिक शिक्षा आवश्यक हो जाती है। इसके शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

1. छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने अनुभवों, भावों व विचारों को सरलतापूर्वक, सहज ढंग से व्यक्त कर सकें।

2. छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना।

3. छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं का समाधान निःसंकोच रूप से प्रश्न पूछकर कर सकें।

4. छात्रों को मधुरतापूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए बोलना सिखाना।

5. छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं उचित हाव-भाव के साथ बोलना सिखाना।

6. छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से ठीक-ठीक दे सकें।

7. छात्रों को निःसंकोच होकर अपने विचार रखने के योग्य बनाना।

8. छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपनी कही हुई बात का औचित्य सिद्ध करने के लिए उचित रूप से तर्क कर सकें।

9. छात्रों को उचित समय पर, उचित शब्दों का प्रयोग कर बोलने का अभ्यास कराना।

10. छात्रों को धारा-प्रवाह, प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना।

सर्वश्रेष्ठ मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएँ—यों तो बालक अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा का प्रयोग स्वतः ही करने लगता है परन्तु विद्यालय में

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
औपचारिक रूप से इस कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। भाषा के अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह मौखिक भाषा-कौशल को विकसित करने की दृष्टि से छात्रों को किस तरह का बोलना सिखाए और उनके मौखिक अभिव्यक्ति-कौशल को क्या दिशा प्रदान करे। इसके लिए उसे मौखिक भाषा के निम्न गुणों की जानकारी होनी आवश्यक है।

1. अवसर के अनुकूल—अवसर के अनुसार ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जीवन में विभिन्न अवसरों पर हर्ष, उल्लास, शोक, दुःख, दया, सहानुभूति एवं प्यार आदि भावों को व्यक्त करना पड़ता है। इन भावों के अनुकूल ही उचित हाव-भाव के साथ मौखिक अभिव्यक्ति करनी चाहिए।

2. शिष्टता—किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्ट मौखिक अभिव्यक्ति सम्बन्धों को बिगाड़ देती है।

3. श्रोताओं के अनुकूल भाषा—जिस स्तर के व्यक्तियों से बात की जाए उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ग्रामीण व्यक्तियों के साथ अत्यन्त क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं।

4. स्वाभाविकता—बोलने में स्वाभाविकता होनी चाहिए। बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो जाता है। अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है। स्वाभाविक भाषा एवं अभिव्यक्ति विश्वसनीय होती है।

5. मधुरता—मौखिक अभिव्यक्ति में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी की मधुरता ही व्यक्ति को मित्र बना देती है और कठोरता शत्रु। मीठी वाणी का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति से सहजता से काम निकाला जा सकता है।

6. प्रवाहिकता—मौखिक अभिव्यक्ति में उचित प्रवाह होना चाहिए। विराह-चिह्नों के उचित पालन से अभिव्यक्ति में सम्यक् गति व प्रवाह आ जाता है। कहां कम रुकना है, कहां पूर्ण विराम देना है, कहां प्रश्नसूचक गति देनी है, कहां विस्मयजनक, इन बातों के उचित पालन से अभिव्यक्ति बहुत प्रभावशाली बन जाती है।

7. सर्वमान्य भाषा—मौखिक अभिव्यक्ति में सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस बन जाता है।

8. सरलता—जो भी बात कही जाए उसके लिए सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभिव्यक्ति का लाभ तभी है जब वह श्रोता को समझ आ जाए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

9. शुद्धता—बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण व अशुद्ध भाषा के वक्तव्य प्रभावहीन हो जाता है।

10. स्पष्टता—बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी बात कही जाए स्पष्ट व साफ होनी चाहिए। बात को घुमा-फिराकर नहीं बल्कि सीधे शब्दों में साफ-साफ कहना चाहिए।

मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के शिक्षण की विधियां—मौखिक कार्य ही भाषा-शिक्षण का मुख्य आधार होता है। मौखिक भाषा के बिना सीखना और सिखाना दोनों ही कठिन हैं। अतः प्रारम्भिक स्तर से ही मौखिक भाषा की शिक्षा प्रदान की जानी आवश्यक है ताकि उच्च कक्षा तक पहुंते-पहुंचते उनकी अभिव्यक्ति में शुद्ध, स्पष्टता, सुबोधता, मधुरता, प्रवाहिकता, स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता पूरी तरह से विकसित हो जाए। इसके लिए अध्यापक निम्नलिखित शिक्षण-विधियों एवं साधनों का प्रयोग कर सकता है—

1. कविता-पाठ—छोटे बच्चे गीत सुनने व सुनाने दोनों में ही काफी रुचि लेते हैं। अतः कविताएं कण्ठस्थ कराके उन्हें कविता-पाठ के लिए प्रेरित करना चाहिए। उचित हाव-भाव व अंग-संचालन के साथ कविता-पाठ करने में उन्हें बहुत आनन्द का अनुभव होता है। इसलिए कविता-पाठ मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा देने का एक उपयोगी साधन है।

2. अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता—इस साहित्यिक क्रिया में बालक कविताओं को कण्ठस्थ करते हैं और प्रतियोगिता के समय पहले दल के बालक द्वारा कही गई कविता जिस वर्ण से खत्म होती है, उसी वर्ण से शुरू होने वाली कविता सुनाते हैं। इससे बच्चों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास भी होता है।

3. सस्वर वाचन—पाठ्य-पुस्तक का पाठ शुरू करते समय शिक्षक को चाहिये कि खुद अनुच्छेद का वाचन करे। फिर छात्रों से वाचन कराये जिससे की मौखिक अभिव्यक्ति का संकोच दूर हो जाए।

4. कहानी के माध्यम से पाठ को रोचक बनाना—बच्चे कहानियां को बहुत पसन्द करते हैं। अतः अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए, फिर बच्चों से उसी कहानी को सुनाने के लिए कहना चाहिए। इससे श्रवण-कौशल एवं मौखिक अभिव्यक्ति-कौशल दोनों को विकसित करने में सहायता मिलती है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

5. चित्र-वर्णन—छोटे बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं। अतः किसी चित्र को दिखाकर उस पर प्रश्न पूछकर बच्चों से चित्र-वर्णन कराना चाहिए। जैसे गाय का चित्र दिखाकर गाय के बारे में बच्चों को बहुत-सी बातें बता सकते हैं। इसी प्रकार चित्र के द्वारा कहानी कही जा सकती है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए चित्र-वर्णन एक रोचक विधि है।

6. प्रश्नोत्तर—छात्रों को मौखिक शिक्षा देने के लिए प्रश्नोत्तर एक अच्छी विधि है। सामान्य विषयों पर या पाठ्य-पुस्तक से सम्बन्धित पाठों पर छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों से पूर्ण वाक्य में ही उत्तर स्वीकार करना चाहिए। यदि उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध हो तो उसे सहानुभूति ढंग से पूर्ण व शुद्ध कराया जाए।

7. वार्तालाप—पाठ्य-पढ़ाते समय या किसी अन्य अवसर पर व शिक्षक को चाहिये की बातचीत करे। प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वार्तालाप का विषय बच्चों के ज्ञान व अनुभव की परिधि के भीतर का होना चाहिए। यदि कोई बच्चा जिज्ञासावश प्रश्न पूछे तो उसके प्रश्न का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को सन्तुष्ट करना चाहिए। वार्तालाप में छात्रों से भी प्रश्न पूछकर उनके मुख से उत्तर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए।

8. स्वतन्त्र आत्मप्रकाशन का अवसर—बच्चों को भी समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। विभिन्न घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित इन अनुभवों को सुनाने के लिए अवसर देकर भी अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है।

9. अनुच्छेद-सार या पाठ का सार—पाठ्य-पुस्तक या अन्य किसी पत्रिका का कोई पाठ या रचना पढ़कर उसका सार बताने के लिए कहा जाता है। छात्र रचना की मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार किसी पाठ का कोई अनुच्छेद पढ़कर उसका सार बताने के लिए भी कहा जाता है।

10. वाद-विवाद—इसमें बालक पूर्व निर्धारित विषय पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। कुछ बालक विषय के पक्ष में और कुछ विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस तरह भावपूर्ण ढंग से अपने विचारों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए वाद-विवाद एक उत्तम साधन है।

11. भाषण—पूर्व निर्धारित कोई रोचक विषय देकर, अध्यापक छात्रों को भाषण करने का अवसर प्रदान कर सकता है। 'भाषण' मौखिक अभिव्यक्ति का

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

एक सरलतम साधन है। भाषा का विषय छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। आवश्यकतानुसार छात्रों का उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए। समय-समय पर विभिन्न भाषण-प्रतियोगितओं का आयोजन करके छात्रों को भाषण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने का प्रयास भी करना चाहिए।

12. नाटक कला—मौखिक अभिव्यक्ति के सभी गुणों को विकसित करने के लिए नाटक एक उपयोगी साधन है। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी को पात्र के चरित्र के अनुसार उचित हाव-भाव, उतार-चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ संवाद प्रस्तुत करने होते हैं। अतः उचित नाटक का चुनाव कर, अध्यापक को छात्रों को नाटक-मंचन में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इससे छात्र पूरी लगन के साथ मौखिक अभिव्यक्ति की विविध शैलियों को सीखते तथा उसका अभ्यास करते हैं।

उपर्युक्त पाठ्य-क्रियाओं एवं सह-पाठ्य-क्रियाओं का आयोजन कर अध्यापक अपने छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास करने के उचित अवसर प्रदान कर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उपुर्यक्त क्रियाओं के लिए जो भी विषय चुना जाए, वह बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। अध्यापक का व्यवहार प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण हो। अध्यापक स्वयं सतर्क एवं सजग रहें। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी त्रुटियों को सावधानीपूर्वक दूर किया जाए और सभी छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

लिपि या लिखित अभिव्यक्ति का शिक्षण

लिपि का अर्थ—भाषा के दो रूप हैं—मौखिक एवं लिखित। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। इन्हीं ध्वनियों को जिन विशिष्ट चिह्नों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें 'लिपि' कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है।

लेखन-कौशल का अर्थ—सामान्य रूप से लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति करना लेखन-कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता हैं। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन-कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार यह लिखित अभिव्यक्ति ही है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

लिपि की शिक्षा की आवश्यकता एवं लेखन-कौशल का महत्त्व—बच्चों में लेखन-कौशल का विकास करने के लिए लिपि की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह ध्वनियों के पूर्ण ज्ञान के बिना उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता एवं मौखिक अभिव्यक्ति में पूर्णता नहीं आ सकती, उसी प्रकार लिपि के ज्ञान के बिना बच्चा न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकता है और न ही विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है।

जब तक बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं आता तब तक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार कराने एवं अभिव्यक्ति-कौशल को पूरी तरह विकसित करने के लिए बच्चे को लिपि का पूर्ण ज्ञान देना अति आवश्यक है।

लेखन-कौशल या लिखित अभिव्यक्ति के महत्त्व को हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं :

1. लिखित भाषा बालक के हाथ और मस्तिष्क में सन्तुलन बनाकर रखती है। भाषा में एकरूपता लाती है।

2. लिखित भाषा ही साहित्य के भण्डार में वृद्धि करती है। यदि लिपि न होती तो आज साहित्य कहां से आता? यदि लेखन-कौशल न होता तो नई-नई रचनाएं कहां से आतीं?

3. आधुनिक शिक्षा-प्रणाली की प्रमुख विशेषता 'परीक्षा' है। इसके बिना शिक्षा-प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेखन-कौशल के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है।

4. देश-विदेश में हो रहे ज्ञान-विज्ञान आदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही है।

5. व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा है। मौखिक रूप से कार्य-व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हर व्यवसाय में तरह-तरह के रिकार्ड आदि लिखकर रखने पड़ते हैं।

6. आज तो लेखन एक स्वतन्त्र व्यवसाय के रूप में भी मानव जाति का कल्याण कर रहा है अनेक व्यक्ति अपनी लेखनी की कला से ही अपनी रोटी-रोजी की व्यवस्था कर रहे हैं।

7. अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। लिखकर हम अपने विचारों को वर्षों के लिए स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

8. जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां केवल मौखिक अभिव्यक्ति से काम नहीं चल सकता। दूर रहने वाले मित्र या सम्बन्धी को अपना संदेश देने, एक-दूसरे के साथ कोई कार्य करने या अन्य कोई समाचार पहुंचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है।

9. दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर पर दैनिक हिसाब-किताब रखने आदि व्यावहारिक कार्यों में लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है।

10. भाषा के दो रूपों में लिखित भी एक रूप है। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि से भी लिखित अभिव्यक्ति का विकास आवश्यक है।

11. शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार तैयार करने, गृहकार्य करने आदि में लेखन-कौशल की आवश्यकता होती है।

12. हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा ने ही हम तक पहुंचाया है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति आगे आने वाली पीढ़ी तक भी लिखित भाषा के माध्यम से ही हस्तान्तरित होती रहेगी।

लिखित अभिव्यक्ति के अध्ययन के उद्देश्य—लेखन-कौशल के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए लेखन-कौशल की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं—

1. छात्रों को विषयानुसार भाषा-शैली का प्रयोग करना सिखाना।
2. छात्रों को अपने विचारों को तार्किक क्रम में प्रकट करना सिखाना।
3. छात्रों में अपने अनुभवों व विचारों को लिखकर व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना।
4. छात्रों को उचित अनुच्छेदों में विभाजित कर विचारों को व्यक्त करना सिखाना।
5. छात्रों की सृजनात्मक योग्यता को विकसित कर उन्हें मौलिक रचना करने के योग्य बनाना।
6. छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि जाग्रत करना।
7. स्पष्ट एवं साफ-साफ़ लिखने की आदत को विकसित करना।
8. छात्रों में सावधानीपूर्वक लिखने की आदत विकसित करना।
9. छात्रों में सावधानीपूर्वक लिखने की आदत विकसित करना।
10. बच्चों को वर्णों की ठीक-ठीक बनावट लिखना सिखाना।
11. बच्चों को सुन्दर व सुडौल लेख का अभ्यास कराना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

12. छात्रों को शुद्ध अक्षरविन्यास का ज्ञान कराना।
13. छात्रों को वाक्य-रचना के नियमों से परिचित कराना।
14. छात्रों को विराम-चिह्नों का सही-सही प्रयोग करना सिखाना।
15. छात्रों को शब्द, सूक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का उचित व प्रसंगानुकूल प्रयोग करना सिखाना।

इस प्रकार प्राथमिक कक्षा से प्रारम्भ होकर उच्च कक्षा तक लेखन-कौशल-शिक्षण चलता रहता है। इन सभी स्तरों पर उपर्युक्त लेखन-कौशल-उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही अध्यापक को अपने शिक्षण-कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए।

लेखन-कौशल को विकसित करने की विधियां—भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम है—सुनना, बोलना और लिखना। भाषा की शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में इन चारों कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को पहले मौखिक भाषा की शिक्षा दी जाती है, उसके पश्चात् पढ़ना सिखाया जाता है और उसके तुरन्त पश्चात् लेखन-कौशल का शिक्षण आरम्भ किया जाता है। जैसे ही बच्चे अक्षरों का उच्चारण कर उनके लिपिबद्ध रूप को पहचानने लगते हैं, वैसे ही इन अक्षरों के लिपिवद्ध रूपों को लिखना सिखाना भी शुरू कर दिया जाता है। परन्तु इस कार्य में जल्दी नहीं करनी चाहिए, जब उनकी उंगलियां कलम पकड़ने में समर्थ हो जाएं तब ही लिपि की शिक्षा देनी चाहिए।

लेखन-कौशल को विकसित करने के लिए अध्यापक को निम्न क्रम का पालन करना चाहिए :

1. पहली अवस्था—लिखने के लिए तैयार करना—लेखन-कौशल को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि लिखना सिखाना शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि बच्चा लिखने के लिए तैयार है या नहीं। उसकी उंगलियां व हाथ की मांसपेशियां कलम पकड़ने के योग्य हैं या नहीं। लिखना सिखाना मौखिक या वाचन-कौशल से कठिन होता है। बच्चे को लिखना सिखाने के लिए अध्यापक को निम्न प्रयास करने चाहिए।

(i) पैन्सिल से कागज पर या चॉक से श्यामपट्ट पर तरह-तरह की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराना चाहिए। इससे बच्चे को कलम या चॉक पकड़ने का अभ्यास होता है।

(ii) अध्यापक बालक को बोर्ड पर बड़े अक्षर लिख कर उनके चारों तरफ अंगुली घुमाने का बच्चों से अभ्यास कराये ताकि उनके अंदर का डर दूर हो।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(iii) तरह-तरह के बीज, दाने, मोती आदि की सहायता से भी खेल-खेल में वर्णों की आकृतियां बनाने का अभ्यास कराया जा सकता है।

(iv) कक्षा का आर्कषक वातावरण—कक्षा के कमरे में आकर्षक रंग-बिरंगे चित्र एवं चार्ट टांगने चाहिए। चार्ट में चित्र, शब्द व वर्ण बने होने चाहिए। कक्षा की दीवारों पर फर्श से 2 फुट ऊंचे श्यामपट्ट बने होने चाहिए। रंग-बिरंगी चॉक रखी होनी चाहिए। इन चार्टों व चित्रों से वर्णों की आकृतिक बच्चें के मानस-पटल पर अंकित हो जाती हैं और चॉक से वह मनचाही रेखाएं खींचता है तथा चॉक पकड़ने का अभ्यास करता है।

(v) लकड़ी, गत्ते या प्लास्टिक के बने हुए वर्णों के आकार के टुकड़े देकर बच्चों को उनके चारों तरफ उंगली फेरने के लिए कहना चाहिए। इससे बच्चे की उंगली को विभिन्न दिशाओं में घूमने का अभ्यास करता है।

(vi) जमीन पर बालू या रेत पर उंगली घुमाकर वर्णों की आकृति का अनुसरण कराना चाहिए।

इस प्रकार के विभिन्न साधनों व क्रियाओं के माध्यम से बच्चों की उंगलियों की मांसपेशियों को कलम पकड़ने तथा विभिन्न दिशाओं में घूमने का अभ्यास कराने के पश्चात ही वर्णों की रचना सिखानी चाहिए। इससे पहले बच्चों को लिखना नहीं सिखाना चाहिए क्योंकि लिखना पढ़ने से कठिन है। यदि शुरू में ही लिखने में बच्चे की अरुचि हो गई तो लेखन-कौशल का विकास कठिन हो जाएगा।

2. दूसरी अवस्था—वर्णों की रचना सिखाना—लेखन-कौशल की शिक्षा की यह दूसरी अवस्था है। जब बच्चा लिखने सीखने को तैयार हो जाए तो उसे विधिवत् रूप से वर्णमाला के सभी वर्णों को लिखना सिखाना चाहिए। वर्णों को लिखना सिखाने की कई विधियां हैं। उनमें से अध्यापक अपनी सुविधानुसार किसी भी विधि की सहायता ले सकता है। ये विधियां निम्नलिखित हैं :

(i) **चित्र विधि**—वास्तव में लिपि का विकास ही चित्रों के द्वारा हुआ है। वैसे भी बच्चा चित्र बनाने में बहुत रुचि रखता है। अतः इस विधि की सहायता से खेल-खेल में बच्चों को वर्ण-रचना सिखा दी जाती है। जैसे—म, त, प, न, ग वर्ण, मेज, कुर्सी, नल आदि के चित्र बनाकर सिखाए जा सकते हैं। धीरे-धीरे अभ्यास होने पर बच्चे अन्य वर्णों को लिखना सीख जाते हैं।

(ii) **मांटेसरी विधि**—श्रीमती मांटेसरी 3 वर्ष की आयु के पश्चात् बच्चे को वर्ण-रचना सिखाने का समर्थन करती हैं। इस विधि में सर्वप्रथम बच्चे को

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
लकड़ी या गत्ते के बने अक्षर दिए जाते हैं और उन पर उंगली फेरने को कहा जाता है, फिर उनके बीच पैंसिल चलाने को कहा जाता है। जब उनकी उंगली सध जाती है तब स्वतन्त्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। परन्तु देवनागरी लिपि के अभ्यास के लिए इस विधि का प्रयोग अनुपयुक्त है। हर वर्ण की आकृति को बीच से काटना कठिन है।

(iii) **अनुसरण विधि**—वर्ण-रचना सिखाने की यह अत्यन्त प्राचीन विधि है। इस विधि में अध्यापक बच्चे की सलेट या तख्ती पर पैंसिल से वर्ण लिख देता है। बच्चे उस लिखे हुए वर्ण के ऊपर स्याही के साथ कलम चलाते हैं। कुछ दिनों तक इस प्रकार अभ्यास कराने के उपरान्त अध्यापक तख्ती या सलेट पर केवल एक पंक्ति लिख देता है। फिर बच्चे शेष तख्ती या सलेट पर देख-देखकर लिखते हैं। आधुनिक युग में तख्ती या सलेट की जगह कापी का प्रयोग होने लगा है।

(iv) **रेखा विधि**—इस रेखा विधि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि के सभी वर्ण रेखाओं तथा वृत्तों से बनते हैं। इस विधि में शुरू में बच्चे को विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे—खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, अर्द्ध वृत्त, पूर्ण वृत्त आदि। फिर रेखाओं को मिलाकर वर्ण-रचना सिखाई जाती है। जैसे 'न' सिखाना हो तो पहली एक खड़ी रेखा, (।) फिर बीच में एक पड़ी रेखा (–।) और उसके पश्चात् पड़ी रेखा के बाएं सिरे पर गोलाई 'न'। इस प्रकार बच्चों को विभिन्न वर्णों की रचना सिखाई जाती है।

(v) **पेस्टालॉजी की रचनात्मक प्रणाली**—इस विधि में अक्षरों को टुकड़ों में विभक्त लिया जाता है और एक-एक टुकड़े की आकृति बनाने का अभ्यास कराया जाता हैं फिर सभी टुकड़ों को मिलाकर पूरा अक्षर बनाना सिखाया जाता है। जो अक्षर सरल है उन्हें पहले सिखाया जाता है और कठिन अक्षरों को बाद में। परन्तु हिन्दी भाषा में यह विधि अवैज्ञानिक है।

इस प्रकार किसी भी विधि की सहायता से बच्चों को वर्णों की रचना करने का अभ्यास कराना चाहिए।

3. तीसरी अवस्था—शब्दों तथा वाक्यों की रचना की शिक्षा—लेखन-कौशल की शिक्षा की तीसरी अवस्था शब्दों तथा वाक्यों का लिखना सिखाना है। वर्णों की रचना आने के पश्चात् बच्चे वर्ण मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात् वाक्य लिखना सीखते हैं। लेखन-शिक्षण की

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

इस अवस्था में बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय बच्चे में लिखने से सम्बन्धित जैसी आदतें विकसित हो जाती हैं, वे आगे भी चलती रहती हैं। अतः इस समय बच्चे को सुन्दर, सुडौल व स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए।

इस समय शब्द तथा वाक्यों को सुन्दर, सुडौल व स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराने के लिए अध्यापक को निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

(i) **सुलेख**—प्रारम्भ से ही छात्रों में सुलेख की योग्यता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को सुलेख पुस्तिकाओं की सहायता लेनी चाहिए। इन पुस्तिकाओं में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर प्रथम पंक्ति में सुन्दर व मोटे आकार के वर्ण छपे होते हैं, बाद की पंक्तियों में हल्का-हल्का लिखा होता है। बच्चे उस पर कलम फेरकर वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। बच्चे की कापी पर भी अध्यापक हल्का-हल्का पैंसिल से लिख देते हैं, बच्चे उस लिखे हुए पर अभ्यास करते हैं। इसके लिए अध्यापक को कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।

(क) बच्चे के लिखने के आसन का निरीक्षण करना चाहिए। कुर्सी इतनी ऊंची हो कि बैठने पर बच्चे के पैर जमीन पर सीधे रखे रहें। घुटने 90 का कोण बनाते हों। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। कापी आंख से एक फुट की दूरी पर हो।

(ख) लेखन-सामग्री का भी निरीक्षण होना चाहिए। तख्ती चौरस व चिकनी हो। सफेद तख्ती पर काली स्याही और काली तख्ती पर खड़िया का प्रयोग होता है। स्याही ठीक घुली हो। कलम ठनक हो।

(ग) कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए। कलम अंगूठे व मध्य उंगली के बीच रखी हो, तर्जनी उंगली कलम के ऊपर रहे। कलम को निब से 2 सेमी ऊपर से पकड़ना चाहिए।

(घ) अक्षर सुडौल, सुन्दर व ठीक अनुपात से सीधे-सीधे लिखने चाहिए। दो शब्दों के मध्य एक वर्ण की दूरी होनी चाहिए। दो वाक्यों के बीच एक शब्द का व दो पंक्तियों के बीच एक पंक्ति जितना अन्तर होना चाहिए। शब्द के ऊपर सिधी रेखा खींचनी चाहिए।

(ङ) बच्चों के सामने सुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे उन्हें अपना लेख सुधारने की प्रेरणा मिले।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(ii) **अनुलिपि**—अनुलिपि का अर्थ है जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। जिस प्रकार बच्चे तख्ती पर लिखे अक्षर पर कलम फेरते हैं और उसी प्रकार लिखने का अभ्यास भी करते हैं। उसी तरह अनुलिपि में प्रथम पंक्ति में कुछ शब्द लिखे होते हैं, बच्चे उसे देखकर स्वतन्त्र रूप से वैसा ही लिखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए अध्यापक का अपना लेख सुन्दर होना चाहिए तथा अनुलिपि की कापी का चुनाव करते समय भी देख लेना चाहिए कि उसमें शब्द तथा वाक्य सही अनुपात में छपे हैं या नहीं।

(iii) **प्रतिलिपि**—प्रतिलिपि किसी भी छपी हुई पुस्तक में से देख-देखकर गद्यांश या पद्यांश लिखा जाता है। इसके लिए अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिलिपि की सामग्री बच्चे के मानसिक स्तर व रुचि के अनुकूल हो। विद्यार्थी की लेखन-सामग्री व आसन का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। प्रतिलिपि का संशोधन बहुत सावधानी से होना चाहिए क्योंकि प्रतिलिपि से बच्चों को शब्दों व वाक्यों के लिखने का अभ्यास होता है। व़र्तनी का ज्ञान होता है। विराम-चिह्नों का प्रयोग करना होता है। अतः सावधानी से संशोधन कार्य कर बच्चों की त्रुटियों को दूर कराने का प्रयास करना चाहिए और सावधानी से लिखने की आदत विकसित करने का प्रयास भी करना चाहिए।

(iv) **श्रुतलिपि**—प्रतिलिपि में बच्चे देखकर लिखते हैं, परन्तु श्रुतलिपि में बिना देखे, केवल सुनकर लिखते हैं। इसमें अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुन-सुनकर लिखते जाते हैं। इससे विद्यार्थियों को सुनकर लिखने का अभ्यास होता है। अक्षर-विन्यास का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक गति से सावधानीपूर्वक लिखने की योग्यता विकसित होती है। इसके लिए उचित गद्यांश का चुनाव कर, अध्यापक को उचित गति से बोलते हुए, बच्चों को लिखवाना चाहिए। बाद में संशोधन कर अशुद्धियों को शुद्ध कराना चाहिए।

4. चौथी अवस्था—लेखन-अभ्यास कराना—लेखन-कौशल की यह चर्तुथ अवस्था है। अब तक बच्चों को देखकर व सुनकर सुन्दर लेख के द्वारा शब्द व वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाता है। अब बच्चों को अपने भावों व विचारों को तार्किक क्रम में, व्याकरण के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हुए लिखने का अभ्यास कराना होता है जिससे उनमें लेखन-कौशल पूरी तरह विकसित हो सके। इसके लिए कक्षा में समय-समय पर लिखित कार्य का अभ्यास कराते रहने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल विषय

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

देकर उस पर विचार व्यक्त करने, प्रश्नों का उत्तर लिखने, पठित अंश का सार लिखने आदि क्रियाओं के द्वारा लेखन-अभ्यास कराया जा सकता है।

इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न एवं विधियों की सहायता से बच्चों में लेखन-कौशल को विकसित किया जा सकता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

5

हिन्दी-शिक्षण की विधियां

भारत में कई भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। संविधान में 15 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अतः इस देश की राष्ट्रभाषा स्पष्टतः वैसी भाषा है जो सामान्यतः सभी क्षेत्रों में बोलचाल में प्रयुक्त नहीं है। उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा दिल्ली राज्यों में मातृभाषा है। इनके अतिरिक्त अन्य राज्यों में हिन्दी मातृभाषा नहीं है। अतएव इन राज्यों के लोगों को हिन्दी की शिक्षा राष्ट्रभाषा के रूप में दी जाएगी। स्पष्ट ही शिक्षण की विधि मातृभाषा शिक्षण-विधि से भिन्न होगी। यहां यह ध्यान देने की बात है कि हिंदी भाषी राज्यों में राष्ट्रभाषा-शिक्षण की विधि से होगा।

अहिंदी भाषी राज्यों में हिन्दी नवीन तथा द्वितीय भाषा है। अतः वहां नवीन भाषा को सिखाने के लिए सरल, सुगम एवं वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाएं तो अच्छा है। प्रशिक्षित एवं योग्य भाषा-शिक्षकों द्वारा निम्नांकित शिक्षण-विधियों को अपनाना राष्ट्रभाषा के सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है—

1. प्रत्यक्ष विधि—यह विधि आधुनिक है। इस विधि में नई भाषा को सीखने का माध्यम भी वही भाषा है। यह विधि मातृभाषा-शिक्षण की विधि है। इस विधि में भाषा-शिक्षण का कार्य नवीन भाषा में वार्तालाप करके होता है। सीखनेवाला पहले वाक्य बोलता है इसके उपरांत लेखन की बारी आती है। बोलने में काफी प्रगति कर लेने के बाद ही लेखन-कार्य में उसे प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि में व्याकरण की शिक्षा बहुत महत्त्व नहीं रखती। व्याकरण की शिक्षा व्यावहारिक रूप में दी जाती है। भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हुए

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

व्याकरण का ज्ञान भी सीखनेवाले को दे दिया जाता है। व्यवहार द्वारा भाषा के स्वरूप तथा उसकी रचना-प्रक्रिया को समझा देने के बाद, उसे तत्संबंधी व्याकरण नियम को निकाल लेने को प्रोत्साहित किया जाता है। व्याकरण ज्ञान आगमन प्रणाली द्वारा तैयार किया जाता है। इस विधि में मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जाता।

प्रत्यक्ष विधि बहुत वैज्ञानिक है। वस्तुतः भाषा तो मौखिक वस्तु है। अतः इस विधि में नई भाषा अथवा राष्ट्रभाषा सीखने में उसके उच्चारण तथा वाक्य-प्रयोग को सीखने में बहुत सुविधा होती है। इस विधि में व्याकरण के नीरस नियम याद करने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु इस विधि का प्रयोग कुशल एवं योग्य शिक्षक ही कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होने की भी आवश्यकता है। जो शिक्षक नवीन शिक्षा में दक्ष होगा, वही इस विधि से अध्यापन करने में भी सफल हो सकेगा। सभी अध्यापक इस विधि को अपनाने में सफल नहीं हो सकते। छात्रों में भी जो कुशल एवं तीव्रबुद्धि है, वे ही इस विधि से नवीन भाषा सीखने में प्रगति कर सकते हैं।

जहां इस विधि में अनेक विशेषताएं हैं, वहां कतिपय दोष भी हैं। भाववाचक संज्ञाओं तथा विशेषणों का शिक्षण इस विधि द्वारा कठिन है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा से एकदम संबंध विच्छेद संभव भी नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक मातृभाषा के परिवेश में ही रहता है। अतएव प्रत्यक्ष विधि को आंशिक रूप से लागू किया जा सकता है।

2. अप्रत्यक्ष विधि—यह विधि पुरानी है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा का शिक्षण होता है। अनुवाद के पश्चात मातृभाषा तथा नवीन भाषा की तुलना की जाती है। अनुवाद के माध्यम से ही नवीन भाषा के शब्द एवं मुहावरों का समुचित ज्ञान दिया जाता है। व्याकरण ही पाठ्य-पुस्तक का आधार होता है।

इस विधि से अहिंदी भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में यह नवीन भाषा है।

वस्तुतः इस विधि में अनुवाद की प्रधानता है। अनुवाद के माध्यम से भाषा सीखने में नवीन भाषा का वास्तविक भाव प्रकट नहीं होता। मानस में मातृभाषा ही उभरती है, तब फिर अनुवाद के सहारे नई भाषा के भाव स्पष्ट होते हैं। इस विधि में व्याकरण प्रधान आ जाता है और वास्तविक भाषा गौण। इस प्रकार यह विधि दुरूह हो जाती है तथा नवीन भाषा का सीखना अत्यधिक

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
कठिन एवं अरुचिकर हो जाता है। इस विधि में लिखित भाषा को पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। फलस्वरूप बोलचाल के प्रयोग में भाषा नहीं आ पाती और सीखनेवाला व्यक्ति नई सीखी हुई भाषा को बोलने में दक्ष नहीं हो पाता। अतः राष्ट्रभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं सरल विधि होने पर भी यह दोषपूर्ण तथा अरोचक है।

3. नवीन प्रणाली अथवा वेस्ट-विधि—यह प्रणाली अथवा विधि सर्वथा नवीन है। इसके प्रतिपादक डॉ. माइकेल वेस्ट हैं। यह विधि प्रत्यक्ष विधि की विरोधी है। इस विधि के अनुसार भाषा-शिक्षण में वाचन को प्रधानता दी गई। वेस्ट महोदय ने भाषा-शिक्षण का प्रारंभ वाचन से करने का संकेत किया है। वाचन के द्वारा बच्चे नए-नए शब्दों को सीखते हैं। इससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है तथा वे शब्दों के समुचित प्रयोग जानते हैं। वाचन सीख लेने से बच्चे आसानी से बोलना तथा लिखना सीख लेते हैं। इसलिए तो वेस्ट महोदय कहते हैं। कि वाचन भाषा सीखने का सर्वाधिक सरल एवं छोटा मार्ग है।

वेस्ट महोदय ने नई भाषा को सिखाने के लिये मातृभाषा के माध्यम को ही अनिवार्य बताते है। नवीन भाषा के शब्दों का ज्ञान कराने के लिए मातृभाषा में अनुवाद का सहारा लेना अधिक कारगर होता है। वेस्ट महोदय के अनुसार वाचन, लेखन तथा भाषण के लिए अलग-अलग विधियों का प्रयोग उपयोगी है। एक साथ ही तीनों का अभ्यास प्रभावकारी तथा सफल नहीं हो सकता।

यह प्रणाली नवीन भाषा के शिक्षण में एक अंश तक कारगर हुई है। मातृभाषा के माध्यम से राष्ट्रभाषा का अध्ययन सफल भी हो रहा है। हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति में यह प्रणाली उपयोगी है।

सब कुछ होते हुए भी यह विधि पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है। वस्तुतः वाचन, लेखन तथा भाषण पारस्परिक रूप से संबंधित है। इनकी शिक्षा अलग-अलग देना न केवल भ्रमपूर्ण है, बल्कि अवैज्ञानिक भी। इस प्रणाली के अनुसरण से अध्यापक की मौलिकता जाती रहती है।

4. गठन संरचना विधि—यह विधि अत्याधुनिक है तथा वैज्ञानिक भी। इसमें भाषा के कतिपय चुने हुए प्रचलित शब्द तथा उनसे निर्मित समान वाक्यों के माध्यम से भाषा-शिक्षण का श्रीगणेश होता है। इस प्रकार प्रचलित शब्दों तथा व्यावहारिक वाक्यों के लगातार प्रयोग से बच्चे कुछ ही वर्षों में संबंधित भाषा का ठोस ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। हिंदी की वाक्य रचना भिन्न हैं फिर भी इस दिशा में लगातार प्रयोग चल रहे हैं तथा कुछ उत्साहवर्धक फल

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भी प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रभाषा के शिक्षण में यह विधि बहुत ही रोचक तथा सफल सिद्ध होगी।

उक्त विधियों पर विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रभाषा (हिन्दी) के शिक्षण में स्थान, परिस्थिति तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर विधि-विशेष अथवा विधियों को अपनाया जाए। हिंदी में गठन विधि तो अभी अविकसित है, किंतु प्रत्यक्ष विधि को आंशिक रूप से लागू करके नई प्रणाली तथा अप्रत्यक्ष विधि को भी काम में लाना श्रेयस्कर होगा। आसन परिस्थिति में मातृभाषा के माध्यम को स्वीकार करना अधिक लाभकारी होगा।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

6

हिन्दी शिक्षण की समस्याएं एवं उपाय

वर्तमान में हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है लेकिन उसे वह स्थान प्राप्त नहीं है जो अंग्रेजी को प्राप्त है। अभी भी अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है। लेकिन यह यथार्थ व परम सत्य है कि एक दिन हिन्दी अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर लेगी तथा राष्ट्रभाषा के रूप में सारे देश के जनमानस को भावात्मक एकता के सूत्र में बांध सकेगी। धीरे-धीरे अहिंदीभाषियों का आक्रोश भी दूर होगा तथा वे भी राष्ट्र के व्यापक हित में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार ही नहीं, उसका हृदय से स्वागत भी करेंगे।

यों भारत के उत्तरी राज्यों में हिंदी मातृभाषा है। अतः उन राज्यों में हिंदी-शिक्षण की बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हिंदी-शिक्षण की वास्तविक समस्याएं तो उन अहिंदीभाषी राज्यों में खड़ी होती हैं, जहां हिंदी का शिक्षण राष्ट्रभाषा के रूप में होता है। राष्ट्रभाषा-शिक्षण की प्रमुख समस्याओं तथा उनके समाधान अग्रलिखित हैं–

समस्याएं तथा उपाय

1. दुर्लभ तथा कठिन व्याकरण–राष्ट्रभाषा हिंदी का व्याकरण सरल, सुग्राह्य तथा सुगम नहीं है। इसमें कतिपय भ्रांतियां हैं और अस्पष्टता भी। लिंग-विधान की जटिलता तो संज्ञा तथा सर्वनाम तक ही सीमित नहीं है, वह तो क्रियापद, विशेषण आदि को भी अपने चंगुल से छुटकारा देने को तैयार नहीं। इसके अतिरिक्त रचना संबंधी भ्रांतियां भी वर्तमान हैं। अतः व्याकरण की

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

दुर्गमता एवं जटिलता की समस्या राष्ट्रभाषा-शिक्षण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। अहिंदी-भाषी जनता हिंदी-व्याकरण की इस जटिलता से स्वभावतः घबरा उठती है तथा हिंदी सीखने से डरने लगती है।

इस अवस्था में यह नितांत आवश्यक है कि हिन्दी व्याकरण को और सरलता से लिखा जाए, उसमें संशोधन किया जाए जिससे वह ग्राह्य बन जाए। उसके लिंग-विधान में सुधार लाकर उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाए। अच्छा तो यह होगा कि हिंदी का यह लिंग-विधान भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह बनाया जाए। रचना संबंधी भ्रामकता को भी दूर किया जाए। इस प्रकार कठिन व्याकरण-जनित समस्या का समाधान संभव है।

2. हिंदी की जटिलता—आज राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का द्रुतगति से विकास हो रहा है। वैज्ञानिक, तकनीकी तथा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो रहा है। इस प्रक्रिया में संस्कृत भाषा से धड़ल्ले के साथ शब्द लिए जा रहे हैं। फल यह हो रहा है कि हिंदी दुरूह, अग्राह्य तथा जटिल होती चली जा रही है। सामान्य बोलचाल की भाषा न रहकर वह जन-जीवन से दूर भागती जा रही है। अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रवाह से भी वह दूर भागती जा रही है। यहां तक कि सामान्य व्यवहार में चल रहे विदेशी एवं तद्भव शब्दों के स्थान पर भी संस्कृत के कठिन शब्दों को भरने का प्रयास हो रहा है। इस प्रवृत्ति ने जहां राष्ट्रभाषा के स्वरूप को जटिल बनाने का काम किया है, वहां राष्ट्रभाषा शिक्षण को भी अत्यंत कठिन बना दिया है। हिंदी की संस्कृत-जन्य जटिलता राष्ट्रभाषा शिक्षण की सुगमता तथा लोकप्रिय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इस समस्या का समाधान भाषा-विकास की उदार नीति के अनुसरण में है। यों संस्कृत हिंदी की जननी है। अतः शब्द वहां से अवश्य लिए जाएं। किंतु, जो विदेशी अथवा तद्भव शब्द लोक-व्यवहार में प्रचलित हैं, उनके स्थान पर कठिन-जटिल शब्द न रखे जाएं। इससे राष्ट्रभाषा का रूप सरल एवं लोक स्वीकृत होगा। अहिंदी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा का सरल एवं आम-फहम रूप अधिक स्वीकार्य होगा।

3. शिक्षण-विधि—राष्ट्रभाषा की शिक्षण-विधि तो वही होगी जो विदेशी भाषा के शिक्षण की विधि है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा हिंदी का शिक्षण अहिंदीभाषियों के लिए ही है। हिंदीभाषियों की तो यह मातृभाषा है ही। अतः यह देखा जाता है कि सामान्यतः राष्ट्रभाषा हिंदी का शिक्षण पुरानी अनुवाद-विधि से ही होता हैं यह विधि दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है। इस विधि से भाषा का आचरण शिक्षार्थी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के समक्ष नहीं आता है। हां, यह सबसे कम श्रमसाध्य तथा शिक्षण की दृष्टि से सरल भी है। सही शिक्षण-विधि के अभाव में राष्ट्रभाषा-शिक्षण प्रभावकारी नहीं हो पा रहा है।

यहां हम निश्चित शिक्षण-विधियों की चर्चा करते हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रभाषा का शिक्षण सफल एवं प्रभावकारी हो सकता है। इस क्रम में सर्वप्रथम 'प्रत्यक्ष विधि' को लिया जा सकता है। इस विधि में प्रश्नोत्तर तथा वार्तालाप के माध्यम से बच्चों अथवा वयस्कों को मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास कराया जाता है। स्थानीय वातावरण तथा दैनिक जीवन से संबद्ध पाठ इस विधि द्वारा शिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें उच्चारण, कथोपकथन तथा भाषण की शिक्षा पूर्ण सफलता से दी जाती है।

रचना-विधि—एक अत्याधुनिक विधि है। इसका प्रयोग विदेशी भाषा-शिक्षण में बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है। अतः राष्ट्रभाषा शिक्षण में भी इसकी उपयोगिता स्पष्ट है। इसके अंतर्गत वाक्य-रचना के द्वारा पाठ दिया जाता है। इसमें समान रचना वाले वाक्यों का पूरा-पूरा अभ्यास कराया जाता है। इस विधि में चित्रों, वस्तुओं तथा परिवेश का काफी उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रभाषा का शिक्षण सफल ही नहीं प्रभावकारी भी हो सकता है। अंत में अनुवाद विधि भी आती है। यों यह विधि पुरानी तथा दोषपूर्ण है, किंतु इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसके द्वारा विद्यार्थी विषय तुरंत समझ लेता है। यह कम श्रमसाध्य है।

अतः उक्त विधियों की सहायता में इस विधि का प्रयोग लाभकारी होगा।

4. अवैज्ञानिक तथा दुरूह पाठ्य पुस्तकें—वर्तमान में भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं लेकिन अब भी हम पुरानी अवैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकों के स्वरूप को ढोए जा रहे हैं। कठिन भाषा, अपरिचित विषय-वस्तु, जीवन से अलग-थलग के वर्णन तथा अवैज्ञानिक विषय-प्रतिपादन राष्ट्रभाषा की पाठ्य-पुस्तकों को दुरूह, अवैज्ञानिक तथा अरोचक बना देते हैं। अहिंदी भाषियों के लिए निर्मित पाठ्य-पुस्तकों का स्तर सामान्यतः ऊंचा भी रहता हैं यह भी राष्ट्रभाषा के शिक्षण में बहुत बड़ी बाधा है।

इस समस्या का समाधान योग्य एवं प्रशिक्षित विषय लेखकों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से पाठ्य-पुस्तक लिखवाकर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे विषम रखे जाएं जो स्थानीय तथा क्षेत्रीय परिवेश, आवेष्ठन की विशेषताओं, आकांक्षाओं को मुखरित, प्रकाशित करने में सक्षम हों। महापुरुषों

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

का जीवन, क्षेत्र-विशेष में प्रचलित लोककथा, क्षेत्र-विशेष का भूगोल, क्षेत्र-विशेष एवं देश का इतिहास, राष्ट्रप्रेम की कविताएं स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों के परिचय निबंध आदि विषयों का समावेश राष्ट्रभाषा की पाठ्य-पुस्तकों की रोचक, ग्राह्य, वैज्ञानिक तथा सरल बनाने में निश्चित रूप से सहायक होगा।

5. शिक्षक—राष्ट्रभाषा के शिक्षण के लिए उपयुक्त एवं प्रशिक्षित शिक्षक का सर्वथा अभाव है। यही कारण है कि राष्ट्रभाषा का शिक्षण समस्याओं से घिरा हुआ है। राष्ट्रभाषा के शिक्षकों के लिए न प्रशिक्षण संस्थान हैं और न ही उनका वेज्ञानिक ढंग पर प्रशिक्षण हो रहा है। व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले शिक्षकों का अभाव भी इस समस्या की भयंकरता को बढ़ाता है।

व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले शिक्षकों का निर्माण राष्ट्रव्यापी स्तर पर होने से इस समस्या का समाधान बहुत अंशों तक हो सकता है। योग्य, प्रशिक्षित तथा राष्ट्रीय भावना से अभिभूत शिक्षकों को तैयार करने का काम भारत सरकार द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रभाषा-शिक्षकों के लिए कुछ सर्वसाधन संपन्न प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। तभी तो वे अपने कर्मस्थल के लोगों से अपनापन स्थापित कर सकते हैं तथा भाषा-शिक्षण के कठिन स्थर पर क्षेत्रीय भाषा की सहायता ले सकते हैं।

अंत में कहा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा के व्यापक तथा सफल शिक्षण के द्वारा राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा गणतंत्रात्मक शक्ति का विकास संभव है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

7

साहित्यिक सृजनात्मक के विकास के उपाय

भाषा एवं साहित्य के शिक्षण का परम उद्देश्य है छात्रों में साहित्यिक सृजनात्मक का विकास करना। वस्तुतः इसी उद्देश्य की पूर्ति में भाषा एवं साहित्य शिक्षण की सच्ची सफलता है। सामान्यतः लिखी एवं बोली गई भाषा को समझ लेना तथा अपने विचारों को लिखकर एवं बोलकर दूसरे तक पहुंचा देना—भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। किन्तु, छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभा तथा शक्ति को विकसित कर देना भाषा एवं साहित्य शिक्षण को पूर्णता एवं सार्थकता प्रदान करना है। छात्रों के अंदर सुसप्त साहित्य-सृजन की प्रतिभा एवं संभावनाएं अनुकूल परिवेश तथा मार्गदर्शन पाकर विकसित एवं सक्रिय हो उठती है। योग्य एवं कल्पनाशील शिक्षक अपनी प्रतिभा, लगनशीलता तथा संवेदना के बल पर छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत कर पाने में सफल होता है। इतना ही नहीं, वह कतिपय साहित्यिक क्रियाशील को भी प्रोत्साहित करता है तथा उनके माध्यम से छात्रों में साहित्य-सृजन की शक्ति का सम्यक् रूप से विकास करता है। स्पष्ट है कि इस काम में शिक्षक की प्रतिभा, योग्यता, सक्रियता तथा साहित्य-सृजन में उसकी दक्षता ही सबसे अधिक काम करती है। संवेदनशील, साहित्यिक तथा योग्य शिक्षक को इस दिशा में अधिक सफलता मिलती है। शिक्षक का भाषा पर अधिकार होना इस काम के लिए अति आवश्यक है। साहित्यिक रुचि रखनेवाला तथा साहित्य-सृजन में प्रवीन शिक्षक छात्रों में साहित्यिक सृजनात्मकता का प्रेरणा स्रोत होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

यहां हम कतिपय क्रियाशील के संबंध में विशेष रूप से विचार रखते हैं। इन क्रियाशीलनों के माध्यम से छात्रों में साहित्यिक सृजनात्मक का विकास किया जा सकता है।

1. कवि दरबार।
2. प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का अध्ययन तथा उनके आधार पर कविता की रचना।
3. समस्या-पूर्ति।
4. विशेष अवसरों के अनुकूल कविता, निबंध का लेखन।
5. यात्रा तथा प्रकृति-वर्णन।
6. कहानी, निबंध एवं कविता-लेखन-कला का अध्ययन।
7. रेडियो एवं टेलीविजन का श्रवण-दर्शन।
8. निबंध लेखन तथा प्रतियोगिता।
9. मार्गदर्शनयुक्त पुस्तकालय का उपयोग।
10. कविता लेखन तथा प्रतियोगिता।
11. कहानी-प्रतियोगिता।
12. नाटक-प्रतियोगिता।
13. साहित्य-महारथियों की जयंतियां।
14. भाषा-प्रतियोगिता।
15. कवि-सम्मेलन।

यहां इनमें से प्रत्येक संक्षेप में प्रकाश निक्षेप किया जाता है—

1. कवि-दरबार—कवि-गोष्ठी तथा कवि-सम्मेलन की तरह ही कवि-दरबार भी होता है। अंतर इतना ही होता है कि कवि-दरबार में कवि स्वयं उपस्थित नहीं होता। इसमें मृत अथवा जीवित महान् कवियों की वेशभूषा में छात्र और शिक्षक ही भाग लेते हैं। इन अनुकृत करनेवाले छात्रों तथा शिक्षकों में से जो जिस कवि का अभिनय करता है, वह उसकी प्रसिद्ध कविता का यथा-साध्य उसी के अंदाज में पाठ करता है। इससे छात्रों में आत्मविश्वास तथा कविता के प्रति रुचि की वृद्धि होती है जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक है।

2. प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का अध्ययन तथा उनके आधार पर कविता की रचना—प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का अध्ययन अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। इस प्रक्रिया में छात्रों को काव्यानंद तो

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
प्राप्त होता ही है, उन्हें साहित्य-सृजन की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। इससे उनमें भावोद्रेक भी होता है तथा मानक छंद का भी परिचय प्राप्त होता है।

3. समस्या पूर्ति—समस्या पूर्ति की परिपाटी बहुत ही प्राचीन है वैसे यह पद्धति संस्कृत से आई, किंतु हिंदी एवं उर्दू के कवियों में बहुत ही लोकप्रिय हो गई। यद्यपि आधुनिक युग में इसकी लोकप्रियता कुछ कम नहीं हुई है, फिर भी इसकी गुणवत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। समस्या-पूर्ति की क्रिया इस प्रकार है। समस्या को छंद के एक चरण अथवा अंश में प्रस्तुत किया जाता है। जो लोग इसमें भाग लेनेवाले होते हैं, वे ऐसे छंद अथवा कविता की रचना करते हैं जिसमें समस्या की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही वह प्रस्तुत छंद चरण अथवा अंश भी सम्मिलित रहता है। छात्रों के बीच समस्यापूर्ति की क्रिया को चलाकर हम उनमें कल्पना-शक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास निश्चित रूप से कर सकते हैं।

4. विशेष अवसरों के अनुकूल कविता, कहानी, नाटक तथा निबंध का लेखन—विशेष अवसरों जैसे—स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, होली आदि पर छात्रों को अपनी रुचि के अनुरूप कविता, कहानी, लेख व नाटक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस कार्यकलाप से उनमें स्वतंत्र सृजनात्मकता का विकास संभव है।

5. यात्रा तथा प्रकृति-वर्णन—छात्रों को दर्शनीय तथा प्राकृतिक सौंदर्यपूर्ण स्थानों का भ्रमण कराया जाए। यात्रा के पश्चात उनसे यात्रा-वर्णन लिखने को कहा जाए। साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी उनसे करवाया तथा लिखवाया जाए। इससे उनकी भाषा तो परिष्कृत होगी ही, उनकी पर्यवेक्षण शक्ति तथा सृजन-क्षमता का भी विकास हो सकेगा। इस क्रिया में सामूहिक प्रयास भी बहुत उपादेय होगा।

6. कहानी, निबंध एवं कविता-लेख कला का अध्ययन—आधुनिक युग में कहानी, निबंध तथा कविता-लेखन की सुंदर, सुबोध एवं वैज्ञानिक कला का विकास हो गया है। इस दिशा में अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। योग्य शिक्षक के निर्देशन में इन पुस्तकों का अध्ययन छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का सही दिशा में विकास कर सकता है।

7. रेडियो एवं टेलीविजन का श्रवण-दर्शन—रेडियो तथा टेलीविजन से अनेक साहित्यिक कार्यक्रम प्रतिदिन सुनाए एवं दिखाए जाते हैं। शिक्षक के सही दिशानिर्देश में यदि इन कार्यक्रमों को लगातार कुछ बड़ी अवधि तक छात्र सुनें-देखें तो निश्चय ही उनकी सृजन-शक्ति का विकास होगा।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

8. निबंध लेखन तथा प्रतियोगिता—छात्रों को आजादी पर निबंध लेखन के लिये उभारना बहुत ही अनिवार्य है। इस क्रिया में भाषा एवं साहित्य के शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक है। प्रारंभ में शिक्षक अपनी देखरेख में निबंध तैयार करवाता है। और बाद में छात्रों को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए अनुप्रेरित करता है। उनके लिखे निबंधों का वह संशोधन तथा परिष्कार भी कर देता है। इसके अतिरिक्त छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सृजनात्मकता के विकास में बहुत ही सहायक होता है। इसमें सर्वोत्तम तीन-चार निबंध-लेखकों को पुरष्कृत कर उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा सकता है।

9. दिशा-निर्देशयुक्त पुस्तकालय का उपयोग—विद्यालय के पुस्तकालयों के सही उपयोग से छात्रों में सृजनात्मक वृद्धि होती है। शिक्षक के सही मार्गदर्शन में छात्र अपेक्षित काव्य, निबंध अथवा कथा-साहित्य का अध्ययन जब करते हैं, तब उनमें साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है एवं वे साहित्य सृजन की ओर प्रवृत्त होते हैं। सही मार्गदर्शन के अभाव में निश्चित लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

10. कविता-लेखन तथा प्रतियोगिता—योग्य एवं सृजनशील शिक्षक के मार्गदर्शन में कविता-लेखन तथा प्रतियोगिता का आयोजन छात्रों में सृजनात्मक का निश्चित रूप से विकास करता है। प्रथम चरण में तो शिक्षक कविताओं का लयात्मक पाठ करता है। फिर उक्त लय में देशप्रेम प्रकृति वर्णन, लोककथा आदि पर छात्रों से कविता लिखवाता है। आगे चलकर जब छात्र कविता लिखने में गति प्राप्त कर लेते हैं तब उनके बीच कविता-प्रतियोगिता का आयोजन करता है। अंत में सुंदर कविताओं को पुरष्कृत भी किया जाता है। इस प्रकार छात्रों में कविता-सृजन की शक्ति का विकास होता है।

11. कहानी-प्रतियोगिता—कहानी-प्रतियोगिता का भी अपना महत्त्व है। विषय अथवा कथा-वस्तु का आंशिक रूप दे दिया जाता है तथा छात्रों से कहानी लिखने या पूर्ण करने को कहा जाता है। फिर उनके बीच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। पुरस्कार एवं प्रशंसा के द्वारा उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाता है। प्रारंभ में घटना-प्रधान कहानी तथा बाद में कल्पनापूर्ण एवं समस्या मूलक कहानी लिखने की ओर प्रवृत्त करना अधिक उपयोगी है।

12. नाटक लेखन प्रतियोगिता—विद्यार्थियों के बीच नाटक लिखने की प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही लाभदायक है। योग्य शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

दैनिक जीवन में होनेवाली बातचीत को लेखाबद्ध करने को कहता है। आगे चलकर किसी कहानी के पात्रों के बीच की बातों को कथोपकथन के रूप में लिखने को कहता है। अंत में काल्पनिक कथानक को कथोपकथन के रूप में प्रस्तुत करवाता है। इसके उपरांत नाटक-लेखन-प्रतियोगिता कर आयोजन कर छात्रों में नाटक-लेखन-क्षमता को विकसित एवं परिष्कृत किया जाता है।

13. साहित्य-विद्वानों की जयंतियां—तुलसी, कबीर, सूरदास, मीरा, बिहारी, प्रसाद, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, पंत, दिनकर, बच्चन प्रभृति साहित्य-विद्वानों की जयंतियां विद्यालय में मनाई जाएं। इससे छात्रों को उनके साहित्य पढ़ने, उनसे परिचित होने तथा उनसे अनुप्रमाणित होने का अवसर प्राप्त होता है। साहित्य-सृजन की शक्ति का इन आयोजन के द्वारा भी विकास होता है।

14. भाषण-प्रतियोगिता—छात्रों के बीच योग्य एवं कल्पनाशील शिक्षक के मार्गदर्शन में भाषण-प्रतियोगिता बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें ध्यान यह रखना होता है कि भाषण अथवा वाद-विवाद का विषय साहित्यिक हो। इस प्रक्रिया में छात्रों को आवश्यक साहित्य पहले ही दे दिया जाता है और वे विषय पर पूर्ण तैयार होकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इस क्रम में वे अपनी तर्कशक्ति एवं भाषा-क्षमता का भी विकास करते हैं जो सृजनात्मकता के लिए अति आवश्यक है।

15. कवि-सम्मेलन—कवि-सम्मेलनों से हम सभी परिचित हैं। इसका छोटा रूप कवि-गोष्ठी है। इनका आयोजन कर छात्रों को अपनी कविताओं के पाठ का अवसर देना बहुत ही लाभदायक होता है। वे एक ओर जहां बड़े कवियों की कविताओं से प्रभावित अनुप्रेरित होते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी कविताओं का पाठ कर प्रोत्साहित तथा आत्मविश्वास से पूर्ण होते हैं। उनमें साहित्य-सृजन की शक्ति का निश्चित रूप से विकास होता है।

उक्त सभी साधनों तथा उपायों की सफलता शिक्षक की योग्यता, संवेदनशीलता, परिश्रमशीलता, कल्पनाशीलता तथा साहित्यिक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। सही मार्गदर्शन में यदि उक्त क्रियाशीलन विद्यालय में चलाए जाएं तो छात्रों में साहित्यिक सृजनात्मक-शक्ति एवं प्रतिभा का विकास निश्चयपूर्वक किया जा सकता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

8

हिन्दी-शिक्षक के गुण

सामान्य रूप से शिक्षक में हम कतिपय सामान्य गुणों की अपेक्षा करते ही हैं, किंतु भाषा-शिक्षक में कुछ विशेष गुणों का भी होना आवश्यक है। भाषा-शिक्षक छात्रों में आत्माभिव्यक्ति की शक्ति का विकास करता है। वह उनमें सही भावग्रहण की क्षमता का भी विकास करता है। भाषा-शिक्षक छात्रों को प्रभावशाली वक्ता एवं प्रशक्त साहित्यकार बनाता है। उन्हें स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त करना भी शिक्षक का ही कार्य है। भाषा-शिक्षक ही शैली एवं शब्द-प्रयोग के रथ पर छात्रों को आरूढ़ करता है। इस प्रकार भाषा-शिक्षक के कार्य की महत्ता स्वयंसिद्ध है।

भाषा-शिक्षण की सफलता एवं प्रभावकारिता भाषा-शिक्षक की योग्यता एवं उसके वाचन शैली पर निर्भर करती है। अपने विषय में निष्णात, संवेदनशील, मधुरभाषी, चरित्रवान, अध्ययनशील तथा कल्पनाशील भाषा-शिक्षक निश्चय ही आदर्श एवं सफल होता है। जीवंत भाषा-शिक्षक छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में सहायक होता है। सच तो यह है कि शिक्षक की योग्यता एवं सद्गुणों का प्रभाव स्वयं उसकी शिक्षण-प्रक्रिया पर भी निश्चित रूप से पड़ता है।

भाषा-शिक्षक के ये गुण हिंदी-शिक्षक के लिए भी अपेक्षित हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के कारण भी हिंदी-शिक्षक का दायित्व और अधिक बढ़ गया है। अब राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय कला एवं राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान की संरक्षिका एवं संवाहिका भी तो हिंदी ही होने जा रही है। ऐसी अवस्था में हिंदी-शिक्षक से राष्ट्र की बड़ी अपेक्षाएं हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

यहां खासकर हिंदी-शिक्षक के आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला गया है—

हिंदी शिक्षक के गुण

1. सहृदयता।
2. सृजनात्मकता।
3. साहित्यिकता।
4. शुद्ध उच्चारण।
5. वक्तृत्वकला।
6. अभिनय-दक्षता।
7. मनोविज्ञान का ज्ञान।
8. प्रशिक्षण।
9. सहशैक्षणिक क्रियाशीलनों में रुचि।
10. प्रभावशाली व्यक्तित्व।
11. विषय का पूर्ण ज्ञान।
12. अध्ययनशीलता।
13. कल्पनाशीलता।
14. लेखनशैली में निष्णात।
15. नवीनतम साहित्य एवं प्रवृत्तियों का ज्ञान।
16. छात्रों को मार्गदर्शन करने की तत्परता।

यहां इन गुणों पर विस्तार से विचार किया जा रहा है—

1. सहृदयता—भाषा एवं साहित्य के शिक्षक में सहृदयता का गुण होना मौलिक रूप से आवश्यक है। वस्तुतः साहित्य तो हृदय और कोमल मानस का पुत्र है। सहृदयता की गोद में ही उसका लालन-पालन होना अनिवार्य है। उसके अध्यापन, बच्चों के साथ उसके व्यवहार तथा विषय प्रतिपादन सभी में सहृदयता का समावेश आवश्यक है। कड़ाई से जो प्रगति संभव नहीं है, वह एक सहृदयता-संवेदना के द्वारा संभव है। छात्र की पीठ पर शिक्षक के सहृदयता, सहानुभूति-भरे हाथ पड़ते ही उसके अंदर उत्साह, क्षमता एवं प्रगति की गंगा उमड़ पड़ती है। सहृदयता शिक्षक की ममतामई मुख-मुद्रा के द्वारा छात्रों में नवजीवन का संचार किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ही सहृदय शिक्षक छात्रों में अपने विषय के लिए .अभिरुचि उत्पन्न करने में सफल होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

2. सृजनात्मकता—भाषा एवं साहित्य के शिक्षक में यदि सृजनात्मकता के गुणों का अभाव हुआ तो बस वह शिक्षक सामान्य कोटि का ही गिना जाएगा। सृजनात्मकता के गुणों से विभूषित भाषा-शिक्षक अपने छात्रों में भी साहित्य-सृजन की रुचि का विकास करने में सफल होता है एक कवि शिक्षक अपने छात्रों में काव्य-सृजन की शक्ति का विकास करता है। एक कहानीकार शिक्षक अपने छात्रों को कहानी-लेखन की क्षमता का विकास करने में सफल होता है। इस प्रकार जिस शिक्षक में सृजनात्मकता का गुण है, वह अपने छात्रों को भी साहित्य-सृजन की दिशा में प्रवृत्त एवं सक्षम बनाता है। अतएव भाषा एवं हिंदी शिक्षक में सृजनात्मकता का गुण होना उपयोगी एवं आवश्यक है।

3. साहित्यिकता—साहित्यिकता मात्र साहित्य-सृजन में ही निहित नहीं है वह साहित्य-प्रेम, साहित्य-अध्ययन, साहित्य-चर्चा, साहित्य-गोष्ठी, साहित्य-विवेचन आदि सभी में निहित है। वही हिंदी अथवा भाषा-शिक्षक सफल है, जिसमें उक्त साहित्यिक क्रियाशीलनों में रुचि है। साहित्य का अंध्ययन तथा साहित्य-गोष्ठी का आयोजन भी तो साहित्यिकता ही है। साहित्यिकता के गुणों से विभूषित शिक्षक अपने छात्रों को साहित्य की ओर प्रवृत्त कर सकने में सफल हो पाएगा। काव्य-रचना, कहानी-रचना अथवा काव्य-साहित्यचर्चा के द्वारा शिक्षक छात्रों में साहित्यिकता का विकास सहज रूप में कर सकता है। जिस शिक्षक में साहित्यिकता का गुण है वह छात्रों में साहित्यिकता सहज रूप में कर सकता है। जिस शिक्षक में साहित्यिकता के गुणों का अभाव होता है, वह छात्रों को साहित्य और भाषा में निष्णात बनाने में सफल नहीं हो पाता। वस्तुतः साहित्यिकता के गुणों से विभूषित हिंदी शिक्षक बच्चों में भाषा के प्रति सहज प्रेम का सृजन कर पाता है और इस प्रकार वह प्रभावकारी एवं गत्यात्मक भाषा-शिक्षक बन जाता है।

4. राष्ट्रभाषा का शुद्ध उच्चारण—जब हम किसी मानव को भाषा का शुद्ध उच्चारण करते हुए सुनते व देखते हैं तो हृदय काफी प्रसन्न होता है। शुद्ध उच्चारण करनेवाला व्यक्ति अपना स्पष्ट प्रभाव श्रोताओं पर छोड़ जाता है। अशुद्ध उच्चारण सुनकर हम नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं। स्वभावतः ही ऐसे व्यक्ति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके प्रति अलगाव भी हो जाता है। अतएव, जो शिक्षक बोलते समय शुद्ध उच्चारण करता है। उसका शिक्षण सहज रूप से प्रभावकारी होता है। दूसरी ओर छात्र भी उसका अनुकरण करते हैं एवं वे भी बोलते समय शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता हिंदी-शिक्षक का एक महत्त्वपूर्ण गुण है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

5. वक्तृत्वकला—वक्तृत्वकला एक ऐसा गुण है जो भाषा शिक्षक को न केवल सफल बनाता है, बल्कि उसे प्रभावकारी एवं जीवंत बनाने में भी सहायक होता है। वक्तृत्वकला से विभूषित शिक्षक अपने विषय को रोचक तथा प्रशक्त बना ले जाता है। अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में तो वह निश्चित रूप से सफल होत है। वह अपनी बातों का स्थाई प्रभाव बच्चों के मन पर छोड़ पाता है। वस्तुतः वक्तृत्वकला-संपन्न शिक्षक छात्रों को निर्दिष्ट दिशा में ले जाने में भी सफल होता है। छात्र न केवल ऐसे शिक्षक से प्रभावित होते हैं, बल्कि वे वक्तृत्वकला में निष्णात होने के लिए प्रयत्नशील भी होते हैं। वक्तृत्वकला जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी होती है। सामाजिक कार्यकर्त्ता, राजनैतिक नेता, धार्मिक प्रचारक, सफल शिक्षक, प्रभावकारी राजनयिक, जीवंत साहित्यकार आदि सभी के लिए वक्तृत्वकला अमृत सदृश है। वक्तृत्वकला के अभाव में ये सभी प्रभावहीन तथा असफल हैं। अतः शिक्षक की व्यक्तिगत सफलता के लिए तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वक्तृत्वकला की परमावश्यकता है। वक्तृत्वकला शिक्षक की वाणी को अमृतमय कर देती है, जीवंत बना देती है।

6. अभिनय क्षमता—वैसे सभी शिक्षक को एक अभिनेता होना चाहिये। किंतु भाषा-शिक्षक के लिए तो अभिनय-कला में दक्ष होना आवश्यक है। जिसमें अभिनय की दक्षता नहीं वह शिक्षक सफल और प्रभावकारी भाषा-शिक्षक हो ही नहीं सकता। कहानी-शिक्षण के समय विभिन्न पात्रों की भूमिका में अपने को रखकर पढ़ाने में सफल वही हो सकता है जो अभिनय करने में दक्ष हो। नाटक-शिक्षण में तो अभिनय-दक्षता की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है। जो शिक्षक अभिनय करने में दक्ष होता है, वही नाटक-शिक्षण को जीवंत एवं प्रभावकारी बना सकता है। नाटक-शिक्षण की रोचकता एवं सफलता शिक्षक की अभिनय क्षमता पर निर्भर करती है। छोटे बच्चों के वर्ग में तो कविता भी गीत-नाट्य प्रणाली से पढ़ाने की आवश्यकता है। जो भाषा-शिक्षक पाठ-गत विभिन्न भावों को अभिनय द्वारा, भाव-मुद्रा द्वारा प्रगट करने में सफल होता है, वही सफल भाषा-शिक्षक है। अतएव सफल एवं प्रभावकारी हिंदी-शिक्षक के लिए भी अभिनय-दक्षता आवश्यक है।

7. मनोविज्ञान का ज्ञान—आधुनिक युग में जिस शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं, वह सर्वथा कोरा है। विशेषकर भाषा-शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। मनोविज्ञान का ज्ञाता शिक्षक ही यह समझने में सक्षम होता है कि भाषा-साहित्य का शिक्षण किस अवस्था के बच्चों को किस स्तर का होना चाहिए। वह यह भी जान सकता है कि किस बच्चे में साहित्य

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

की किस विद्या की ओर रुचि है। इतना ही नहीं वह बच्चों में उपयुक्त सृजनात्मकता का भी विकास कर पाता है। सामान्यतः बच्चों में भाषा एवं साहित्य की ओर रुचि उत्पन्न करने में भी वह सफल होता है। मनोविज्ञान का ज्ञान भाषा-शिक्षक को दिशा, स्तर तथा विधि निर्धारित करने में पूर्ण सहायक होता है। मनोविज्ञान का ज्ञान भाषा-शिक्षक को संवेदनशील, तत्पर एवं जीवंत बनाता है।

8. प्रशिक्षण–भाषा अथवा हिंदी शिक्षक के लिए प्रशिक्षित होना भी अत्यावश्यक है। यों तो हर विषय के शिक्षक के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी है, किंतु भाषा-शिक्षक के लिए प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। प्रशिक्षण के द्वारा भाषा-शिक्षक यह जान पाता है कि साहित्य एवं भाषा की किस विधा के अध्यापन में कौन-सी विधि काम में लाई जाए। वह अपने अध्यापन-विषय के लिए प्रभावकारी एवं उपयुक्त विधि को चुनने में सक्षम हो जाता है। प्रशिक्षण द्वारा वह साहित्य एवं भाषा के शिक्षण के लिए उपयुक्त परिवेश के सृजन में भी सफल होता है। प्रशिक्षण द्वारा मूल्यांकन-कार्य में भी वह दक्ष हो जाता है।

9. सहशैक्षणिक क्रियाशीलन की ओर रुचि–भाषा एवं साहित्य का अध्यापन एवं अध्ययन न केवल कक्षा में हुआ करता है, बल्कि स्वाभाविक परिवेश में वह और भी प्रभावकारी होता है। सहशैक्षणिक क्रियाशीलन साहित्य एवं भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन को और भी सार्थक बनाने में सफल होते हैं। पर्यटन वाद-विवाद साहित्य लेखन प्रतियोगिताएं, कवि-दरबार, कवि-सम्मेलन, भाषण-प्रतियोगिता, पत्रिका-प्रकाशन, साहित्यकारों के भाषण आदि जैसे सहशैक्षणिक क्रियाशीलन हैं जिनके द्वारा साहित्य एवं भाषा के शिक्षण को उपयोगी, सार्थक एवं सफल बनाया जा सकता है। अतएव वही भाषा एवं साहित्य का शिक्षक सफल एवं प्रभावकारी होता है, जो इनमें रुचि लेगा।

10. प्रभावशाली व्यक्तित्व–प्रभावशाली व्यक्तित्व से मात्र शारीरिक डीलडौल का अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। सहृदयता, सहानुभूति, प्रसन्नता, उत्साह, तत्परता, प्राणवता, निष्ठा एवं दृढ़ता कुछ ऐसे गुण हैं जो भाषा तथा साहित्य के शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा पर अधिकार जिस शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा पर अधिकार जिस शिक्षक को होता है, वह स्वतः ही प्रभावशाली हो जाता है। वाणी और लेखनी का अधिकारी शिक्षक यदि अध्ययनशील एवं कल्पनाशील होता है तब उसका व्यक्तित्व और भी प्रभुविष्णु हो उठता है। ऐसा शिक्षक निश्चय ही सफल एवं प्रेरक होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu.

11. विषय का पूर्ण ज्ञान—विषयपरक शिक्षण शैली में शिक्षक का अपने विषय में पूर्ण ज्ञानवान होना बहुत जल्दी है जो अपने विषय में निष्णात नहीं होता वह शिक्षक कभी भी आत्मविश्वास के साथ शिक्षण नहीं कर सकता। उसका विषय-शिक्षण निश्चयपूर्वक प्रभावकारी नहीं हो सकता। अतः भाषा-शिक्षक को प्रभावकारी एवं सफल होने के लिए अपने विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाषा के क्षेत्र में नवीनतम प्रयोग एवं उपलब्धियों से परिचित होना उसका परम कर्तव्य है। साहित्य एवं शैली के विभिन्न रूपों का परिचय एवं प्रयोग उनकी दृष्टि के समक्ष रहना चाहिए। भाषागत अद्यतन प्रगति एवं स्वीकृति से भी उन्हें अवगत होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भाषा एवं साहित्य का पूर्ण एवं अद्यतन ज्ञान हिंदी-शिक्षक के लिए आवश्यक है। इससे उसमें आत्मविश्वास, प्रभावकारिता एवं जीवंतता का विकास होता है।

12. अध्ययनशीलता—अध्ययनशीलता वह गुण है जो भाषा-शिक्षक की क्षमता और दक्षता में सतत वृद्धि करने में सहायक होता है। जिस प्रकार उस्तरे की प्रखरता सुरक्षित रखने अथवा वृद्धि करने के लिए सान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षक की क्षमता एवं प्रखरता बनाये रखने तथा विकसित करने के लिए अध्ययनशीलता भी अपेक्षित है। अध्ययनशीलता शिक्षक को नवीनतम साहित्यिक, शैलीगत एवं भाषागत प्रयोगों उपलब्धियों से परिचित कराती है। इससे शिक्षक सतत जीवंत एवं समृद्ध बना रहता है। इस गुण से छात्र भी प्रभावित होते हैं तथा उनमें भी स्वाध्याय का गुण प्रेरणा-स्वरूप विकसित होने लगता है।

13. कल्पनाशीलता—कल्पनाशीलता एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक भाषा-शिक्षण के लिए आवश्यक है। जिस शिक्षक में कल्पना की शक्ति नहीं वह बच्चों को सृजनात्मकता के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकता। कहानी, कविता, नाटक आदि के सृजन एवं अध्ययन के लिए कल्पनाशक्ति का होना आवश्यक है। जिस शिक्षक में यह शक्ति होती है, वह बच्चों में भी उसका विकास कर पाता है। इस प्रकार पाठ्य साहित्य को तो वह स्वयं पूर्ण रूप से समझता ही है, छात्रों को भी कल्पनाशील बनाकर विषय-ग्रहण के योग्य बनाता है। कल्पनाशीलता शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए ही रामबाण है।

14. लेखनशैली में निष्णात—जो शिक्षक स्वयं सुंदर भाषा लिखने में निष्णात एवं सक्षम होता है, उसका प्रभाव छात्रों पर भी आशातीत रूप में पड़ता है। वह अपनी सुंदर-आकर्षक शैली से छात्रों को न केवल प्रभावित करता है,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बल्कि उन्हें सुंदर शैली में लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर पाता है। वह लेखन-कला की ओर छात्रों को उत्प्रेरित करता है। लेखन-शैली में यदि सुलेख भी सम्मिलित हो तो शिक्षक की सफलता में चार चांद लग जाते हैं। सुंदर अक्षर लिखनेवाला शिक्षक तो प्रारंभ में ही छात्रों को प्रभावित एवं आकर्षित करने में कृतकार्य हो जाता है।

15. नवीनतम साहित्य एवं प्रवृत्तियों का ज्ञान—साहित्य में कोई भी प्रवृत्ति अथवा दिशा अंतिम नहीं होती। इस क्षेत्र में नवीन प्रयोग एवं संकल्प होते रहते हैं। भाषा का भी स्वरूप कसता और संवरता रहता है। शैलियां भी विकसित होती रहती हैं। कहानी, नाटक, काव्य एवं आलोचना के क्षेत्र में नवीनताएं प्रवृष्ट होती रहती हैं तथा पुरानी मान्यताएं टूटती रहती हैं। इस प्रकार साहित्य एवं भाषा के शिक्षक को प्रबुद्ध, अध्ययनशील एवं ग्रहणशील होना चाहिए। उसे नवीनतम साहित्य एवं उसमें प्रवृष्ट प्रवृत्तियों का ज्ञान होना चाहिए। तभी तो वह भाषा एवं साहित्य शिक्षण के प्रति न्याय कर सकेगा। हिंदी में ही इतिवृत्तात्मक, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद एवं नई कविता के अनेक गवाह खुले और साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो शिक्षक इनका अद्यतन परिचय और ज्ञान नहीं रखता, वह अपने में आत्मविश्वास एवं प्रभावकारिता लाने में पूर्णतः असफल होगा। वस्तुतः प्रभावकारी भाषा शिक्षक के लिए नवीनतम साहित्य एवं उसकी प्रवृत्तियों का ज्ञान आवश्यक है।

16. छात्रों को दिशानिर्देश की तत्परता—निरुत्साह एवं अकर्मण्य शिक्षक कभी भी भाषा-शिक्षण की दिशा में सफल नहीं हो सकता। जैसे कार्यरत विद्युत शक्ति गृह दूर-दूर तक विद्युत-प्रवाह भेजने में सक्षम होता है, वैसे ही तत्पर एवं उत्साही शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन करने में सफल होता है। भाषा-शिक्षक को सदा ही छात्रों का मार्गदर्शन करने की दिशा में तत्पर रहना चाहिए। वस्तुतः भाषा एक कठिन अर्जन है। इस दिशा में सतत् प्रयत्न एवं मार्गदर्शन आवश्यक एवं उपयोगी है। अतः सही एवं तत्पर मार्गदर्शन छात्रों की प्रगति की दिशा में जादू का काम करता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

9

उच्चारण-शिक्षण

शुद्ध उच्चारण का महत्त्व

उच्चारण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अक्षरों या वर्णों को सस्वर रूप प्रदान किया जाता है। यह उच्चारण जितना शुद्ध होता है उतना ही प्रभावकारी और आकर्षक होता है। शुद्ध उच्चारण कर्णप्रिय होता है तथा सुननेवालों को प्रभावित करता है। अतः शुद्ध उच्चारण का बहुत बड़ा महत्त्व है। शुद्ध उच्चारण के महत्त्व को इन शब्दों में उपस्थित किया जा सकता है–

(क) शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ही भाषा के ज्ञान को पूर्णता प्रदान करता है।

(ख) शुद्ध उच्चारण भाषा को कर्णप्रिय एवं प्रभावकारी बनाता है।

(ग) शुद्ध उच्चारण भाषा को विकृत होने से बचाता है।

(घ) शुद्ध उच्चारण की शिक्षा द्वारा ही मातृभाषा पर बोलियों तथा ग्रामीण भाषाओं के प्रभाव को रोका जा सकता है।

(ङ) शुद्ध उच्चारण वर्तनी की शुद्धता में सहायक होता है।

(च) प्रारम्भ से ही जिस बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने की आदत पड़ जाती है, वह जीवनपर्यंत भाषा के शुद्ध मौलिक रूप को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है।

उच्चारण-दोष के कारण

1. अक्षर तथा मात्राओं के ज्ञान का अभाव–अक्षर तथा मात्राओं के शुद्ध ज्ञान के अभाव में भी उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
बहुत-से बच्चे 'क्षमा' को 'छमा', 'बीमार' को 'बिमार' तथा 'ऊष्मा' को 'उष्मा' उच्चारित करते हैं।

2. **अन्य भाषाओं का प्रभाव**—हिंदी में यह प्रभाव स्पष्ट है। उर्दू के प्रभाव में प्रताप, सिर पर यमुना शब्द क्रमिशः 'परताप', 'सर' तथा 'जमना' हो गए। अंग्रेजी ने 'कलकत्ता', वाराणसी तथा 'दिल्ली' को देहली क्रमशः 'कैलकटा', 'बनारस' बना दिया। इस प्रकार उच्चारण-दोष लाने में अन्य भाषाओं का प्रभाव भी काफी काम करता है।

3. **अध्यापक की अयोग्यता**—आज के अध्यापकों की अयोग्यता भी शुद्ध और सरस उच्चारण के मार्ग में बाधक है। भाषा-विज्ञान तथा शुद्ध उच्चारण से अनभिज्ञ हिंदी अध्यापक स्वयं भी अशुद्ध उच्चारण करता है अतः छात्र उसका अनुसरण कर अपना उच्चारण भी दोषपूर्ण बना लेता है।

4. **बोलने में शीघ्रता तथा असावधानी**—कुछ बच्चे बोलने में शीघ्रता करते हैं। वे असावधानी से वर्णों का उच्चारण करते हैं। इससे भी उच्चारण दोष आ जाते हैं।

5. **प्रयत्न-लाघव**—कुछ बच्चे शब्दों एवं ध्वनियों को संक्षिप्त रूप में उच्चारित करते हैं, उन्हें पूरे प्रयत्न के साथ नहीं बोलते। फलस्वरूप उच्चारण-दोष उपस्थित हो जाता है। 'मार डाला' को 'मा डाला', 'छतरी' को 'छत्री' तथा 'सकता' को 'सक्ता' उच्चारित करना प्रयत्न-लाघव का ही परिणाम है।

6. **वातावरण का प्रभाव**—बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, उनके उच्चारण पर वहां का प्रभाव पड़ जाता है। अशुद्ध उच्चारण करने वाले परिवार तथा समाज के अंदर रहनेवाले बच्चों का उच्चारण करनेवाले परिवार तथा समाज के अंदर रहनेवाले बच्चों का उच्चारण स्वभावत ही दोषपूर्ण हो जाता है।

7. **दोषपूर्ण आदतें**—कई बच्चों में दोषपूर्ण आदतें पड़ जाती हैं। नाक से बोलना, अटक-अटककर बोलना तथा शकुन-तकिया के साथ बोलना—सभी ऐसी आदतें हैं जिनके प्रभाव में आकर उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है।

8. **वर्णों के शुद्ध उच्चारण का अज्ञान**—बहुत से बच्चों को वर्णों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान नहीं होता। अतः उनका उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि बहुत-से बच्चे 'स' को 'श', 'ड़' को 'र' 'ण' को 'न' उच्चारित करते हैं। प्रारंभ में इसे नहीं रोकने के कारण वयस्कों में भी यह दोष देखने को मिलता है।

9. **शरीर-संबंधी दोष**—शारीरिक अंगों जैसे—होठ, तालू, दांत आदि में विकार होने से उच्चारण दोष उत्पन्न होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

10. क्षेत्र भेद अथवा देश-भेद—क्षेत्र-भेद अथवा देश-भेद के कारण भी किसी के उच्चारण में दोष आता है। हिंदी को ही लिया जाए। पंजाब, हरियाणा में क, ख, ग तथा घ को का, खा, गा तथा घा उच्चारित करते हैं। बिहार में 'हॉल' को 'हौल' तथा 'बॉल' को 'बौल' उच्चारित करते हैं; किन्तु उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 'हाल' तथा 'बाल'। कई स्थानों पर स्थानीय प्रभाव भी काम करते हैं। यथा—'लखनऊ' को 'नखलऊ' 'स्टेशन' को 'इस्टेशन', 'पार्क' को 'पारक' तथा 'स्कूल' को 'सकूल' उच्चारित होते हुए हम अक्सर पाते हैं।

उच्चारण दोष सुधारने के उपाय

1. सतर्कता एवं सावधानी दिखाना—छात्र पढ़ते तथा बोलते समय शुद्ध उच्चारण की ओर सतर्क करें। बोलते, समय उच्चारण की शुद्धता में आशंका उत्पन्न होने पर शिक्षक से पूछ लें। शिक्षक भी सहयोग एवं सहायता करने को तत्पर रहें। छात्रों के कान को शिक्षक शुद्ध उच्चारण सुनने से इतना अभ्यस्त कर दें कि अशुद्ध उच्चारण सुनते ही उनके कानों को खटक जाए। इस प्रकार उच्चारण के दोष दूर किए जा सकते हैं।

2. ध्वनि-यंत्रों की जानकारी—छात्रों को विभिन्न ध्वनियों की उत्पत्ति के स्थानों का ज्ञान कराया जाए। जिह्वा, नासिका, कंठ, मूर्धा, दंत, तालु तथा होठों का ध्वनि की उत्पत्ति में क्या महत्त्व एवं स्थान है—छात्रों को स्पष्ट रूप से चित्र, चार्ट तथा मॉडल द्वारा समझाया जाए। दर्पण के सामने छात्र को खड़ा कर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। इससे वह देख सकेगा कि कौन-सी ध्वनि किस अवयव अथवा अवयवों की सहायता से उत्पन्न होती है। इस प्रकार छात्रों के दोषपूर्ण उच्चारण को सुधारा जा सकता है।

3. ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर तथा लिंग्वाफोन का प्रयोग करना—ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन के शुद्ध उच्चारण वाले रिकार्ड को बार-बार सुनाकर छात्रों के उच्चारण को सुधारा जा सकता है। टेपरिकॉर्डर द्वारा शुद्ध उच्चारण को सुनाया ज़ाए, जिससे उनके उच्चारणगत दोष सामने आ जाएं और वे उन्हें स्वंतः सुधार सकें।

4. सभी विषयों के शिक्षकों की पूर्णता ज्ञान—उच्चारणगत दोष को मात्र भाषा-शिक्षक ही दूर नहीं कर सकता। इसके लिए तो विद्यालय के सभी विषय-शिक्षकों का समवेत प्रयत्न आवश्यक है। सभी विषय शिक्षक शुद्ध उच्चारण स्वयं करें तथा छात्रों को भी वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

5. प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण अभ्यास—उच्चारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बचपन से ही प्रारंभ करना उपयोगी होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में यदि बच्चे को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास डाला जाए तो आगे चलकर यह समस्या रहे ही नहीं।

6. अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना—शिक्षण-प्रक्रिया में सर्वप्रथम स्थान अध्यापक का है अतः छात्रों के समक्ष अध्यापक का उच्चारण शुद्ध एवं मानक है। इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव छात्रों के उच्चारण पर पड़ेगा। छात्र अध्यापक का अनुसरण कर शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे तथा अपने दोष को सुधार सकेंगे।

7. छात्रों द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास—छात्रों को शुरू ही से शुद्ध और अच्छा बोलने का अवसर दिया जाये। यह अवसर विद्यालय में वार्तालाप, वाद-विवाद के माध्यम से दिया जा सकता है। घर पर भी अनुकूल वातावरण मिले तो वह बड़ा उपयोगी होता है। शुद्ध उच्चारण करने का स्वतः अभ्यास हो जाता है।

8. अनुकूलित वातावरण—कक्षा तथा विद्यालय का परिवेश शुद्ध उच्चारण के अनुकूल रखा जाए। शिक्षक तथा विद्यालय-प्रधान इस दिशा में काफी प्रशक्त कदम उठा सकते हैं। छात्रों को कक्षा तथा कक्षा से बाहर किसी अवसर विशेष पर शुद्ध बोलने के लिए उत्साहित किया जाए। इससे उन्हें उच्चारणगत दोष को सुधारने का अवसर प्राप्त होगा। संवाद एवं पारस्परिक संभाषण इस दिशा में अधिक उपयोगी होते हैं।

9. शारीरिक चिकित्सा—यदि किसी छात्र के उच्चारण-अवयवों में जन्मजात-विकार हो तो उसकी समुचित चिकित्सा कराई जाए। चिकित्सा के बाद उच्चारण में अपेक्षित सुधार होते देखा गया है।

10. पुस्तक के शुद्ध पाठ पर बल देना—शिक्षक आदर्श पाठ में शुद्ध उच्चारण करें तथा छात्रों द्वारा अनुकरण पाठ कराते समय उसका ध्यान रखें। अन्य छात्रों द्वारा अशुद्धियों को दूर करवाएं तथा स्वयं भी सहयोग करें।

11. वैयक्तिक एवं सामूहिक आवृत्ति—अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध कराने के लिए वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों विधियों से आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति कराना लाभदायक होता है। उच्चारण का शुद्ध रूप छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। फिर एक-एक से वैयक्तिक रूप में उसका शुद्ध उच्चारण करवाया जाए। अंत में सामूहिक रूप से उसकी आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति कराई जाए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

10

वर्तनी-शिक्षण

वर्तनी का महत्त्व

शब्दों का निर्माण वर्णो के मदद व सहयोग से होता है। शब्द-विशेष का निर्माण करने वाले अक्षर ही उस शब्द की वर्तनी है। वस्तुतः भाषा में वर्तनी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भाषा की शुद्धता का आधार वर्तनी है। विशेषकर लिखित भाषा में तो इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। वर्तनी की अशुद्धता भाषा के सुन्दर तन को अतिशय कुरूप कर देती है। वर्तनी की अशुद्धता के कारण हमारा उच्चारण भी दोषपूर्ण हो जाता है। अशुद्ध वर्तनी भाषा को विकृत तथा भ्रांतिपूर्ण बना देती है। वर्तनी तथा उच्चारण अन्योन्याश्रित हैं। वर्तनी की अशुद्धता के फलस्वरूप हास्यास्पद रूप से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यथा–'दिन' को 'दीन' बना देते हैं, 'सामान' को समान' कर देते हैं, 'चूड़' को 'चूर' कर देते हैं, 'साख' को 'शाख' पर लटका देते हैं तथा 'नीड़' को 'नीर' में डुबा देते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकार के अनर्थ भी वर्तनी की अशुद्धता के कारण होते हैं। अतः शुद्ध वर्तनी अर्थ को अपेक्षित दिशा प्रदान करती है। भाषा-शिक्षण में वर्तनी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

वर्तनी की अशुद्धियों के कारण

1. शिक्षक की अनभिज्ञता एवं असावधानी–कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं ही शुद्ध बोलना व लिखना नहीं आता। ऐसी स्थिति में वे बच्चों को क्या शुद्ध लिखना व बोलना सिखलायेंगे। परिणामस्वरूप छात्रों की वर्तनी का अशुद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

2. असावधानी—वर्तनी की अशुद्धियों का एक प्रमुख कारण असावधानी भी है। शीघ्रता से लिखते समय अक्षर तथा आकारादि चिह्न छूट जाते हैं। लिखते समय एकाग्रता की कमी से भी ऐसा होता है। स्पष्ट है कि शीघ्रता तथा असावधानी के कारण वर्तनी संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं।

3. अन्य भाषाओं का प्रभाव—हिन्दी जैसी बोली जाती है, वैसी लिखी भी जाती है। क्योंकि हिन्दी भाषा के उच्चारण लिपि बहुत वैज्ञानिक है। अतः उच्चारण का प्रभाव वर्तनी पर पड़ता है। उर्दू, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रभाव से हमारे उच्चारण में दोष आता है तथा दोषपूर्ण उच्चारण के कारण वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। यथा—उर्दू के प्रभाव में कुछ लोग 'प्रताप' तथा 'ब्राह्मण' को क्रमशः 'परताप' तथा 'बरहमन' बोलते एवं लिखते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के प्रभाव में 'मित्र' तथा 'अशोक' को क्रमशः 'मित्रा' तथा 'अशोका' बोलते तथा लिखते हैं।

4. चंद्रबिंदु तथा अनुस्वार का संबंध—प्रारंभ में बच्चों को चंद्रबिंदु (ँ) तथा अनुस्वार (ं) में स्पष्ट अंतर नहीं ज्ञात होता। अतः वे एक के साथ दूसरे का प्रयोग कर देते हैं। अक्सर वे 'हँसी' को 'हंसी', 'मुँह' को 'मुंह', 'बाँस' को 'बांस' तथा 'संस्कृति' को 'संस्कृति' लिख डालते हैं। ऐसी अशुद्धियां कई वयस्क भी करते देखे जाते हैं।

5. मानक उच्चारण का अभाव—हिंदी में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग उच्चारण चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उच्चारण पूर्वी उत्तर प्रदेश से भिन्न है। बिहार का उत्तर प्रदेश के उच्चारण से भिन्न है। इसी प्रकार हिंदी भाषा-भाषियों में ही अनेक उच्चारण हैं। एक मानक का उच्चारण का अभाव है। फलस्वरूप वर्तनी में भी अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है।

6. अशुद्ध उच्चारण—हिंदी की ध्वनि-योजना अत्यधिक वैज्ञानिक है। इस भाषा को जैसा बोलते हैं, वैसा लिखते भी हैं। हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। यही कारण है कि उच्चारण की अशुद्धि होते ही वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। उच्चारण-दोष के कारण 'बिमार', 'कबि', 'इक्षा', 'परीच्छा', 'दीन' तथा 'लिपी' हो जाती है। स्पष्ट है कि ये अशुद्धियां उच्चारण-दोष के कारण ही होती हैं।

7. लिपि का अर्पूण ज्ञान—लिपि के समुचित एवं पूर्ण ज्ञान के बिना शुद्ध लिखना सर्वथा असंभव है। लिपि के सांगोपांग ज्ञान के अभाव में संयुक्ताक्षर को लिखने में भी अशुद्धियां होती हैं। यथा—लिपि के अधूरे ज्ञान के कारण

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

निम्नांकित वर्तनी की अशुद्धियां सर्वविदित हैं—'आकाश' को 'आकास', 'देश' को 'देस', 'वर्षा' को 'बरसा', 'आशीर्वाद' को 'आर्शीवाद' तथा 'क्रिया' को 'कृया' लिखना।

8. अनुस्वार तथा अनुनासिक का भ्रम—अनुनासिक तथा अनुस्वार के अंतर को स्पष्ट रूप से न समझने के कारण भी वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। यही कारण है कि हम 'अहिंसा', 'संसद' तथा 'संसार' को क्रमशः 'अहिंन्सा', 'सन्सद' तथा 'सन्सार' के रूप में लिखा हुआ पाते हैं।

9. क्षेत्रीय प्रभाव—क्षेत्रीयता का प्रभाव हमारे उच्चारण पर पड़ता है और फलस्वरूप वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। पंजाब में 'राजेन्द्र' को 'राजिन्दर', 'प्रताप' को 'परताप', 'स्टेशन' को 'सटेशन' तथा 'पर्वत' को 'परवत' लिखते हैं। इसी प्रकार बंगला के प्रभाव में कई दीर्घ इकारान्त शब्द भी ह्रस्व इकारान्त रूप में बोले तथा लिखे जाते हैं।

वर्तनी का शिक्षण

1. लिपि का स्पष्ट ज्ञान—छात्रों को लिपि तथा मात्राओं का पूर्ण तथा स्पष्ट ज्ञान दिया जाए। ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, रेफ, संयुक्ताक्षर, अनुस्वार, चंद्रबिन्दु आदि के शुद्ध प्रयोग से उन्हें पूर्ण परिचित कराया जाए। लिख़ना सिखाते समय लिपि का स्पष्ट ज्ञान करा देना वर्तनी को शुद्धता प्रदान करता है।

2. शब्दकोश का प्रयोग—वर्तनी को शुद्ध करने की दिशा में शब्दकोश का उपयोग भी बड़ा लाभदायक होता है। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षक छात्रों को शब्दकोश उपयोग करने की ओर प्रोत्साहित करता है। वस्तुतः जहां भी कठिन शब्दों के अर्थ जानना हो, अथवा उनकी वर्तनी में संदेह हो—छात्र वहां शब्दकोश की सहायता लें। इस प्रकार की आदत शिक्षक डाल सकता है। इससे यह लाभ होगा कि छात्र स्वयं ही शब्दों की सही वर्तनी ढूंढ़ और जान सकेंगे।

3. शब्द-संग्रह—शिक्षक छात्रों को ऐसे शब्दों को संगृहीत करने को प्रोत्साहित करें जिनकी वर्तनी में साधारणतः लोग अशुद्धियां किया करते हैं। इससे यह लाभ होगा कि छात्रों को वैसी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का ज्ञान हो जाएगा जिन्हें लोग सामान्यतः करते हैं, साथ ही उन शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा।

4. अभ्यास—कठिन तथा जटिल वर्तनीवाले शब्दों को छात्रों द्वारा बार-बार लिखवाकर अभ्यास करना लाभकारी होगा। इस प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण करते हुए बार-बार लिखने का अभ्यास कराना चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

5. प्रतिलिपि करना—किसी पुस्तक अथवा पत्रिका के किसी अंश को ध्यानपूर्वक देखकर अपनी कॉपी पर लिखना ही प्रतिलिपि है। ध्यानपूर्वक देखकर लिखने से स्पष्ट ही वर्तनी की शिक्षा मिलती है। इस क्रिया को शिक्षक की देखरेख में करने से अधिक लाभ होता है। आगे चलकर छात्र स्वयं ही यह कार्य संपादित कर सकते हैं। लंबी अवधि तक इस कार्य को चलाने से निश्चित रूप से वर्तनी की शुद्धता आती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिलिपि वर्तनी-शिक्षण का एक प्रभावकारी साधन है।

6. वैयक्तिक कठिनाइयों को दूर करना—कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी-संबंधी कठिनाइयां है। कोई 'ब' को पेट नहीं काटता और उसे 'व' ही लिखता है। कोई 'ड़' के स्थान पर 'र; लिखता है। कोई-कोई ऐसा भी छात्र है जो 'स' के स्थान हमेशा 'श' लिखता है। इस प्रकार की अशुद्धियां निश्चित रूप से वैयक्तिक हैं। इनके पीछे कोई-न-कोई मनोवैज्ञानिक अथवा आदत संबंधी कारण काम करते हैं। इन्हें दूर करने के लिए शिक्षक को सहानुभूति, स्नेह तथा सहृदयता से काम लेना चाहिए। धैर्य और लगातार परिश्रम से इस दिशा में सफलता संभव है।

7. बाह्य उपादानों का प्रयोग—विभिन्न प्रकार के शब्द चार्ट तथा अक्षर-लेखन संबंधी चित्रादि का उपयोग भी इस दिशा में लाभदायक होता है। लिंग्वाफोन रिकॉर्ड से शुद्ध उच्चारण सुनवाकर छात्रों की वर्तनी को शुद्ध किया जा सकता है।

8. शुद्ध उच्चारण का शिक्षण—हम जानते हैं कि हिंदी का ध्वनि-विधान बहुत वैज्ञानिक है। इस भाषा को जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते भी हैं। स्पष्ट है कि उच्चारण की शुद्धता पर ही वर्तनी की शुद्धता निर्भर है। अतः सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के उच्चारण को ही शुद्ध करे। इससे वर्तनी की शुद्धता आप-से-आप आ जाएगी।

9. पाठन का उपयुक्त अवसर—बच्चों को पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को पढ़ने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। इससे वे शब्दों की शुद्ध वर्तनी से पूर्ण रूप से परिचित हो सकेंगे। शिक्षक छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने को उत्प्रेरित करे।

10. सामान्य अशुद्धियों का वर्गीकरण अशुद्धियों का वर्गीकरण—प्रभावकारी अध्यापक छात्रों के द्वारा की जानेवाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को एकत्र करता है तथा बाद में उनका वर्गीकरण करता है। उच्चारण की अशुद्धियां तथा लिपि की अशुद्धियां अलग-अलग वर्गों में रखी जा सकती हैं। फिर शिक्षक उन्हें शल्लि-पट्ट पर अंकित करे तथा छात्रों को इनसे बचने का मार्ग बताए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

11. श्रुत-लेख—श्रुत लेख में शिक्षक बोलता या सस्वर पढ़ता जाता है तथा छात्र सुनकर लिखते जाते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र द्वारा सुनना तथा लिखना दो कार्य साथ-साथ होते चलते हैं। शिक्षक जब बोल या पढ़ चुकता है तब छात्रों के लिखे हुए अंश को देखता तथा शुद्ध करता है। छात्रों के सम्मुख उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को स्पष्ट करता है। इससे छात्र सावधान होते हैं तथा भविष्य में इस प्रकार की अशुद्धि नहीं करते।

12. लिखित कार्य का संशोधन—शिक्षक छात्रों को कहानी, निबंध आदि लिखने का काम देते हैं। वर्तनी की शुद्धता लाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके लिखित कार्यों का उत्साहपूर्वक संशोधन करें तथा सहानुभूतिपूर्वक छात्रों से अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रेरित करें।

सब मिलाकर शिक्षक का योग्य, प्रशिक्षित, विषय का अधिकारी तथा शुद्ध उच्चारण करनेवाला होना चाहिए। इसके बिना सारी शिक्षण-विधियां प्रभावहीन तथा अर्थहीन हो जाती हैं। छात्र को भी पूर्ण मनोयोग से इसे ग्रहण करना चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

11

व्याकरण-शिक्षण

यह सर्वविदित है कि सामाजिक मानव के पारस्परिक विचार-विनिमय का माध्यम भाषा है। यह भाषा भी अलग-अलग राज्यों अथवा क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती है। भाषाओं की अपनी-अपनी रीति होती है। उनके माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करने के निश्चित नियम होते हैं। शब्द प्रयोग, वाक्य-रचना आदि की कुछ विशेष सीमाएं होती हैं। इन्हीं नियमों तथा सीमाओं में भाषाएं विकसित होती रहती हैं। भाषा संबंधी ये नियम ही तो सम्मिलित रूप में व्याकरण कहलाते हैं। वस्तुतः भाषा का विकास पहले हुआ और बाद में उसकी प्रकृति का निरीक्षण कर व्याकरण का निर्माण हुआ।

व्याकरण वैसा शास्त्र है जो भाषा से सम्बद्ध नियमों का ज्ञान प्रदान करता है। किसी भाषा की संरचना का सिद्धान्त अथवा नियम ही उसका व्याकरण है। भाषा यदि साध्य है जो व्याकरण उसका साधन है। पतंजलि मुनि ने अपने 'महाभाष्य' में व्याकरण को 'शब्दानुसासन' कहा है। अर्थात् शब्दों पर अनुशासन रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है।

अंग्रेजी विद्वान् डॉ. स्वीट ने व्याकरण को 'भाषा का व्यावहारिक' कहा है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा से सम्बन्धित नियमों का ज्ञान कराता है। किसी भाषा की संरचना का सिद्धान्त अथवा नियम ही उसका व्याकरण है। भाषा यदि साध्य है तो व्याकरण उसका साधन है। पतंजलि मुनि ने अपने 'महाभाष्य' में व्याकरण को 'शब्दानुशासन' कहा है। अर्थात् शब्दों पर अनुशासन रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अंग्रेजी विद्वान् डॉ. स्वीट ने व्याकरण को 'भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण' कहा है। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो यह बताता है कि किसी वाक्य में कौन-सा शब्द कहां रहना चाहिए। व्याकरण भाषा के सर्वमान्य रूप का संरक्षण करता है। परन्तु फिर भी भाषा व्याकरण के नियमों से इधर-उधर हट ही जाती है। इस परिवर्तित भाषा के लिए व्याकरण सम्बन्धी उपनियमों का निर्माण किया जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले किसी भाषा का विकास हुआ और फिर उसका व्याकरण बना। अतः भाषा में परिवर्तन एवं विकास के साथ-साथ उसका व्याकरण भी परिवर्तित एवं विकसित होता रहता है।

हिन्दी-शिक्षण में व्याकरण-शिक्षण का महत्त्व—व्याकरण भाषा का सहचार है। भाषा रूपी भवन की रचना शब्द रूपी ईंट और व्याकरण रूपी सीमेंट के समुचित योग से ही सम्भव है। भाषा में वाक्य, वाक्य में शब्द तथा शब्द में वर्णों की स्थिति का निर्धारण व्याकरण की सहायता से ही होता है। व्याकरण की सहायता से ही हम वर्ण-रचना, शब्द-रचना, वाक्य-रचना तथा भाषा-व्यवस्था सम्बन्धी अन्य नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैसे तो अनुकरण द्वारा बालक-बोलचाल की भाषा को सीख लेता है, उसके लिए उसे व्याकरण सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ समय उपरान्त विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति के लिए उसे भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करना होता है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शब्दावली, वाक्य-रचना, विराम-चिह्नों का उचित प्रयोग आदि की आवश्यकता होती है। इन सबके ज्ञान के लिए व्याकरण का अध्ययन अनिवार्य होता है।

व्याकरण का भाषा निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह भाषा को अव्यवस्थित और उच्छृंखल होने से बचाता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसे विकृतियों से बचाने तथा प्रभावशाली रचना के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है।

व्याकरण में प्रवीण अध्यापक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करता है। व्याकरण-ज्ञान के कारण वह छात्रों की भाषा सम्बन्धी त्रुटियों को पूर्ण विश्वास के साथ दूर करता है क्योंकि भाषा की अशुद्धियों को व्याकरण के बिना दूर नहीं किया जा सकता है। व्याकरण का ज्ञान केवल अपनी मातृभाषा ही नहीं वरन् अन्य भाषाओं को सीखने में भी सहायक सिद्ध होता है। प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनि-विचार, शब्द-विचार एवं अर्थ-विचार होता है। इसके बिना भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनका ज्ञान व्याकरण की सहायता से ही होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अतः हिन्दी भाषा के पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर व्याकरण का शिक्षण किसी न किसी रूप में आवश्यक ही है।

व्याकरण-शिक्षण पर विद्वानों का मत—व्याकरण-शिक्षण के महत्त्व और उपयोगिता के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है।

कुछ विद्वानों के अनुसार भाषा की शिक्षा का प्रारम्भ ही उसके व्याकरण की शिक्षा से किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि व्याकरण-ज्ञान के बिना भाषा का प्रयोग करना असम्भव है। भाषा में बोलने व लिखने की शुद्धता व्याकरण-ज्ञान के बिना आ ही नहीं सकती। बिना व्याकरण के किसी का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो ही नहीं सकता। ये विद्वान् व्याकरण को साधन न मानकर साध्य मानते हैं।

परन्तु कुछ विद्वान् इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, उसके लिए व्याकरण के नियमों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका कहना है कि व्याकरण एक नीरस विषय है, बच्चे बिना सोचे-समझे व्याकरण के नियमों को रट लेते हैं, उनका व्यावहारिक प्रयोग उनकी बुद्धि से परे होता है। अतः व्याकरण के नियमों की शिक्षा देना बच्चों के समय को बरबाद करता है।

व्याकरण-शिक्षण के विषय में उपर्युक्त दोनों मत एकांगी हैं। प्रथम मत के अनुसार यदि हम भाषा को व्याकरण के नियमों में बांध देंगे तो भाषा का विकास रुक जाएगा। व्याकरण भाषा को सुव्यवस्थित रखता है अतः वह भाषा के शुद्ध रूप को बनाए रखने में एक साधन का कार्य करता है, परन्तु यदि हम उसे साधन न मानकर साध्य मान लेंगे तो भाषा-शिक्षण महत्त्वहीन हो जाएगा। भाषा शिक्षण में व्याकरण अनिवार्य है।

दूसरी तरफ यदि दूसरे मत को माना जाए तो व्याकरण में नियमों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया जाएगा। यदि व्याकरण सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया तो भाषा का न कोई सर्वमान्य रूप होगा, न उस पर कोई नियन्त्रण होगा। उसका स्वरूप विकृत हो जाएगा और तब अर्थ और भाव को समझना मुश्किल हो जाएगा। अतः व्याकरण-शिक्षण के विषय में हम एक तीसरे मत का प्रतिपादन कर सकते हैं जिसके अनुसार व्याकरण को साध्य न मानकर साधन माना जाए। हमारा उद्देश्य तो बच्चों को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने के लिए हम जिन साधनों एवं क्रियाओं की सहायता लेते हैं उनमें से एक साधन व्याकरण भी है। भाषा-शिक्षण

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
में व्याकरण के नियमों को रटवाने की बजाय उसके व्यावहारिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। भाषा-ज्ञान एवं प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाए। वैसे तो बच्चा अनुकरण द्वारा ही भाषा के शुद्ध प्रयोग से परिचित होने लगता है, किन्तु इस शुद्ध प्रयोग को पुष्ट एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा-शिक्षण में व्याकरण की शिक्षा अनिवार्य है, परन्तु व्याकरण इस ढंग से पढ़ाया जाए जिससे वह शिक्षक की सहायक मात्र हो।

व्याकरण-शिक्षण के उद्देश्य

व्याकरण भाषा की अनुगामिनी है। भाषा के विवेचन के आधार पर ही व्याकरण के नियम निर्धारित होते हैं, फिर व्याकरण के ये नियम ही भाषा के स्वरूप को अव्यवस्थित और विकृत होने से बचाते हैं तथा भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करते हैं। ये बालक को अपने विचार सर्वमान्य भाषा में प्रकट करने के योग्य बनाते हैं। पं. लज्जाशंकर झा का मत है कि "भाषा के शुद्ध रूप को समझने और पहचानने में समर्थ बनाना ही व्याकरण-शिक्षण का उद्देश्य है।" इस दृष्टि से व्याकरण-शिक्षण के उद्देश्य को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है :

(i) छात्रों को शब्द, सूक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालकर, स्वराघात एवं बलाघात के अनुसार अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना।

(ii) छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के समय सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करने के योग्य बनाना।

(iii) छात्रों को लिखित अभिव्यक्ति के समय शुद्ध वर्तनी लिखने, शुद्ध वाक्य-रचना करने एवं विराम-चिह्नों का शुद्ध प्रयोग करने के योग्य बनाना।

(iv) छात्रों को ध्वनियों, ध्वनियों के सूक्ष्म अन्तर एवं उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराना।

(v) छात्रों को शब्द-योजना, शब्दों के शुद्ध रूप एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना।

(vi) छात्रों को वाक्य-रचना के नियम, विराम-चिह्न का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(vii) छात्रों की चिन्तन एवं तर्क शक्ति का विकास करना।
(viii) छात्रों में मानसिक अनुशासन स्थापित करना।
(xi) भाषा के व्याकरण-संगत रूप को सुरक्षित रखना।
(x) छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास करना।
(xi) छात्रों को भाषा के गुण-दोषों की परख करने के योग्य बनाना।
(xii) छात्रों की शुद्ध भाषा का प्रयोग करने व शुद्ध भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करना।
(xiii) छात्रों में शुद्ध भाषा के प्रति लगाव विकसित करना।

औपचारिक एवं अनौपचारिक व्याकरण-शिक्षण

भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। परिवार में पालन-पोषण होते समय बच्चा परिवार के सदस्यों की भाषा का सहज अनुकरण करके सुनना व बोलना सीखता है, फिर विद्यालय में प्रविष्ट होने पर अध्यापक के बोलने, पढ़ने व लिखने के ढंग का अनुकरण करता है और इस प्रकार अनुकरण करके भाषा-ज्ञान प्राप्त करता है। परन्तु बच्चे की भाषा त्रुटि-रहित है या नहीं इसका ज्ञान उसे नहीं होता है। बच्चे की भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे भाषा के सर्वमान्य रूप को सिखाना पड़ता है और भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए, उसके व्याकरण को जानना आवश्यक है। भाषा के प्रायः सभी विद्वान् इस बात से तो सहमत है कि बच्चे को भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराया जाए, परन्तु यह ज्ञान किस सीमा तक कराया जाए इस बारे में उनमें मतभेद है। इस मतभेद ने ही व्याकरण से सम्बन्धित दो रूपों को जन्म दिया है :

1. औपचारिक व्याकरण।
2. अनौपचारिक व्याकरण।

1. औपचारिक व्याकरण—जब मातृभाषा के बारे में शिक्षा दिया जाता है तो सबसे पहले व्याकरण के नियमों को सही ढंग से बच्चे को सिखाया जाता है। इसे व्याकरण का औपचारिक शिक्षण कहते हैं। इसमें व्याकरण की एक पाठ्य-पुस्तक भी होती है और विधिवत् ढंग से क्रमपूर्वक व्यकरण के नियमों, उपनियमों, उनके भेदों तथा उपभेदों का ज्ञान कराया जाता है।

औपचारिक व्याकरण का शिक्षण तभी प्रारम्भ करना चाहिए जब बच्चे का मातृभाषा पर कुछ ज्ञान हो जाए। उनका मानसिक व बौद्धिक विकास इतना हो जाए कि वे व्याकरण के अमूर्त नियमों को आसानी से समझ सकें। अतः

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

औपचारिक व्याकरण की शिक्षा कक्षा छठी से पहले नहीं देनी चाहिए। परन्तु बच्चों के मानसिक स्तर एवं भाषा-ज्ञान के आधार पर ही किसी भी कक्षा के लिए व्याकरण के पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। इस प्रकार माध्यमिक स्तर से ही औपचारिक व्याकरण की क्रमबद्ध शिक्षा प्रारम्भ होनी चाहिए।

2. अनौपचारिक व्याकरण—यह तो सभी जानते हैं कि बच्चा भाषा अनुकरण से सीखता है और हमारा उद्देश्य भी बच्चों को भाषा का ज्ञान कराना है, उनमें भाषाई कौशलों को विकसित करना है, उन्हें भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाना है। व्याकरण भाषा के इसी शुद्ध रूप की रक्षा करती है। यदि बालक व्याकरण के नियमों की जानकारी के बिना ही भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सीख जाता है तो व्याकरण के नियमों की क्या आवश्यकता? विद्वानों का मत है कि व्याकरण का शिक्षण व्यावहारिक या प्रयोगात्मक रूप में ही करना चाहिए अर्थात् बच्चों को अनुकरण कराने के लिए परिवार के सदस्यों व अध्यापकों आदि को उनके सामने सर्वमान्य एवं व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रायोगिक रूप से जितना भी हो सके, व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा देने का कोशिश किया जाए।

इस प्रकार व्याकरण के नियमों की विधिवत् शिक्षा दिए बिना भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना ही अनौपचारिक व्याकरण-शिक्षण है। जब तक बच्चे का भाषा पर काफी अधिकार नहीं होता और उनका मानसिक व बौद्धिक विकास भी पूरी तरह नहीं होता तब तक बच्चे को बिना नियम बताए ही अनौपचारिक रूप से व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाना है और इस उद्देश्य की पूर्ति अभ्यास द्वारा अच्छी प्रकार से की जा सकती है। व्याकरण का निर्माण होने से पहले भाषा का विकास हुआ है। लार्ड मैकाले ने कहा था—"मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पण्डित हो सकता है जिसे उसने पहले और जिसका व्याकरण उसके वाद सीखा हो।"

माध्यमिक स्तर पर व्याकरण-सीखने की विधियां

व्याकरण की शिक्षा देते समय अध्यापक को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर व्याकरण-शिक्षण एक-सा नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर बालक अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। छोटे-छोटे बच्चे व्याकरण के नीरस नियमों को नहीं सीख सकते। अतः प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के नियम बताए बिना अभ्यास के द्वारा बच्चों की भाषा सम्बन्धी त्रुटियों को दूर कराया जाए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

निम्न माध्यमिक स्तर पर बच्चे का भाषा पर पर्याप्त अधिकार हो जाता है। उनका बौद्धिक, मानसिक व सामाजिक विकास भी इतना हो जाता है कि वे सरल नियमों को सीख सकते हैं। अतः इस स्तर पर व्याकरण में सरल नियमों की जानकारी बच्चों को करानी चाहिए। अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस स्तर पर बच्चे का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के भेदों-उपभेदों आदि को समझ सकें। अतः इस स्तर पर इन नियमों के भेदों को नहीं पढ़ाना चाहिए। कक्षा 7 एवं 8 में इनके भेदों को पढ़ाया जाना चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर आते-आते बच्चों का मानसिक विकास पूरी तरह से हो जाता है। संश्लेषण एवं विश्लेषण करने के योग्य हो जाते हैं। अतः इस स्तर पर पूर्व कक्षाओं में पढ़ाए गए व्याकरण के नियमों का अधिक से अधिक अभ्यास कराने के साथ, नियमित अर्थात औपचारिक व्याकरण का ज्ञान पूरी तरह से कराना चाहिए। इस समय छात्र यह समझ सकते हैं कि उनके बोलने एवं लिखने के कुछ नियम होते हैं जो उनकी अभिव्यक्ति की शुद्धता की परख करते हैं। वे समझ सकेंगे कि उनकी भाषा शुद्ध है या नहीं। अतः इस स्तर पर किसी उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से बच्चों को व्याकरण के नियमों की विधिवत् जानकारी देनी चाहिए। व्याकरण-शिक्षण के लिए निम्न प्रणालियां प्रयोग में लाई जाती हैं–

1. निगमन प्रणाली–इस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम बताता है फिर उसके उदाहरण देकर नियम को स्पष्ट करता है। बच्चे इन नियमों को बिना सोचे-समझे रट लेते हैं। अधिकांश विद्वान् इस प्रणाली को मनोवैज्ञानिक मानते हैं क्योंकि यह प्रणाली शिक्षण-सूत्रों के विपरीत चलती है। 'ज्ञात से अज्ञात की ओर' के स्थान पर यह प्रणाली 'अज्ञात से ज्ञात की ओर' जाती है। 'उदाहरण से नियम की ओर' के स्थान पर 'नियम से उदाहरण की ओर' जाती है।

2. आगमन प्रणाली–यह प्रणाली निगमन विधि की उल्टी है। इसमें पहले छात्रों के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं फिर उन उदाहरणों का विश्लेषण कर, उनकी सहायता से छात्रों से नियम निकलवाए जाते हैं। फिर पुनः उदाहरण प्रस्तुत कर नियम का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार इस प्रणाली के चार उपनियम हैं –

(i) उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, (ii) उदाहरणों का विश्लेषण, (iii) नियमीकरण, और (iv) परीक्षण।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक है। इसमें सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर आदि शिक्षण-सूत्रों का पालन होता है। इस प्रणाली में छात्र अपने अनुभव के आधार पर व्याकरण के नियमों को सीखते हैं अतः ये नियम छात्रों के मानस-पटल पर अंकित हो जाते हैं। नियम सीखने में आरम्भ से अन्त तक छात्रों की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है। इसमें छात्रों को निरीक्षण, चिन्तन एवं सामान्ईकरण करने का अवसर मिलता है। जिससे उनका मानसिक विकास भी होता है। अतः सभी स्तरों पर व्याकरण की शिक्षा के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है।

यह प्रणाली दो रूपों में देखने को मिलती है–

(i) सूत्र प्रणाली, (ii) पुस्तक प्रणाली।

(i) **सूत्र प्रणाली**–यह प्रणाली विशेष रूप से संस्कृत भाषा में उपयोग की जाती है। इसमें व्याकरण के नियम सूत्र में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। छात्र इन सूत्रों को बिना सोचे-समझे रट लेते हैं। आजकल हिन्दी-शिक्षण में इसका प्रयोग न के बराबर है। अमनोवैज्ञानिक, नीरस तथा अरुचिकर प्रणाली होने के कारण इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

(ii) **किताब प्रणाली**–यह प्रणाली भी सूत्र प्रणाली का ही परिवर्तित रूप है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराने के लिए पुस्तकें होती हैं। पुस्तक में एक-एक अध्याय में एक-एक नियम, उसके उदाहरण तथा अभ्यास के लिए प्रश्न दिए होते हैं।

छात्रों को नियमों का अभ्यास कराने की दृष्टि से पुस्तक सहायक का कार्य करती है और परीक्षा की तैयारी करने में भी बच्चों की सहायता करती है। परन्तु यह प्रणाली भी अमनोवैज्ञानिक एवं अरुचिकर है। छात्रों को निरीक्षण, चिन्तन और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता है। यह शिक्षण-सूत्रों के भी प्रतिकूल है। अतः इस विधि से छात्रों को व्याकरण का ज्ञान कराने से उनकी शक्ति व समय का दुरुपयोग ही होता है। इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों को सीखने के बाद भी बच्चे इनका प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं।

3. प्रयोग या विश्लेषण-प्रणाली–इस प्रणाली में उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इसीलिए इसे प्रयोग या विश्लेषण विधि कहा जाता है। इस प्रणाली में व्याकरण-शिक्षण की आगमन व निगमन दोनों विधियों का समन्वित रूप से प्रयोग किया जा सकता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सर्वप्रथम छात्रों के सम्मुख उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है फिर उनका विश्लेषण कर नियमीकरण कराया जाता है। यहां तक आगमन विधि का पालन होता है। नियमीकरण के उपरान्त नियम की पड़ताल करने के लिए पुनः कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और नियम का प्रयोग कराया जाता है। अर्थात् नियम से उदाहरण की ओर बढ़कर निगमन विधि का पालन किया जाता है।

इस प्रकार उदाहरण से नियम की ओर और फिर नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हुए व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रणाली से छात्र सक्रिय रहते हुए, सरस एवं रोचक ढंग से बिना रटे हुए व्याकरण के नियमों को सीखते हैं। अतः व्याकरण-शिक्षण की यही सर्वोत्तम विधि है।

4. भाषा संसर्ग प्रणाली—कुछ विद्वान् व्याकरण को नीरस व कठिन विषय मानते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को अलग से व्याकरण के नियमों की जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है। व्याकरण-शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना है। अतः इस प्रणाली के अनुसार बच्चों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाएं जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। बच्चों को ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करने का अवसर दिया जाए तो मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हों। इस प्रकार इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना, भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान कर छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान देने के लिए तो यह विधि उपयोगी है। परन्तु व्याकरण का तार्किक ज्ञान कराने के लिए अन्य विधियों की सहायता लेनी होगी। इस विधि में एक तो बच्चों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा और यदि होगा भी तो बहुत समय लगेगा। दूसरे व्याकरण के नियमों का व्यवस्थित ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। नियमों की जानकारी के अभाव में भाषा की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय लेना भी असम्भव ही है।

5. सामंजस्य प्रणाली—इस प्रणाली को सहयोग प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली में भाषा के अन्तर्गत मौखिक या लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पाठ्य-पुस्तक पढ़ाते समय या रचना-कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि की उपयोगिता इस बात में है कि एक तो व्याकरण के नियमों के उदाहरण अन्य स्थान से न लेकर पाठ्य-पुस्तक के पाठों से ही लिए जाते हैं, दूसरे व्याकरण की शिक्षा अलग कालांश में न देकर गद्य, रचना आदि पढ़ाते समय दे दी जाती है।

G.M. College of Education
Raipur, Bantalab
Jammu.

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh Funding by IKS-MoE-2025-Grant
Acc. No... 69855
Dated....30.11.06.......

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

व्याकरण की व्यावहारिक शिक्षा देने के लिए यह एक स्वाभाविक और रुचिकर विधि है परन्तु इससे व्याकरण की नियमित शिक्षा दी जा सकती है। इस विधि से व्याकरण की शिक्षा देने में व्याकरण के नियमों का तार्किक एवं व्यवस्थित ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इस विधि का एक दोष और भी है कि इसमें मूलपाठ से भटक जाने का भय बना रहता है। गद्य पाठ, रचना पाठ या मौखिक अभिव्यक्ति के समय व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराते समय ऐसा भी हो सकता है कि गद्य, रचना या मौखिक पाठ व्याकरण का पाठ बन जाए। व्याकरण के नियमों का विधिवत् ज्ञान कराने के पश्चात् अभ्यास के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है।

व्याकरण-शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के उपाय

व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप को शुद्ध बनाए रखता है। बच्चों को भाषा के सर्वमान्य रूप के प्रयोग का ज्ञान व्याकरण की सहायता से ही होता है। अतः बच्चों का भाषा पर पूर्ण अधिकार कराने की दृष्टि से उन्हें व्याकरण की शिक्षा देना आवश्यक है। परन्तु आजकल व्याकरण-शिक्षण की दशा अत्यन्त दयनीय है। बच्चे बिना सोचे-समझे व्याकरण के नियमों को केवल रट लेते हैं। भाषा के व्यावहारिक प्रयोग के समय उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। व्याकरण उन्हें नीरस व कठिन विषय लगता है। अतः बच्चों को व्याकरण की शिक्षा देने के लिए यह जरूरी है कि पहले व्याकरण-शिक्षण को रुचिकर बनाया जाए, इसके लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं—

(i) व्याकरण-शिक्षण को दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए।

(ii) व्याकरण के नियम निकलवाले के लिए जो उदाहरण दिए जाएं वे बच्चों के जीवन से सम्बन्धित हों और व्यवहारिक हो।

(iii) ज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, सरल से कठिन, उदाहरण से नियम, अनुभव से तर्क आदि शिक्षण-सूत्रों का पालन कर शिक्षण को सरस व प्रभावशाली बनाया जाए।

(iv) व्याकरण अपने आप में एक नीरस विषय है अतः कक्षा में परिस्थितियों व क्रियाओं में बदलाव लाते हुए व्याकरण की शिक्षा दी जाए जिससे छात्र ऊबें नहीं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(v) बच्चों को सिखाए गए नियमों का अभ्यास कराने के लिए रोचक एवं भिन्न-भिन्न प्रकार का अभ्यास कार्य कराया जाए। जैसे—वाक्य-निर्माण, रिक्त स्थान पूर्ति, वचन-परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संज्ञा-परिवर्तन, स्थान विशेष के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव, अशुद्ध शब्दों व वाक्यों को शुद्ध करना आदि।

(vi) छात्रों के अभ्यास कार्य को संशोधन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। उनकी अशुद्धियों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।

(vii) छात्रों के साथ अध्यापक का व्यवहार प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण हो।

(viii) छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की व्याकरण सम्बन्धी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।

(ix) व्याकरण-शिक्षण करने वाले अध्यापक को स्वयं व्याकरण के नियमों का पूर्ण व स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए तभी वह रोचक ढंग से व्याकरण की शिक्षा दे सकेगा।

(x) व्याकरण में कमजोर बच्चों को विशेष रूप से सहायता दी जाए। आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग न किया जाए।

(xi) प्रारम्भिक कक्षाओं में बच्चों को व्याकरण की व्यावहारिक शिक्षा दी जाए। व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि की सहायता से दी जाए।

(xii) छात्रों को भाषा का पर्याप्त ज्ञान होने के पश्चात् निम्न माध्यमिक स्तर पर आगमन विधि की सहायता से नियमित व्याकरण की शिक्षा दी जाए। समवाय विधि के द्वारा उन सीखे गए नियमों के अभ्यास का अवसर प्रदान किया जाए।

(xiii) व्याकरण का पाठ्यक्रम बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल बनाया जाए।

(xiv) पाठ्य-पुस्तकों में गद्य पाठों की रचना इस प्रकार से हो जिससे व्याकरण के नियमों को पाठ के साथ समन्वित करके पढ़ाया जा सके।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(xv) व्याकरण के नियमों को छात्रों से ही निकलवाया जाए, रटने की प्रवृत्ति की उपेक्षा की जाए।

(xvi) बच्चों के भाषा सम्बन्धी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उनके सामने सरल या उत्तरोत्तर कठिन रचनाएं प्रस्तुत की जाएं।

(xvii) गद्य पाठ या रचना पाठ के समय समवाय करते समय व्याकरण के नियमों पर उतना ही जोर दिया जाए जितना आवश्यक हो। शिक्षण करते समय मूल उद्देश्य से कहीं दूर न भटक जाएं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

12

गद्य शिक्षण

हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग को गद्य साहित्य की संज्ञा दी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस युग का जन्मदाता माना जाता है। साहित्य ही नहीं राजनीति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, धर्म, मनोविज्ञान सभी गद्य के माध्यम से जनमानस तक पहुंचते हैं। व्यक्ति अपने सामाजिक, राष्ट्रीय व्यक्तिगत तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यव्यापार गद्य के माध्यम से ही करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति भी मानव गद्य में ही करता है। गद्य के महत्त्व को देखते हुए प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर 'गद्य' क्या है? गद्य की उत्पत्ति 'गद्' धातु से हुई है जिसका अर्थ है—स्पष्ट कहना। जहां कविता में कवि भाव को स्पष्ट न कहकर व्यंजना तथा लक्षण से प्रकट करता है। वहीं गद्य में भावों को स्पष्ट व सरल रीति से प्रकट किया जाता है। इस प्रकार गद्य में कविता की तरह छंद, रस, लय, अलंकार का निर्वाह नहीं होता। कविता में कवि शब्दों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करता है जबकि गद्य में नहीं। गद्य में व्याकरणसम्मत भाषा की उपेक्षा की जाती है। आचार्य विश्वनाथ ने गद्य को परिभाषित करते हुए कहा है—''वृत्तगंधोज्झितं गद्यम्'' अर्थात् छंदों के बंधन से हीन रचना गद्य है। काव्यादर्श के आचार्य दण्डी ने गद्य के विषय में कहा है—अपादः पदसंतानो गद्यम्-सुवंत, तिङन्त पद समुदाय में गण-मात्रा आदि का न होना गद्य है।

अंग्रेजी में गद्य को Prose कहा जाता है Prose का अर्थ है—straight, Direct, from ordenary writing or speech language usage.

उपर्युक्त तथ्यों पर दृष्टिपात करने पर कहा जा सकता है कि स्पष्ट, अनलंकृत, छंदरहित भाषा में कही गई रचना गद्य है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

गद्य शिक्षण का महत्त्व—साहित्य के गद्य तथा पद्य दो रूप हैं। पद्य मानव की रागात्मक प्रवृत्तियों को परिमार्जित करता है तथा मानवीय जीवन मूल्यों की जानकारी कराता है। लेकिन गद्य को भी 'ज्ञानराशि का कोष' कहा जा सकता है। हमारे दैनिक कार्यव्यापारों को करने का माध्यम गद्य ही है। गद्य साहित्य ही ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति, सभ्यता को धरोहर के रूप में आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में गद्य अहं भूमिका निभाता है। बाणभट्ट ने इसीलिए कहा है—"गद्यं कवीनाम् निकषं वदन्ति।" गद्य भाषा को व्याकरण सम्मत परिमार्जित रूप में प्रयुक्त करना सिखाता है। गद्य की जानकारी के बिना हम कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी आदि अनेक साहित्यिक विधाओं की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम समाचारपत्र-पत्रिकाओं से जो भी ज्ञानविज्ञान की सामग्री प्राप्त करते हैं वह भी गद्य के माध्यम से ही संभव है। भाषाई तत्त्वों जैसे—उच्चारण, बलाघात, वर्तनी, शब्दभण्डार, संधि, समास, उपसर्ग-प्रत्यय, मुहावरे-लोकोक्तियों का ज्ञान गद्य के माध्यम से सहज रूप में हो जाता है। गद्य से ही मानव अपने विचारों को सरलता के साथ आदान प्रदान करता है और यह एक मनोरंजन का भी सरल साधन है। आज के युग में गद्य की प्रचुरता इसके महत्त्व को स्वयमेव दर्शाता है। भाषाई कौशलों की जानकारी व उनमें दक्षता गद्य से संभव है। गद्य साहित्य के अध्ययन से छात्रों में सद्गुणों व सद्प्रवृत्तियों का विकास होता है। ज्ञानार्जन व ज्ञानवृद्धि में भी गद्य सहायक होता है। गद्य साहित्य के अध्ययन से छात्रों का चहुंमुखी विकास होता है तथा वे जीवन के विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गद्य से छात्रों की साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होती है।

गद्य शिक्षण के उद्देश्य

1. विभिन्न गद्य शैलियों की जानकारी देना।
2. गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी देना।
3. कल्पना, विवेचना एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना।
4. साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
5. गद्य साहित्य के माध्यम से जीवन के विविध पक्षों की जानकारी कराना।
6. छात्रों को सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिकता की जानकारी कराना।
7. छात्रों में सद्गुणों एवं सद्प्रवृत्तियों का विकास करना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

8. क्रमबद्ध चिंतन के योग्य बनाना।

9. कल्पना शक्ति का विकास करना।

10. चिंतन-मनन व तार्किक शक्ति का विकास करना।

11. सृजनात्मक व मौलिक गुण का विकास करना।

12. शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना।

13. उचित गति, स्वर एवं उतार-चढ़ाव के अनुसार सस्वर वाचन करने के योग्य बनाना।

14. मौन वाचन का अभ्यास कराना।

15. स्वाध्याय का अभ्यास व रुचि उत्पन्न करना।

16. छात्रों के शब्द भण्डार में वृद्धि करना।

17. मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग का अभ्यास करवाना।

18. पढ़कर लिखित सामग्री का अर्थग्रहण करने के योग्य बनाना।

19. मानक वर्ण, शब्द या वर्णे के चिन्ह से अवगत कराना।

20. एकाग्रतापूर्वक पढ़ने की आदत का विकास करना।

21. लिखित रूप से भावाभिव्यक्ति के योग्य बनाना।

गद्य साहित्य को गहन (सूक्ष्म) एवं विस्तृत (स्थूल) अध्ययन दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है। गहन अध्ययन से तात्पर्य है पाठ्य-पुस्तक का ऐसा अध्ययन करना जिसमें विषयवस्तु का विस्तृत तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाए। इसमें कठिन शब्दों की व्याख्या, मुहावरे-लोकोक्तियों-सूक्तियों की व्याख्या, विचार एवं भावों की व्याख्या आदि की जाती है। कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, संस्मरण आदि विस्तृत अध्ययन के लिए होते हैं। इससे छात्रों को द्रुत पठन-गति का विकास होता है तथा विचारग्रहण की योग्यता का विकास होता है। इससे छात्रों के अन्दर साहित्य के प्रति लगाव पैदा होता है।

गद्य-शिक्षण के अंग

सूक्ष्म अध्ययन के लिए गद्य शिक्षण को तीन अंगों में बांटा जा सकता हैं—

1. वाचन, 2. व्याख्या, 3. विचार विश्लेषण।

1. वाचन—प्रारंभिक कक्षाओं में पठन कौशल का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इससे छात्रों का उच्चारण स्पष्ट व शुद्ध हो जाता है। पठल कौशल का विकास होता है जो आगे चलकर स्वाध्याय का रूप धारण कर लेता है। वाचन

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

को निम्न सोपानों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) आदर्श द्वारा आदर्श वाचन।

(ख) विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन।

(ग) छात्रों द्वारा चार्य वाचन।

(घ) छात्रों द्वारा व्यक्तिगत वाचन।

(क) अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन—वाचन की इस प्रक्रिया में सबसे पहले शिक्षक गद्य का एक अनुच्छेद का शुद्ध-शुद्ध वाचन करता है। इससे विद्यार्थी को निम्न तरीके से लाभ होता हैं—

1. छात्रों को पाठ्य सामग्री से परिचय हो जाता है।

2. कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने की प्रेरणा प्राप्त होती है।

3. पढ़ने की गति, विरामादि चिह्नों के अनुसार भावानुकूल वाचन की प्रेरणा मिलती है।

4. श्रवण कौशल का विकास होता है।

आदर्श वाचन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए विचार करें। सर्वप्रथम अध्यापक किन कक्षाओं तक विद्यार्थियों के सम्मुख आदर्श वाचन करे। प्राथमिक कक्षाओं तक तो आदर्श वाचन किया जाना चाहिए। कारण यह है कि छात्रों का श्रवण कौशल का विकास होता है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है तथा बच्चों को भावानुकूल वाचन का अभ्यास हो जाता है। गति, यति, तथा विरामादि चिह्नों के अनुसार पठन कौशल का अभ्यास होता है। प्राथमिक कक्षाओं में सभी पाठों का आदर्श वाचन होना चाहिए। संपूर्ण पाठ का ही आदर्श वाचन किया जाए या कुछ अंश का? यदि संपूर्ण पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा तो छात्रों की रुचि व एकाग्रता समाप्त हो जाती है। अतः पाठ के कुछ अंश का ही अध्यापक आदर्श वाचन करे तथा शेष छात्र व्यक्तिगत या मौन वाचन करें।

(ख) छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन—छात्रों द्वारा किया गया सस्वर वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। छात्रों के उच्चारण शुद्ध करने, वाचन में निपुणता लाने तथा पढ़कर भाव ग्रहण की योग्यता का विकास करने के उद्देश्य से अध्यापक छात्रों से अनुकरण वाचन करवाते हैं। जब विद्यार्थी अनुकरण वाचन कर रहा हो तो शिक्षक को चाहिये की बिल्कुल एकाग्र होकर सुने जिससे छात्रों की गलतियों को शुद्ध कर सके। जब छात्र वाचन करते समय अशुद्धियाँ कर रहा हो तो अध्यापक को चाहिये कि उस समय उसे न टोके अन्यथा उसका विश्वास भंग हो

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जाता है तथा उसकी एकाग्रता भी विच्छिन्न हो जाती है। पहली से तीसरी कक्षा तक अनुकरण वाचन ठीक रहता है।

(ग) छात्रों द्वारा मौन वाचन—मौन वाचन का अर्थ है मुख से बिना आवाज किए पढ़ना। यह वाचन उच्च स्तर का माना जाता है। इसमें वाचन की गति सस्वर वाचन की अपेक्षा दुगुनी हो जाती है। छात्रों को उसी विषयवस्तु का मौन वाचन करवाया जाना चाहिए। जिसको वे पढ़ चुके हों। तीसरी कक्षा या उससे ऊपर की कक्षाओं में छात्रों को मौन वाचन की आदत डालनी चाहिए। पाठ पढ़ाने के बाद मौन वाचन करवाया जाए या पहले इसके लिए यदि पठन सामग्री द्रुतपाठ के लिए है, भाव सरल है या पाठ पहले पढ़ा दिया गया हो तो मौन वाचन पहले भी करवाया जा सकता है। गहन अध्ययन के विषय पर मौन वाचन पाठ पढ़ाने से पहले करवाना समय नष्ट करना है। यदि पाठ पढ़ाने के पूर्व वाचन करते समय छात्रों ने पाठ्य बिंदु पर कोई धारणा बना ली हो तो उसका निराकरण कठिनाई से होता है।

(घ) छात्रों द्वारा व्यक्तिगत वाचन—अध्यापक जब कक्षा में एक-एक बच्चे को अनुच्छेद या पंक्तियों का सस्वर वाचन करने को कहता है तो व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। छात्र वाचन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक हो जाता है तथा वाचन के प्रति स्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है। प्रत्येक छात्रा को व्यक्तिगत वाचन का अवसर मिलना चाहिए। अशुद्ध उच्चरित शब्द का शुद्ध उच्चारण छात्र से अवश्य करवाया जाना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण के समय छात्र का उपहास न किया जाए अपितु उसके प्रति सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए। छात्रों को वाचन करने का अभ्यास घर पर भी दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत वाचन से अन्य बच्चों को श्रवण को अतिरिक्त रूप से सुनने का अवसर प्राप्त होता है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है तथा उनमें संकोच समाप्त हो जाता है।

2. व्याख्या—गद्यांश के वाचन के पश्चात् व्याख्या की जाती है। यदि वाचन गद्य का बाह्य पक्ष है तो व्याख्या उसका आंतरिक पक्ष। वाचन का अर्थ मात्र वर्ण, शब्दों को पहचानना मात्र नहीं है अपितु उनमें निहित भाव को समझना भी है। गद्य की व्याख्या करते समय निम्न पक्षों का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है—

(क) शब्दों की व्याख्या।

(ख) मुहावरे, लोकोक्तियों, वाक्यांशों व सूक्तियों की व्याख्या।

(ग) वाक्यों की व्याख्या।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

भाषा पुस्तक में शब्दावली उसका आवश्यक अंग है। प्रारंभिक कक्षाओं में यह शब्दावली सीमित होती है। लेकिन उच्च कक्षाओं में विस्तृत। गद्य का एकमात्र प्रमुख उद्देश्य छात्रों के शब्द भण्डार में वृद्धि करना है। अतः शब्द भण्डार में वृद्धि तभी होगी जब शब्दों की समुचित व्याख्या की जाए। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पाठ्य-पुस्तक में प्रयुक्त शब्दावली का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

1. शब्द की प्रकृति के आधार पर—शब्द की प्रकृति के आधार पर शब्दावली का विभाजन स्थूल भाव द्योतक, सूक्ष्म भाव द्योतक व ध्वन्यात्मक शब्दों के रूप में किया जा सकता है।

2. व्याकरणिक स्वरूप के आधार पर—कई शब्दों की व्याख्या छात्रों के लिए तब सहज हो जाती है जब उनको उन शब्दों की व्याकरणिक उत्पत्ति समझा दी जाए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण, लिंग-वचन, उपसर्ग-प्रत्यय, संधि-समास के द्वारा स्पष्टीकरण किया जाए।

3. भाषाई कौशलों के आधार पर—भाषाई कौशलों के आधार पर बच्चा शब्दावली के शब्दों को स्वयं सुनकर, पढ़कर, बोलकर व लिखकर उसकी स्पष्टता को समझने का प्रयास करता है। बच्चे के पास मौखिक शब्दावली तो अधिक होती है लेकिन उनकी अपेक्षा लिखित कम।

4. विकास के आधार पर—इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आते हैं। हिंदी में प्रयुक्त अनेक शब्दावली प्रयुक्त होती हैं जिनमें दिन-प्रतिदिन विदेशी भाषा के शब्द सम्मिलित होते जा रहे हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विधियों से यदि हम शब्दों की पहचान कर लेते हैं तो उनकी व्याख्या भी सहज व सरल हो जाती है। शब्दार्थ स्पष्ट कराने की निम्न विधियां हैं—

1. अभिनय द्वारा—कुछ शब्दों की संकल्पना कठिन होती है। जैसे—भाववाचक संज्ञा आदि की। उनके अर्थ का स्पष्टीकरण अध्यापक अभिनय या अंग संचालन द्वारा करता है। जैसे—नमस्ते, आशीर्वाद, घृणा आदि।

2. कहानी द्वारा—कुछ शब्दों का अर्थ पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक कहानियों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इन शब्दों के साथ ही कहानी जुड़ी होती है। जैसे—सत्यवादी, दानवीर, शहीद, देशभक्त, पितृभक्त आदि।

3. वाक्य प्रयोग द्वारा—कई बार बच्चे मात्र शब्द का अर्थ नहीं जानते लेकिन जब उसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो बच्चा प्रसंगानुकूल उसका अर्थ समझने लगता है। जैसे—प्रवृत्ति—उसकी अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

4. परिभाषा द्वारा—कुछ शब्द तकनीकी व परिभाषिक होते हैं। अतः जब तक उनका स्पष्टीकरण परिभाषा से न किया जाए वे स्पष्ट नहीं हो पाते। जैसे—खाड़ी। समुद्र का वह भाग तो तीन ओर पृथ्वी से घिरा हो।

5. अर्थविस्तार द्वारा—कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना आवश्यक हो जाता है जिससे मनुष्य उसको जल्दी समझ सके। जैसे—सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करके नमक कर का विरोध किया।

6. व्याकरण सम्मत विधि द्वारा—कुछ शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति, विलोम, उपसर्ग-प्रत्यय हटाकर, संधिविच्छेद तथा समास विग्रह करके स्पष्ट किया जाता है। इसी तरह काल, लिंग, वचन के आधार पर भी शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में छात्र शब्दों की बनावट व उत्पत्ति भी जान लेते हैं।

7. प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन या दृश्यविधान द्वारा—शब्दार्थ स्पष्ट कराने की इस विधि में शिक्षक शब्द से सम्बन्धित वस्तु को छात्र के सामने प्रस्तुत करता है। यह विधि बहुत ही वैज्ञानिक है क्योंकि—इसमें वस्तु को देखकर छात्र स्वयं उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसे 'जलज' का अर्थ बताने के लिए कमल के फूल का प्रदर्शन किया जा सकता है। इसी तरह कोई दृश्य उपस्थित किया जा सकता है। इसके साथ मॉडल, चित्र, रेखाचित्र, द्वारा भी शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

8. पर्यायवाची शब्द द्वारा—यदि छात्र किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते तथा उसके लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द को जानते हैं तो हमें उस शब्द का पर्यायवाची बताना चाहिए। जैसे—सलिल का अर्थ है—जल। पर्यायवाची शब्द सरल होना चाहिए न कि कठिन।

9. अनुवाद द्वारा—कुछ शब्द विदेशी भाषाओं के होने के कारण भी हिन्दी के साथ इस तरह मिल गये हैं कि बच्चे उसको हिन्दी के शब्दों के स्थान पर उनका अनुवाद कर बतलाने पर तुरन्त समझ जाते है। जैसे—'चिकित्सक' को हम डॉक्टर कहकर समझाएं तो बच्चे अधिक जल्दी समझ जाएंगे।

10. व्याख्या द्वारा—कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या किए बिना उनके अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं होता। इनके लिए प्रसंगानुसार विस्तृत व्याख्या करना आवश्यक है। जैसे—पार्थ, शहीद, विधा, नोबल पुरस्कार आदि।

अर्थ स्पष्ट करने के संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं जिन पर विचार आता है। उदाहरणार्थ, शब्द का अर्थ वाचन से पूर्व किया जाए, वाचन के समय या वाचन

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के बाद? कुछ शिक्षाविद् पाठ में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ वाचन से पूर्व बताने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इससे पाठ की सामग्री और भाव सरलता से ग्रहण हो जाते हैं। वास्तव में यह मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है क्योंकि शब्द का प्रसंगानुकूल अर्थ होता है। अतः प्रसंग के साथ जोड़े बिना शब्द का अर्थ उचित नहीं। कविता पढ़ाते समय तो कविता की व्याख्या करने से पहले प्रवचन विधि से अर्थ बताने में कोई हानि नहीं किंतु सारे पाठ के कठिन शब्द पहले नहीं बताने चाहिए।

कुछ शिक्षाविद् कठिन शब्दों का अर्थ वाचन के समय बतलाने के पक्षधर हैं। वाचन के समय अर्थ संदर्भानुकूल बताया जाता है तथा लेखक का भाव स्पष्ट हो जाता है। वाचन के समय अर्थ बताने में यह कठिनाई है कि बच्चे शब्द के अर्थ को ही मुख्य उद्देश्य मान लेते हैं तथा पाठ के संदेश को ग्रहण नहीं कर पाते। छोटी कक्षाओं में तो बच्चे शब्द के अर्थ को लिखने में अटक जाते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का कहना है कि वाचन के बाद शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। पढ़ने का लक्ष्य लेखक का संदेश ग्रहण करना है इसके लिए यह किया जाना चाहिए कि कठिन शब्द श्यामपट्ट पर अध्यापक लिख दें तथा वाचन के समय प्रसंगानुकूल अर्थ बता दें। बाद में उसका अर्थ श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए।

मुहावरे-लोकोक्तियों, वाक्यांशों तथा सूक्तियों की व्याख्या—मुहावरा मुख्यतः एक चमत्कारी वाक्य खण्ड होता है। जैसे अंक लगाना, आंख का कांटा होना आदि। लोकोक्ति सामान्यः एक चमत्कारपूर्ण वाक्य होता है। इसमें कोई प्रसिद्ध अनुभव या घटना निहित होती है। जैसे—घर का भेदी लंका ढावे, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी आदि। मुहावरे व लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग से अर्थ स्पष्ट करना सरल हो जाता है। इनके पीछे जो घटना, किंवदंती, या अनुभव हो उसे भी अध्यापक द्वारा अर्थ स्पष्ट किया जाना चाहिए। कुछ वाक्य आलंकारिक होते हैं। उनका स्पष्टीकरण भी अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे—चांदनी रात में ताजमहल को देखने का कुछ और ही मजा है।

सूक्तियों का अर्थ बताते हुए उसके कवि, श्लोककार के विषय में जानकारी होनी चाहिए तथा वह सूक्ति कहां से ली गई है, बच्चों को बता देना चाहिए। इसके साथ-साथ किस संदर्भ में कही गई है। इसका भी स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। यदि कोई वाक्य लाक्षणिक भाव डाला हो तो उसका स्पष्टीकरण भी किया जाना चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

वाक्यों की व्याख्या–वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। जब वाक्य मिश्रित या संयुक्त होगा तो उसे समझने में कठिनाई होती है। ऐसी अवस्था में वाक्य को खण्डों में विभाजित करके अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए–

(क) वाक्य को भावानुकूल पढ़ना। वाक्य को भावानुकूल पढ़ने पर उसके अंदर निहित हर्ष-शोक, भय, आशंका आदि के भाव स्पष्ट हो जाते हैं।

(ख) विरामादि चिह्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना।

(ग) वाक्य विच्छेद करके पढ़ना।

(घ) वाक्य में निहित अंतर्कथा को स्पष्ट करना।

विचारविश्लेषण–विद्यार्थियों में अर्थ ग्रहण करना व विचार की शक्ति को विकसित करना गद्य शिक्षण का एक अहम और बड़ा उद्देश्य है। अतः प्रश्नोत्तर, कहानी, व्याख्या आदि के द्वारा छात्रों को विचार करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। उदाहरण, दृष्टांत, तुलना आदि की सहायता से पाठ्यवस्तु के विचारों एवं तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछे जाएं जिससे बच्चों की सृजनात्मक कल्पना शक्ति विकसित हो।

व्यावहारिक कार्य

1. संधि-समास का अभ्यास करवाना।
2. तत्सम-तद्भव, देशज-विदेशी शब्दों की सूची।
3. मुहावरे व लोकोक्तियों का संग्रह।
4. सूक्तियों का संग्रह।
5. पाठ्य-पुस्तक के सुंदर वाक्यांशों का संग्रह करना।
6. शब्द-निर्माण से संवंधित खेल बनवाना।
7. प्रसिद्ध गद्य लेखकों की सूची बनाना।
8. वर्ण के क्रमानुसार शब्द कोश बनाना।
9. आदर्श वाचन का प्रस्तुतीकरण।
10. उपसर्ग एवं प्रत्यय के चार्ट बनानां।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

13

कविता-शिक्षण

छन्दोबद्ध रचना को सामान्य रूप से कविता कहा जाता है। कविता के लिए काव्य एवं पद्य—इन दो शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इन सभी समानार्थक शब्दों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। काव्य शब्द अत्यन्त व्यापक है। संस्कृत साहित्य में सम्पूर्ण साहित्य को काव्य कहा जाता है। काव्य के दो रूप माने जाते हैं—गद्यकाव्य एवं पद्यकाव्य। गद्यकाव्य दृश्य भी होता है और श्रव्य भी परन्तु पद्य काव्य श्रव्यकाव्य कहा जाता है। जहां गद्य एवं पद्य दोनों का मिश्रित प्रयोग है उसे चम्पूकाव्य कहा जाता है। पद्य शब्द का प्रयोग छन्दोबद्ध रचना के लिए किया जाता है। इसमें गति, यति, लय आदि का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। कविता छन्दोबद्ध भी हो सकती है और छन्दरहित भी। इस प्रकार प्रत्येक पद्य-रचना कविता हो सकती है परन्तु प्रत्येक कविता पद्य हो, यह आवश्यक नहीं। आज की नई कविता में छन्द या लय का किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसे पद्य नहीं कहा जा सकता। कविता बके स्वरूप को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है।

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार—'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' अर्थात् रसयुक्त वाक्य ही काव्य है।

—साहित्य दर्पण

आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार—'काव्यस्य आत्मा ध्वनिः' अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि-सामान्य रूप से तीन प्रकार की होती है—रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पंडित जगन्नाथ के अनुसार–'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' अर्थात् रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है।

आचार्य कुन्तल के अनुसार–'वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम्' अर्थात् वक्रोक्ति ही का आधार ह।

आचार्य श्यामसुन्दर दास के अनुसार–'कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा, जिसमें भावों की व्यंजना हो, कविता कहलाती है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कविता के रागात्मक तत्त्व एवं प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए, कविता के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है–

"हृदय की मुक्ति-साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं।"

मम्मत के अनुसार–'तद दोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि' अर्थात् दोष रहित, गुणमुक्त, प्रायः अलंकृत, किंतु कभी-कभी अनलंकृत शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं।

पाश्चात्य विद्वान् वर्डस्वर्थ के अनुसार, "Poetry is the emotion recollected in tranquility" अर्थात् शान्त क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छन्द प्रवाह कविता है।"

मैथ्यू ऑर्नल्ड के अनुसार, "Poetry is the criticism of life," अर्थात् 'कविता मूल रूप में जीवन की आलोचना है।'

Coleridge के अनुसार, "Poetry the best mordso in the best order अर्थात् कविता उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम-विधान है।

Melton के अनुसार, "Poetry should be simple, sensuons and impassioned अर्थात् सरल, अनुभूतिपूर्ण तथा रागात्मक रचना ही काव्य है।

Hudson के अनुसार, "Poetry is an interpretation of life through imagination and emotion," अर्थात् कल्पना तथा मनोभावों द्वारा जीवन की व्याख्या ही तो कविता है।

Carlyle के अनुसार, "Poetry, we all call musical thought," अर्थात् संगीतमय विचार ही कविता है।

कविता की इन सभी परिभाषाओं को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ विद्वान् कविता में रागात्मकता को महत्त्व देते हैं तो कुछ विद्वान् छन्द, अलंकार एवं ध्वनि आदि को। इस प्रकार कविता के दो पक्ष माने जाते हैं–भावपक्ष और कलापक्ष। भावपक्ष का सम्बन्ध काव्य की आत्मा से है और कलापक्ष का

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सम्बन्ध काव्य के शरीर से। सभी विद्वानों के विचारों की विवेचन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं–

–कविता में ताल, लय एवं संगीत की प्रधानता होती है।

–कविता सरस और दिल को लुभाने वाली होती है।

–कविता में कल्पना का सम्मिश्रण होता है।

–कविता में जीवन का समन्वय होता है।

–कविता एक प्रबल अनुभूति है।

कविता-शिक्षण का महत्त्व

कविता के महत्त्व को स्पष्ट करने में हम इस लोकोक्ति का सहारा ले सकते हैं–"जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि।" वास्तव में सूर्य तो बाह्य जगत को प्रकाशित करता है, परन्तु कवि हृदय को झंकृत कर देता है। कविता मानव को रसमग्न कर, आनन्द से भर देती है। कविता-पाठ मानव को भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचा देता है इसके अध्ययन से मनुष्य को सुख-दुखादि की अनुभूति उसकी अधिकतम सीमा में होती है। यह सीधी मानव के हृदय पर चोट करती है। तभी तो कहते हैं–जो शक्ति तलवार में नहीं वह कलम में होती है। सचमुच यह शक्ति कलम में नहीं अपितु उसके द्वारा लिखी गई कविता में होती है।

साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। साहित्य का अधिकांश भाग, उसका काव्य साहित्य है। भारत के काव्य साहित्य में यहां के समाज की संस्कृति, दर्शन, धर्म, आदर्श, मूल्य आदि सभी को प्रभावपूर्ण शैली में, यथार्थ रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तुलसीकृत 'रामचरितमानस' भारतीय जनमानस का प्रिय काव्य है। मैथिलीशरण गुप्त की 'भारतभारती' ने अंग्रेजी की दासता से मुक्त होने के लिए, भारतीय नवयुवकों में स्वतन्त्रता की जो चिनगारी सुलगाई, उसकी कोई तुलना नहीं। महाराजा जयसिंह को राजकार्य की ओर उन्मुख करने के लिए् जो कार्य उनका कोई भी सभासद नहीं कर सका, वह कार्य बिहारी के एक दोहे ने कर दिया।

जिस प्रकार निबन्ध, कहानी, नाटक आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं का अध्ययन भाषा शिक्षा के लिए आवश्यक है उसी प्रकार कविता अध्ययन भी अनिवार्य है। यह बच्चों को सौन्दर्यानुभूति एवं रसानुभूति की भावना को विकसित कर उनमें रागात्मकता का संचार करती है। बच्चों को मानव-जीवन के विविध

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पक्षों से परिचित कराती है। उन्हें समाज की विभिन्न समस्याओं से परिचित कराकर, उनका समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें समाज-विशेष के जीवन, दर्शन एवं धर्म से परिचित कराकर देश, जाति एवं धर्म के प्रति उनमें स्थाई भावों का निर्माण करती है। उनकी कल्पना-शक्ति को विकसित कर उनमें सरसता को प्रवाहित करती है। यह बच्चों की सात्विक भावनाओं को जाग्रत करके उन्हें मानव-कल्याण के लिए प्रेरित करती है।

कविता-शिक्षण के उद्देश्य

किसी भी विषय का शिक्षण प्रयोजन-रहित नहीं होता है। साहित्य की अन्य विधाओं की तरह कविता-शिक्षण के भी अपने लक्ष्य होते हैं। यों तो ये लक्ष्य कविता, विशेष और कक्षा-विशेष के छात्रों के मानसिक स्तर पर आधारित होते हैं, परन्तु सामान्य रूप से इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं–

1. कविता और साहित्याध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न-करना।

2. छात्रों को कविता-पाठ कर उसका अर्थ ग्रहण करने एवं रसानुभूति करने के योग्य बनाना।

3. छात्रों में कविता के रस की अनुभूति कर उसके सौन्दर्य की अनुभूति करने और अन्त में परमानन्दानुभूति करने की क्षमता विकसित करना।

4. छात्रों में कविता को पढ़कर अपने शब्दों में उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करने की योग्यता विकसित करना।

5. छात्रों को शब्द-योजना, शब्द-शक्तियों, छन्दों, अलंकारों, रसों आदि काव्य-तत्त्वों का ज्ञान कराना।

6. छात्रों को कविता के माध्यम से मानव-जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान कराना।

7. कविताओं के द्वारा छात्रों को अपने देश व समाज की संस्कृति, धर्म तथा दर्शन से परिचित कराना।

8. छात्रों को कविता की समीक्षा करने के योग्य बनाना।

9. छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित कर उन्हें कविता की रचना करने के लिए प्रेरित करना।

10. छात्रों की चित्तवृत्तियों का परिष्कार कर उनमें उच्च आदर्शों का निर्माण करना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

11. छात्रों में अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक आदर्शों के अनुकूल आचरण करने की प्रवृत्ति विकसित करना।

12. छात्रों को विभिन्न काव्य-शैलियों से परिचित कराना।

13. छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे कवि की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं का तादात्म्य स्थापित कर सकें।

14. छात्रों को पूर्ण मनोयोग से कविता-पाठ सुनने के योग्य बनाना।

15. छात्रों को कविता-पाठ सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण करने एवं भावानुभूति करने के योग्य बनाना।

16. छात्रों को उचित गति, आरोह-अवरोह एवं भावानुसार कविता-पाठ करने के योग्य बनाना।

17. छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करना।

किसी कविता विशेष के द्वारा छात्रों में किन रुचियों और अभिवृत्तियों का विकास होगा इसका निर्धारण करना कविता-शिक्षण के विशिष्ट लक्ष्य कहा जाता है। ये अग्रलिखित हो सकते हैं–

1. छात्रों को कवि-विशेष की अन्य रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना।

2. छात्रों को कविता एवं कवि-विशेष की काव्यगत समीक्षा करने के लिए योग्य बनाना।

3. छात्रों को कविता-विशेष में वर्णित कवि का पैगाम ग्रहण करने के योग्य बनाना।

4. छात्रों को कवि-विशेष की काव्य-शैली एवं रचनाओं से परिचित कराना।

5. कविता-विशेष में वर्णित भावों को समझने में छात्रों की सहायता करना।

6. छात्रों को इस योग्य बनाना कि कविता-विशेष में वर्णित भावों व विचारों को समझकर उन्हें आत्मसात कर सकें।

7. छात्रों को इस योग्य बनांना कि वे कविता-विशेष में व्यक्त की गई जीवन की व्याख्या को समझ सकें।

किसी भी पद्य पाठ की पाठ-योजना बनाते समय तथा कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को इन सामान्य और विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यथासम्भव प्रयत्नशील रहना पड़ता है ताकि अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया सार्थक दृष्टि से आगे बढ़ती रहे।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कविता-शिक्षण की विधियां

कविता-शिक्षण की कई विधियाँ हैं। शिक्षक कविता-शिक्षण को रुचिकर व प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं मानसिक स्तर के अनुसार किसी भी प्रणाली को अपना सकता है। ये विधियां निम्नलिखित हैं—

1. व्यास-विधि—यह विधि व्याख्या-विधि का ही विकसित रूप है। इसे व्यास-विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अध्यापक कविता पढ़ाते समय उसी पद्धति का अनुकरण करता है जिसे कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने के लिए अपनाते हैं। दूसरे, इसमें हर दृष्टि से कविता का व्यास अर्थात् विस्तार किया जाता है।

जिस तरह कथावाचक कथा के एक-एक भाव या स्थल को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण एवं दृष्टान्त देते हैं—एक-एक शब्द के गूढ़ अर्थ को समझाने का प्रयास करते हैं, भाषा एवं भाव के हर तत्त्व की विस्तृत व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार इस विधि में अध्यापक कविता के अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उसमें छिपी पौराणिक, ऐतिहासिक आदि कथाओं को स्पष्ट करता है, प्रसंगों की व्याख्या करता है, कविता की भाषा एवं शैली का विस्तृत विवेचन करता है, कविता के तत्त्वों—भाव, छन्द, अलंकार, रस आदि का दार्शनिक विवेचन करता है और इस तरह कविता के सम्पूर्ण भाव को प्रकट कर देता है।

यह विधि केवल उच्च कक्षाओं में कविता-शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके लिए अध्यापक को कविता सम्बन्धी सभी तत्त्वों की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। इसमें अध्यापक को अधिक सक्रिय रहना पड़ता है, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः इसके सफल प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक कविता पढ़ाते समय बीच-बीच में छात्रों का सक्रिय सहयोग लेता रहे। अध्यापक इस बात का भी ध्यान रखे कि कविता-शिक्षण रोचक होने के स्थान पर कहीं दुरूह न हो जाए। अन्तर्कथाओं, उदाहरणों, दृष्टान्तों आदि का प्रयोग छात्रों को कविता के भाव हृदयंगम कराने के लिए किया जा रहा है, कविता को नीरस बनाने के लिए नहीं। एक निश्चित परिधि में रहकर इस विधि का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं में भी किया जा सकता है।

2. तुलना-विधि—इस विधि में शिक्षक पढ़ाई जाने वाली कविता की तुलना अन्य भाषाओं की या उसी भाषा की अन्य समानार्थक कविताओं के साथ करता हुआ पाठ्य कविता का स्पष्टीकरण करता है। वास्तव में यह कोई नवीन विधि

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

नहीं है अपितु सभी पूर्ववर्णित विधियों का ही परिवर्तित रूप है। किसी भी विधि से कविता पढ़ाते हुए किसी अन्य समानार्थक कविता से तुलना की जा सकती है।

इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं किया जाता है। माध्यमिक एवं उच्चस्तर पर इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस विधि का प्रयोग करने के लिए अध्यापक को साहित्य का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थ में समानार्थक रखने वाली विभिन्न कविताओं की जानकारी आवश्यक है। कविता के तत्त्वों का भी विस्तृत ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि तुलना करते समय दोनों कविताओं के भाषा एवं भाव सम्बन्धी सभी समान एव असमान तत्त्वों की व्याख्या करनी पड़ती है।

छात्रों को विस्तृत ज्ञान देने की दृष्टि से यह विधि उपयोगी है, परन्तु इसका प्रयोग करते समय छात्रों के आयु योग्यता एवं भाषा सम्बन्धी ज्ञान को ध्यान में रखना आवश्यक है। अध्यापक को पाठ्य कविता की तुलना उस समानार्थक कविता से करनी चाहिए जिसका उसे पर्याप्त ज्ञान हो। अध्यापक को दोनों कविताओं की समानताओं एवं असमानताओं का निष्पक्ष विवेचन करना चाहिए। साथ ही तुलना करते समय अध्यापक को विषय से भटकना नहीं चाहिए।

3. समीक्षा-विधि—यह विधि भी व्याख्या-विधि का विस्तृत एवं परिवर्तित रूप है। इसमें कविता की समीक्षात्मक व्याख्या की जाती है अर्थात् कविता का भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों के दृष्टिकोण से आलोचनात्मक विवेचन किया जाता है। अध्यापक छात्रों को सन्दर्भ-ग्रन्थों एवं समीक्षा-ग्रन्थों के नाम बता देता है और छात्र स्वयं उन ग्रन्थों का अध्ययन कर पाठ्य कविता की भाषा, भाव, रस, अलंकार आदि के गुण-दोषों का विवेचन करते हैं।

इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है जबकि छात्रों को समीक्षा के सिद्धान्तों का ज्ञान करा दिया गया हो और उनमें काव्य-सिद्धान्तों की कसौटी पर कविता को परखने की क्षमता विकसित हो चुकी हो।

4. गीत-विधि—कविता-शिक्षण की इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक ताल, लय एवं स्वर के साथ स्वयं बालगीत का पठन करता है। इसके बाद बच्चों को अध्यापक का अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। छात्र और अध्यापक मिलकर हाथ से ताल देते हुए बालगीत को लय के अनुसार गाते हैं।

यह विधि प्रारम्भिक कक्षाओं में बच्चों को कविता सिखाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। बच्चों को संगीत बहुत प्रिय होता है। उन्हें गीत गाने में

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बहुत आनन्द आता है। अतः गीत-विधि से सिखाई गई कविता उन्हें आसानी से याद हो जाती है। शैशवावस्था में बच्चे जिन बालगीतों को खेल-खेल में गाते हैं, उनकी बच्चों के हृदय पर अमिट छाप पड़ती है। गीत गाने से बच्चों के हृदय झंकृत होते हैं और उनका भावात्मक विकास उचित रूप से होता है।

इस विधि का पूरा फायदा उठाने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापक बहुत सावधानी के साथ बालगीतों का चुनाव करे। ये बालगीत सरल तुकबन्दियां होते हैं। वाक्य छोटे-छोटे और सरल भाषा में होते हैं। इस कविता में वर्णित बातें बच्चों के जीवन, वातावरण एवं अनुभव की परिधि के भीतर की होती हैं। ये मनोरंजक हों एवं इनमें गेयता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए निम्न कविता ली जा सकती है।–

मुझे तुम्हारी नानीजी ने,
डब्बा-भर गुलकंद दिया।
और तुम्हारे नानाजी ने,
कविता दी और छंद दिया।
दोनों लेकर निकला ही था,
बटमारों ने घेर लिया।
छीनछान गुलकंद खा गए,
कविता सुन मुँह फेर लिया।
पर कुछ समझदार भी थे,
जो कविता सुनकर गले लगे।
अपना दे गुलकंद उन्होंने,
खाली डब्बा बंद किया।
अब नानी को लिख देना,
उनका गुलकंद सलामत है।
और हमें बतलाना,
कविता के बारे में क्या मत है।

5. अभिनय-विधि–यह विधि गीत-विधि का ही विकसित रूप है। बहुत-से बालगीत अभिनय-प्रधान होते हैं। बच्चों की भी अभिनय में स्वाभाविक रुचि होती है। अतः ऐसे बालगीतों का चयन कर, बच्चों से बालगीत में वर्णित विषय के अनुसार अंग-संचालन कराते हुए वाचन कराया जाता है। इस विधि में पहले अध्यापिका या अध्यापक कविता का सस्वर पठन करते हुए अंग-संचालन

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

करते हैं और बच्चे उन्हें ध्यान से सुनते व देखते हैं। तदुपरान्त अध्यापक का अनुकरण करते हुए छात्र बालगीत को गाते हैं और उसी तरह अभिनय करते हैं।

इस विधि का प्रयोग व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। जिन बालगीतों में कई पात्र होते हैं, उनके शिक्षण के लिए बच्चों को अलग-अलग पात्र की भूमिका में खड़ा कर दिया जाता है और वे बच्चे अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार कविता की पंक्ति का साभिनय पठन करते हैं।

सामूहिक रूप से इस विधि का प्रयोग करने के लिए बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हुए कविता का सामूहिक रूप से साभिनय पठन करते हैं। जैसे निम्न कविता को सामूहिक साभिनय द्वारा पढ़ाया जा सकता है—

पूछूँ तुमसे एक सवाल
झट पट उत्तर दो गोपाल
मुन्ना के क्यों गोरे गाल?
पहलवान क्यों ढोके ताल?
भालू के क्यों इतने बाल?
चले साँप क्यों तिरछी चाल?
नारंगी क्यों होती लाल?
घोड़े के क्यों लगती नाल?

इस कविता का सामूहिक अभिनय बच्चे कर सकते हैं। वे इस सन्दर्भ को अपने हाव-भाव से व्यक्त कर सकते हैं।

जब बच्चे इस प्रकार गीत गाते हुए अभिनय करते हैं तब बच्चों की खुशी और उत्साह तो छुपाये नहीं छुपता है। वास्तव में इस विधि से कविता की शिक्षा देने से बच्चों की कविता में रुचि विकसित होती है, उन्हें कविता आसानी से कण्ठस्थ हो जाती है, उनके गायन व अभिनय की स्वाभाविक रुचि सन्तुष्ट होती है, कक्षा में जीवन बना रहता है और बच्चे सक्रिय रहते हैं। इस विधि के सफल प्रयोग के लिए यह जरूरी है कि बालगीतों का चुनाव सावधानीपूर्वक हो, इसका प्रयोग केवल छोटी कक्षाओं तक सीमित रहे और इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे अनावश्यक अंग-संचालन न करें।

6. शब्दार्थ-कथन विधि—शब्दार्थ-कथन विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के अध्यापक ज्यादातर करते हैं। वे सर्वप्रथम स्वयं कविता का पाठ करता है या कुछ छात्रों से उसका पाठ करवाता है। उसके बाद शब्दार्थ बतलाता है अथवा कविता की एक-एक पंक्ति को पढ़ाते हुए, उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताकर, पूरी पंक्ति का सरल गद्यानुवाद कर देता है। उदाहरण के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता 'झांसी की रानी' पढ़ाते हुए अध्यापक सर्वप्रथम इस कविता की प्रथम पंक्ति का वाचन करेगा—"सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। फिर कठिन शब्द भृकुटी का अर्थ भौं बताकर—सम्पूर्ण पंक्ति का अर्थ इस प्रकार बतलाएगा—इस पंक्ति के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान 1857 की क्रांति की तस्वीर पेश करते हुए कहती है, भारतीय राजाओं की भौं अंग्रेजों के खिलाफ तन गई थी जिससे अंग्रेजों की सत्ता खतरे में आ गई थी। इसी प्रकार सभी पंक्तियों का वाचन करते हुए सरलार्थ करा दिया जाता है।

यह विधि कविता-शिक्षण के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं और कविता-शिक्षण नीरस हो जाता है। छात्रों को कविता का अर्थ तो समझ आ जाता है परन्तु कविता की भावानुभूति एवं रसानुभूति उन्हें नहीं हो पाती है।

7. व्याख्या विधि—इस विधि में अध्यापक कविता का सस्वर पठन करने या बच्चों से पठन करवाने के उपरान्त स्वयं या छात्रों की सहायता से कविता के सभी आवश्यक स्थलों की व्याख्या करता है। छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों की सहायता से कविता का अर्थ स्पष्ट करने के साथ उनमें निहित प्रसंगों की चर्चा भी करता है। कविता में प्रयुक्त छन्द, अलंकार एवं रस आदि का स्पष्टीकरण करता है और कवि के साथ छात्रों का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कराते हुए उन्हें कविता की भावानुभूति एवं रसानुभूति करने में सहायता करता है।

माध्यमिक एवं उच्च दोनों स्तरों की कक्षाओं में कविता-शिक्षण के लिए यह विधि अत्यन्त उपयोगी मानी जाती है। यह विधि छात्रों को सक्रिय रखती है। कविता का भावानुकूल वाचन होने से कविता-शिक्षण सरस बना रहता है। आवश्यक प्रसंगों आदि की व्याख्या होने से छात्रों को कविता का अर्थ एवं भाव ग्रहण करने में सुगमता हो जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक पठन और व्याख्या केवल स्वयं ही न करे बल्कि वह छात्रों की सहायता से ही कविता की व्याख्या करे और छात्रों से कविता का भावानुकूल पठन कराए।

8. खण्डान्वय-विधि—इस विधि में सर्वप्रथम अध्यापक स्वयं या छात्रों से कविता का सस्वर पाठ करवाता है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण कविता को छोटे-छोटे

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

क्रमिक खण्डों में विभाजित कर लिया जाता है। हर खण्ड पर एक या अधिक प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है। ध्यान यह रखा जाता है कि इन प्रश्नों का आपस में सम्बन्ध हो। अध्यापक क्रमपूर्वक एक-एक प्रश्न छात्रों से पूछता है और छात्र प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन उत्तरों के माध्यम से अध्यापक कविता के भाव को स्पष्ट कर देता है। छात्रों के द्वारा अपेक्षित उत्तर न दिए जाने पर अध्यापक स्वयं कविता के अर्थ एवं भाव का स्पष्टीकरण कर देता है। उदाहरण के लिए सोना-सज्जन साधु जन टुटी जुड़े सौ बार। दुर्जन कुम्भ कुम्हार के एकै धक्का दरार।'' दोहा पढ़ाने के लिए निम्न प्रकार से प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है–

प्रश्न 1. कवि ने सज्जन की तुलना किससे की है?
2. कवि ने दुर्जन की तुलना किससे की है?
3. प्रस्तुत दोहा में सोना किसका प्रतीक है?
4. कवि ने सज्जन व्यक्ति को सोना क्यों कहा है?
5. कवि ने दुर्जन व्यक्ति को कुम्हार का घड़ा क्यों कहा है?

आवश्यकता पड़ने पर अध्यापक अपने कथन के दोहे के भाव को स्पष्ट कर सकता है।

यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। इसमें 'पूर्ण से अंश एवं सरल से कठिन की ओर' शिक्षण-सूत्रों का पालन किया जाता है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता-शिक्षण होने के कारण छात्रों को बराबर सक्रिय रहना पड़ता है ताकि अध्यापक कुछ पुथन दें। कक्षा में जीवन रहता है। छात्रों को भावानुभूति एवं रसानुभूति में सहायता मिलती है। पाठ के विकास में छात्रों का सक्रिय सहयोग होने के कारण कविता-शिक्षण को अधिक से अधिक रोचक बनाया जा सकता है।

कविता के रसपाठ एवं बोधपाठ में अन्तर

कविता-शिक्षण के उद्देश्यों को बतलाते समय यह स्पष्ट किया गया था कि कविता-शिक्षण के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों में ध्यानपूर्वक कविता-पाठ सुनने एवं स्वयं उचित ताल, लय आरोह-अवरोह तथा भावानुसार कविता-पाठ करने की योग्यता का विकास किया जाता है ताकि छात्र कविता के अर्थ को ठीक-ठीक ग्रहण कर सकें। जब तक छात्रों को कविता के अर्थ का बोध नहीं होता तब तक वे उस कविता की बोध की अनुभूति नहीं कर सकते और भावानुभूति के

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

बिना रसानुभूति और रसानुभूति के अभाव में आनन्दानुभूति भी नहीं हो सकती। अर्थात् कविता-शिक्षण का प्रथम सोपान अर्थानुभूति, दूसरा सोपान भावानुभूति, तीसरा सोपान रसानुभूति और चौथा सोपान आनन्दानुभूति है। और यदि सम्भव हुआ तो इसके बाद पांचवां सोपान भी है—परमानन्दानुभूति।

कविता-शिक्षण के प्रथम दो सोपानों के लिए जिस प्रकार का कविता-शिक्षण होता है उसे बोधपाठ कहते हैं तथा अगले दो या तीन सोपानों के लिए होने वाले कविता-शिक्षण के पाठ को रसपाठ कहा जा सकता है। परन्तु इन दोनों पाठों को अलग-अलग करना उचित नहीं। ये तो कविता-शिक्षण के सोपान हैं। कविता के अर्थ का बोध होने के उपरान्त उसी पाठ के छात्रों को काव्य की रसानुभूति एवं आनन्दानुभूति कराई जाती है। जब तक छात्रों को कविता में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ तथा उनमें निहित भावों को नहीं समझाया जाता तब तक उन्हें रसानुभूति एवं आनन्दानुभूति हो ही नहीं सकती। अर्थात् कविता के अर्थ को समझे बिना कविता-शिक्षण के लक्ष्यों को पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। कविता-शिक्षण के अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। बच्चों को कविता के भाव के अनुरूप सस्वर पाठ के योग्य बनाना रसपाठ का कार्य है, अतः इन दोनों पाठों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों पाठों के सफलतापूर्वक शिक्षण से ही कविता-शिक्षण के लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। कविता-शिक्षण को रोचक, सरस एवं प्रभावशाली बनाने में दोनों पाठों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ये दोनों पाठ एक-दूसरे के पूरक है।

कविता-शिक्षण के सोपान

यों कविता-शिक्षण के सोपान निश्चित नहीं किए जा सकते, किंतु सामान्य कक्षा-शिक्षण में सोपानों की उपयोगिता भी स्पष्ट ही है। यहां कक्षाओं में कविता-शिक्षण के निम्नांकित सोपान प्रस्तुत किए जाते हैं—

1. प्रस्तावना—विद्यार्थियों में काव्य सौन्दर्य के प्रति लगाव उत्पन्न करना व काव्य की आन्तरिक सौन्दर्यानुभूति को जागृत करना कविता-शिक्षण का मूल उद्देश्य है। अतएव कविता-शिक्षण का आरंभ इस प्रकार किया जाए कि छात्रों की रुचि स्वतः ही कविता के प्रति आकृष्ट हो जाए। सही, प्रभावकारी एवं उपयुक्त प्रस्तावना का महत्त्व स्वयं-सिद्ध है। यहां प्रस्तावना की निम्नांकित प्रणालियां ध्यातव्य हैं—

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(क) मूल कविता-पाठ द्वारा–'हैडो' साहब मूल कविता के पाठ को ही सर्वोत्तम प्रस्तावना मानते हैं। उनकी मान्यता है कि मूल कविता के पाठ द्वारा ही कविता-शिक्षण का उपयुक्त वातावरण बन जाता है। उसके अनुसार अन्य प्रकार की प्रस्तावना में उलझना समय का अपव्यय मात्र है। मूल कविता का पाठ करने से उसके सौंदर्य को परखने का अवसर तो मिलता ही है, उन्हें आंतरिक आनंद का भी अनुभव होता है।

(ख) समानांतर कविता-पाठ द्वारा–प्रस्तावना में पाठ्य कविता की समान विषयक कविता अथवा कविताओं का पाठ भी प्रभावकारी तथा उपयोगी होता है। इस विधि से न केवल कविता-शिक्षण को आकर्षक ही बनाया जा सकता है, बल्कि उक्त कविता के शिक्षण के लिए अपेक्षित वातावरण की भी सृष्टि हो पाती है। स्पष्ट ही राष्ट्रप्रेम की कविता को पढ़ाते समय उसी रस की अन्य कविता अथवा कविताओं को सुनना उपादेय होता है। हां, इतना अवश्य ध्यान रखा जाए कि यह प्रस्तावना अधिक लंबी न हो।

(ग) अर्थ-बोध प्रणाली–इस प्रणाली में पाठ्य कविता के कठिन शब्दों एवं प्रसंगों को अध्यापन से पूर्व स्पष्ट कर दिया जाता है। यह कार्य शिक्षक खल्लि-पट्ट के सहारे करता है। इसके उपरांत वह पाठ्य कविता का सप्रसंग सारांश भी बता देता है। सारांश-कथन के बाद कविता का सस्वर वाचन भी छात्रों को कराया जाता है। शिक्षक भी आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है।

इस प्रणाली से कविता-शिक्षण करने पर सरसता एवं संगीतात्मकता का हनन होता है। छात्रों में उत्सुकता का सृजन नहीं होने पाता। रसानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति का अनुकरण ही नहीं होता। यह प्रणाली सर्वथा दोषपूर्ण है। इस प्रणाली की उपयोगिता इतनी ही है कि इसके द्वारा कविता के भाव छात्रों को पूर्ण रूप से समझाया जा सकता है।

(घ) प्रश्नोत्तर द्वारा–प्रासंगिक तथा कविता के अनुकूल प्रश्न पूछकर तथा उनके उत्तर छात्रों से प्राप्त कर के भी कविता-शिक्षण को प्रारंभ किया जाता है। कविता-संबंधी उपयुक्त प्रश्न पूछकर छात्रों के मानस को उस ओर भी मोड़ा जा सकता है तथा कविता-विशेष के शिक्षण के लिए अपेक्षित परिवेश का सृजन किया जा सकता है। ये प्रश्न संबंधित कवि, कविता की पृष्ठभूमि तथा प्रसंग से संबंधित हो सकते हैं। किंतु, यह भी सत्य ही है कि इस प्रकार की प्रस्तावना से कविता-शिक्षण का उपयुक्त वातावरण पूर्ण रूप से नहीं बन पाता।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(ङ) मुख्य विषय की चर्चा द्वारा—इस प्रणाली में कविता-शिक्षण की प्रस्तावना के रूप में कविता में वर्णित मुख्य विषय की चर्चा शिक्षक छात्रों के समक्ष करता है। इसके भाव कविता को पढ़ने से पूर्व ही छात्रों के सामने स्पष्ट कर देने से अर्थ समझने में आसानी तो होती है, किंतु कविता-शिक्षण के लिए अपेक्षित वातावरण की सृष्टि नहीं हो पाती। छात्रों में कविता के प्रति उत्सुकता नहीं रह जाती तथा पढ़ने में मन नहीं लगता है। यह विधि सर्वथा दोषपूर्ण है।

(च) कविता-परिचय द्वारा—कविता-शिक्षण में प्रस्तावना कवि-परिचय को भी बनाया जाता है। पाठ्य कविता के कवि का परिचय शिक्षक कविता-शिक्षण के पूर्व देता है। इस संदर्भ में वह कवि के जीवन, काव्य की विशेषता तथा लेखन या भाषा शैली पर प्रकाश निक्षेप करता है।

इस प्रणाली की उपयोगिता परीक्षा के लिए है। इस प्रस्तावना के माध्यम से न तो अपेक्षित वातावरण की सृष्टि हो पाएगी और न ही छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी।

2. आत्मीकरण—कविता-शिक्षण के क्रम में यह चौथा सोपान है। भाव-परीक्षण के पश्चात शिक्षक पठित कविता की विस्तृत व्याख्या तथा भाव-विश्लेषण की ओर प्रवृत्त होता है। कवितागत कठिन शब्द तथा दुरूह प्रसंगों को शिक्षक स्पष्ट करता है तथा छात्रों को विशद् व्याख्या का मार्ग दिखलाता है। इस दिशा में वह छात्रों की सहायता भी करता है।

3. कविता का वाचन—काव्य को पढ़ने की अपेक्षा उसका सस्वर पाठ सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अतः काव्य-शिक्षण में प्रभावकारी वाचन का सर्वाधिक महत्त्व है यह वाचन ही शिक्षक के हाथ में ब्रह्मास्त्र है। स्पष्ट है कि शिक्षक को सस्वर, लयात्मक एवं भावपूर्ण वाचन में दक्ष एवं निपुण होना चाहिए। इससे प्रारंभ में अपेक्षित काव्यात्मक वातावरण की सृष्टि होती है। छात्रों में सौंदर्यानुभूति का भी अंकुरण होता है। प्रस्तावना के बाद यह सोपान बहुत ही उपयुक्त है। वाचन भी तीन प्रकार के होते हैं—

(अ) रागयुक्त वाचन,

(ब) भावानुसार सस्वर वाचन,

(स) भावानुसार शारीरिक अंगों का संचालन।

रागयुक्त वाचन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। बच्चों के लिए यह विधि आकर्षक तो है ही, उनके कोमल भावों को जाग्रत भी करती है। उच्च कक्षाओं के लिए भावानुसार सस्वर वाचन प्रभावकारी होता है। उक्त दोनों प्रकार

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के स्तरों में आवश्यकतानुसार कवितागत भावों के साथ-साथ शारीरिक अंगों का संचालन होना कविता-शिक्षण को सप्राण बना देता है।

वाचन में इतना अघश्य ध्यान रखा जाए कि सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा ही प्रभावकारी ढंग से पाठ्य कविता का सस्वर वाचन हो तथा उसके पश्चात छात्रों द्वारा उसका अनुसरण कराया जाए। इस प्रक्रिया में मौन-वाचन निरर्थक है।

4. भाव-परीक्षा—भाव-परीक्षा कविता-शिक्षण में एक महत्त्वपूर्ण सोपान है। वस्तुतः यह एक प्रकार से मूल्यांकन सोपान है। इसमें यह देखा जाता है कि शिक्षक द्वारा वाचन से छात्रों ने कवितागत भावों को कितना ग्रहण किया। यह बात सही है कि कविता के प्रभावकारी वाचन के पश्चात् छात्रों की समझ में केंद्रीय भाव आ जाता है, किंतु फिर भी प्रश्नोत्तर प्रणाली से उसकी परीक्षा ले ली जाती है कि सभी छात्रों ने पूर्ण रूप से वैसा किया अथवा नहीं। प्रभावपूर्ण ढंग से दो-तीन बार वाचन करने के पश्चात् शिक्षक उस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न छात्रों से पूछता है। छात्र यदि समुचित उत्तर दे देते हैं तब तो ठीक, अन्यथा फिर वाचन करके वह स्पष्ट करता है। इससे प्रगति का ठोस आधार मिलता जाता है।

इस संदर्भ में उपध्यापक इतना तो जरूर समझते हैं कि छात्रों ने कविता को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। अतः विश्लेषणात्मक प्रश्नों की सहायता से कवि के भावों को छात्रों को आत्मसात् कराना श्रेयकर होता है।

इस सोपान की प्रक्रिया में व्याकरण, चित्र अथवा दृष्टांत को लाना लाभकारी नहीं है। इससे छात्रों की कल्पना एवं विचारशक्ति को आघात लगता है। शिक्षक को सजग तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जहां भी छात्र के समक्ष कठिनाई उपस्थित हो वहां वह समझने के लिए उपस्थित हो जाए। इस प्रकार इस सोपान में छात्र कविता के आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही अर्थों को समझ लेने में समर्थ होता है।

5. सौंदर्यानुभूति—इस सोपान में कवितागत सौंदर्य को छात्रों के समक्ष स्पष्ट तथा उजागर करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक का काव्यगत सौंदर्य-तत्त्वों से पूर्ण रूप से परिचित होना अत्यावश्यक है। ये सौंदर्य तत्त्व हैं—

(क) ध्वनि-सौंदर्य—शब्द, अलंकार, गुण आदि में।

(ख) विचार-सौंदर्य (भाव-सौंदर्य)—कवितागत भाव एवं विचार में।

(ग) शैली-सौंदर्य—शब्द-चयन, रचना, प्रतीक-विधान आदि में।

(घ) कल्पना-सौंदर्य—अमूर्त तथा कल्पना-प्रधान भावों में तथा काव्य की प्राणधारा ध्वनि में।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(ङ) रस-सौंदर्य—नौ प्रकार के रसों में।

इन सौंदर्य-तत्त्वों को पूर्ण रूप से परखने की क्षमता रखनेवाला शिक्षक छात्रों को सही सौंदर्यानुभूति कराने में समर्थ होता है। छोटी कक्षाओं में सिर्फ विचार रख देने से काम चल जाता है। लेकिन उच्च कक्षाओं के लिये इसके अतिरिक्त ध्वनि, शैली, रस तथा कल्पनागत सौंदर्य का भी स्पष्टीकरण श्रेयस्कर होता है। इस सोपान की प्रक्रिया में कविता की समस्त विशेषताएं स्पष्ट होकर सामने आ जाती हैं।

6. सृजनात्मक कार्य—सामान्यतः पठित कविता अथवा समान भाव की अन्य कविता को आंशिक या पूर्णरूप से छात्र द्वारा स्मरण कराया जाए। छात्रों के स्तर के अनुकूल कविता-पुस्तकों को पढ़ने की ओर भी उन्हें प्रवृत्त किया जाए। किंतु, यह कार्य तो परंपरागत एवं सामान्य है इससे थोड़ी सी रुचि कविता के प्रति अवश्य जाग्रत होती है। वस्तुतः इससे छात्रों के अंदर की उमंग का सहज प्रस्फुटन एवं सम्यक् विकास नहीं हो पाता। इसके लिए छोटे-छोटे सरल छंदों में लोकप्रिय प्रेरक विषयों पर उन्हें कविता करने की ओर प्रवृत्त करना श्रेयस्कर होगा। प्रचलित लोक-गाथाओं अथवा प्रसिद्ध घटनाओं अथवा मोहक प्राकृतिक दृश्यों को पद्य-रूप देने की ओर भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह उनमें सृजनात्मक शक्ति एवं प्रतिभा का विकास पूर्ण रूप से संभव हो सकेगा।

7. द्वितीय आदर्श वाचन—यह सोपान द्वितीय सोपान की ही पुनरावृत्ति है। आत्मीकरण तथा सौंदर्यानुभूति के उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि छात्रों की एकाग्रता संपूर्ण कविता की ओर लाई जाए। इसके लिए शिक्षक द्वारा भावपूर्ण ढंग से कविता का सस्वर वाचन होना चाहिए। इसके अपरात दो-तीन छात्रों द्वारा शिक्षक का अनुकरण भी हो। इससे कविता के अनुकूल वातावरण की पुनः सृष्टि हो जाएगी तथा छात्र कविता को संपूर्णता में ग्रहण कर सकेंगे।

8. सौंदर्य-बोधात्मक प्रश्न—इस सोपान में छात्र द्वारा ग्रहण किए गए कविता-गत सौंदर्य का मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त प्रश्नों की सहायता से यह जाना जाता है कि छात्रों ने भाव-सौंदर्य, ध्वनि-सौंदर्य, शैली-सौंदर्य तथा कल्पना-सौंदर्य का बोध कहां तक किया। ये प्रश्न स्वभावतः ही सौंदर्य-बोधात्मक होते हैं। कविता-शिक्षण की वास्तविक सफलता का परीक्षण इसी सोपान में होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय (साधन)

छात्रों में कविता अथवा काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं—

(क) कवि-दरबार।
(ख) कवि-सम्मेलन।
(ग) समस्या-पूर्ति।
(घ) अंत्याक्षरी।
(ङ) सुभाषित-प्रतियोगिता।
(च) प्रभावशाली सस्वर वाचन।
(छ) कविता कंठस्थ करना।
(ज) कविता-रचना।
(झ) कवि-गोष्ठी।
(ञ) काव्य-गोष्ठी।
(ट) कविता-संग्रह।
(ठ) कवि-सम्मान।

(क) कवि-दाबर—प्राचीन कवियों की कविताएं छात्रों को याद कराकर उन्हें उन कवियों की वेशभूषा में कवि-सम्मेलन के रूप में मंच पर उपस्थित किया जाए। फिर वेशभूषा के अनुरूप कवियों की कविताएं उनसे सुनवाई जाएं। कवि-दरबार कतिपय नवीन एवं प्रसिद्ध कवियों पर भी तैयार किया जा सकता है। इसमें कविता कंठस्थ करने का लाभ तो स्पष्ट ही है, इसके अतिरिक्त प्रतिभागी में आत्मविश्वास, तथा कविता के प्रति रुचि की अभिवृद्धि होती है।

(ख) कवि-सम्मेलन—कवि-सम्मेलन से हम सभी परिचित हैं। इसमें कई प्रसिद्ध कवि मंच से विशाल श्रोता-समूह के समक्ष कविता-पाठ करते हैं। समय-समय ऐसा आयोजन विद्यालयों द्वारा किया जाए। छात्रों को ऐसे प्रसिद्ध एवं प्रशक्त कवियों की श्रेष्ठ कविताओं को सुनने को उत्प्रेरित किया जाए। इससे उनमें कविता करने-सुनने की क्षमता का विकास होगा तथा उनकी रुचि कविता की ओर बढ़ेगी।

(ग) समस्या पूर्ति—यह पहले बहुत प्रचलित थी। अब इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है यत्र-तत्र पुराने गुरुओं, गुरुकुलों तथा धार्मिक संस्थाओं में यह आज भी प्रचलित है। इसमें होता यह है कि एक या आधी पंक्ति समस्या-रूप

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

में प्रतिभागियों के बीच रख दी जाती है। उसकी पूर्ति में कविता अथवा एक छंद की रचना की जाती है। तथा वे सभी अपनी-अपनी रचना समस्या-पूर्ति के रूप में सुनाते हैं। दी गई पंक्ति भी रचना के कलेवर में रहना आवश्यक है। सामान्यतः यह पंक्ति अंत में रखने की परिपाटी है। यह कार्यक्रम बड़ा ही मनोरंजक होता है तथा काव्य के प्रति रुचि तो अवश्य ही उत्पन्न होती है।

(घ) अंत्याक्षरी–अंत्याक्षरी के खेल में छात्र एक काव्य पंक्तियों को सुनाते हैं जिसके अन्तिम अक्षर पर दूसरी कविता-पंक्ति अन्य छात्र सुनाते हैं। फिर इसकी पुनरावृत्ति होती है यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई एक दल का काव्य भण्डार खत्म न हो जाए। यह ऐसा मनोरंजक खेल है जिसमें छात्र अल्प समय में सुनियोजित क्रम में काव्य-पंक्ति सुनाते हैं। इससे काव्य के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। वे अधिक से अधिक काव्य-पंक्तियाँ याद करना चाहते हैं।

(ङ) सुभाषित-प्रतियोगिता–इसमें ऐसा होता है कि कम-से-कम दो-दो छात्रों के कई दल बना लिए जाते हैं। इन दलों को किसी कवि की कविता-विशेष को पढ़ने तथा सस्वर पाठ करने को कहा जाता है। यह पाठ ताल एवं लय के साथ होता है। इन दलों में जो दल सबसे अधिक सुंदर ढंग से काव्य-पाठ कर पाता है वह विजई और पुरस्कृत होता है। इससे निश्चयपूर्वक छात्रों में कविता के प्रति रुचि की वृद्धि होती है।

(च) प्रभावशाली सस्वर वाचन–शिक्षक द्वारा कविता का प्रभावशाली सस्वर वाचन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। अतएव प्रभावशाली सस्वर वाचन से छात्रों पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनकी रुचि भी कविता के प्रति बढ़ती है। वैसे, कविता में सामान्यतः गीतात्मकता होती है और छात्रों से लय तथा ताल के साथ सस्वर वाचन कराकर भी उनमें कविता के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती हैं। इस उपाय से छात्रों में कविता के प्रति रुचि तो पैदा की ही जा सकती है। उनमें संगीत एवं लय के प्रति आकर्षण का भी सृजन किया जा सकता है। प्रभावशाली एवं लयात्मक सस्वर वाचन आनंदानुभूति को सहज ढंग से जगाता है।

(छ) कविता कंठस्थ करना–प्रारंभिक अवस्था में बच्चे कविता, कहानी अथवा लघुकथा तुरंत याद कर लेते हैं। उस अवस्था में उनका कंठ भी मधुर एवं कोमल होता है। जब वे कविता सस्वर पाठ करते हैं–सुननेवालों को बहुत ही प्रिय लगता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर बच्चों को कविताएं कंठाग्र करा

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

देनी चाहिए। इस अवस्था में कंठस्थ की गई कविताएं आगे चलकर बहुत काम की सिद्धि होती हैं। इन्हें सुनकर तथा स्मरण कर आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस क्रिया से कविता के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है।

(ज) कविता-रचना—कविता-रचना कविता में रुचि उत्पन्न करने की सर्वोत्तम विधि है। इस क्रिया में बच्चों को उपलब्धि तथा सृजन का आनंद भी प्राप्त होता है। प्रारंभ में तुकबंदी करने पर भी प्रोत्साहन दिया जाए। तभी कविता के प्रति उनकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। प्रारंभिक रचनाओं का शिक्षक द्वारा वातावरण में संशोधन किया जाना छात्रों को इस दिशा में प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। संशोधित कविता को वर्ग के सम्मुख पाठ करने का भी अवसर प्रदान किया जाए। इससे छात्रों में आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक क्षमता का समुचित विकास होगा। इतना ही नहीं, छात्रों में कविता-प्रतियोगिता भी करानी चाहिए। अवसर विशेष अथवा विषय विशेष पर छात्रों से कविताएं लिखवाई जाएं तथा सर्वोत्तम रचनाओं को पुरस्कृत किया जाए। इससे छात्रों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा उनमें कल्पना-शक्ति, अभिव्यक्ति-क्षमता तथा भाषा-शैली का आश्चर्यजनक रूप से विकास होता है। अतः यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि कविता-रचना तथा कविता-प्रतियोगिता से छात्रों में कविता के प्रति रुचि निश्चित रूप से उत्पन्न की जा सकती है।

(झ) कवि-जयंती—हम अपने विद्यालयों में प्रमुख कवियों की जयंती मनाते हैं। जैसे—तुलसी-जयंती, सूर-जयंती, कालिदास-जयंती कबीर-जयंती आदि। ये प्रसिद्ध एवं महान् युग प्रवर्तक कवियों की जन्मतिथियों के अवसर पर मनाई जाती हैं। इसी प्रकार अन्य महान् कवियों की जयंतियां भी विद्यालयों में मनाई जाएं। इनमें छात्रों को उनके जीवन एवं काव्य पर बोलने तथा कविता लिखने को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त संबंधित कवि की प्रसिद्ध एवं प्रेरक रचनाओं को कंठाग्र भी कराया जाए। इस प्रकार उनकी रुचि कविता में निश्चित रूप से बढ़ेगी।

(ञ) काव्य-गोष्ठी—विभिन्न कक्षा के सभी छात्रों की एक बैठक हो और उनके मनपसंद कवीता सुने जाए जो उनको याद हो। और स्वरचित कविताओं को सुनाने का भी अवसर उन्हें प्रदान किया जाए। इस प्रकार कविता के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। स्पष्ट ही यह गोष्ठी छोटी तथा सुनियोगित होगी।

(ट) कविता-संग्रह—छात्रों से कविता-संग्रह तथा साहित्यिक-पत्रिकाओं का अध्ययन कराया जाता है। उन्हें यह कहा जाता है कि अपनी रुचि के अनुसार

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

श्रेष्ठ कविताओं को अपनी पुस्तिकाओं में लिखते जाएं। इस प्रकार उनके पास श्रेष्ठ कविताओं का संग्रह हो जाता है। इसे ही हम कविता-संग्रह कहते हैं। विभिन्न पत्रिकाओं से मनपसंद कविताओं को काटकर अपनी पुस्तिकाओं पर चिपकाने से भी कविता-संग्रह तैयार हो जाता है। बाद में चलकर यह संग्रह बहुत ही उपयोगी तथा प्रेरक होता है। इस विधि से भी छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है।

(ठ) कवि सम्मान—ऐसा आए दिन होता ही रहता है कि कोई-न-कोई कवि राज्य से सम्मानित होता है अथवा उसकी कोई रचना लोकहित में श्रेष्ठ होती है। ऐसी अवस्था में उन कवियों को अपने विद्यालय में आमंत्रित किया जाए तथा उनका विद्यालय-परिवार एवं समाज की ओर से उचित सम्मान किया जाए। इसके अतिरिक्त कवि-विशेष से अथवा सम्मान्य कवि से उनकी एक आध रचनाएं सुनी जाएं। इससे छात्रों में काव्य-सृजन एवं अध्ययन की प्रेरणा का स्रोत प्रवाहित हो उठता है तथा उनकी रुचि काव्य की ओर स्वतः ही मुड़ जाती है।

इन सभी उपायों तथा साधनों के शीर्ष पर शिक्षक का स्थान है। काव्य-प्रेमी, सृजनशील, संवेदनशील तथा उदात्तभावी शिक्षक के द्वारा ही छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना संभव है। वस्तुतः उक्त सभी उपायों, साधनों में प्राण का संचार करनेवाला शिक्षक ही होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

14

नाटक-शिक्षण

नाटक

नाटक एक दृश्य काव्य है क्योंकि इसे अभियान के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। नाटक के पात्र, उसका कथोपकथन, उसके दृश्य, उसमें वर्णित घटना-स्थिति आदि सभी को रंगमंच पर रूपायित किया जा सकता है। नाटक में प्रभावोत्पादक शक्ति तथा कल्पना दोनों का ही समावेश होता है। रंगमंच पर नाटक सजीव एवं सक्रिय हो उठता है। काव्यों में नाटक अत्यंत ही मनोरम, प्रभावोत्पादक तथा चित्ताकर्षक होता है। नाटक में साधारणीकरण की शक्ति सबसे अधिक है। संस्कृत में कहा भी है–'काव्येषु नाटकं रम्यम्'।

सामान्यतः प्रबुद्ध अनुकृति को नाटक कहा जा सकता है। भरत मुनि ने कहा भी है–'अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्'।

अवस्था को यहां व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मानव-जीवन की समस्त परिस्थितियां, अवस्थाएँ एवं समस्याएँ अवस्था के अंतर्गत आ जाती हैं। नाटक मे जीवन के विभिन्न संघर्षों के उतार-चढ़ाव, रोना-हँसना मुस्कुराना इन सब चीज को नाटक मे बड़ी प्रभावकारी ढ़ग से पिरोया जाता है। नाटक के अंदर से नाटककार का उद्देश्य झांकता रहता है। वस्तुतः नाटक के परिवेश में भूत रूपायित होता है, वर्तमान प्रभावित होता है तथा भविष्य जन्म लेता है। अभिनव भरत ने कहा है–'नाटक वह प्रयोग है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक अथवा कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रूप के अनुसार, नाट्य प्रयोक्ता द्वारा प्रशिक्षित नट रंगमंच पर अभिनय तथा संगीत की सहायता

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

से दर्शकों के हृदयों में यथार्थ रस उत्पन्न करके उनका मनोविनोद करते हैं और परोक्ष रूप से उन्हें उपदेश देते हैं तथा मनःशांति प्रदान करते हैं।

नाटक को पंचम वेद भी कहा गया है। कल्पना ऐसी है कि इस वेद की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की। उन्होंने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाटक की रचना की। नाटक में जीवन के समस्त ऊहापोहों का अभिनय सुलभ चित्रण में होता है सच तो यह है कि नाटक में त्रैलोक्य के भावों अथवा अवस्थाओं का ही अनुकीर्तन या अनुकरण होता है।

महत्त्व एवं उपयोगिता

1. कल्पना से अधिक वास्तविकता—नाटक असल में असल चीज के हकीकत को उजागर करता है। नाटक में कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है। यही कारण है कि नाटक जीवन के अधिक निकट होता है। सच तो यह है कि इसमें वास्तविक जीवन ही रूपायित होता है।

2. विभिन्न रुचियों की संतुष्टि का साधन—नाटक एक ऐसा साहित्यिक साधन है जिसके द्वारा मानव की विभिन्न रुचियों की संतुष्टि होती है। कालीदास के शब्दों द्वारा इस मान्यता की पुष्टि होती है—

नाट्यं भिन्न रुचेर्जन्सय बहुधाप्येकं समाराधनम्।

भरत मुनि ने भी स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई ज्ञान, योग, विद्या, कला अथवा शिल्प नहीं है, जिसे नाटक के माध्यम से प्रस्तुत न किया जा सके। नाटक में कहीं धर्म, कहीं क्रीड़ा अर्थ, कहीं श्रम, कहीं हंसी, कहीं रुदन, कहीं काम तथा श्रृंगार के बहुरंगी फव्वारे छूटते रहते हैं। वीर-रस तथा रुद्र-रस का निर्झर भी अपने पूर्ण वेग के साथ प्रवाहित होता है इसमें। अतः यह स्पष्ट है कि नाटक मानव की विभिन्न रुचियों की संतुष्टि का साधन है, माध्यम है।

3. कवित्व की चरम भाषा—नाटक कवित्व की चरम भाषा है। काव्य में वर्णित दृश्य अथवा अवस्था को मानविक रूप से समझा जा सकता है। इसके विपरीत नाटक में वर्णित दृश्य अथवा स्थिति को रंगमंच पर प्रत्यक्ष देखकर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस आनंद को 'ब्रह्मानंद' की संज्ञा दी गई है।

4. लोकहित तथा लोकरंजन की भावना से पूर्ण—नाटक में लोकरंजन तथा लोकहित की भावना प्रमुख होती है। इससे दर्शकों तथा पाठकों का मनोरंजन

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

तो होता ही है, उन्हें लोकहितकारी प्रेरणा तथा संदेश की प्राप्ति भी होती है। भीमा मुनि के शब्दों में नाटक के इस महत्त्व को और भी स्पष्ट किया जा सकता है—

हितोपदेश जननम् नाट्यमेतद् भविष्यति।
विनोदकरणम् लोके नाट्यमेतद् भविष्यति।।

कहने का तात्पर्य की नाटक हितोपदेश व लोगों के मनोरंजन के लिए किये जाते हैं।

5. नाटक के गद्य, पद्य एवं मिश्रित रूप—नाटक की रचना गद्य, पद्य तथा मिश्रित तीनों रूपों में होती है तथा हो सकती है। शेक्सपियर, कालिदास जैसे महान् नाटककारों ने अपने नाटकों की रचना पद्य में की है। डी. एल. राय, सेठ गोविन्द दास, रामकुमार वर्मा तथा जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक मुख्य रूप से गद्य में लिखे हैं। उन्हें मिश्रित भी कहा जाता है चूँकि इसके अन्दर गाने को भी स्थान दिया गया है।

7. शिक्षण का प्रभावकारी माध्यम—मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्रव्य-दृश्य उपादान शिक्षण को सर्वोत्तम रूप से प्रभावकारी बनाते हैं। नाटक एक जीवंत श्रव्य-दृश्य उपादान है। इस महत्त्व को आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है तथा शिक्षण-कार्यों में इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। अब तो सभी विषयों को नाटक के माध्यम से पढ़ाए जाने की संभावना पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। आचरण तथा व्यवहार की शिक्षा नाटक के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से दी जा सकती है। इतिहास की शिक्षा तो नाटक के माध्यम से जीवंत तथा वास्तविक हो उठती है। टेलीविजन पर अभिनय द्वारा आजकल विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाने लगी है।

6. जन-साधारण की वस्तु—नाटक जन सधारण की चीज हो जब यह रंग मंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो अच्छे अच्छे मानव इसको सही मानने पर मजबूर हो जाते है। और दर्शक उन्हें वाहवाही देते हैं। रंगमंच पर नाटक की दुरूहता समाप्त हो जाती है। वह जनसाधारण की पहुंच में आ जाता है तथा जन-साधारण आलोड़ित-बिलोड़ित हो जाती है। इस प्रकार नाटक जन-साधारण क़ी वस्तु बन जाता है।

नाटक के उद्देश्य

नाटक मुख्यतः मनोरंजन एवं लोकहित का साधन है। अतः स्वस्थ मनोरंजन तथा लोकहित ही नाटक के मूल उद्देश्य हैं। नाटक के द्वारा आचरण की प्रभावकारी

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

शिक्षा देने का उद्देश्य भी आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चों को अपेक्षित रूप से चलने, बोलने, हाव-भाव प्रकट करने, कुमार्ग से बचने, न्याय के लिए बलिदान करने तथा दुष्टों का निर्भय विरोध करने की प्रेरणा शिक्षा नाटक के द्वारा प्रशक्त रूप से दी जा सकती है। भाषा-शिक्षण की दृष्टि से भी इसकी शिक्षा के उपयोगी उद्देश्य हैं। बच्चों को शुद्ध उच्चारण करने, सूक्ति एवं प्रशक्त गद्य-पद्य याद करने तथा सृजनात्मक ताकत को जागृत करने के अवसर पर नाटक-शिक्षण द्वारा प्रभावकारी ढंग से दिए जा सकते हैं। नाटक-शिक्षण द्वारा कल्पना, विवेचना तथा तर्क जैसी शक्तियों का विकास एवं परिष्कार आश्चर्यजनक रूप से होता है। इन बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि नाटक-शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत व्यापक हैं। इन उद्देश्यों को अलग-अलग इस प्रकार रखा जा सकता है–

क) उन्हें अभिनय कला से परिचित कराकर उसमें निष्णात कराना।
(ख) उन्हें भावानुसार तथा प्रभावकारी वाचन की कला में निष्णात कराना।
(ग) उन्हें इतिहास एवं संस्कृति से परिचित कराना।
(घ) उनमें साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
(ङ) उनमें साहित्यिक सृजनात्मक शक्ति का विकास करना।
(च) छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन करना और मोहना।
(छ) उन्हें मानव-स्वभाव के व्यावहारिक रूप से परिचित कराना।
(ज) उन्हें विभिन्न प्रकार के मानव-आचरणों एवं चरित्रों से परिचित कराना।
(झ) उन्हें विभिन्न अवसरों के अनुकूल आचरण करना तथा वार्तालाप करना सिखाना।
(ञ) उन्हें मानव-जीवन तथा समाजगत परिस्थितियों से परिचित कराना।
(ठ) उनमें वक्तृत्व-कला को विकसित कर, उन्हें सार्वजनिक भाषण करने में झिझक से मुक्त कराना।
(ढ) उन्हें वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना।

नाटक-शिक्षण की प्रणालियां

1. आदर्श नाट्य पाठ प्रणाली–इस प्रणाली में शिक्षक को सबसे अधिक सक्रिय एवं सक्षम होने की आवश्यकता होती है। इसमें तो अध्यापन करनेवाला शिक्षक ही कक्षा की बाहरी और अंदर की देख रेख करता है। वह प्रत्येक पात्र

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के संवाद को उसके अनुरूप हाव-भाव के साथ बोलता है। इससे छात्रों को पात्र के चरित्र का स्पष्ट आभास हो जाता है। इसमें अर्थ-कथन का स्थान नहीं है। शिक्षक ही कुछ इस प्रकार के संवाद बोलता एवं हाव-भाव प्रदर्शित करता है कि छात्रों को भाव ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रणाली में छात्र मात्र श्रोता एवं दर्शक बनकर रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त पठित नाटक के तत्त्वों की व्याख्या भी इस प्रणाली द्वारा होना असंभव हो जाता है। इन दोषों के होते हुए भी यह प्रणाली उचित है।

2. कक्षाभिनय प्रणाली—नाम से ही पता चलता है किंतु शिक्षा ओर नाटक में यह है की छात्र शिक्षक फर्क इशारे पर करते है और उनके पास रंगमंच के जैसा पोशाक नहीं होता लेकिन नाटक में सारी वस्तु होती हे इसलिये अच्छा लगता है। इसमें नाटक के विभिन्न पात्रों के रूप में कार्य करनेवाले छात्र वर्ग के सम्मुख अपने-अपने संवाद का भावपूर्ण ढंग से पाठ करते हैं। कक्षा-अभिनय-प्रणाली में वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रणाली से शिक्षण में रंगमंच-प्रणाली के सभी गुण तो नहीं हैं, किंतु बहुत अंशों में यह उसके निकट है। इतना ही नहीं, इसमें समय, धन तथा श्रम तीनों की बचत होती है। उद्देश्यों की प्राप्ति में यह प्रणाली अधिक उचित है। इसमें छात्र का क्रियाशीलन, मनोरंजन तथा विषय-स्पष्टीकरण प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। यह प्रणाली प्रस्तुत स्थिति में सर्वाधिक उपयोगी तथा सफल है।

3. प्रयोग प्रणाली—यह सर्वविदित है कि नाटक दृश्य-काव्य है। अतः रंगमंच पर उतारकर ही इसे प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। चरित्र में सजीवता, भाषा में प्रभावकारिता तथा कथोपकथन में स्वाभाविकता तो नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करके ही लाई जा सकती है। नाटक की सार्थकता तथा मौलिक अस्तित्व तो अभिनय में ही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नाटक-शिक्षक की सर्वोत्तम प्रणाली है रंगमंच पर उसका वास्तविक प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण। यही कारण है कि इस प्रणाली को रंगमंच-अभिनय-प्रणाली' भी कहते हैं। इस प्रणाली में छात्रों को वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। वे सक्रिय होकर कथोपकथन याद करते हैं, उच्चारण शुद्ध करते हैं, भावपूर्ण ढंग से बोलना सीखते तथा उसका अभ्यास करते हैं और इस प्रकार नाटक के संदेश को आत्मसात भी करते हैं। किंतु, इस प्रणाली में सभी छात्रों को नाटक में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता। इन दोषों के होते हुए भी यह प्रयोग अथवा रंगमंच-अभिनय-प्रणाली नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली है और इसको बड़ी सफलता मिली है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

4. व्याख्या अथवा समीक्षा प्रणाली—यह प्रणाली नाटक को उच्च श्रेणी में शिक्षण करते समय काम में लाई जाती है। इसमें भाषा, शैली, चरित्र, कथोपकथन, कथा, पात्र आदि की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। व्याख्या का माध्यम कथन तथा प्रश्नोत्तर होते हैं। इस प्रणाली में पठित नाटक के गुण-दोषों की विवेचना प्रस्तुत की जाती है। यह कार्य शिक्षक ही मुख्य रूप से करता है। तुलना, दृष्टांत एवं आचार्य-मान्यताओं द्वारा शिक्षक अपनी समीक्षा को पुष्ट बनाता है। इस विधि से छात्रों में गुण-दोष विवेचना की शक्ति का विकास होता है, किंतु अन्य सभी उद्देश्य गौण पड़ जाते हैं। उच्च कक्षा में यह प्रणाली उपयोगी तथा प्रभावकारी है।

5. अर्थबोध प्रणाली—सामान्यतः विद्यालयों में इसी विधि का अनुसरण होता है। इस प्रणाली में शिक्षक अपेक्षित नाटक का वाचन करता है तथा पठित अंश का अर्थ भी कहता चलता है। कतिपय शिक्षक तो नाटक का वाचन भी छात्रों से ही कराते हैं। अपनी ओर से ये मात्र अर्थ भर स्पष्ट कर देते हैं। इस प्रणाली में पाठ्य पुस्तक प्रधान होती है। उसका वाचन तथा अर्थ-कथन मात्र शिक्षक का काम होता है। यह प्रणाली मूल रूप से दोषपूर्ण है। इसमें न तो मनोरंजन होता है, न अभिनय और न कथोपकथन में ही स्वाभाविकता आती है। सच पूछा जाए तो यह कोई प्रणाली ही नहीं है। यह तो मात्र एक दकियानूस परिपाटी है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

15

कहानी-शिक्षण

कहानी गद्य साहित्य की एक अत्यंत ही सशक्त एवं रोचक विद्या है। इसके माध्यम से जीवन की जटिलताओं एवं व्यापक प्रभावशाली घटनाओं को कल्पना के सहारे कथानक में पिरोकर भाषा के धरातल पर उपस्थित किया जाता है। इसमें लेखक की सम्पूर्ण शक्ति किसी घटना, भाव या समस्या पर केंद्रित रहती है। मानव कहानी कहना व सुनना पसंद करता है। लोककथाऐं धार्मिक, बहादुरी, इस बात की प्रमान है की कहानी का जीवन में बहुत महत्त्व था। प्राचीनतम कहानियों का स्वरूप हमें बौद्धकालीन जातक कथा साहित्य व पुराणों में प्राप्त होता है। आधुनिक साहित्यिक विद्याओं तथा दैनिक जीवन के चलचित्र, नाटक आदि में भी कहानी का ही बोलबाला है। कहानी एक तरफ साहित्य की विधा है तो वहीं मनोरंजन का साधन भी। संस्कृत साहित्य में कहानी के लिए, आख्यायिका, कथा, वृत्तांत तथा कथानिका शब्द प्रचलित हैं। इसके साथ-साथ गल्प, कथानक, बात, किस्सा आदि शव्द भी कहानी के लिए प्रयुक्त होते हैं। कहानी आखिरकार है क्या? प्रेमचंद के शब्दों में–''कहानी (गल्प) एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास सब उसी एक भाव को पुष्टं करते हैं।''

कहानी एक ऐसी चीज है जो बिते हुए कल की याद दिलाती है।

डॉ. श्यामसुन्दर दास ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा है–''आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर चलने वाला नाटकीय आख्यान है।''

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पाश्चात्य विद्वान् चार्ल्स बैरेट के अनुसार, "कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।"

छोटे बच्चों के लिए लिखी गई काल्पनिक परियों की कथा भी कहानी ही कही जाती है क्योंकि इस से बच्चे उत्साहित होते है। ऐसी कहानियों में सरल भाषा, रोचक शैली तथा मनोरंजक घटनाओं का ही समावेश होता है। ये कहानियां नन्हे बच्चों के लिए विशेष आकर्षक तथा उपदेशप्रद होते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के पश्चात् कहा जाता है कि–

1. कहानी का उद्देश्य निश्चित होता है।
2. कहानी में कौतूहल व जिज्ञासा की प्रधानता होती है।
3. कहानी में घटना या भावनाओं की प्रधानता होती है।
4. कहानी गद्य साहित्य की एक प्राचीन, लघु व आवश्यक विद्या है।
5. कहानी में जीवन की वास्तविकता होती है।

कहानी की शैली तथा विषय

प्रतिपादन की दृष्टि से कहानियों को सामान्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है–

(क) घटना-प्रधान कहानियां–इस शैली की कहानियों में घटनाओं का क्रमवार वर्णन अथवा उनका संकलन मात्र प्रधान लक्ष्य होता है। इसमें गंभीर चिंतन का कोई स्थान नहीं होता।

(ख) मनोवैज्ञानिक कहानियां–इस शैली की कहानियों में मानव-आचरणों, चरित्रों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की जाती है।

(ग) चरित्र-प्रधान कहानियां–इस शैली वाली कहानियों में पात्रों के चरित्र-चित्रण को ही प्रधानता दी जाती है। अन्य अंग गौण पड़ जाते हैं।

कहानी सिर्फ दिल को बदलने के लिये नही कही जाती है बल्की जीवन की असल सत्य को भी उजागर करती है। यह व्यक्ति के चरित्र-निर्माण के साथ-साथ सद्प्रवृत्तियों के विकास में भी सहायक है। मांनव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। बच्चे कहानी सुनने तथा सुनाने में बहुत रुचि लेते हैं। अतः यह अभिव्यक्ति पक्ष तथा श्रवण पक्षों को भी पुष्ट करती है। कहानी सुनने से बच्चों की एकाग्रता तथा भावग्रहण की क्षमता का विकास होता है। यही कारण है कि अन्य विषयों के अध्यापन में भी अध्यापक छात्रों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कहानी का सहारा लेते हैं। साहित्य की अन्य विधाओं, गद्य, कविता, उपन्यास, नाटक आदि का शिक्षण करते समय कहानी विषय को सरल, आकर्षक, सुगम, रोचक व बोधगम्य बना देता है। कहानी कठिन से कठिन तथ्य को सरल व स्पष्ट बना देती है। गद्य में तो अंतर्कथा का स्पष्टीकरण कहानी के बिना संभव नहीं है। कविता में प्रयुक्त शब्द दानवीर, सत्यवादी, दृढ़प्रतिज्ञ शब्दों के स्पष्टीकरण कहानी के बिना स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। व्याकरण में प्रयुक्त मुहावरे व लोकोक्तियों का स्पष्टीकरण करने में मदद करती है। निबंध शिक्षण में जैसी होली, दीपावली आदि निबंधों में रामचंद्र जी, प्रह्लाद, हिरण्यकश्यप, होलिका से सम्बन्धित कहानियां सुगुम्फित हैं। कहानी सुनने से बच्चों के शब्दभण्डार में वृद्धि होती है तथा लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग करना सीखते हैं। कहानियों के द्वारा बच्चों को मानव, पशुपक्षी के गुण-दोषों की जानकारी प्राप्त होती है। कहानी के द्वारा बच्चों की अभिव्यक्ति पक्ष (वाचन व लेखन) का विकास तो होता ही है, कल्पना शक्ति भी विकसित होती है। कहानी सुनकर बच्चों के पठन के प्रति लालसा उत्पन्न होती है। बच्चे कॉमिक्स या नंदन, पराग व चन्दामामा की कहानी सुनकर सोचते हैं कि काश, मैं भी पढ़ पाता। इससे छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का भी विकास होता है कहानी पढ़ते हुए बच्चे अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। कहानी कथन से सुनाने तथा सुनने वाले के मध्य रागात्मक जोड़ स्थापित होते हैं। कहानी बच्चों के मन पर अमिट छाप छोड़ती है। दूरदर्शन पर प्रदर्शित कहानी को देखकर बच्चे हाव-भाव, उत्तान-अनुत्तान व अभिनेयता के गुण भी सीखते हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथासरित्सागर तथा जातक कथाओं से बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। अतः भाषा-शिक्षण में कहानी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना शिक्षण रोचक, सरस एवं प्रभावशाली नहीं हो सकता। किसी भी मुलक की धार्मिक, सामाजिक, संस्कृतिक, राजनीतिक स्पष्टतः कहानी के माध्यम से झलकती है। कहानी के महत्त्व के सन्दर्भ में रायबर्न का कथन है—"प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छी कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण अध्यापक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता।"

कहानी शिक्षण के उद्देश्य—प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं—

1. विभिन्न प्रकार की कहानी, शैलियों, जीवन दर्शन आदि से परिचय कराना।
2. छात्रों में सृजनात्मक का विकास करना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3. छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना।
4. छात्रों की कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास करना।
5. छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक पक्षों की जानकारी देना।
6. पशु-पक्षी एवं मानव स्वभाव, सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना।
7. छात्रों में सद्‌गुणों एवं सद्‌प्रवृत्तियों का विकास करना।
8. क्रमबद्धतापूर्वक चिंतन शक्ति का विकास करना।
9. कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है।
10. छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर भावग्रहण करने की कुशलता का विकास करना।
11. कहानी के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने योग्य बनाना।
12. छात्रों के शब्द भण्डार में वृद्धि करना।
13. मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रसंगानुसार प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना।
14. छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि विकसित करना।
15. साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा की जानकारी देना।

कहानी का चयन—कहानी शिक्षण का बहुत ही बड़ा खास उद्देश्य है जिससे बच्चे खुश व आनंदित होते हैं। अतः कहानी का चुनाव बहुत ही सावधानी और सोच समझ कर किया जाए। कहानी का चयन करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जाएं—

1. कहानियां ऐसी हों जिनमें वार्तालाप या संवाद हों।
2. कथानक सहज, सरल व बोधगम्य हो।
3. कहानियां छात्रों की रुचियों के अनुकूल हों।
4. कहानी की शब्दावली सरल हो तथा वाक्य-विन्यास छोटे हों।
5. कहानी में उत्सुकता एवं सृजनात्मकता होनी चाहिए।
6. कहानी का शीर्षक छोटा, स्पष्ट, उत्सुकता-प्रधान व सारगर्भित हो।
7. कहानी की भाषा छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए।
8. कहानी की विषयवस्तु परिवेश से सम्बन्धित हो। प्राथमिक स्तर पर पशु-पक्षियों से सम्बन्धित काल्पनिक साहसिक, ऐतिहासिक व सामाजिक कहानियां हो सकती हैं।
9. कहानी ऐसी हों, जो बच्चों के चरित्र-निर्माण में सहायक हों।
10. कहानियां घटनाप्रधान हों।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्राभमिक स्तर पर बच्चों को अच्छे-अच्छे पशु-पक्षियों से भरा हुआ कहानी का चुनाव किया जाए और वह कहानी भी सुनाई जाए जो परियों से अच्छे लगाव वाली कहानी हो। इस आयु में बच्चे आश्चर्यजनक घटनाओं को सुनने में रुचि लेते हैं। बच्चों को भय या आतंकित कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। बच्चों को सत्य पर आधारित कहानियां ही सुनाई जानी चाहिएं। माध्यमिक स्तर पर साहसिक, आश्चर्यजनक खोजों एवं आदर्श से संबंधित कहानियां भी सुनानी चाहिए। इस स्तर पर महापुरुषों के आदर्श चरित्र से संबंधित एवं आश्चर्यजनक साहसिक कहानियां भी सुनानी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर मानसिक, अन्तर्द्वन्द्व, समाज के संघर्ष से संबंधित कहानियां सुनानी चाहिए क्योंकि इस स्तर पर बच्चों में मानसिक स्थिरता आने लगती है तथा उनका संवेगात्मक विकास भी होने लगता है। अतः कहानी चयन में अध्यापक को अत्यंत सजग रहना चाहिए।

कहानी कहना या सुनाना—कहानी के उद्देश्यों की सम्प्राप्ति और उसका महत्त्व कहानी कहने पर निर्भर करता है। अतः अध्यापक को कहानी सुनाने के गुणों को अपने में समाहित करना चाहिए। कहानी सुनाते समय अध्यापक को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए—

1. कहानी सुनाने से पहले अध्यापक को कहानी की विषयवस्तु भाव आदि की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।

2. कहानी कहते समय स्वर इतना ऊंचा होना चाहिए कि सभी बच्चों को स्पष्ट सुनाई दे।

3. कहानी सुनाते समय शिक्षक को उचित हाव भाव का भी प्रदर्शन करना चाहिये उदाहरणार्थ वीर रस से संबंधित कविता को सुनाते समय जोश व उत्साह के भाव होने अत्यावश्यक हैं।

4. कहानी सुनाते समय बीच-बीच में बच्चों से प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए जिससे उनकी एकाग्रता व विषयवस्तु के अधिग्रहण का मूल्यांकन किया जा सके।

5. कहानी के प्रति शिक्षक अपनी खुद की भी रुचि होनी चाहिये, अन्यथा वह बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।

6. कहानी की शब्दावली व गति बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए।

7. कहानी कहते समय बच्चों के साथ आत्मीयता का संबंध होना चाहिए।

8. कहानी सुनाते समय घटनाओं के क्रम का ध्यान रखना चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

9. कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना है अतः सरल, सुबोध व सुगम भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

10. कहानी मौखिक रूप से ही सुनाई जानी चाहिए।

कहानी-शिक्षण की प्रणालियां

कहानी-शिक्षण के लिए विद्यार्थियों की आयु, कक्षा के स्तर, कहानी के उद्देश्य आदि को ध्यान में रखकर कई विधियां अपनाई जा सकती हैं। कहानी-शिक्षण की निम्न विधियां हैं–

1. गहन अध्ययन-प्रणाली–गहन अध्ययन प्रणाली का अर्थ है कहानी में आए कठिन शब्द, विचार, मुहावरे-लोकोक्ति आदि की उचित व्याख्या करते हुए कहानी को पढ़ना, कहानी के कथन, संदेश, उपदेश, निर्देश, कहानी की अन्य कहानियों से तुलना, महत्त्व आदि का विचार करना भी इसमें सम्मिलित है।

यह प्रणाली उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। भावप्रधान, मनोवैज्ञानिक, विचार प्रधान, साहित्यिक कहानियों के लिए भी यह विधि उत्तम मानी जाती है।

कहानी शिक्षण की उपर्युक्त विधियां कहानी के उद्देश्य पर निर्भर करती हैं। अध्यापक यह फैसला करके कि उसे किस उद्देश्य को प्राथमिकता देनी है, उसी के अनुरूप वह विधि का चयन करे। इसके साथ-साथ एक ही कहानी को अनेक विधियों अथवा मिश्रित रूप से अध्यापन कर सकता है।

2. अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली–इस प्रणाली में अधूरी कहानी को पूरा कराया जाता है। कहानी को पूरा निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

(क) कहानी का मात्र शीर्षक देकर।

(ख) कहानी का आरम्भ दो-तीन वाक्यों से करके अथवा एक अनुच्छेद देकर। पात्रों, घटना, वातावरण उद्देश्य आदि सभी छात्रों पर छोड़ दी जाती है।

(ग) कहानी की सामान्य रूपरेखा देकर, कुछ संकेतों के आधार पर कहानी को पूरा करने का अवसर दिया जाता है।

इस विधि में छात्रों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, तथा कल्पना व सृजनशक्ति का विकास होता है। छात्रों को मनन-चिंतन का अवसर मिलता है। इससे छात्रों के व्यक्तित्व का भी विकास होता है।

(क) सम्पूर्ण कहानी अध्यापक कक्षा में पढ़कर सुनाए।

(ख) एक ही छात्र सम्पूर्ण कहानी को पढ़कर सुनाए।

(ग) कई छात्र अंशतः कहानी को पढ़कर सुनाएं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(घ) मौनरूप से छात्र कहानी कक्षा में पढ़ें।

(ङ) कहानी का कुछ अंश अध्यापक पढ़कर सुनाए तथा उसका स्पष्टीकरण करते हुए उसी प्रकार छात्रों को पढ़ने को कहें ताकि बच्चों का मनोबल ऊँचा हो।

(च) यदि कहानी में संवाद हैं तो छात्र कहानी के पात्र बनकर अपने-अपने अंश पढ़ें।

3. चित्र प्रदर्शन प्रणाली—इस प्रणाली के अनुसार कहानी से संबंधित विभिन्न चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। चित्रों में कहानी के क्रम का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। चित्र-प्रदर्शन का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

(क) पहली सुनाई हुई कहानी के चित्र बच्चों को दिखाएं और घटना या पात्र से संबंधित प्रश्न पूछकर कहानी का विकास किया जाए। इससे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे।

· पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त है। बच्चे चित्रों को देखकर चमत्कृत हो जाते हैं तथा कहानी की घटनाओं से सम्बन्ध जोड़ने की क्षमता का विकास होता है।

(ख) नई कहानी को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए। उन चित्रों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएं तथा चित्रों के माध्यम से कहानी का विकास बच्चों की मदद से किया जाए।

इससे बच्चों की कल्पना शक्ति व मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है।

(ग) स्वतंत्र चित्र दिखाकर कहानी का निर्माण किया जा सकता है। चित्र जीवन की विभिन्न घटनाओं से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि विद्यार्थी उन्हें देखकर कहानी का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। यदि चित्रों का निर्माण स्थानीय वातावरण के अनुसार हो तो बहुत उपयोगी होगा।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर चित्र प्रदर्शन बच्चों के लिए अत्यन्त उपयोगी होता है। इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति तथा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसके साथ-साथ सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है।

4. मौखिक कहानी कथन प्रणाली—इस प्रणाली में कहानी मौखिक रूप से सुनाई जाती है। यह प्रणाली अत्यंत प्राचीन व स्वाभाविक है। छोटी कक्षाओं के लिए यह प्रणाली सर्वोत्तम है। बच्चों को कहानियां सुनना अच्छा लगता है। यह श्रवणशक्ति व एकाग्रता का विकास करती है। अतः अध्यापक को चाहिए

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

कि पाठ्य-पुस्तक में निर्धारित कहानी को याद करके बच्चों को सुनाए। वर्णन प्रधान, भाव प्रधान व मनोवैज्ञानिक कहानी का वर्णन मौखिक रूप से कर पाना कठिन है।

व्यावहारिक कार्य

1. दूरदर्शन पर प्रसारित कहानियों को ध्यान से सुनना तथा उसको अच्छे ढंग से लिखवाना।
2. किसी कहानी की पुस्तक को पढ़ना और उसकी कहानियों का वर्गीकरण करना।
3. कहानी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन करना।
4. कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना।
5. बाल कहानियों व कहानीकारों की सूची तैयार करना।
6. हिन्दी के प्रमुख कहानीकारों द्वारा लिखित कहानी-संग्रहों या कहानियों की सूची तैयार करना।
7. पुस्तकालय में उपलब्ध कहानी की किताब की सूची तैयार करना।
8. स्वरचित 5 कहानियाँ लिखना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

16

रचना-शिक्षण

साहित्य में निबंध, कहानी, कविता, नाटक सभी को रचना कहते हैं। क्योंकि इन सभी में भाषा का सुगठित तथा परिष्कृत रूप हमारे समग्र प्रस्तुत होता है। संक्षेप में भाषा को सुन्दर ढंग से सजाया, संवारा जाना ही रचना है।

मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से करता है—बोलकर (मौखिक रूप में) एवं लिखकर (लिखित रूप में)। अतः रचना के भी दो रूप होते हैं—

1. **मौखिक रचना**—बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना और,
2. **लिखित रचना**—लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना।

बच्चा पहले मौखिक रचना शुरू करता है और बाद में लिखित रचना। हम कह सकते हैं कि मौखिक रचना लिखित रचना का आधार है।

रचना-शिक्षण—जब हम भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल का विकास करने के उद्देश्य के साथ-साथ बच्चों में अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की योग्यता का विकास करने के उद्देश्य को भी अपने सामने रखते हैं। बच्चे के अंदर जब तक अपने विचारों को प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित नहीं होती है तब तक उसका भाषा पर पुरा अधिकार नहीं हो पाता है। इसीलिए भाषा-शिक्षण में रचना-शिक्षण को एक खास स्थान से मनोविज्ञान किया जाता है।

"बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना ही रचना-शिक्षण है।"

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

छात्रों को अवसरानुकूल शब्दावली का प्रयोग करते हुए, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, विषयानुकूल भाषा-शैली का प्रयोग करने, उचित स्वर एवं उचित गति से विचारों को अभिव्यक्त करने, भावानुकूल हाव-भाव का प्रदर्शन करने, व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग करने एवं शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करने एवं विचारों को सुसम्बद्ध रूप से व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना ही रचना-शिक्षण है।

रचना-शिक्षण का महत्त्व

भाषा एक कौशल है। इस कौशल पर पूर्ण अधिकार पाने के लिए बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल का विकास करना जरूरी है क्योंकि भाषा का इस्तेमाल दो तरिके से होता है—मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप पर अधिकार करने के लिए सुनना और बोलना तथा लिखित रूप पर अधिकार करने के लिए पढ़ना और लिखना—इन चारों कौशलों को विकसित करना भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इन चारों कौशलों में से बोलने और लिखने अर्थात् मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से विचारों को अभिव्यक्ति करने के कौशल का विकास रचना-शिक्षण द्वारा किया जाता है। रचना की शिक्षा के द्वारा ही बच्चों को शुद्ध उच्चारण करते हुए, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए, अवसरानुकूल शब्दावली एवं विषयानुकूल भाषा-शैली में उचित हाव-भाव के साथ बोलने का अभ्यास कराया जाता है। इसी प्रकार शब्दों की शुद्ध वर्तनी, सुलेख, व्याकरणसम्मत वाक्य-रचना, विषय के अनुकूल भाषा-शैली, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करते हुए सुन्दर लेख में अपने विचारों को व्यक्त करने का अभ्यास भी रचना-शिक्षण द्वारा ही कराया जाता है।

अतः बच्चों की अभिव्यक्ति में पूर्णता लाने की दृष्टि से रचना-शिक्षण का भाषा की शिक्षा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।

विभिन्न स्तरों पर रचना-शिक्षण के उद्देश्य—भाषा तो मनुष्य के विचार/संप्रेषण का एक खास माध्यम है। भाषा ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाए रखने में प्रमुख माध्यम का कार्य करती है। यह भाषा वैसे तो बच्चा स्वाभाविक रूप से अनुकरण करता हुआ सीख जाता है, परन्तु उसके इस भाषा-ज्ञान में निखार व पूर्णता लाना ही भाषा-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालई शिक्षा के प्राथमिक स्तर से ही बच्चे को भाषा की शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया जाता है। धीरे-धीरे उसके भाषाई कौशलों में निखार लाया जाता है। छात्रों को शब्दों,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों, वाक्य रचना, वाक्य-रचना के नियमों, विराह-चिह्नों, विभिन्न लेखन-शैलियों आदि का क्रमबद्ध ज्ञान कराया जाता है ताकि उनकी अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता एवं प्रभावपूर्णता आ सके। बच्चों को इन सब भाषाई तत्त्वों का क्रमिक ज्ञान धीरे-धीरे उनकी क्षमता व योग्यतानुसार कराया जाता है इन सभी तत्त्वों आदि का ज्ञान कराना तथा भाषाई क्षमताओं को क्रमबद्धरूप से विकसित करना ही रचना-शिक्षण के उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को विद्यालई शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर क्रमिक रूप से छात्रों की मानसिक क्षमता, रुचि आदि को ध्यान में रखते हुए विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। रचना-शिक्षण के ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. छात्रों की मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में स्पष्टता एवं शुद्धता लाना।
2. छात्रों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना कि वे जो कुछ भी विचार या भाव प्रकाशित करें उनमें एक उचित तारतम्य हो।
3. छात्रों को लेखन की विभिन्न शैलियों से अवगत कराना।
4. छात्रों की निरीक्षण, तर्क, कल्पना तथा विवेक-शक्तियों को विकसित करना।
5. छात्रों को विषयानुकूल भाषा-शैली का व्यावहारिक प्रयोग करने के योग्य बनाना।
6. छात्रों को उचित गति से सुन्दर, सुडौल और स्पष्ट लेख लिखने में प्रशिक्षित करना।
7. छात्रों को शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग कर सकने के योग्य बनाना।
8. छात्रों को व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग कर सकने के योग्य बनाना।
9. छात्रों में अपने विचारों को क्रमवद्ध रूप से प्रकट करने की क्षमता विकसित करना।
10. छात्रों में अध्ययन, चिन्तन एवं मनन की अभिवृत्ति का निर्माण करना।
11. छात्रों की अभिव्यक्ति में मौलिकता लाना।
12. छात्रों को साहित्य की विविध विधाओं के तत्त्वों से परिचित कराकर, उनकी अध्ययन करने एवं उनका भंडार विकसित करने की क्षमता विकसित करना।
13. छात्रों को कम से कम भाषा के अन्दर ज्यादा से ज्यादा विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

14. छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास कर साहित्य-सृजन के लिए प्रेरणा देना।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि रचना-शिक्षण के सभी उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक शैलियों के विकास के मूल उद्देश्य से सम्बन्धित हैं। अध्यापकों का कर्त्तव्य है कि वे कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण कर तथा उचित रचना-शिक्षण विधि एवं प्रक्रिया को अपनाकर विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति को पहचानें एवं उन्हें विकसित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें जिससे छात्र केवल पूर्ण प्रचलित लेखन-शैली का प्रयोग ही न करें बल्कि रचना-कार्य में इतने कुशल हो जाएं कि अपनी स्वतन्त्र-लेखन शैली का निर्माण करें और साहित्य-भण्डार को विकसित करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें।

रचना-शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रणालियां

रचना-शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को अपने भावों और विचारों को उचित भाषा में क्रमबद्ध रूप से अभिव्यक्त करना सिखाना। विचारों की अभिव्यक्ति दो रूपों में होती है—मौखिक एवं लिखित। अतः रचना के भी दो रूप होते हैं—एक 'मौखिक रचना' अर्थात् बोलकर अपने भावों व विचारों को उचित क्रम में व्यक्त करना और दूसरा 'लिखित रचना' अर्थात् लिपि के माध्यम से उचित भाषा-शैली का प्रयोग कर विचारों को व्यक्त करना।

मौखिक रचना लिखित रचना का आधार होती है। किसी भी विषय पर रचना-कार्य कराते समय अध्यापक छात्रों से पहले मौखिक रूप से रचना करवाता है तदुपरान्त उस मौखिक रचना को लिपिबद्ध करने का आदेश देता है। बच्चों को ठीक प्रकार से रचना-कार्य का प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रणालियों का विकास किया गया है। अध्यापक को छात्रों के मानसिक स्तर, कक्षा एवं विषय को ध्यान में रखते हुए किसी उपयुक्त प्रणाली का चुनाव कर अपने रचना-शिक्षण को प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए।

रचना-शिक्षण की ये प्रणालियां निम्नलिखित हैं—

1. अनुसरण प्रणाली—इस प्रणाली में छात्रों के सम्मुख भाषा एवं शैली की दृष्टि से त्रुटि-रहित कोई रचना प्रस्तुत की जाती है। छात्र उस रचना का अध्ययन एवं मनन करते हैं। फिर उसी रचना से मिलती-जुलती कोई दूसरी रचना छात्र स्वयं करते हैं। जैसे—''यदि मैं शिक्षक होता' रचना का अनुकरण कर छात्र 'यदि मैं परीक्षक होता' विषय पर रचना-कार्य कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर रचना-कार्य कराने के लिए किया जा सकता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

2. शब्द-प्रधान विधि—इस विधि में अध्यापक रचना में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रमुख शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों को बच्चों के सम्मुख रखता है और फिर उनको अपने वाक्यों में प्रयुक्त कर रचना करने का आदेश देता है।

3. प्रवचन प्रणाली—इस प्रणाली में अध्यापक रचना के विषय पर छात्रों के सम्मुख अपना व्याख्यान अर्थात् भाषण प्रस्तुत करता है और छात्रों को उस विषय पर रचना करने का आदेश देता है। छात्र अध्यापक के प्रवचन को सुनकर उसके आधार पर तथा अपने विचारों को उसमें मिश्रित कर स्वयं रचना-कार्य करते हैं। स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की योग्यता को विकसित करने की दृष्टि से यह एक उपयोगी विधि है।

4. विचार-विमर्श प्रणाली—इस प्रणाली में शिक्षक छात्रों से किसी प्रमुख विषय पर अध्ययन और विचार करके आने को कहता है। छात्र उस विषय पर तैयारी करके कक्षा में आते हैं और सभी छात्रों एवं अध्यापक के साथ उस विषय पर मौखिक रूप से विचार-विमर्श करते हैं। बाद में इसी विचार-विमर्श के आधार पर पाठ्य विषय पर रचना करने के लिए कहा जाता है। सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक विषयों आदि पर रचना-कार्य करने के लिए उच्चमाध्यमिक स्तर पर इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है।

5. मन्त्रणा प्रणाली—इस प्रणाली में अध्यापक रचना के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के पश्चात् छात्रों को विषय से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाएं तथा किताब के बारे में अवगत करता है। छात्र उन पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का अध्ययन कर स्वयं रचना करते हैं। किसी भी विषय से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करने, विचार करने एवं स्वतन्त्र रूप से विचारों को अभिव्यक्ति करने की दृष्टि से यह विधि एक उपयोगी विधि है।

6. स्वाध्याय प्रणाली—इस प्रणाली में अध्यापक केवल रचना के विषय से छात्रों को अवगत करता है। छात्र स्वयं रचना कार्य सम्पन्न करते हैं। रचना करने के लिए पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि की खोज छात्र स्वयं करते हैं। उनका अध्ययन कर वे स्वयं सम्बन्धित विषय पर रचना करते हैं। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जा सकता है। जहाँ बच्चे स्वयं सोचने और निर्णय लेने के योग्य होते हैं।

7. तर्क या वाद-विवाद प्रणाली—विवादाग्रस्त विषयों पर रचना-कार्य कराने के लिए उच्च कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सहशिक्षा,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

जातिप्रथा, दहेजप्रथा, मूर्तिपूजा आदि विषयों पर रचना-कार्य कराने के लिए कक्षा के छात्रों को दो भागों में बांटकर रचना के विषय के पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। छात्र विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलते हुए अपने विचारों को सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वाद-विवाद पूरा होने के पश्चात् छात्रों को विषय पर रचना-कार्य करने के लिए कहा जाता है। इसमें छात्र अपने पक्ष का मण्डन (समर्थन) एवं विपक्ष का खण्डन करता है। अतः इसे 'खण्डन-मण्डन विधि' भी कहा जाता है।

8. समवाय प्रणाली—इस प्रणाली में भाषा साहित्य की अन्य विधाओं पद्य, कहानी, नाटक, निबन्ध, जीवनी, आत्मकथा आदि पढ़ाते समय छात्रों को ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर छात्रों को एक रचना के रूप में देना पड़ता है। छात्र निबन्धात्मक शैली में प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और इस तरह उन्हें रचना करने का अवसर मिलता है। माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं में इस प्रणाली का प्रयोग रचना-शिक्षण के लिए किया जा सकता है।

9. समीक्षा प्रणाली—इस प्रणाली में अध्यापक कहानी, निबन्ध, नाटक, उपन्यास, पद्य, जीवनी आदि के तत्त्वों तथा रचना-कौशल के सिद्धान्तों को स्पष्ट करता है और छात्रों को किसी भी विषय पर समीक्षात्मक रचना करने का आदेश देता है। छात्र सम्बन्धित विद्या के तत्त्वों के आधार पर विषय पर समीक्षात्मक निबन्ध लिखते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं में बालकों की लिखित अभिव्यक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।

10. प्रश्नोत्तर प्रणाली—रचना-शिक्षण की यह प्राचीनतम एवं सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। जिस विषय पर रचना-कार्य कराना हो, उससे सम्बन्धित प्रश्न अध्यापक इस क्रम में पूछता है कि छात्रों को सम्बन्धित विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार इस विधि में पहले मौखिक रचना की जाती है और उसके वाद लिखित रचना करने को कहा जाता है। रचना में होने वाली त्रुटियों को बाद में ठीक कराया जाता है।

इस विधि में छात्र व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। अतः रचना-शिक्षण की यह एक उपयुक्त प्रणाली है। किसी भी स्तर पर रचना-कार्य कराने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है।

लेकिन इस प्रणाली का प्रयोग करते समय अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रचना का विषय बच्चों के अनुभव-सीमा के भीतर का हो, प्रश्न छोटे व स्पष्ट हों, सभी बच्चों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिया जाए, छात्रों को भी प्रश्न पूछने

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

की छूट हो, उनकी शंकाओं का उचित समाधान किया जाए एवं छात्रों के उत्तरों में त्रुटि होने पर उन्हीं की सहायता से उन त्रुटियों को दूर कराने का पुरा प्रयास भी किया जाए।

11. चित्र वर्णन प्रणाली—इस प्रणाली में, जिस विषय पर रचना-कार्य कराना होता है, उससे सम्बन्धित चित्र कक्षा के अन्दर बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते है। अध्यापक चित्र से सम्बन्धित प्रश्न क्रमपूर्वक बच्चों से पूछता है और बच्चे चित्र का अवलोकन कर अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चित्र के अंग-प्रत्यंग पर प्रश्न पूछने के बाद अन्त में बच्चों से अपने शब्दों में चित्र का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के उपरान्त छात्रों से लिखित अभिव्यक्ति के लिए कहा जाता है।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर रचना-कौशल के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है। इस विधि में बच्चे रचना के प्रारम्भ से अन्त तक क्रियाशील रहते हैं। अतः उनकी रुचि बनी रहती है। इस विधि में छात्रों की निरीक्षण एवं कल्पना-शक्ति विकसित होती है। छोटे बच्चों की तर्कशक्ति एवं अभिव्यक्ति-शक्ति का विकास करने के लिए तो यह विधि बहुत ही उत्तम है।

इस विधि के सफल प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि चित्र स्पष्ट एवं पूर्ण हों। चित्र का विषय बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल, सरल एवं परिचित हो।

12. भाषायन्त्र प्रणाली—यह रचना शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है। जिसमें छोटे-छोटे बच्चे खेल-खेल में रचना करना सीख जाते हैं। इस विधि में चार उपकरणों की आवश्यकता होती है—ग्रामोफोन मशीन या टेपरिकॉर्डर, रचना का रिकॉर्ड या कैसेट, चित्र एवं सहायक पुस्तक। पहले टेपरिकॉर्डर पर रचना का कैसेट लगाकर उसे चालू कर दिया जाता है, सामने दीवार पर सम्बन्धित चित्र टांगकर, अध्यापक कैसेट से निकलने वाले वाक्यों के अनुसार संकेतक से चित्र पर संकेत करता चलता है। बच्चे चित्र देखते हैं और कैसेट पर उसका वर्णन सुनते हैं। वर्णन पूरा होने के उपरान्त अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछकर रचना को दोहराता है और छात्रों से रचना लिखने के लिए कहता है। बाद में सम्बन्धित पुस्तक से वे अपनी रचना की तुलना करते हैं और अपनी त्रुटियां दूर करते हैं।

इस प्रणाली में बच्चों की आंख, कान, हाथ आदि सक्रिय रहते हैं। अतः रचना में उनकी रुचि बनी रहती है, परन्तु यह विधि खर्चीली बहुत है और

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

छोटे-छोटे बच्चों से अपनी त्रुटियां अपने आप दूर करने की आशा करना व्यर्थ है।

13. उद्बोधन प्रणाली—इस प्रणाली में प्रश्नोत्तर एवं दृश्य-श्रव्य आदि का प्रयोग करके छात्रों की कल्पना एवं विचार शक्ति को प्रेरित कर सम्बन्धित विषय की सामग्री को बच्चों से ही निकलवाया जाता है। कक्षा में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है कि छात्र स्वयं सम्बन्धित विषय पर विचार प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक छात्रों के विचारों को क्रमबद्ध करके उन्हें लिखित रचना करने के लिए कहता है। महापुरुष के जीवन-चरित, आत्मकथा, दृश्यों का वर्णन, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक वर्णन आदि से सम्बन्धित विषयों पर रचना-कार्य कराने में यह विधि सहायक होती है।

निम्न माध्यमिक एवं उससे आगे की कक्षाओं में रचना-कार्य कराने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है।

14. रूपरेखा प्रणाली—इस प्रणाली में कहानी, निबन्ध या अन्य विषयों पर रचना-कार्य कराने के लिए सम्बन्धित विषय की रूपरेखा छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। छात्र उस रूपरेखा के आधार खुद सोच समझकर रचना कार्य करने का प्रयास करता है। यह प्रणाली तार्किक क्रम में विचारों को व्यक्त कर रचना-कार्य करने के लिए तो उपयुक्त है परन्तु स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं। यह विधि माध्यमिक एवं उच्च दोनों स्तरों पर रचना-कार्य कराने के लिए उपयोगी है।

इस प्रकार छात्रों के बौद्धिक एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रणाली का प्रयोग कर छात्रों को रचना करने में प्रशिक्षित किया जा सकता है। किसी भी प्रणाली का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मौखिक रचना लिखित रचना का आधार है। अतः लिखित रचना कराने से पहले छात्रों को मौखिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए, तभी छात्रों की रचनात्मक योग्यता का विकास उचित रूप से हो सकेगा। छात्रों में स्वतन्त्रता विकसित करने के लिए अध्यापक ऊपर लिखित किसी भी रचना का प्रयोग कर सकता है। ये शिक्षण-प्रणालियां रचनात्मक योग्यता को विकसित करने के लिए साधन है, साध्य नहीं हैं।

रचना में मौलिकता लाने का उपाय

रचना-शिक्षण का उद्देश्य एक ओर तो छात्रों को शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करते हुए, अपने भावों एवं विचारों को उचित

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

रूप से अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना है तो दूसरी तरफ उन्हें अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से, व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करते हुए, मौलिक चिन्तन एवं मौलिक अभिव्यक्ति की क्रिया में प्रशिक्षित करना है। मौलिक चिन्तन एवं मौलिक अभिव्यक्ति ही साहित्य के भण्डार में वृद्धि करने का एकमात्र उपाय है। छात्रों की अभिव्यक्ति में मौलिकता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं –

1. छात्रों के सम्मुख विभिन्न लेखन-शैलियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली का चयन करने की स्वतन्त्रता दी जाए।

2. छात्रों को अपनी बात से कहने की पूरी-पूरी छूट होनी चाहिए।

3. कहानी, कविता, निबंध आदि लेखन प्रतियोगिता का अवसर प्रदान कर रचना-शिक्षण को रुचिकर बनाना चाहिए।

4. विद्यालय-पत्रिका का आयोजन भी मौलिक रचना का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।

5. रचना-कार्य कराने से पहले विचार-विमर्श द्वारा छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना चाहिए। बाद में इसी आधार पर लिखित रचना कराई जा सकती है।

6. छात्रों की अभिव्यक्ति में मौलिकता लाने के लिए छात्रों में अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास पैदा करना। उसके मन से भय, हिचक या संकोच की भावना को दूर करने के लिए अध्यापक को छात्रों के साथ प्रेम, सहानुभूतिपूर्ण एवं प्रोत्साहनजनक व्यवहार करना चाहिए।

7. कक्षा में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा लिखित कार्य करने का मौका दिया जाए।

8. छात्रों को विभिन्न घटनाओं, दृश्यों, का निरीक्षण करने, कल्पना करने और विचार करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं।

9. छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जाग्रत की जाए। उन्हें अध्ययन, चिन्तन, मनन एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं।

10. छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाए।

इस प्रकार से कक्षा में उचित वातावरण का निर्माण कर अध्यापक छात्रों की रचना में मौलिकता लाने में सफलता प्राप्त कर सकता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

रचना-शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय

छात्रों की अभिव्यक्ति की योग्यता को विकसित करने के लिए अध्यापक रचना-शिक्षण की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग करता है, परन्तु इन प्रणालियों का प्रयोग करते हुए छात्रों का ध्यान रचना की तरफ आकर्षित करने के लिए शिक्षक निम्न उपाय अपना सकता है–

1. लिखित रचना कराने से पहले कक्षा में मौखिक रचंना करानी चाहिए। मौखिक रचना ही लिखित रचना का आधार है।

2. रचना-शिक्षण करते समय छात्रों को अधिक से अधिक सक्रिय रखने का प्रयास करना चाहिए।

3. दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रचना को आकर्षक, सजीव व सरस बनाने का प्रयास करना चाहिए।

4. अध्यापक की स्वयं रचना-कार्य में रुचि होनी चाहिए। रुचि के साथ-साथ रचना-कार्य में अध्यापक की प्रवीणता भी होनी चाहिए। तभी वह छात्रों को रचना-कार्य के लिए प्रेरित कर सकेगा।

5. रचना-कार्य में छात्रों की रुचि जाग्रत करने के लिए विद्यालय में समय-समय पर मौखिक रचना एवं लिखित रचना से सम्बन्धित क्रियाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए।

6. विद्यार्थी जो भी रचना करे, उसका संशोधन छात्रों की भाषा एवं व्याकरण सम्मत अशुद्धियों को दूर करने के लिए ध्यानपूर्वक लेखन-कार्य की जांच करनी चाहिए। जांच करते समय छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।

7. रचना का विषय छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। छोटी कक्षाओं में रचना का विषय बालकों की पाठ्य-पुस्तक से सम्बन्धित हो। क्योंकि बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों से सम्बन्धित विषय उनकी रुचि के अनुकूल होते हैं। अतः रचना के लिए ऐसे ही विषयों का चुनाव किया जाए। प्राथमिक स्तर पर मेले, रेलवे स्टेशन, घर-परिवार आदि पर निबन्ध, माता-पिता, भाई आदि को पत्र, छोटी वर्णनात्मक कहानी, महापुरुष का जीवन-चरित्र आदि पर रचना-कार्य कराया जा सकता है।

माध्यमिक स्तर पर जीवनोपयोगी पत्र, सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर लेख, समारोहों का आंखों-देखा वर्णन, लिखवाना आदि कार्य कराए जा सकते हैं।

इसी प्रकार उच्च माध्यमिक स्तर पर उच्चकोटि के वर्णनात्मक एवं कल्पनात्मक लेख, संक्षेपीकरण एवं विस्तारीकरण लेख, पढ़ाए गए पाठ का सार

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

एवं भावार्थ, प्रश्नों के निबन्धात्मक उत्तर आदि रचना के रूप में लिखवाए जा सकते हैं।

8. प्रारम्भ में बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग हो नवाले शब्दों का ज्ञान देना चाहिये इसी प्रकार पहले से ज्ञात शब्दों तथा मुहावरों आदि का प्रयोग कराते हुए ही रचना करानी चाहिए। नए शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग कम होना चाहिए।

9. रचना-शिक्षण में शिक्षण-सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे—ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर आदि। अर्थात् छात्रों से प्रारम्भ में छोटे-छोटे सरल वाक्य लिखवाने चाहिए फिर लम्बे-लम्बे मिश्रित वाक्य। शुरू से ज्ञात विषयों पर रचना-कार्य कराना चाहिए फिर धीरे-धीरे कल्पनात्मक, विचारात्मक, आलोचनात्मक आदि विषयों पर लेखन-कार्य कराना चाहिए। प्रारम्भ में रचना का आकार छोटा होना चाहिए। धीरे-धीरे लम्बी रचना करानी चाहिए।

10. रचना कराने से पहले छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए, क्योंकि अध्ययन से ही विचारों का संग्रह होता है और अभिव्यक्ति में पूर्णता आती है।

अच्छी रचना के लिए अपेक्षित गुण एवं विशेषताएं

छात्रों को अपने भाव व विचारों को अभिव्यक्त करने में कुशल बनाना रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्यापक छात्रों को रचना-कार्य की शिक्षा देते हैं। रचना-शिक्षण करते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को रचना के बारे में जो भी अभ्यास कराया जाए वह रचना के गुणों की दृष्टि से ठीक हो। इसके लिए उसे एक अच्छी रचना के गुणों की जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छी रचना की निम्न विशेषताएं हैं—

1. रचना में अनावश्यक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग न हो।
2. रचना में विभक्तियों का अव्यवस्थित प्रयोग न हो।
3. रचना में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाए।
4. रचना की भाषा सीधी-सादी, सरल, सुबोध तथा विषय के अनुकूल हो।
5. रचना का दायरा न बहुत ही बड़ा हो और नही बिल्कुल घोटा हो पर अपने अन्दर भार रखती हो।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

6. रचना में आप्रसंगिक बातों को स्थान न दिया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि लिखते समय छात्र विषय से बंधे रहें।

7. रचना में सभी भाव एवं विचार उचित रूप से क्रमानुसार व्यक्त किए जाएं।

8. रचना को भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही भाव होना चाहिए।

9. रचना में विचारों की पूर्णता के साथ स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए।

10. रचना में विचारों का विरोधाभास न हो अर्थात् एक ही रचना में एक स्थान पर एक विचार का समर्थन और दूसरे स्थान पर उसी का विरोध अनुचित है।

11. लिखित रचना में लेख स्वच्छ तथा सुन्दर होना चाहिए। अक्षरों की बनावट सुडौल होनी चाहिए। वाक्य सीधी पंक्तियों में लिखे जाने चाहिए।

12. रचना से जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वे वर्तनी आदि की दृष्टि से शुद्ध हों।

13. रचना के अन्दर शब्द और वाक्य विन्यास ठीक होना चाहिए। अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रहे।

14. रचना में विराम-चिह्नों का उचित प्रयोग हो।

रचना में होने वाली अशुद्धियां

जब अध्यापक छात्रों के द्वारा की गई लिखित रचना की जांच करते हैं तो उन्हें मुख्यतः निम्न प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं :

1. भावों तथा विचारों की अस्पष्टता।
2. विचारों में क्रमबद्धता का अभाव।
3. बच्चे प्रायः रचना करते समय अक्षर-विन्यास की त्रुटियां करते हैं।
4. कई बार शब्दों का प्रयोग इस प्रकार कर दिया जाता है कि लेखक का भाव तो कुछ और होता है और पाठक कुछ और समझता है।
5. शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियां का अशुद्ध प्रयोग।
6. व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियां (वचन, लिंग, क्रिया, काल आदि की)।
7. विराम-चिन्हों का अशुद्ध प्रयोग।
8. वाक्यों की अशुद्ध रचना—इससे भाव स्पष्ट नहीं हो पाते हैं।
9. रचना में अनावश्यक एवं अप्रासंगिक विचारों का समावेश।
10. अक्षरों की अशुद्ध बनावट अर्थात् रचना में प्रयुक्त वर्णों में सुडौलता का अभाव होता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

11. छात्रों का लेख खराब एवं गन्दा होता है।

12. किसी-किसी रचना में बिना प्रयोजन ही शब्दों को दोहरा दिया जाता है। इसे शाब्दिक दोष कहा जाता है। जैसे—"श्याम अभी तक वापिस नहीं लौटा"। इस वाक्य में वापिस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि लौटा शब्द प्रयोजन को पूरा करता है। इसे शब्दों का निरर्थक प्रयोग भी करते हैं।

रचना-सम्बन्धी अशुद्धियों के कारण—लिखित रचना-सम्बन्धी उपर्युक्त अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें यह पता लगाना आवश्यक है कि बच्चे रचना में ये त्रुटियां क्यों करते हैं? रचना की त्रुटियों के निम्न कारण हो सकते हैं :

1. **संशोधन कार्य का अभाव**—लिखित कार्य का संशोधन ठीक से न होने के कारण छात्र अपनी अशुद्धियों को नहीं जान पाते हैं और रचना करते समय उन्हें दोहराते रहते हैं।

2. **मौखिक रचना का अभाव**—मौखिक रचना लिखित रचना का आधार है। लिखित रचना से पहले मौखिक रचना न होने पर भी विषय एवं विचारों सम्बन्धी त्रुटियां रचना में आ जाती हैं।

3. अध्यापक ने छात्रों को रचना के बारे में जो भी निर्देश दिए हैं यदि उनके बारे में कोई शंका हो जाए तो निर्देशों में अस्पष्टा के कारण भी त्रुटियां हो जाती हैं।

4. **स्वाध्याय का अभाव**—स्वाध्याय से ही छात्रों में विचारों की पूर्णता व स्पष्टता आती है और यदि छात्रों में स्वाध्याय की आदत नहीं होती है तो उनकी रचना में विचारों सम्बन्धी अनेक दोष आ जाते हैं।

5. **लेखन-कार्य एवं गृह-कार्य का अभाव**—छात्रों को कक्षा में लिखित कार्य एवं गृह-कार्य न दिए जाने के कारण लिखने का अभ्यास नहीं हो पाता है और अभ्यास के अभाव में अनेक त्रुटियां होती रहती है।

6. **रचना करते समय असावधानी**—असावधानी अशुद्धियों की जननी है। लिखित कार्य करते समय सावधान न होने से अनेक त्रुटियां हो जाती हैं।

7. **रचना करने में अतिशीघ्रता**—बहुत जल्दी-जल्दी लिखने से छात्रों का लेख खराब हो जाता है। मात्राएं आदि छूट जाती हैं। कभी-कभी विराम-चिन्ह आदि भी लगाने से रह जाते हैं।

8. **भाषा एवं व्याकरण सम्बन्धी अज्ञानता**—यदि छात्रों को भाषा का पूर्ण ज्ञान या व्याकरण के नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं है तब भी रचना में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

9. अध्यापक की रचना में अरुचि—यदि अध्यापक की स्वयं रचना में रुचि नहीं होती है तो वह छात्रों की रुचि भी रचना-कार्य में नहीं बना पाता है। परिणामस्वरूप रचना करते समय छात्रों का मन न होने के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं।

लिखित रचना का संशोधन

रचना-शिक्षण करते समय हम चाहे जितना भी रचना-कार्य क्यों न करा दें परन्तु उसमें होने वाली अशुद्धियों के सुधार के अभाव में उस रचना-कार्य का कोई भी लाभ नहीं। अतः रचना में होने वाली अशुद्धियों को दूर करने के लिए अध्यापक को बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। बच्चों की रचना-सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करने के लिए अध्यापक निम्न उपाय काम में ला सकता है।

1. छात्रों में सावधानी से लिखने की आदत विकसित करनी चाहिए।

2. लिखित रचना कराने से पहले मौखिक रचना अवश्य करानी चाहिए। मौखिक रचना की त्रुटियों को उसी समय दूर कर देना चाहिए। इससे लिखित रचना में कम अशुद्धियों होंगी।

3. छात्रों की अशुद्धियों को धीरे-धीरे धैर्य के साथ दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

4. अशुद्धियों को ठीक कराने के उपरान्त परीक्षण करते रहना चाहिए कि छात्र वही अशुद्धि दोबारा तो नहीं कर रहा है।

छात्रों की अशुद्धियों को बताने के उपरान्त तुरन्त ही उनका शुद्ध प्रयोग करवाना चाहए। भूल का सुधार तुरन्त हो जाने से बच्चों की याद बनी रहती है।

5. संशोधन-कार्य कक्षा के बच्चों के मानसिक स्तर और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए।

6. अशुद्धियों कम हों, इसके लिए लिखित रचना कराने से पहले ही सामान्य अशुद्धियों को कक्षा में स्पष्ट कर देना चाहिए।

7. जो छात्र अधिक अशुद्धियां करते हों उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए।

8. वैसे तो लिखित रचना का संशोधन करना एक कठिन कार्य है क्योंकि एक अध्यापक तीन, चार या इससे भी अधिक कक्षाओं को पढ़ाता है। अध्यापक को विद्यालय में और यदि विद्यालय में समयाभाव हो तो घर पर यह कार्य सम्पन्न करना चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

9. लिखित रचना के संशोधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रचना की अशुद्धियों को कक्षा में बच्चों के सामने ही ठीक करना चाहिए, जिन अशुद्धियों को प्रायः सभी बच्चे करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से श्यामपट्ट का प्रयोग करके ठीक कराया जाए और जो अशुद्धियां किसी-किसी छात्र द्वारा की गई हैं उन्हें छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझाकर शुद्ध कराया जाए।

10. बच्चों को लिखित कार्य करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए जिससे बच्चों को लिखने का अभ्यास हो।

11. छात्रों की अशुद्धियों के दूर करवाने के पश्चात् विधिवत् रूप से अभ्यास-कार्य कराना चाहिए। अभ्यास से बहुत-सी अशुद्धियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं।

12. छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। और झुंझलाना नहीं चाहिए। बच्चों की पूरी रचना को नहीं काटना चाहिए।

13. लापरवाह छात्रों का पता लगाकर उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस प्रकार से अध्यापक को धीरे-धीरे सावधानी के साथ छात्रों की रचना-सम्बन्धी अशुद्धयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

कहानी-रचना-शिक्षण

कहानी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन करना और उन्हें आनन्द प्रदान करना है। इस उद्देश्य के साथ-साथ कहानी बच्चों को जीवन के विभिन्न पक्षों से परिचित कराकर जीवनोपयोगी शिक्षा भी प्रदान करती है। भाषा में कहानी का शिक्षण दो रूपों में होता है—एक तो किसी लेखक द्वारा लिखित कहानी का मौखिक शिक्षण या लिखित शिक्षण, दूसरे, छात्रों को स्वयं कहानी की रचना करने का शिक्षण। इन दोनों रूपों के शिक्षण में बहुत भिन्नता है, इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. कहानी-शिक्षण में कहानी के वाचन पर अधिक जोर दिया जाता है या कहानी कहने और सुनने पर, परन्तु कहानी रचना-शिक्षण में कहानी लिखने का महत्त्व दिया जाता है।

2. कहानी-शिक्षण में छात्र कहानाी सुनकर कहानी से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देते हैं, परन्तु कहानी-रचना-शिक्षण में चित्र, रूपरेखा आदि की सहायता से कल्पना का प्रयोग करके एक नई कहानी की रचना करते हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3. कहानी-शिक्षण में छात्र पूर्वलिखित या वर्णित कहानी को सुनते और कहते हैं, परन्तु कहानी-रचना-शिक्षण में छात्र स्वयं कहानी की रचना करते हैं।

4. कहानी-शिक्षण का उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास इसका उद्देश्य है।

5. कहानी-शिक्षण में अध्यापक या तो पाठ्य-पुस्तक में से पढ़कर कहानी की शिक्षा देता है या मौखिक रूप से स्वयं कहानी सुनाकर छात्रों को शिक्षा देता है। परन्तु कहानी-रचना-शिक्षण में छात्रों को स्वयं कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाता है।

कहानी-रचना-शिक्षण की विधि

कहानी-रचना-शिक्षण के लिए अध्यापक निम्न शिक्षण-विधियों का प्रयोग कर सकता है :

1. रूपरेखा प्रणाली
2. प्रश्नोत्तर प्रणाली
3. भाषा यन्त्र प्रणाली
4. चित्र-वर्णन प्रणाली

निबन्ध-रचना-प्रणाली

निबन्ध का अर्थ—निबन्ध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना—नि+बन्ध अर्थात् भली प्रकार से बंधा हुआ। इस प्रकार निवन्ध गद्य साहित्य की वह विद्या है जिसमें भावों व विचारों को उचित क्रम में, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग करते हुए, व्यक्त किया जाता है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी है। निबन्ध कई प्रकार के होते हैं—वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक तथा भावात्मक।

निबन्ध की भाषा व्याकरणसम्मत होनी चाहिए। वाक्य सरल व गठन की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। वाक्य एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तथ्यों, भावों व घटनाओं में स्पष्टता होनी चाहिए।

निबन्ध के तीन भाग होते हैं—

(i) भूमिका या प्रस्तावना—इस भाग में पाठक को विषय का परिचय देकर विषय की ओर आकर्षित किया जाता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(ii) यह निबन्ध का मूल भाग है। इस भाग में ही निबन्ध के सभी विचारों का स्पष्टीकरण किया जाता है।

(iii) उपसंहार—यह निबन्ध का अन्तिम भाग है। इसमें समस्त निबन्ध का सार होता है। यह स्वाभाविक, संक्षिप्त एवं संगत होना चाहिए। विषय से होने वाले लाभ या हानि की प्रस्तुति इसी भाग में की जाती है।

निबन्ध-शिक्षण के उद्देश्य (Aims of Essay Teaching)—निबन्ध-शिक्षण के उद्देश्य रचना-शिक्षण के उद्देश्य ही हैं, जिनका वर्णन हम इसी अध्याय में पहले ही कर चुके हैं।

निबन्ध-रचना की पाठ-योजना (Lesson-Planning of Essay Composition)—निबन्ध-शिक्षण के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि निबन्ध की पाठ-योजना अच्छी तरह से सोच-समझकर बनाई जाए। यहां पर 'वर्षाऋतु' पर एक पाठ-योजना प्रस्तुत की जा रही है। इसमें प्रश्नोत्तर एवं व्याख्या-विधि का प्रयोग किया गया है। बीच-बीच में चित्रों का प्रयोग भी किया गया है और श्याम पट्ट कार्य के रूप में रूपरेखा प्रणाली को भी अपनाया गया है।

पत्र-लेखन-शिक्षण

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक होने के कारण वह आपस में एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान करता है। अपने अनुभव एवं सुख-दुःख दूसरों के सम्मुख प्रकाशित करता है एवं दूसरों के अनुभव और सुख-दुःख को बांटता है। मशीनीकरण एवं औद्योगीकरण ने व्यक्तियों को सूदूर स्थानों में अपने परिचितों से अलग होकर रहने को बाध्य कर दिया है। इन सुदूर स्थानों में रहने वाले अपने परिचित मित्रों एवं सम्बन्धियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने का एकमात्र उपाय पत्र-लेखन ही है। पत्र लिखकर ही हम आपस में अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। पत्रों के द्वारा ही अपने परिचितों को किसी विशेष अवसर पर आने के लिए आमन्त्रित करते हैं तो पत्र के द्वारा ही किसी कष्ट या विपत्ति की सूचना देते हैं। सामान्य जीवन के कुशल समाचार भी पत्र द्वारा प्रेषित करते हैं। अतः पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है।

पत्र हमारी प्रत्यक्ष बातचीत का स्थानापन्न है अतः पत्र में भावों व विचारों की प्रस्तुति बहुत ही सरल व सुबोध रूप में होनी चाहिए। हमारे पत्र का सम्बन्धित व्यक्ति पर सही प्रभाव तभी पड़ता है जब पत्र में विचारों को उचित भाषा-शैली में व्यक्त किया गया हो, पत्र के विचारों में सही तारतम्य हो और जिस

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

उद्देश्य से पत्र लिखा गया है वह उद्देश्य पूरी तरह से व्यक्त हो। इसीलिए हिन्दी भाषा की शिक्षा में पत्र-लेखन-शिक्षण का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। पत्र-लेखन भी एक कला है। अन्य भाषाई कौशलों के विकास के साथ-साथ प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में पत्र-लेखन-कौशल का विकास किया जाना भी आवश्यक है।

पत्र-लेखन के प्रकार—सामान्य रूप से पत्र-लेखन दो प्रकार का होता है—

(क) व्यक्तिगत पत्र (ख) कार्यालय पत्र

विद्यालय में छात्रों को प्रायः व्यक्तिगत पत्रों का लिखना ही सिखाया जाता है क्योंकि कार्यालय पत्र तो विभिन्न प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में लिखे जाते हैं। उनका शिक्षण विद्यालय में किया जाना उचित नहीं।

व्यक्तिगत पत्र—ये निम्न प्रकार के होते हैं—

(i) **व्यावसायिक पत्र**—अपने व्यवसाय से सम्बन्धित मामलों के बारे में व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों को ये पत्र लिखे जाते हैं।

(ii) **आवेदन पत्र**—नौकरी आदि प्राप्त करने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं।

(iii) **पदाधिकारियों के नाम पत्र**—किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी होने या किसी संस्था आदि से कोई सहायता लेने के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी को ये पत्र लिखे जाते हैं।

(iv) **सम्पादक के नाम पत्र**—अपने पास-पड़ौस की किसी समस्या या किसी कार्यालय से परेशान किए जाने पर समाचार-पत्र में उस बात को छपवाने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इनका उद्देश्य जनता, सम्बन्धित विभाग एवं सरकार का ध्यान उस परेशानी की तरफ आकर्षित करना होता है।

(v) **पारिवारिक पत्र**—इन पत्रों में अपने परिवार के सदस्यों, परिचितों, मित्रों आदि को परिवार-सम्बन्धी बातों की सूचना दी जाती है।

(vi) **सामाजिक पत्र**—विभिन्न प्रकार के समारोहों एवं अवसरों पर इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। जैसे, शादी-विवाह आदि अवसरों पर निमन्त्रण या बधाई के लिए पत्र, शोक के अवसरों पर संवेदना प्रकट करने वाले पत्र आदि।

पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें—पत्र लिखते समय एक अच्छे पत्र की सभी विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है जो कि निम्नलिखित हैं :

1. बातों का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। संक्षेप में अपनी बात कह देनी चाहिए।

2. पत्र में जो बात कही जाए, स्पष्ट होनी चाहिए। पढ़ने वाला पत्र पढ़ते ही पत्र का भाव समझ जाए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3. पत्र के वाक्य छोटे-छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए।

4. पत्र में विराम-चिह्नों आदि का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए।

5. पत्र में सभी तथ्य पूरी तरह से लिखे जाने चाहिए। कोई भी बात छूट न जाए। यदि पत्र में किसी बात का उत्तर दिया जा रहा हो, तो हर बात का उत्तर अलग-अलग अनुच्छेदों में होना चाहिए।

6. पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक एवं रोचक होनी चाहिए।

7. पत्र में विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि ऐसा प्रतीत हो मानो पत्र लिखने वाला सामने बैठा हुआ अपनी बात कह रहा हो।

8. पत्र में आवश्यक बातों का ही उल्लेख होना चाहिए। एक ही बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहिए।

9. पारिवारिक सदस्यों को लिखे गए पत्र में आत्मीयता झलकनी चाहिए।

10. पत्र लिखते समय पत्र में शिष्टाचार के नियमों का सदैव ध्यान रखना चाहिए।

पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें—पत्र लिखते समय एक अच्छे पत्र की सभी विशेषताओं का ध्यान रखा जाता है जो कि निम्नलिखित हैं :

1. बातों का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। संक्षेप में अपनी बात कह देनी चाहिए।

2. पत्र में जो बात कही जाए, स्पष्ट होनी चाहिए। पढ़ने वाला पत्र पढ़ते ही पत्र का भाव समझ जाए।

3. पत्र के वाक्य छोटे-छोटे प्रभावशाली होने चाहिए।

4. पत्र में विराम-चिह्नों आदि का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए।

5. पत्र में सभी तथ्य पूरी तरह से लिखे जाने चाहिए। कोई भी बात छूट न जाए। यदि पत्र में किसी बात का उत्तर दिया जा रहा हो, तो हर बात का उत्तर अलग-अलग होना चाहिए।

6. पारिवारिक सदस्यों को लिखे गए पत्र में आत्मीयता झलकनी चाहिए।

7. पत्र लिखते समय पत्र मे शिष्टाचार के नियमों का सदैव ध्यान रखना चाहिए।

8. पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक एवं रोचक होनी चाहिए।

9. पत्र में विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि ऐसा प्रतीत हो मानो पत्र लिखने वाला सामने बैठा हुआ अपनी बात कह रहा हो।

10. पत्र में आवश्यक बातों का ही उल्लेख होना चाहिए। एक ही बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पत्र के भाग

पत्र-लेखन आज के जीवन में एक उपयोगी कला है। सभी प्रकार के पत्रों में सामान्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं :

1. पत्र के प्रेषक का पता—पत्र के ऊपर दाईं तरफ कोने में पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है।

2. तिथि—प्रेषक के पते के नीचे पत्र लिखने की तारीख लिखी जाती है।

3. सम्बोधन—पत्र के बाईं ऊपर कोने में तिथि की सीध में जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए सम्बोधसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्यनीय, माननीय, श्रद्धेय आदि, छोटों के लिए प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में महोदय, श्रीमान् आदि शब्द लिखे जाते हैं।

4. अभिवादन—सम्बोधन के बाद अगली पंक्ति में अभिवादनसूचक शब्द लिखा जाता है। जैसे बड़ों को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, अपने से आयु में छोटों के लिए खुश रहो, आदि तथा मित्रों के लिए सप्रेम नमस्ते आदि अभिवादन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में अभिवादनशील शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

5. पत्रारम्भ—पत्र को प्रारम्भ करने वाली सामान्य कुशलता आदि से सम्बन्धित बातें लिखी जाती हैं।

6. मूल विषय या कलेवर—जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है उससे सम्बन्धित सभी बातों को क्रमानुसार अलग-अलग अनुच्छेदों में बांटकर लिखा जाता है।

7. पत्र की समाप्ति—सभी महत्त्वपूर्ण बातों को लिखने के उपरान्त पत्र के अन्त में एक-दो वाक्य शिष्टाचार सम्बन्धी लिखे जाते हैं। जैसे—शेष कुशल है, त्रुटियों को क्षमा करें, पत्रोत्तर शीघ्र दें, धन्यवाद आदि।

8. आत्मनिर्देश—अन्त में पत्र के दाएं कोने में अपने लिए निर्देश लिखा जाता है। जैसे आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तुम्हारा शुभचिन्तक, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, तुम्हारा अभिन्न मित्र, भवदीय, प्रार्थी, निवेदक आदि।

9. हस्ताक्षर—आत्मनिर्देशक लिखने के उपरान्त लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करता है या अपना नाम लिखता है।

10. पत्र पाने वाले का पता—निश्चित स्थान पर पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पत्र में लिखने वाले की आत्माभिव्यक्ति होती है। पत्र का सम्बन्धित व्यक्ति पर उचित प्रभाव तभी पड़ता है जब पत्र में उचित भाषा-शैली का प्रयोग किया गया हो और पत्र के विचारों में क्रमबद्धता और उचित तारतम्य हो। बच्चों में पत्र-लेखन की योग्यता विकसित करने के लिए निबन्ध, कहानी आदि की रचना करने की शिक्षा देने के साथ-साथ पत्र-लेखन की शिक्षा भी देनी चाहिए।

बच्चों में भाषा सम्बन्धी योग्यता तथा विचाराभिव्यक्ति की योग्यता विकसित होने के साथ ही पत्र-लेखन की शिक्षा देना प्रारम्भ कर देना चाहिए। अध्यापक छात्रों को पत्र-लेखन की शिक्षा देने के लिए निम्न विधि का प्रयोग कर सकता है :

1. सभी छात्रों को सक्रिय रहने व उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

2. छात्रों के द्वारा पत्र-रचना सम्बन्धी कोई त्रुटि होने पर उसी समय उसे ठीक कराना चाहिए।

3. पत्र की भाषा-शैली सरल होनी चाहिए।

4. पत्र पूरा कराने के उपरान्त छात्रों से अपने आप पत्र लिखने के लिए कहना चाहिए।

5. छात्रों के द्वारा लिखे गए पत्र की उसी समय सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। और उचित संशोधन करना चाहिए।

6. छात्रों को पत्र सुन्दर लेख में लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र को ठीक से पढ़ सके।

7. सर्वप्रथम छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार पत्र-लेखन के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव करना चाहिए। प्रारम्भ में सरल व छोटे पत्र लिखवाने चाहिए, बाद में लम्बे पत्र लिखवाने चाहिए।

8. बच्चों के समक्ष पत्र का एक आदर्श नमूना प्रस्तुत कर छात्रों को पत्र के विभिन्न भागों से परिचित कराना चाहिए।

9. पत्र के विभिन्न भागों का परिचय देने के लिए अध्यापक को प्रदर्शन विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। आदर्श नमूना दिखाते हुए प्रारम्भिक, मध्य एवं अन्तिम भाग से सम्बन्धित प्रश्न क्रमानुसार पूछने चाहिए।

10. छात्रों के द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए।

इस प्रकार छात्रों को विभिन्न प्रकार के पत्र लिखने का अभ्यास कराना चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

17

वाचन शिक्षण

वाचन का सामान्य अर्थ है पढ़कर सुनाना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सस्वर पाठ करना वाचन है। वाचन शब्द 'वाक्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—शब्द, वाणी अथवा कथन। लिखे हुए अथवा छपे शब्दों का उच्चारण करना ही वाचन है। यह एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। जैसे-जैसे पाठक शब्दों को पढ़ता है वैसे-वैसे उन शब्दों में निहित अर्थों को ग्रहण करता है। पठन के लिए संस्कृत में 'पठ्' या 'पठनम्' शब्द का भी प्रयोग होता है जिसका अर्थ ऊंचे स्वर में पढ़ना, दोहराना, अध्ययन तथा सस्वर पाठ करना है। वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पढ़ने की योग्यता के निर्माण में फलीभूत होती है। किसी भी राष्ट्र तथा समाज की उन्नति के लिए बहुपठित नागरिकों का होना आवश्यक है। वाचन के माध्यम से चिरसंचित ज्ञानराशि प्राप्त की जा सकती है। इससे समय तथा दूरी की सीमा सुगमता से लांघी जा सकती है। सत्यसाहित्य से व्यक्तित्त्व का विकास होता है तथा इससे मनुष्य का मनोरंजन भी होता है। बिन वाचन के स्कूली शिक्षा की कल्पना असम्भव है।

वाचन के तत्त्व

(1) पढ़कर शब्द का सन्दर्भानुसार भाव ग्रहण करना।

(2) लेखक के विचारों को पढ़कर समझना तथा उसका पूर्वश्रुत सामग्री से सम्बन्ध स्थापित करना।

(3) पढ़कर अपनी राय बनाना तथा उसके अनुसार व्यवहार करना।

(4) ध्वनि के प्रतीक वर्णो को देखकर पहचानना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(5) वर्णों के शब्द निर्माण की क्षमता का विकास।

(6) शब्दों को उचित रूप से विभाजित करके निर्माण की क्षमता का विकास करना।

वाचन कौशल के उद्देश्य

जितना छात्र वाचन-कौशल के प्रति रुचि लेंगे उतना ही उनका अधिगम प्रभावशाली होगा। अतः वाचन शिक्षण के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं—

(1) सरल कहानियों, कविताओं, चुटकुलों, वर्णन, सम्वाद व पहेलियों को पढ़कर भाव ग्रहण करना।

(2) पठित वस्तु का केन्द्रिय भाव ग्रहण करना।

(3) आश्चर्य, भय, शोक आदि भावों के अनुसार पढ़ना।

(4) मुहावरों, लोकोक्तियों के अर्थ सन्दर्भानुसार समझना।

(5) मनोरंजन के लिए पत्र-पत्रिकाएं, कहानियां व अन्य सामग्री पढ़ने की उत्सुकता।

(6) निबन्ध, कविता, कहानी, नाटक आदि का उपयुक्त रूप से सस्वर वाचन करना।

(7) पढ़ते समय शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में अन्तर स्पष्ट करना।

(8) एकाग्रतापूर्वक पढ़ने की क्षमता का विकास करना।

(9) सभी वर्णो (स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन) को पहचानकर पढ़ना।

(10) वर्णों के मेल से शब्द शब्दों निर्माण की क्षमता का विकास करना।

(11) वर्णों के मेल से बने शब्दों से वाक्य को पढ़ना।

(12) लिखित सामग्री को प्रवाह के साथ पढ़ना।

(13) गति, यति एवं विरामादि चिह्नों को ध्यान में रखकर पढ़ने का अभ्यास करना।

पठनारम्भ योग्यता

छात्रों को कोई भी सामग्री पढ़ाने से पूर्व कुछ पूर्व योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए जिससे छात्र मानसिक तथा शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएं। यही पठनारम्भ योग्यताएं हैं। इन गुणों का विकास करके छात्र भावी जीवन में एक सफल पाठक के रूप में सिद्ध होंगे। छात्र परिवार से निकलकर एक नई संस्था (विद्यालय) में प्रवेश करता है जो उसके लिए अपरिचित होती है। विद्यालय

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के प्रति उसके मन में अनेक प्रकार की उत्सुकता बनी रहती है। कुछ छात्रों को भय भी रहता है। अतः अध्यापक का कर्त्तव्य है कि वह सर्वप्रथम छात्रों को विद्यालय के वातावरण से परिचित कराए। अनौपचारिक वार्तालाप के द्वारा वह छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करे तथा अध्यापक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उन्हें सीखने के प्रति उत्साहित करे। विद्यालय में कुछ दिनों तक इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे छात्र आपस में घुलमिलकर एकरस हो जाएं। पठन सामग्री के लिए फ्लैश कार्ड, चित्र, वर्णमाला के ब्लॉक, चार्ट दिखाकर उन्हें वाचन के प्रति उत्साहित किया जाए। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल, अभिनय, गीत, बाल-गीत, कहानियां सुनाकर छात्रों को वाचन के लिए तैयार करें। वाचन करते हुए वे समझ सकें। बालकों में भाषा ज्ञान के सम्प्रत्यय, श्रव्यबोध तथा गति नियन्त्रण के लिए भी उन्हें उचित निर्देश दे दिए जाएं। इसके साथ निम्न बातों का ध्यान रखना भी अपेक्षित है–

(1) बाएं से दाएं पढ़ने के लिए निर्देश देना।
(2) पढ़ते समय आंखें न मचकाना तथा न ही सिर हिलाकर पढ़ना।
(3) भावानुसार पढ़ने का अभ्यास कराना।
(4) दत्तचित्त होकर पढ़ने का अभ्यास कराना।
(5) पुस्तक को ठीक तरह से पकड़ना सिखाना।
(6) पुस्तक तथा आंखों में उचित दूरी का ज्ञान कराना।
(7) पुस्तक पर अधिक झुककर न पढ़ना।

वाचन के प्रकार

सामान्यतः वाचन तीन प्रकार का है–

(1) मौन वाचन–जब छात्र में वाचन के आरम्भिक कौशलों का विकास हो जाए तो अध्यापक उन्हें मौन वाचन का अभ्यास कराए। मौन वाचन में पठित सामग्री की ध्वनि नहीं होनी चाहिए अर्थात् छात्र मन-ही-मन दत्तचित्त होकर एकाग्रता के साथ विषयवस्तु को पढ़े। इस प्रक्रिया में पाठक सामग्री के मुख्य भाव या सारांश को ग्रहण करता है तथा पठित सामग्री के प्रति मन-ही-मन प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करता है तथा मानसिक रूप से तर्क-वितर्क करता है। मौन वाचन से पठन की गति तीव्र होती है तथा एकाग्रता का अभ्यास होता है। बहुत से लोगों की उपस्थिति में आवाज़ करते हुए पढ़ना अच्छा नहीं होता, इससे दूसरों को बाधा पहुंचती है। अतः मौन वाचन का अभ्यास आवश्यक है। मौन वाचन में मस्तिष्क सक्रिय रहता है तथा इसमें

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पाठक लम्बे अन्तराल तक अध्ययन कर सकता है। इसमें कम समय में अधिक सामग्री पढ़ी जा सकती है, ध्यान केन्द्रित होता है तथा अर्थग्रहण की योग्यता का विकास होता है। अवकाश या समय का सदुपयोग भी होता है। इससे छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। वही व्यक्ति गहन अध्ययन कर सकता है जिसे मौन वाचन में रसानुभूति व आनन्दानुभूति नहीं होगी। मौन वाचन करने के बाद उसके मूल्यांकन के लिए पठित सामग्री का विवरण, केन्द्रीय भाव तथा प्रश्नोत्तर पूछे जाने चाहिए, इससे छात्र सक्रिय होंगे।

(2) सस्वर वाचन—प्रारम्भिक स्तर पर छात्रों को वर्ण, शब्द, कविता, कहानी, गद्य का सस्वर वाचन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में छात्र ध्वनि के प्रतीक चिह्नों को पहचानता तथा उनका उच्चारण करके अर्थ ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में छात्रों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है तथा उनकी झिझक दूर होती है। इससे अध्यापक को छात्रों के द्वारा की गई अशुद्धियों की भी जानकारी हो जाती है तथा वह उन्हें शुद्ध कराने का प्रयास करता है। भाषा के वर्णों व शब्दों के मानक उच्चारण से छात्र परिचित हो जाते हैं। इसके साथ-साथ वे वाचन कौशलों, आरोह-अवरोह, बल, उत्तान-अनुतान, गति-यति का भी छात्रों को अभ्यास हो जाता है। यह सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है—

(क) सामूहिक वाचन—अध्यापक छात्रों को वर्ण, शब्द, कविता, बालगीत को सभी छात्रों को उच्चरित करने के लिए कहता है तो वह सामूहिक वाचन कहलाता है। इस प्रक्रिया में संकोची स्वभाव के छात्र भी अपने साथियों के साथ विषयवस्तु को स्वर सहित पढ़ते हैं तो उनका संकोच दूर हो जाता है तथा आत्मविश्वास आ जाता है। अध्यापक को सामूहिक वाचन कराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्र बोल रहे हैं या नहीं। वाचन शोर के रूप में परिवर्तित न होने पाए। सस्वर वाचन पहली तथा दूसरी कक्षा तक ही करवाया जाए अन्यथा छात्रों को आदत-सी हो जाती है, जिससे भाव ग्रहण में कठिनाई आती है। इसके साथ-साथ सस्वर वाचन से थकान भी जल्दी हो जाती है। पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थलों तथा परीक्षा भवन में लिखते समय भी छात्रों को बोलने तथा बोलकर लिखने की आदत पड़ जाती है जिससे अन्य बैठे पाठकों तथा लिखनेवालों को असुविधा होती है।

(ख) व्यक्तिगत वाचन—एक छात्र के द्वारा सस्वर किए गए वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। यह सामूहिक वाचन के बाद की प्रक्रिया है। जब अध्यापक इस प्रकार का पाचन करता है तो उसे आदर्शवाचन तथा अध्यापक के बाद वही वर्ण, शब्द, कविता की पंक्ति छात्रों के द्वारा वाचन की जाए तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अध्यापक पहले छात्रों के सम्मुख सस्वर वाचन करता है तो छात्रों

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
को वर्ण या शब्द का सही उच्चारण करने का ज्ञान प्राप्त होता है तथा व्यक्तिगत अशुद्धियों का भी पता चल जाता है, जिससे अध्यापक प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं तथा अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है। व्यक्तिगत वाचन कराते समय अध्यापक इस बात का ध्यान रखें कि वाचन करते समय की गई अशुद्धियों को उसी समय दूर न करें, इससे छात्रों के वाचन में व्यवधान आ जाता है, वे निरुत्साहित हो जाते हैं तथा उनका आत्मविश्वास खण्डित होने लगता है। समग्र सामग्री के वाचन के बाद अध्यापक छात्र के अशुद्ध वाचन को शुद्ध करवाने का प्रयास करे। अच्छा हो यदि इस प्रक्रिया में कक्षा के अन्य छात्रों की मदद ली जाए। उस छात्र को व्यक्तिगत रूप से शुद्ध वाचन अवश्य करवाया जाए जिसने पहले वर्ण या शब्द अशुद्ध उच्चरित किया हो।

सस्वर वाचन का महत्त्व—बच्चों के वाचन कौशल को विकसित करने की यह प्रथम प्रक्रिया है। सस्वर वाचन करते हुए छात्र को स्वयंमेव आनन्दानुभूति होती है तथा इससे उसकी वाचन के प्रति रुचि बढ़ती है। इससे ही बच्चे को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है तथा उसे उचित रुचि से हाव-भाव, अभिनय, आरोह-अवरोह के द्वारा अभिव्यक्ति का अभ्यास हो जाता है। वह विश्वासपूर्वक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के कौशल में पारंगत हो जाता है। वाचन करते समय उसका नए-नए शब्दों से परिचय होता है। इससे उसके शब्द-भण्डार में वृद्धि होती है तथा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है। विषयवस्तु को पढ़ते समय उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। वाचन के अभ्यास से छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। कविता का सस्वर वाचन करते हुए तो छात्रों को रसानुभूति व आनन्दानुभूति होती है। अतः भाषा-शिक्षण में सस्वर वाचन का विशेष महत्त्व है।

(3) गहन अध्ययन—यदि सस्वर व मौन वाचन एक कौशल है तो अध्ययन उस कौशल की योग्यता का विकास। अध्ययन से छात्र अधिक-से-अधिक ज्ञानार्जन करता है। इससे अध्ययन में गम्भीरता आती है। अध्ययन के समय पाठक एक सम्पूर्ण अनुच्छेद को एक सार्थक इकाई के रूप में पढ़ता है। अध्ययन में पाठक की इतनी गति होती है कि वह एक बैठक में ही सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर उसके मुख्य भाव, उद्देश्य तथा सन्देश को ग्रहण कर लेता है। इसके साथ-साथ तर्क-वितर्क से वह समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है।

वाचन की अशुद्धियां

वाचन का श्रोता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अटक-अटककर, अति, तीव्र, अधिक मन्द तथा जल्दी पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण, भावानुकूल तथा उचित मुद्रा में न

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पढ़ना वाचन की त्रुटियां हैं। वर्णों, शब्दों का उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए कि न तो वे अव्यक्त रहें और न ही कर्कश। उच्चारण स्थानों के अनुरूप ही वर्णों का उच्चारण किया जाना चाहिए। उच्चारण में बल, सस्वरता, लय, प्रवाह तथा गति का ध्यान रखना अपेक्षित है। प्रायः छात्र वाचन में निम्न त्रुटियां करते हैं—

(1) वाक्य पढ़ते हुए शब्दों को छोड़ देना।

(2) हकलाकर, तुतलाकर तथा नाक से बोलकर पढ़ना।

(3) गद्य को भी लयात्मक पढ़ना।

(4) भावानुकूल न पढ़ना।

(5) गति, यति, विरामादि चिह्नों को ध्यान में न रखते हुए पढ़ना।

(6) संयुक्त व्यंजनों में भ्रमित होकर पढ़ना जैसे द्य को ध, ह्न को न्ह।

(7) वाक्य पढ़ते समय एक-एक वर्ण को पढ़ना।

(8) पुस्तक को बहुत करीब लाकर पढ़ना।

(9) ङ-, ड़, व-ब, श-ष-स, छ-क्ष में अन्तर स्पष्ट न कर पाता।

(10) ह्रस्व तथा दीर्घ का अशुद्ध उच्चारण।

(11) व्यंजन विपर्यय जैसे कमल-कलम, लड़की-लकड़ी।

(12) वर्णों को दो-दो बार पढ़ना।

वाचन-दोष का निवारण—वाचन के दोषों को दूर करने के लिए अध्यापक को निम्न प्रयास करने चाहिए—

(1) छात्रों को स्तरानुकूल रोचक सामग्री पठन के लिए उपलब्ध कराना।

(2) वाचन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

(3) शारीरिक व सम्वेगात्मक दोषों का निराकरण करना।

(4) पठन के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना।

(5) पठनारम्भ योग्यताओं का पूर्ण विकास करना।

(6) छात्रों को लिपि का पूरा ज्ञान कराना।

(7) अध्यापक द्वारा बार-बार आदर्श वाचन करना तथा छात्रों को व्यक्तिगत वाचन कराना।

(8) अधिक से अधिक पठनाभ्यास।

(9) मूल्यांकन में पठन को महत्त्व देना।

(10) अतिरिक्त तथा पूरक पठन सामग्री पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

वाचन की विधियां

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने वाचन से सम्बन्धित अनुसन्धान करके वाचन-शिक्षण सम्बन्धी निम्न विधियां बताई हैं–

(1) अक्षरबोध विधि–यह विधि संसार की सबसे प्राचीनतम विधि है। इस विधि से वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों का ज्ञान हो जाने पर बच्चों को शब्द सिखाए जाते हैं। जैसे अ, म्, र = अमर। यह विधि देवनागरी लिपि के क्रम व उच्चारण स्थानानुसार निश्चित है। सर्वप्रथम स्वर उसके बाद व्यवंजन तथा संयुक्त व्यंजन तथा मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों का ज्ञान चित्रों की मदद से भी कराया जा सकता है। जैसे अ से अनार, ब से बतख। इस विधि में बच्चे वर्ण क्रम से सीखते हैं तथा वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ने का अभ्यास होता है, मात्राओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा उच्चारण भी शुद्ध होता है।

मैंजिल के अनुसार, "इस विधि में वर्णमाला सीखने में बहुत अधिक समय लगता है, इसके साथ-साथ बच्चों को क, ख, ग, घ इत्यादि वर्ण निरर्थक ध्वनियां लगती हैं। एक-एक वर्ण को जब वच्चे अलग-अलग ध्वनियों के रूप में पढ़ते हैं तो उन्हें आगे चलकर वर्णों को मिलाकर शब्द पड़ने में कठिनाई महसूस होती है।" अक्षर-बोध कराने की विधि को संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक दो भागों में विभाजित किया जाता है–

(क) संश्लेषणात्मक विधि–इस विधि में अक्षर या वर्ण की पहचान पर बल दिया जाता है, शब्द या उसके अर्थ पर नहीं हिन्दी ध्वनि प्रधान भाषा है। इसे वर्ण तथा व्यंजनों में विभक्त किया हुआ है। इसमें पहले वर्ण सिखाए जाते हैं उसके बाद वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण सिखाया जाता है। इसके बाद मात्राओं से निर्मित शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। विद्यालयों में अभी भी अध्यापक इसी विधि का सहारा लेते हैं। इस विधि में यदि चित्रों की मदद लेकर वर्ण तथा शब्द लिखना सिखाया जाए तो और अधिक अच्छा रहेगा। बच्चे रुचि से पढ़ेंगे। चित्र के पहले वर्ण या जिस वर्ण को सिखा रहे हैं उसे मोटी आकृति का बनाया जाए जिससे बच्चों का ध्यान उसी पर केन्द्रित हो, या जो वर्ण सिखाया जा रहा है उसे अलग रंग से अंकित किया जाए। बार-बार इस प्रकार के अभ्यास से बच्चों को वर्णों की आकृति की पहचान हो जाती है तथा उनके मस्तिष्क पर वर्ण की आकृति अंकित हो जाती है। यह विधि प्रारम्भिक स्तर के लिए पूर्णरूप से मनोवैज्ञानिक है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(ख) विश्लेषणात्मक विधि—विश्लेषण का अर्थ है अलग-अलग करना, जैसे वाक्य में से शब्दों को तथा शब्द में से वर्णों को अलग करना। इस विधि के अन्तर्गत पहले शब्द सिखाए जाते हैं और फिर शब्द का विश्लेषण करके वर्ण इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

(i) **शब्द से वर्ण**—प्राचीनकाल में इस विधि का ही शिक्षण में प्रयोग होता था। शब्द को लिखकर उसका उच्चारण करवाया जाता या उसे बार-बार पढ़ने को कहा जाता। ऐसा करने पर छात्र शब्द के साथ-साथ वर्णों से परिचित हो जाते हैं। इस विधि को जर्मनी में अपनाया गया उसके बाद अमरीका में। इसी में देखो और बोलो विधि को भी सम्मिलित किया गया है।

(ii) **वाक्य विधि**—यह विधि शब्द विधि का विस्तार है। इसमें छात्रों को पढ़ने के लिए एक वाक्य दिया जाता है। जैसे, चाचा आया, आम लाया। इसमें पूर्व सीखे वर्णों के मेल से नए शब्दों का निर्माण करना सिखाया जाता है। आजकल कई बार स्वर से पहले उनकी मात्राएं भी सिखाई जाती हैं। जैसे 'ा' की मात्रा। वाक्य में आए नए वर्ण या मात्रा की आकृति का परिचय कराया जाता है। इस प्रकार बच्चे के शब्दभण्डार में वृद्धि होती रहती है। बाद में स्वर-व्यंजन का क्रमानुसार ज्ञान दिया जाता है। वाक्य विधि से बच्चे में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है।

(2) कहानी विधि—कहानी विधि विश्लेषणात्मक विधि का ही विस्तार है। सम्पूर्ण वर्णमाला को वाक्यों में निर्मित करके कहानी द्वारा सिखाया जाता है। अध्यापक इस प्रकार वाक्यों का निर्माण करता है कि उनसे कोई कहानी बनती जाती है। यह विधि बच्चों को बहुत रोचक लगती है तथा वे एकाग्र व दत्तचित्त होकर सुनते हैं। हिन्दी में इस विधि का अभाव है। अध्यापकों को चाहिए कि इस विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इस विधि में यदि अध्यापक चित्रों का प्रयोग करे तो विधि और भी आकर्षक व रोचक हो जाती है। चित्रों के नीचे वाक्यों के अक्षर बड़ी-बड़ी आकृति के होते हैं जिन्हें बच्चे सुगमतापूर्वक देख लेते हैं। कहानी सुनकर बच्चे कहानी में प्रमुख वाक्यों से परिचित होकर शब्द तथा शब्द से वर्णों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथा रोचक विधि है। इससे छात्रों में पठन कौशल का विकास हो जाता है।

(3) कविता विधि—इस विधि में बच्चों को पहले कविता याद कराई जाती है। कविता इस प्रकार की हो जिसमें स्वर-व्यंजन तथा मात्राओं का योग हो। इसमें शब्द तथा वर्णों की आवृत्ति का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिए निम्न कविता को देखा जा सकता है—

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अ अनार अमर लाया, साथ में अखरोट भी,
अगर यह न होता हो अमर भी अनमना होता।

कविता याद हो जाने पर वर्णों का विश्लेषण किया जाता है और अन्त में वर्णों का क्रम सिखाया जाता है। हिन्दी में इस प्रकार की सामग्री का अत्यन्त अभाव है। अतः अध्यापक इस प्रकार की सामग्री का निर्माण करने का प्रयास करें।

(4) साहचर्य विधि—इस विधि की जन्मदाता श्रीमती मान्टेसरी थीं। इस विधि में कई प्रकार के चित्र तथा खेलने की वस्तुएं एक कमरे में इकट्ठी कर ली जाती हैं। वस्तुएं बालकों के अनुभव तथा परिवेश से सम्बन्धित होनी चाहिए। इन वस्तुओं तथा चित्रों के नाम कार्ड पर लिखे होते हैं। कार्डों को आपस में मिलाया जाता है। बच्चों को चित्र तथा वस्तुओं से सम्बन्धित कार्ड छांटने को दिए जाते हैं। बच्चे कार्ड तथा चित्रों को देखकर नामों को ढूंढ़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार लगातार अभ्यास करने से बच्चे वर्ण तथा शब्दों से परिचित हो जाते हैं। उनकी चिन्तन तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है पढ़ने में रुचि लेते हैं तथा इस क्रिया में वे उत्साहित होते हैं। इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। संज्ञा सूचक शब्दों के ज्ञान के लिए इस विधि में कठिनाई होती है।

(5) संयुक्त विधि—उपर्युक्त सभी विधियों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी-न-किसी विधि में कुछ दोष है तो कुछ में गुण। अतः अध्यापक को उपर्युक्त सभी विधियों का मिश्रण करके पठन शिक्षण इस प्रकार करना चाहिए जिससे बच्चे अधिक से अधिक रुचि से सीख सकें। प्रारम्भ में यदि बच्चों को वर्ण सीखने के प्रति अरुचि हो जाए तो आगे वाचन का अभ्यास कराना कठिन हो जाएगा। अतः सभी विधियों की अच्छाइयां ग्रहण करनी चाहिए। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए—

(1) 'देखो व कहो' विधि की मदद से फ्लैश कार्ड, चित्र, लकड़ी के ब्लॉक आदि का प्रयोग करके वर्णों की जानकारी कराई जाए।

(2) वर्णों से शब्द निर्माण व शब्दों से वर्ण अलग-अलग कराए जाएं।

(3) वर्णों का विभेदीकरण कराया जाए। जैसे ब-व, श-ष-स, छ-क्ष आदि।

(4) पुनः वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान कराया जाएं।

(5) वर्णों के साथ मात्राओं का प्रयोग करके उनका उच्चारण करवाया जाए।

(6) संयुक्त वर्णों की भी जानकारी छात्रों को दी जाए।

(7) सर्वप्रथम मौखिक रूप से बच्चों में वाचन के प्रति उत्सुकता व रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(8) आकर्षक चित्रों के द्वारा वर्ण व शब्दों की ओर बच्चों का ध्यान आकृष्ट किया जाए।

मूल्यांकन

सस्वर व मौन वाचन के लिए निम्न प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए—

(1) वाक्यों की पूर्ति कराकर।

(2) सत्यासत्य परीक्षा द्वारा।

(3) स्तम्भ मिलान के द्वारा।

(4) बहुविकल्पनीय परीक्षा के द्वारा।

(5) चार्ट में से शब्द ढूंढ़ने के लिए कहा जाएं।

(6) फ्लैश कार्डों को मिलाकर शब्द या वर्ण को छंटवाया जाएं।

(7) फ्लैश कार्ड दिखाकर वर्ण या शब्द बच्चों से पढ़वाए जाएं।

(8) चित्र दिखाकर बच्चों से वर्ण तथा शब्द के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए।

(9) श्यामपट्ट पर वर्ण या शब्द लिखकर।

(10) पुस्तक में से वर्ण या शब्दों को पढ़ाकर।

(11) श्यामपट्ट पर या पुस्तक में से अवतरण पढ़ाकर भावग्रहण या सारांश पूछकर।

व्यावहारिक कार्य

(1) वाचन सम्बन्धी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

(2) प्रशिक्षणार्थियों द्वारा साक्षरता आन्दोलन में भाग लेना।

(3) वाचन के समय श्रोता पर पड़नेवाले प्रभावों का अवलोकन।

(4) हिन्दी वर्णमाला, मात्रा आदि के चार्ट, मॉडल व चित्र आदि का निर्माण।

(5) वाचन सम्बन्धी खेल सामग्री का निर्माण।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

18

हिन्दी-शिक्षण में मूल्यांकन

मूल्यांकन का अर्थ

शिक्षण में सर्वप्रथम शिक्षण-उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, फिर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं और इसके बाद विभिन्न तकनीकों एवं साधनों की सहायता से यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षण-कार्य द्वारा पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। शिक्षण-उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर की जांच करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है।

मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है—मूल्य आंकना। हिन्दी-शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य है इस बात की जांच करना कि शिक्षण के परिणामस्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। शिक्षण से पूर्व जिन शिक्षण-उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था, शिक्षण द्वारा छात्रों को उनकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, अध्यापक अपने शिक्षण-कार्य में कहां तक सफल हुआ है, बच्चों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं और व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, इस बात का अनुमान मूल्यांकन द्वारा ही सम्भव होता है। अपनी शिक्षण-क्रिया द्वारा हम छात्रों के व्यवहार में जो अपेक्षित परिवर्तन लाना चाहते हैं? वे परिवर्तन लाए जा सके हैं या नहीं, जिन योग्यताओं को विकसित करना चाहते थे वे योग्यताएं विकसित हो सकी हैं या नहीं और यदि विकसित हुई हैं तो किस सीमा तक। शिक्षण-परिस्थितियां किस सीमा तक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई हैं। शिक्षण का जो एक व्यापक उद्देश्य है—बच्चे के व्यक्तित्त्व का सर्वांगीण विकास, वह कितनी सफलता और किस अनुपात में पूरा हो सका है। इस सबकी जांच करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहा जाता है। इस प्रकार

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मूल्यांकन द्वारा विषय-वस्तु के ज्ञान की जांच तो होती ही है साथ ही बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, दृष्टिकोणों आदि के परिवर्तन तथा विकास की जांच भी की जाती है। इसीलिए मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से अधिक व्यापक होता है क्योंकि परीक्षा का सम्बन्ध केवल विषय-वस्तु के ज्ञान की जांच से होता है।

सी. सी. रॉस—"मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के सम्पूर्ण व्यक्तित्त्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है।"

जे. डब्ल्यू. राइटस्टोन के अनुसार—"मूल्यांकन में व्यापक व्यक्तित्त्व से सम्बन्धित परिवर्तनों तथा शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। इसमें केवल विषय-वस्तु का मूल्यांकन ही सम्मिलित नहीं बल्कि दृष्टिकोणों, रुचियों, आदर्शों, चिन्तन-विधियों, कार्य-आदतों, वैयक्तिक तथा सामाजिक समायोजन योग्यताओं का मूल्यांकन भी सम्मिलित है।"

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन एक ऐसी विद्या या प्रक्रिया है जो छात्रों की उपलब्धियों, शिक्षण-विधियों की सफलता तथा शिक्षण-उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर की जांच करती है।

मूल्यांकन का महत्त्व

यों तो जीवन के हर क्षेत्र में किसी भी कार्य को करने के पश्चात् इस बात की जांच की जाती है कि उस कार्य में कर्त्ता को कितनी सफलता मिली है, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में तो यह आवश्यक है कि शिक्षण-प्रक्रिया को जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सम्पन्न किया गया है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई, इस बात का पता लगाया जाए। किसी विषय में निर्धारित ज्ञान, कौशल तथा योग्यताओं को किसी छात्र ने किस सीमा तक ग्रहण किया है, इस बात की जानकारी मूल्यांकन द्वारा ही सम्भव है। अतः शिक्षा में अध्यापक एवं छात्र दोनों के लिए ही मूल्यांकन का विशेष महत्त्व होता है। हिन्दी-शिक्षण में मूल्यांकन के महत्त्व को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है :

1. छात्रों की कमजोरियों को दूर कर उनकी प्रगति में सहायक है—मूल्यांकन से जब छात्रों को अपनी कमजोरियों का पता लग जाता है तो वे उनके प्रति सचेत हो जाते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। अध्यापक उनका विशेष ध्यान रखते हैं और उनकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार अध्यापक के मार्गदर्शन में छात्र विशेष अभ्यास कर अपनी कमजोरियों को दूर कर भाषा सम्बन्धी विशिष्ट योग्यताओं को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

2. छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करती है—मूल्यांकन-प्रक्रिया छात्रों को पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित करती है। जो छात्र विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कार्य नहीं करते हैं, जब उन्हें ज्ञात होता है कि परीक्षा या परीक्षण होने वाला है तो वे भी पढ़ाई में जुट जाते हैं।

3. छात्रों के व्यक्तित्त्व मार्गदर्शन में सहायक हैं—हर छात्र के अन्दर अधिगम-क्षमता, रुचि, योग्यताएं आदि अलग-अलग होती हैं। कुछ छात्र प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य स्तर के तो कुछ मन्द बुद्धि के होते हैं। इन सब छात्रों को एक ही तरह से पढ़ाना उचित नहीं है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के इन व्यक्तिगत अन्तरों का पता चल जाता है और अध्यापक छात्रों की योग्यता के अनुसार ही उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है।

4. माता-पिता को छात्रों की प्रगति की जानकारी होती है—मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों को विद्यालय में अपने बच्चों की क्रियाओं, विकास तथा प्रगति की सही स्थिति की जानकारी होती है और इसके आधार पर ही वे बच्चे की शिक्षा के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं।

5. शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है—मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की योग्यता, क्षमता, मनोवृत्ति, रुचियों तथा दृष्टिकोणों का पता चलता है। इससे छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायता मिलती है। कौन-सा बच्चा किस प्रकार के कार्य-व्यापार को जीवन में सफलतापूर्वक कर सकेगा, कौन-सा छात्र किस विषय-क्षेत्र में उच्च अध्ययन कर सकेगा, इस बात का मार्गदर्शन मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर ही किया जाता है।

6. हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है—मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है। हिन्दी विषय के शिक्षण से पूर्व कुछ शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और छात्रों में हुए व्यवहार-परिवर्तन के आधार पर उन उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगता है। छात्रों के व्यवहार-परिवर्तन के आधार पर उन उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगता है। छात्रों के व्यवहार-परिवर्तन के स्तर और सीमा की जांच मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों के द्वारा ही की जाती है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति वांछित स्तर तक नहीं होती है तो शिक्षण-क्रिया का पुनर्वीक्षण किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन ही शिक्षक को उद्देश्योन्मुख बनाए रखता हैं।

7. शिक्षण-विधियों के उचित चुनाव एवं प्रयोग में सहायक है—शिक्षण-प्रक्रिया एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण-उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात् उनकी प्राप्ति

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

के लिए अध्यापक शिक्षण-कार्य को क्रियान्तिवित करता है। शिक्षण-क्रिया को कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की शिक्षण-विधियों का प्रयोग करता है। इन शिक्षण-विधियों की सफलता या असफलता का ज्ञान मूल्यांकन के परिणाम से ही हो सकता है। मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करने के उपरान्त जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षण-विधि से औचित्य का निर्णय लेता है और उनमें वांछित सुधार करता है।

8. छात्रों की प्रगति की जानकारी होती है—छात्रों को विद्यालय में जो भी कुछ विषय सम्बन्धी ज्ञान दिया है, उसको छात्रों ने कितना ग्रहण किया है इस बात की जानकारी मूल्यांकन से ही होती है। परीक्षा, निरीक्षण आदि मूल्यांकन तकनीकों से ही यह ज्ञात होता है कि छात्र ने विद्यालय में कितनी प्रगति की है, कौन-सा छात्र किरा स्तर के योग्य है आदि।

9. छात्रों को अलग-अलग वर्गों में विभाजित करने में सहायक—मूल्यांकन में जब छात्रों के उपलब्धि स्तर की जानकारी हो जाती है तो उसके आधार पर उन्हें अलग-अलग वर्गों में विभाजित करने में सहायता मिलती है। कौन-सा विद्यार्थी किस स्तर के योग्य है, कौन-से विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से अधिक योग्य या कम योग्य है—इस बात का निर्णय लेने के उपरान्त ही उन्हें अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है और उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही शिक्षण-विधि का प्रयोग किया जाता है।

10. छात्रों की कमजोरियों को जानने में सहायक है—मूल्यांकन-प्रक्रिया से छात्रों की कमजोरियों का ज्ञान होता है। कौन-सा छात्र भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है, किसे शुद्ध उच्चारण नहीं आता, किसकी लिखित अभिव्यक्ति में दोष है, कौन अक्षर-विन्यास सम्बन्धी त्रुटि करता है, कौन वाचन में कमजोर है आदि बातों की जानकारी मूल्यांकन से ही होती है।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि शिक्षण-प्रक्रिया में मूल्यांकन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन के अनुरूप निर्दिष्ट मार्ग पर अग्रसर होने वाले बच्चे ही समायोजित व्यक्तित्त्व से युक्त होकर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आज विद्यालयों में सामान्य रूप से त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाएं इसी उद्देश्य से ली जाती हैं। कुछ परीक्षाएं विद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारी ही लेते हैं और कुछ परीक्षाएं शिक्षा-बोर्ड आदि के द्वारा ही ली जाती हैं। ये परीक्षाएं ही शिक्षण-पद्धति का

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

अनिवार्य अंग बनी हुई हैं। परन्तु यह वर्तमान परीक्षा-प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि इससे छात्रों की उपलब्धियों की सही-सही जानकारी नहीं हो पाती है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए मूल्यांकन की विस्तृत योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है।

हिन्दी में मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियां एवं साधन

शिक्षण-क्रिया एक बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया है– शिक्षण-क्रिया को सम्पन्न करने के लिए सबसे पहले शिक्षण-उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। हिन्दी-शिक्षण में भी शिक्षण से पूर्व पाठ्यवस्तु को ध्यान में रखते हुए भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण होता है और छात्रों के व्यवहार में आए परिवर्तनों के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण-उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। छात्रों के इन व्यवहारगत परिवर्तनों, रुचियों, आकांक्षाओं, रुझानों एवं योग्यता की जांच करने के लिए अध्यापक विभिन्न तकनीकों, विधियों एवं साधनों की सहायता लेता है। मूल्यांकन की ये विधियां निम्नलिखित हो सकती हैं :

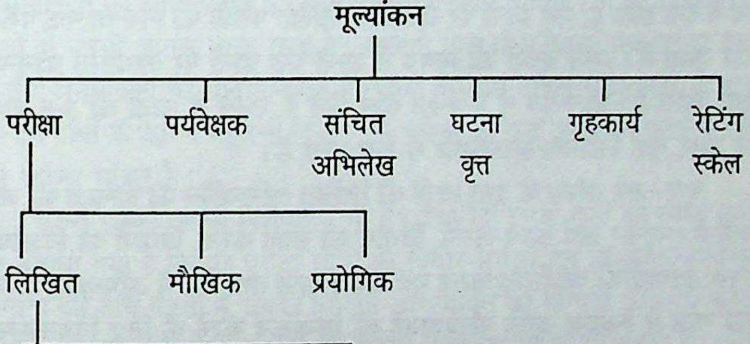

उपर्युक्त सभी विधियों का विस्तृत विवेचन इस प्रकार से है–

(क) परीक्षा–मूल्यांकन की सबसे महत्त्वपूर्ण विधि परीक्षा है। कक्षा में पढ़ाए गए विषय के आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर छात्रों की विषयगत योग्यता की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया को ही परीक्षा कहते हैं। यह परीक्षा तीन प्रकार की होती है–

I. लिखित   II. मौखिक   III. प्रायोगिक।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

1. लिखित परीक्षा—छात्रों की उपलब्धियों एवं व्यवहार-परिवर्तन की जांच जब लिखित रूप से की जाती है, तो उसे लिखित परीक्षा कहते हैं। आज के युग में लिखित परीक्षा ही सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें एक समय में लाखों छात्रों को विभिन्न केन्द्रों में प्रश्न-पत्र वितरित कर दिए जाते हैं और वे उत्तर-पुस्तिकाओं पर प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। बाद में परीक्षक अपनी सुविधानुसार उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच कर उनकी योग्यता का मापन कर सकते हैं। इसमें सभी कार्य का लिखित रूप में अभिलेख (रिकार्ड) सुरक्षित रहता है। कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने एवं लिखित रूप से विचारों को अभिव्यक्ति करने की योग्यता की जांच करने की यह एक सर्वोत्तम विधि है।

प्रश्न-पत्र में पूछे गए प्रश्नों की रचना के आधार पर लिखित परीक्षा के तीन रूप हैं :

(i) निबन्धात्मक (ii) लघु उत्तर (iii) वस्तुनिष्ठ।

(i) निबन्धात्मक परीक्षा—जिन प्रश्नों का उत्तर छात्रों को विस्तृत निबन्ध के रूप में देना होता है, ऐसे प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा को निबन्धात्मक परीक्षा कहा जाता है। इसमें बच्चों को विषय से सम्बन्धित प्रश्नों पर आधारित प्रश्न-पत्र दिया जाता है। प्रश्न-पत्र में 8-9-10 प्रश्न होते हैं, उनमें से छात्रों को 5-6 प्रश्नों का उत्तर एक निश्चित समयावधि में देना होता है।

गुण—इस परीक्षा के द्वारा छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच होती है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, विचारों को संग्रह करना, विचारों को विश्लेषण करना, विचारों को व्यवस्थित करना एवं उचित भाषा तथा क्रम में अभिव्यक्त करना, तीव्र गति से लिखना आदि योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए निबन्धात्मक परीक्षाएं सबसे अच्छी साधन हैं। इनमें निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे—

(क) तुलसीदास जी की भाषा, शैली एवं रचनाओं का साहित्यिक परिचय दें।

(ख) महावीरप्रसाद द्विवेदी के निबन्ध 'साहित्य की महत्ता' का सार लिखते हुए उसके केन्द्रिय भाव को स्पष्ट करें।

(ग) अपने देश के 'राष्ट्रीय ध्वज' पर एक लेख लिखिए।

इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों की समीक्षात्मक एवं सृजनात्मक योग्यता की जांच करने में सहायता मिलती है। अक्षर-विन्यास, विराम-चिह्न आदि के शुद्ध प्रयोग की परख भी आसानी से की जा सकती है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

दोष—उपर्युक्त गुणों के होने पर भी यह परीक्षा दोषमुक्त नहीं है। प्रश्न-पत्र के 10-12 प्रश्नों में से केवल 5-6 प्रश्नों का उत्तर देने की परम्परा के कारण छात्र विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि कुछ सम्भावित प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। प्रश्न-पत्र में भी पाठ्यक्रम के कुछ ही अंश पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः छात्र पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करते हैं। इनसे विषय की आंशिक जांच ही हो पाती है। ये परीक्षाएं साधन न बनकर साध्य बन गई हैं। छात्र विषय को समझने के स्थान पर रट लेते हैं और परीक्षा में रटे-रटाए उत्तर लिख आते हैं। यदि दुर्भाग्यवश रटे हुए प्रश्न नहीं आए तो अपने भाग्य को कोसते हैं या पास होने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। अतः ये परीक्षाएं छात्रों को भाग्यवादी बना देती हैं और उनमें अनैतिक आदतों का विकास करती हैं। इस परीक्षा में एक दोष और भी है कि इनमें उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। उत्तर की निश्चितता या सीमारेखा न होने के कारण एक प्रश्न के उत्तर की जांच करने पर एक परीक्षक 50% अंक देता है तो उसी के लिए दूसरा या तीसरा परीक्षक 40% या 60-70% अंक तक दे सकता है। अतः ये परीक्षाएं अविश्वसनीय, अप्रामाणिक एवं व्यक्तिनिष्ठ हैं। इनमें परीक्षा-परिणाम घोषित होने की अवधि तक छात्रों के मन में आतंक छाया रहता है। बहुत-से छात्र तो परीक्षकों तक पहुंचा करते हैं और अनैतिकता को प्रोत्साहन देते हैं। छात्रों के साथ उचित न्याय नहीं हो पाता है। इन दोषों के कारण बहुत-से विद्वान् इस परीक्षा की कटु आलोचन करते हैं और इसे त्याज्य मानते हैं।

परन्तु इनकी अपनी विशेषताएं भी हैं। जैसा कि इसके गुणों को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि यह परीक्षा छात्रों की विचार-संगठन एवं विश्लेषण-सम्बन्धी योग्यता की जांच करती है, उनकी लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करती है एवं भाषा के शुद्ध तथा प्रभावशाली प्रयोग आदि का मापन भी करती है। अतः इसे त्यागा नहीं जा सकता है। भाषा-योग्यताओं की जांच की दृष्टि से विशेषकर हिन्दी-शिक्षण में निबन्धात्मक परीक्षा की बहुत उपयोगिता है। इसलिए हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्य का मापन करने के लिए इसका प्रयोग होना आवश्यक है।

(ii) लघु उत्तर परीक्षा—जिन प्रश्नों का उत्तर बहुत छोटा अर्थात् एक, दो, तीन या चार पंक्तियों में देना होता है, उन्हें लघु उत्तर परीक्षा कहा जाता है। यह निबन्धात्मक परीक्षा का ही परिष्कृत रूप है। इनमें निबन्धात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतः यह पाठ्यक्रम के अधिक अंश से सम्बन्धित ज्ञान की जांच करती है। इनके उत्तर भी अपेक्षाकृत अधिक निश्चित होते हैं। इनमें

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

छात्रों की बोधशक्ति तथा ज्ञान की जांच भी होती है। ये छात्रों की वाक्य-रचना की योग्यता की जांच करने में भी सहायक हैं, परन्तु ये न तो छात्रों की तर्क, विचार आदि मानसिक शक्तियों की जांच कर सकती हैं और न ही भाषा, शैली एवं विचाराभिव्यक्ति की जांच भी पूरी तरह से करने में सक्षम होती हैं।

लघु उत्तर परीक्षाओं में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं :

(क) रामचरितमानस हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ क्यों माना जाता है? कोई चार कारण बताइए।

(ख) संज्ञा या विशेषण की परिभाषा दो।

(ग) कबीरदास जी की भाषा-शैली की दो विशेषताएं बताइए।

(घ) नाटक में कौन-कौन से तत्त्व होते हैं?

(iii) वस्तुनिष्ठ परीक्षा—जिन प्रश्नों के उत्तर किसी चिह्न विशेष या एक-दो शब्द के द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं। निबन्धात्मक परीक्षा के दोषों को दूर करने की दृष्टि से इस परीक्षा का विकास किया गया है। प्रश्नों के उत्तर एक-दो शब्दों में होने के कारण इसमें कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतः प्रश्न पूरी पाठ्यचर्या से सम्बन्धित होते हैं। छात्रों को विषय पूरी तरह से तैयार करना पड़ता है, विषय का कोई भी अंश छोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें प्रश्नों के उत्तर निश्चित होने के कारण हर परिस्थिति में परीक्षक को निश्चित अंक देने पड़ते हैं अर्थात् उत्तर सही है तो पूर्ण अंक और गलत है तो शून्य। प्रश्न के उत्तर की विषयवस्तु निश्चित होने के कारण ही इसे वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। ये परीक्षाएं विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होती है। इनके द्वारा बच्चों के ज्ञान की सही-सही जांच होती है।

इन गुणों के होने पर भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोषमुक्त नहीं है। इनसे बच्चों की विचार, तर्क आदि मानसिक शक्तियों, भाषा-शैली का प्रयोग, विचारों की अभिव्यक्ति आदि की जांच नहीं हो पाती है। ये तो केवल बच्चों की स्मरणशक्ति की जांच करती हैं। कभी-कभी ये अनुमान-कार्य को भी प्रोत्साहन देती हैं।

अतः वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर पूरी तरह से निर्भर न रहकर, निबन्धात्मक एवं लघु उत्तर परीक्षाओं के साथ समन्वित करके इसका प्रयोग करना चाहिए। वस्तुगत प्रश्नों का निर्माण बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। परस्पर विचार-विमर्श एवं पर्याप्त अभ्यास के उपरान्त ही इनका निर्माण किया जा सकता है। प्रश्नों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि छात्र दिए गए समय में उनका उत्तर दे सकें। प्रश्न छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हों जिनका उत्तर 5 से 10

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
प्रतिशत तक असाधारण प्रतिभा के छात्र दे सकें, कुछ प्रश्न ऐसे हों जिन्हें 40 से 65 प्रतिशत तक सामान्य प्रतिभा के छात्र दें सकें और कुछ प्रश्न ऐसे हों जिन्हें सभी छात्र दे सकें। इससे सभी छात्रों की मानसिक क्षमता, योग्यता आदि की जांच भी हो सकेगी।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न अनेक प्रकार के होते हैं–

1. पुनः स्मरण परीक्षा (Recall test)—इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को अपनी स्मृति अर्थात् स्मरणशक्ति का प्रयोग कर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जैसे–

प्रश्न (i) रामायण की रचना किसने की?

(ii) क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं?

(iii) विद्यापति की जन्मतिथि क्या है?

(iv) छायावाद के कवियों के नाम लिखो।

(v) पृथ्वी के तीन पर्यायवाची लिखो।

इन प्रश्नों में उत्तर नहीं दिया होता है। छात्रों को स्वयं सीखे हुए ज्ञान का पुनः स्मरण करके उत्तर लिखना पड़ता है।

2. रिक्त-स्थान पूर्ति परीक्षा—इसे वाक्य-पूर्ति परीक्षा भी कहते हैं। इसमें वाक्य लिखकर बीच-बीच में रिक्त स्थान छोड़ देते हैं और छात्र उन रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखते हैं। इसके प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं–

(i) स्मृति वाक्य-पूर्ति परीक्षा–जैसे–

प्रश्न (अ) रामायण के लेखक .... है।

(आ) बिहार की मातृभाषा.......... है।

(इ) गोदान के लेखक .... है।

(ई) संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को ... कहते हैं।

(ii) चुनाव वाक्य-पूर्ति परीक्षा–इनमें वाक्य के आगे कुछ शब्द दिए होते हैं और छात्र को उन शब्दों में से उचित शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। जैसे–

प्रश्न (अ) कामायनी ... की प्रमुख रचना है।

(तुलसीदास, सुमित्रानन्दन पन्त, जयशंकर, प्रसाद)

(आ) जो शब्द लिंगावचन आदि अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें ... कहते हैं।

(क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय)

(इ) ज्ञानराशि के संचित कोष को ... कहते हैं।

(समाज, सभ्यता, साहित्य, संस्कृति)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

3. बहु-विकल्प परीक्षा—इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न के तीन-चार उत्तर लिख दिए जाते हैं और छात्रों को सही उत्तर के आगे निशान लगाना होता है। जैसे—

प्रश्न (i) जयशंकर प्रसाद ने रामचरितमानस/प्रियप्रवास/कामायनी की रचना की थी।

(ii) कलम शब्द व्याकरण में संज्ञा/सर्वनाम/क्रिया है।

4. सत्यासत्य परीक्षा—इसमें कुछ प्रश्न या कथन प्रस्तुत किए जाते हैं जो सही या गलत हो सकते हैं। छात्रों को ठीक होने पर सही का निशान (सही) लगाने या ठीक, हां, सत्य या शुद्ध लिखने को कहा जाता है। जैसे—

प्रश्न—नीचे लिखे वाक्यों में जो ठीक हों उनके आगे 'हां' और जो गलत हों उनके आगे 'नहीं' लिखो—

(ई) महादेवी वर्मा वेदना की कवयित्री मानी जाती हैं। ( )

(इ) सूरदास ने कृष्ण की बाललीला का अति सुन्दर चित्रण किया है। ( )

(अ) भूषण शृंगार रस के कवि हैं। ( )

(आ) राम शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। ( )

5. समरूप या युगलीकरण (Matching Test)—इसमें प्रश्नों को दो भागों में वांटा जाता है। प्रथम भाग में एक से अधिक कथन, शब्द या वाक्य दिए जाते हैं और दूसरे भाग में उनके उत्तर या उनसे सम्बन्धित सूचनाएं दी जाती हैं परन्तु इनका क्रम अव्यवस्थित होता है अर्थात् उत्तरों को प्रथम भाग वाले कथनों के क्रम में नहीं लिखा जाता है। छात्रों को दोनों भागों के शब्दों, वाक्यों या कथनों को पढ़कर प्रथम भाग वाले कथनों के क्रम में लिखना होता है। जैसे :

प्रश्न—नीचे प्रथम भाग में कुछ साहित्यकारों के नाम हैं और दूसरे भाग में कुछ रचनाओं के। जिस साहित्यकार की जो रचना हो उसके क्रम को उसके सामने कोष्ठक में लिखिए—

साहित्यकार	रचना	
मैथिलीशरण गुप्त	(क) राम की शक्ति पूजा	( )
जय शंकर प्रसाद	(ख) साकेत	( )
जायसी	(ग) कामायनी	( )
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला	(घ) यामा	( )
महादेवी वर्मा	(ङ) पद्मावत	( )

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

6. वर्गीकृत परख प्रश्न—इन प्रश्नों में लगभग पाँच-छः शब्दों का एक समूह होता है। केवल एक शब्द को छोड़कर शेष सभी शब्द एक ही वर्ग के होते हैं। जो शब्द उस वर्ग का नहीं है छात्रों से उसे रेखांकित करने को कहा जाता है। जैसे :

प्रश्न—नीचे दिए गए प्रत्येक समूह में से उस शब्द को रेखांकित कीजिए जो उस समूह से सम्बन्धित नहीं है :

(क) प्रेम, प्यार, स्नेह, ममता, दया।

(ख) सूर, तुलसी, मीरा, प्रसाद, कबीर।

(ग) प्रातःकाल, किरण, धूप, सूर्योदय, तारे।

7. व्यवस्थीकरण परीक्षा—इसमें कई शब्दों, कथनों या वाक्यांशों को अव्यवस्थित रूप से रख दिया जाता है और छात्रों को उन शब्दों, कथनों या वाक्यांशों को व्यवस्थित रूप में रखने को कहा जाता है। इससे छात्रों के विषय एवं भाषा-ज्ञान की परीक्षा ली जाती है।

प्रश्न—नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखिए :
(अ) वर्ण, वाक्य, अनुच्छेद, निबन्ध, शब्द।
(आ) गगन हम उन्मुक्त पंछी के।
(इ) हैं संज्ञा स्थान के शब्दों प्रयुक्त को पर सर्वनाम होने वाले कहते।

इस प्रकार हिन्दी भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करने के लिए हिन्दी के प्रश्न-पत्र में उपर्युक्त निबन्धात्मक, लघु उत्तर एवं वस्तुनिष्ठ सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश कर प्रश्न-पत्र का निर्माण करना चाहिए जिससे छात्रों की भाषा सम्बन्धी विभिन्न योग्यताओं की सही-सही जांच हो सके।

II. मौखिक परीक्षा—मौखिक रूप से छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके उत्तर भी मौखिक रूप से ही देने को कहा जाता है। इसे ही मौखिक परीक्षा कहते हैं। हिन्दी भाषा के मूल्यांकन में मौखिक का बहुत महत्त्व है क्योंकि हिन्दी भाषा-शिक्षण में पढ़ने-लिखने की योग्यता का विकास करने के योग्य बनाना भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। हम दैनिक जीवन में पढ़ने-लिखने से अधिक कार्य सुनने और बोलने का करते हैं। भाषा के दो रूपों, मौखिक एवं लिखित, में से व्यावहारिक जीवन में मौखिक रूप का प्रयोग अधिक होता है। दूसरे बोलने की योग्यता लिखित योग्यता का विकास करने में भी सहायक होती है। मौखिक रचना ही

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

लिखित रचना का आधार है अतः हिन्दी के मूल्यांकन में मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करना भी उतना ही आवश्यक है जितना लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करना।

मौखिक परीक्षा में अध्यापक छात्रों में होने वाले मौखिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी अपेक्षित व्यवहार-परितर्वनों व दिए गए ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कर लेता है और एक-एक छात्र से कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछता है। छात्रों के उत्तर देने के ढंग के आधार पर उनका मूल्यांकन कर लिया जाता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा ही छात्रों की शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव-भाव, स्वर के उतार-चढ़ाव एवं उचित स्वराघात के साथ बोलने की योग्यता की जांच की जाती है। वाचन सम्बन्धी योग्यता की जांच भी मौखिक परीक्षा द्वारा ही की जाती है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर देने पर उनकी सुनने की योग्यता की जांच भी होती है।

इस परीक्षा की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें एक-एक छात्र से अलग-अलग प्रश्न पूछने के कारण समय अधिक लगता है। परन्तु इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के साथ-साथ इसे भी सहायक रूप में स्वीकार करना चाहिए।

III. प्रायोगिक परीक्षा—वैसे तो प्रायोगिक परीक्षा विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान तथा हस्त-कौशलों से सम्बन्धित विषयों की परीक्षा लेने में प्रयुक्त की जाती है, अन्य विषयों में नहीं। परन्तु भाषा भी एक कौशल है। अतः जिस प्रकार अन्य विषयों की कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक परीक्षा ली जानी चाहिए।

हिन्दी भाषा में सस्वर, पठन, कविता-पाठ, भाषण, वाद-विवाद, सुलेख, निबन्ध-लेखन आदि क्रियाओं द्वारा प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन कर छात्रों की भाषा सम्बन्धी विभिन्न योग्यताओं की जांच की जा सकती है। हां, स्वतन्त्र रूप में यह परीक्षा अपने आप में पर्याप्त नहीं है। लिखित एवं मौखिक परीक्षा के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) पर्यवेक्षण—किसी भी विषय के शिक्षण के लिए जिन उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है उनकी उपलब्धि व्यवहार-परिवर्तन के रूप में मापी जाती है। परीक्षा के द्वारा तो इस उपलब्धि का आंशिक मूल्यांकन ही हो पाता है। भाषा-शिक्षण सम्बन्धी उपलब्धियों का सही और विस्तृत मूल्यांकन तो बच्चे के दैनिक कार्य-कलापों एवं व्यवहार को देखकर ही किया जा सकता है।

बच्चे के दैनिक व्यवहार एवं क्रियाओं को देखकर उनका लेखा-जोखा रखने की क्रिया को ही पर्यवेक्षण कहा जाता है। कक्षा-शिक्षण के समय कक्षा अन्तर्क्रिया

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

में छात्र की सक्रियता, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजित भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी क्रियाओं में उसकी सहभागिता एवं प्रदर्शन, विद्यालय में छात्र के कार्य करने के ढंग एवं विद्यालय के सभी अध्यापकों, छात्रों व अन्य कर्मियों आदि के साथ वार्तालाप आदि का पर्यवेक्षण करते हुए छात्रों की भाषागत योग्यताओं के विकास एवं उपलब्धियों की जांच की जा सकती है।

(ग) संचित अभिलेख पत्र—छात्रों के व्यक्तित्त्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहार-परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक ही प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है, इसी को संचित अभलेख पत्र कहा जाता है। इसकी सहायता से छात्रों के क्रमिक विकास एवं व्यवहार-परिवर्तनों की जांच की जाती है। क्योंकि इसमें छात्र के विद्यालय प्रवेश से लेकर विद्यालय छोड़ने तक की छात्र की स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास सम्बन्धी उपलब्धि, सहगामी क्रियाओं में सहभागिता की स्थिति, मानसिक व बौद्धिक विकास एवं शैक्षिक उपलब्धियों से सम्बन्धित समय-समय पर किए गए मूल्यांकन के परिणामों का पूरा-पूरा लेखा-जोखा (रिकार्ड) रखा जाता है। छात्र का प्रारम्भिक स्तर क्या था, शिक्षणोपरान्त उसमें क्या अन्तर आया है, प्रगति हुई है या नहीं, इन सभी बातों की यथार्थ जानकारी संचित अभिलेख पत्र द्वारा हो जाती है।

घटनावृत्त—विद्यालय में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार-परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। उन घटनाओं में किस छात्र की क्या भूमिका रही, उस बात का विवरण छात्रों की भाषागत उपलब्धियों का मापन करने में सहायक होता है।

(ङ) गृह-कार्य—कक्षा-शिक्षण के उपरान्त पढ़ाए गए विषय का अभ्यास करने के लिए अध्यापक द्वारा छात्रों को घर से करले लाने के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इन्हें ही गृह-कार्य कहते हैं। गृह-कार्य के रूप में लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पाठ के सार, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, ... विषयावस्तु को सुनने आदि क्रियाओं के आधार पर भी छात्र की भाषागत योग्यताओं के विकास की जांच की जाती है। अतः मूल्यांकन में गृह-कार्य भी एक साधन का कार्य करता है।

(च) रेटिंग स्केल—उपर्युक्त विभिन्न विधियों एवं साधनों द्वारा छात्रों की भाषागत योग्यताओं एवं उपलब्धि की जो जांच की जाती है, वह किस स्तर की है, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापक का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण मापन की तीन उत्तम, सन्तोषजनक, साधारण या पांच अत्यधिक, अधिक, सामान्य, कम, बहुत कम आदि श्रेणियां बनाकर बच्चे की योग्यता व उपलब्धि को

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

किसी भी श्रेणी विशेष में रखा जाता है। यथा—

योग्यताएं एवं उपलब्धियां	श्रेणियां				
	अत्यधिक	अधिक	सामान्य	कम	बहुत कम
1. सस्वर वाचन भावानुसार है।					
2. साहित्यिक क्रियाओं में भाग लेता है।					
3. अक्षर-विन्यास की शुद्धता है।					
4. छात्र के उच्चारण में शुद्धता है।					
5. अभिव्यक्ति में मौलिकता है।					

इस प्रकार उपर्युक्त विधियों एवं साधनों की सहायता से शिक्षण-क्रिया के फलस्वरूप छात्रों में आए व्यवहार-परिवर्तनों की जांच आसानी से की जा सकती है। हिन्दी-शिक्षण के उद्देश्यों एवं विषयवस्तु की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग विधियों के प्रयोग द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न किया जा सकता है।

हिन्दी की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का मूल्यांकन कैसे किया जाए?

हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाएं

हिन्दी साहित्य के दो अंग हैं—पद्य एवं गद्य।

1. पद्य—पद्य मानव-मन की भावनाओं को चित्रण है। इसमें छन्द, लय, प्रवाह आदि की प्रधानता होती है। कविता इतनी सरस होती है कि पाठ्क या श्रोता अनायास ही उससे आनन्द की अनुभूति करने लगता है। पद्य या कविता में रस की प्रधानता होती है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, "वाक्य रसात्मक काव्याम' काव्य भी कई प्रकार के होते हैं—प्रबन्ध काव्य, खण्ड काव्य, मुक्तक काव्य आदि।

2. गद्य—साहित्य के इस रूप में छन्द, लय, प्रवाह आदि के बन्धनों का होना आवश्यक नहीं। उसमें तथ्यों को सर्वमान्य भाषा में ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति गद्य के माध्यम से ही करते हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
गद्य हमारे दैनिक जीवन की भाषा है। हमारा मस्तिष्क हर समय विचार करने, तर्क-वितर्क करने, चिन्तन-मनन करने एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करता रहता है। इन्हीं विचारों, तथ्यों एवं सिद्धान्तों का विवेचन साहित्य के गद्य रूप द्वारा किया जाता है। इन विचारों व तर्कों की अभिव्यक्ति में व्यवस्था, क्रम एवं शृंखला का होना आवश्यक है। यह गद्य हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। जैसे—निबन्ध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, पत्र, डायरी, आलोचना आदि। इन्हें ही गद्य की विधाएं कहा जाता है। हर विधा, भाषा-शैली, विषय के प्रतिपादन, प्रस्तुतीकरण आदि की दृष्टि से अलग-अलग होती है। सभी विधाओं को अलग-अलग आगे स्पष्ट किया जा रहा है।

(i) निबन्ध—निबन्ध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें व्याकरणसम्मत भाषा और विषयानुकूल शैली के माध्यम से विचारों अथवा तथ्यों को सरल, संक्षिप्त किन्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। न्यूनाधिक मात्रा में इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी प्रतिबिम्बित होता है। सामान्यः निबन्ध चार प्रकार के होते हैं—वर्णनात्मक, विवरणात्मक या कथात्मक विचारात्मक एवं भावात्मक।

वर्णनात्मक निबन्धों में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का तथा प्रकृति या मानव-जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। विवरणात्मक या कथात्मक निबन्धों में किसी पौराणिक कथा, ऐतिहासिक घटना, सामाजिक स्थिति अथवा किसी आत्मानुभूत प्रसंग का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विचारात्मक निबन्ध में किसी समस्या अथवा अप्रत्यक्ष विषय पर विचार किया जाता है, और विषय के सत्-असत् का प्रतिपादन या गुण-दोषों का विवेचन सुसम्वद्ध रीति से किया जाता है। भावात्मक निबन्धों में प्रायः लेखक अपनी किसी अनुभूति को या अमूर्त एवं इन्द्रियातीत विषयों को भावपूर्ण भाषा में पाठक के हृदय तक पहुंचाता है।

परिमार्जित भाषा, विषयानुकूल शैली, विचारों की क्रमबद्धता, भावों की गहराई, अपने मत का प्रतिपादन एवं जो कुछ कहा गया है उसका पाठक पर प्रभाव—ये निबन्ध विधा के तत्त्व कहलाते हैं। निबन्ध में इनका निर्वाह होना आवश्यक है।

(ii) कहानी—गद्य साहित्य की दूसरी सर्वाधिक प्रिय विधा कहानी है। कहानी में जीवन के एक पहलू, एक क्षण, एक घटना अथवा एक भावना या एक विचार को कथारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी मुख्यतः चार प्रकार की होती है : **(i) घटना-प्रधान**—जिनमें किसी पौराणिक, सामाजिक व ऐतिहासिक घटना के तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है, **(ii) चरित्र-प्रधान**—जिनमें किसी घटना के माध्यम से उसके सक्रिय पात्रों के चरित्र को उभारकर प्रस्तुत किया जाता है, **(iii) समस्या-प्रधान**—जिनमें किसी धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक समस्या को आधार बनाकर उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है, **(iv) भाव-प्रधान** व

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

मनोवैज्ञानिक– जिनमें पात्रों की मनोदशा या अन्तर्द्वन्द्व का चित्रण किया जाता है। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, भाषा-शैली, देश-काल एवं उद्देश्य, ये कहानी के तत्त्व होते हैं।

(iii) **नाटक**–गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं में नाटक प्राचीनतम विधा है। इसमें कथा या घटना को पात्रों के अभिनय द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसे देखने से दर्शकों के हृदय प्रभावित होते हैं अतः इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र-चित्रण, संमवाद या कथोपकथन, देशकाल, भाषा-शैली, उद्देश्य, अभिनेयता–ये नाटक के तत्त्व होते हैं।

(iv) **एकांकी**–यह नाटक का ही एक रूप है। इसमें जीवन की किसी घटना को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। रंगमंच पर दृश्य-परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। कम समय में अधिक आनन्द प्रदान करना एकांकी की विशेषता है।

(v) **उपन्यास**–उपन्यास गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसका स्वरूप बहुत विस्तृत होता है। इसमें एक विस्तृत प्रमुख कथा का वर्णन होता है परन्तु उस विस्तृत कथा के अन्तर्गत अनेक गौण कथाएं समाहित होती हैं। उपन्यास दो प्रकार के होते हैं–घटना-प्रधान व चरित्र-प्रधान। जासूसी तथा साहसिक कथानक वाले उपन्यास घटना-प्रधान होते हैं तथा ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कथानक वाले उपन्यास चरित्र-प्रधान होते हैं।

(vi) **जीवनी**–जीवनी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन की सत्य घटनाओं विवरण प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं पर आधारित विवरण प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को चुनकर भाषा-शैली एवं कल्पना के सहारे उसे रोचक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी काल्पनिक घटना का वर्णन नहीं होता है।

(vii) **आत्मकथा**–गद्य साहित्य की इस विधा में कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को स्वयं लिखकर प्रस्तुत करता है। जीवनी अन्य कोई व्यक्ति लिखता है और आत्मकथा स्वतः लिखी जाती है। लेखक अपने जीवन के सुखद व दुखद, अच्छे एवं बुरे दोनों पक्षों का चित्रण करता है। वह आत्मपरीक्षण कर स्वनिष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है जिससे पाठक उसके अनुभवों का लाभ उठा सकें।

(viii) **संस्मरण**–गद्य साहित्य की इस विधा के अन्तर्गत लेखक स्वयं अपनी आंखों देखी या अनुभव की गई घटनाओं का रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। यदि यह संस्मरण अपने जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित है तो आत्मकथा के अति निकट और यदि अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित है तो जीवंनी के अति निकट होता है। इसमें लेखक अपने दृष्टिकोण से घटना का विश्लेषण करता है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(ix) **रेखाचित्र**—गद्य की इस साहित्यिक विधा को शब्दचित्र या स्कैच भी कहते हैं। इससे किसी व्यक्ति की आकृति, चाल-ढाल या स्वभाव की किन्हीं विशेषताओं को शब्दचित्रों के माध्यम से सजीव रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें व्यक्ति के कार्यों का संक्षिप्त एवं सजीव चित्रण होता है।

(x) **रिपोर्ताज**—यह विधा रेखाचित्र का ही परिवर्तित रूप है। जब व्यक्ति के कार्यों या व्यापार या आकृति का चित्रण न होकर घटनाओं का क्रमबद्ध चित्रण होता है तो उसे रिपोर्ताज कहा जाता है। यह शब्द रिपोर्ट से बना है। किसी भी घटना की कलात्म एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति अर्थात् रिपोर्ट की रिपोर्ताज है। ये घटनाएं वास्तविक होती हैं, केवल कल्पना की सहायता से उन्हें रोचक बनाया जाता है।

(xi) **पत्र**—जब कोई लेखक अपने किसी मित्र, सम्बन्धी या परिचित को पत्र लिखकर अपने किसी सामाजिक या राजनैतिक अनुभव या विचार का विश्लेषण करता है तो गद्य की इस विधा को पत्र कहा जाता है। जवाहरलाल जी द्वारा अपनी पुत्री इन्दिरा को लिखे गए पत्र एवं महात्मा गांधी के पत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हुए हैं।

(xii) **डायरी**—गद्य साहित्य की यह विधा की काफी लोकप्रिय है। इस विधा में लेखक अपने अनुभवों, जीवन की घटनाओं, अपने सम्पर्क में आए व्यक्तियों आदि को प्रतिदिन अलग-अलग लिखित रूप में अभिव्यक्ति करता है। यह डायरी कहलाती है।

विभिन्न विधाओं के शिक्षण मूल्यांकन

हिन्दी केवल एक विषय ही नहीं है वरन् विभिन्न विषयों को सीखने का एक माध्यम भी है। अतः विद्यालय में हिन्दी की शिक्षा देते समय छात्रों को केवल विषयवस्तु का ज्ञान ही नहीं दिया जाता अपितु शुद्ध मौखिक अभिव्यक्ति एवं शुद्ध लिखित अभिव्यक्ति के कौशल को विकसित करने का प्रयास भी किया जाता है। छात्रों की साहित्य में रुचि जाग्रत कर उसकी सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करने की ओर भी ध्यान दिया जाता है। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने अर्थात् छात्रों में इन योग्यताओं को विकसित करने के लिए बच्चों को भाषा एवं साहित्य के दोनों रूप—गद्य एवं पद्य का अध्ययन कराया जाता है। गद्य—शिक्षण में गद्य की विभिन्न विधाओं को हिन्दी पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाता है। जैसे—निबन्ध, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डांयरी, एवं साक्षात्कार आदि। प्राथमिक स्तर पर निबन्ध, एकांकी, नाटक, कहानी, जीवनी, आत्मकथा आदि गद्यविधाओं का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हर शिक्षण स्तर पर कविताओं का अध्ययन भी कराया जाता है। इन सभी विधाओं का शिक्षण करने से पूर्व अलग-अलग इनके शिक्षण अधिगम

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप छात्रों में उन पूर्वनिर्धारित योग्यताओं का विकास कहां तक हुआ है, विभिन्न कौशलों को छात्रों ने किस स्तर तक अर्जित किया हैं एवं छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किस सीमा तक आए हैं, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों एवं साधनों की सहायता ली जाती है और इन सभी तकनीकों एवं साधनों के प्रयोग से मूल्यांकन को उपयोगी, सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। अतः हिन्दी की विभिन्न विधाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने से पहले विभिन्न विधाओं के शिक्षण उद्देश्यों की जानकारी आवश्यक है।

हिन्दी-शिक्षण में इन सभी विधाओं का सामान्यतः एक ही उद्देश्य है और वह यह है कि बच्चे दूसरों के मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से व्यक्त किए गए विचारों को ठीक प्रकार से समझ सकें और स्वयं अपने भाव, विचार एवं अनुभवों को मौखिक एवं लिखित रूप से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकें। साथ ही उनके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास कर जीवन में उचित रूप से समायोजित होने के योग्य बनाना भी भाषा-शिक्षण का उद्देश्य है। इन सभी उद्देश्यों को हम संक्षेप में निम्न रूप में स्पष्ट कर सकते हैं :

1. छात्रों की सृजनात्मक योग्यता को विकसित करना।
2. छात्रों की साहित्य में रुचि जाग्रत करना।
3. छात्रों को साहित्य का रसास्वादन करने के योग्य बनाना।
4. साहित्य के अध्ययन से छात्रों को मानव-जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान कराना।
5. छात्रों की अभिवृत्तियों की परिमार्जित करना।
6. छात्रों की समीक्षात्मक योग्यताओं को विकसित करना।
7. छात्रों के शब्द-भण्डार में वृद्धि करना।
8. छात्रों को सूक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान कराना।
9. छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना।
10. छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना।
11. छात्रों को उचित हाव-भाव आदि के साथ अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करने के योग्य बनाना।
12. छात्रों में पठन-कौशल को विकसित करना।
13. छात्रों की अर्थग्रहण-योग्यता अर्थात् बोध-शक्ति का विकास करना।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

14. छात्रों को व्याकरणसम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति के योग्य बनाना।

इन सभी कौशलों एवं उद्देश्यों को छात्रों ने किस स्तर तक ग्रहण किया है इस बात की जांच उनकी पाठ्यचर्या में सम्मिलित विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित पाठों के आधार पर की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित प्रकार से मूल्यांकन की व्यवस्था की जा सकती है :

1. पठन-कौशल का मूल्यांकन—दूसरों के विचारों को एक तो सुनकर ग्रहण किया जाता है और दूसरे पढ़कर। भाषा साहित्य की सभी विधाएं छात्रों में वाचन-कौशल को विकसित करने की उत्तम माध्यम होती हैं। छात्र, गद्य, पद्य, कहानी, नाटक आदि विधाओं को पढ़कर उनमें व्यक्त विचारों से परिचित होते हैं। अतः भाषा की शिक्षा में छात्रों में पठन-योग्यता का विकास करना भी आवश्यक होता है। छात्रों को उचित गति के साथ शुद्ध वाचन का अभ्यास कराया जाता है। छात्रों में वाचन-कौशल का विकास किस सीमा तक हुआ है इसका मूल्यांकन भी मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए छात्रों को किसी भी पुस्तक से कोई पाठ, अनुच्छेद या अंश पढ़ने के लिए कहा जाता है और छात्रों के पढ़ते समय उसकी पढ़ने की गति, उच्चारण, बल, विराम, स्वर के उतार-चढ़ाव, प्रवाह एवं हाव-भाव का निरीक्षण कर उनसे वाचन-कौशल के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है।

2. बोधशक्ति का मूल्यांकन—छात्रों ने दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर कितना ग्रहण किया है, इस बात की जांच करना ही बोधशक्ति का मूल्यांकन कहलाता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं उनको समझने के योग्य बनाना भाषा-शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक परीक्षा द्वारा अर्थात् मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर एवं लिखित परीक्षा द्वारा अर्थात् किसी अनुच्छेद को प्रश्न-पत्र में छापकर, उस पर कुछ प्रश्न पूछकर उनका उत्तर लिखित रूप में देने का निर्देश देकर छात्रों को बोधशक्ति की परीक्षा ली जाती है। प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तरों में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों की बोधशक्ति के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है।

3. व्याकरण-ज्ञान का मूल्यांकन—गद्य साहित्य का अध्ययन करते हुए छात्रों को व्याकरण के विभिन्न नियमों की व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक जानकारी दी जाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग में सहायक होती है। बच्चे व्याकरण का कितना ज्ञान रखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा का प्रयोग करते हुए स्मृति-परख, युगलीकरण-परख, रिक्त स्थान पूर्ति, शुद्ध-अशुद्ध, व्यवस्थीकरण आदि प्रकार के

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

प्रश्नों का प्रयोग किया जा सकता है। लघु-उत्तर परीक्षा रूप में विभिन्न नियमों एवं उपनियमों की परिभाषा आदि पूछी जा सकती है।

4. सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन—साहित्य की सभी विधाएं छात्रों की सृजनात्मक योग्यताओं को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होती हैं। सृजनात्मक योग्यता ही साहित्य के भण्डार को विकसित करने का प्रमुख एवं एकमात्र साधन है। अतः छात्रों की सृजनात्मक योग्यता की जांच करने के लिए निबन्धात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जाना चाहिए। निबन्ध, कहानी, पत्र आदि की रचना द्वारा, किसी कहानी, निबन्ध आदि का सार लिखवाकर, किसी कहानी, नाटक आदि के पात्रों का चरित्र-चित्रण लिखवाकर एवं उद्देश्य आदि लिखवाकर छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

5. साहित्य में रुचि के विकास का मूल्यांकन—साहित्य की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का एक उद्देश्य साहित्य के विभिन्न रूपों के अध्ययन में छात्रों की रुचि जाग्रत करना भी है। छात्रों में इस साहित्यिक रुचि का विकास हुआ है या नहीं, इसके लिए मूल्यांकन की पर्यवेक्षण तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय की साहित्यिक क्रियाओं में छात्रों की क्रियाशीलता, पुस्तकालय से पुस्तकों का अध्ययन, पुस्तकों के रुचिकर अंशों के संग्रह का परीक्षण एवं विभिन्न साहित्यिक संगठनों में छात्रों की सदस्यता आदि की जांच कर छात्रों की साहित्यिक रुचि का मूल्यांकन किया जा सकता है।

6. साहित्य के रसास्वादन की योग्यता का मूल्यांकन—हिन्दी-शिक्षण में साहित्य की विभिन्न विधाओं के अध्ययन के साथ कविता भी पढ़ाई जाती है। कविता-शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रसास्वादन एवं सौन्दर्यानुभूति को विकसित करना है। इसका मूल्यांकन करने के लिए मौखिक परीक्षा, लघु उत्तर परीक्षा एवं निबन्धात्मक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कविता-पाठ साहित्यिक क्रिया रसास्वादन की जांच करने का सर्वोत्तम साधन है। उचित स्वर, लय, प्रवाह एवं गति से किए गए कविता-पाठ से रसास्वादन-योग्यता की जांच हो सकती है। अर्थ-बोध के लिए निबन्धात्मक, शैली-बोध एवं काव्य-तत्त्वों के बोध की जांच के लिए निबन्धात्मक एवं लघु उत्तर परीक्षा का प्रयोग किया जा सकता है।

7. विषयवस्तु के ज्ञान का मूल्यांकन—हिन्दी-शिक्षण में विभिन्न शिक्षण-उद्देश्यों का विकास करने के लिए निश्चित पाठ्य पुस्तक के माध्यम से विभिन्न विषयों एवं तथ्यों का ज्ञान दिया जाता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित पाठ इस पाठ्य-पुस्तक में संकलित होते हैं। इनके माध्यम से छात्रों को मानव-जीवन के विविध पक्षों से परिचित कराया जाता है। छात्रों को इस विषयवस्तु का कितना ज्ञान

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
प्राप्त हुआ है इसकी जांच के लिए निबन्धात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तर परीक्षाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

8. अभिवृत्तियों के विकास का मूल्यांकन—साहित्य की विभिन्न विधाओं के अध्यापन के द्वारा छात्रों की मनोवृत्तियों का परिमार्जित कर उनमें सद्वृत्तियों को विकसित करने का प्रयास भी किया जाता है। छात्रों ने इन अभिवृत्तियों को कितना ग्रहण किया है इसके लिए निबन्धात्मक परीक्षा एवं पर्यवेक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। किसी कहानी या नाटक से क्या शिक्षा मिलती है आदि प्रश्नों का उत्तर लिखवाकर या छात्रों के दैनिक व्यवहार का निरीक्षण कर उनमें विकसित अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करना चाहिए।

9. समीक्षात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन—विभिन्न साहित्यिक विधाओं के स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने एवं भाषा के शुद्ध प्रयोग की दृष्टि से छात्रों की समीक्षात्मक योग्यता को विकसित करना भी भाषा-शिक्षण का उद्देश्य है। किसी भी चीज के गुण-दोषों को परखने की योग्यता रखनेवाला व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर गुण-दोषों की परख कर सही दिशा निर्धारण करने में समर्थ होता है। छात्रों की समीक्षात्मक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए लघु उत्तर एवं निबन्धात्मक परीक्षा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए विषयवस्तु, भाषा एवं शैली के गुण-दोषों की परख करने से सम्बन्धित प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए।

10. शब्द, सूक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्ति ज्ञान का मूल्यांकन—साहित्य की विभिन्न विधाओं निबन्ध, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी आदि के शिक्षण द्वारा छात्रों को विभिन्न शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान कराकर उनके शब्द, सूक्ति, मुहावरों एवं लोकोक्ति भण्डार में वृद्धि हो जाती है। छात्रों में इस शब्द-भण्डार का विकास कहां तक हुआ है, इसका मूल्यांकन करने के लिए कक्षा-कार्य एवं गृह-कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ मौखिक परीक्षा तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सहायता ली जा सकती है। शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द आदि तथा सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ पूछकर मौखिक परीक्षा हो सकती है और सत्यासत्य, युगलीकरण, स्मृति परीक्षा, रिक्त स्थान पूर्ति, व्यवस्थीकरण आदि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के निर्माण द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन कर शब्दावली आदि के ज्ञान की परीक्षा ली जा सकती है।

11. श्रवण-कौशल का मूल्यांकन—साहित्य की विभिन्न विधाओं का शिक्षण करते समय अध्यापक उनसे सम्बन्धित विषयवस्तु की चर्चा छात्रों के सम्मुख करता है। छात्रों से उसे सुनकर समझा है या नहीं, इसके लिए पाठ का सार, विषयवस्तु से सम्बन्धित प्रश्न आदि पूछकर अर्थात् मौखिक परीक्षा द्वारा अध्यापक छात्रों के श्रवण-कौशल की जांच कर सकता है। इसी कहानी को सुनाकर छात्रों को अपने

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

शब्दों में कहने के लिए कहा जा सकता है। किसी विषय पर संक्षिप्त भाषण देकर या कहानी सुनाकर उसे संक्षेप में अपने शब्दों में लिखने को भी कहा जा सकता है। इसके लिए गृह-कार्य एवं कक्षा-कार्य के पर्यवेक्षण की सहायता ली जा सकती है।

12. उच्चारण कौशल का मूल्यांकन—मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में शुद्ध उच्चारण का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बिना शुद्ध उच्चारण के मौखिक अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो ही नहीं सकती है। उच्चारण-कौशल की जांच करने के लिए मौखिक परीक्षा ही सर्वोत्तम विधि है। शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण करने के लिए कहा जा सकता है। पाठ्य पुस्तक का कोई परिच्छेद पढ़वाकर और सामान्य ज्ञान या पुस्तक की विषयवस्तु से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर पूछकर उच्चारण-कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है।

13. मौखिक अभिव्यक्ति-कौशल का मूल्यांकन—छात्रों में अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना भाषा की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास किस स्तर तक हुआ है, इस बात की जांच मौखिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा की जा सकती है। पठित विषयवस्तु पर प्रश्न पूछकर उनके उत्तर देने के ढंग से, कहानी आदि सुनाने के ढंग से, विभिन्न साहित्यिक क्रियाओं जैसे भाषण, वाद-विवाद, नाटक, कविता-पाठ आदि में छात्रों की सहभागिता के स्तर आदि की जांच करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि छात्र मौखिक रूप से अपने विचारों को किस तरह व्यक्त करता है। साक्षात्कार आदि से भी मौखिक अभिव्यक्ति-कौशल की जांच की जा सकती है।

इस प्रकार साहित्य की विभिन्न विधाओं और उनमें निहित विभिन्न शिक्षण-उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा तथा पर्यवेक्षण आदि का प्रयोग कर हम मूल्यांकन प्रक्रिया को सोद्देश्य, सार्थक एवं प्रभावशाली बना सकते हैं।

हिन्दी में मूल्यांकन हेतु प्रश्न-पत्र का निर्माण

हिन्दी भाषा के शिक्षण के लिए जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरान्त उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, अध्यापक ने शिक्षण के लिए जिन शिक्षण-विधियों का प्रयोग किया वे ठीक थीं या नहीं, तथा जिस पाठ्यचर्या या पाठ्य-पुस्तक को शिक्षण का माध्यम बनाया गया वह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप थी या नहीं, इस बात की जांच मूल्यांकन-प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती है और यह मूल्यांकन प्रश्न-पत्र के आधार पर किया जाता है। हिन्दी की शिक्षा में चाहे किसी भी साहित्यिक विधा

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
को पढ़ाया जाए, उसके मूल्यांकन के लिए प्रश्न-पत्र का निर्माण ही किया जाता है। मूल्यांकन की सफलता प्रश्न-पत्र पर निर्भर करती है। यदि प्रश्न-पत्र ठीक बन गया अर्थात् प्रश्न-पत्र में पूछे गए प्रश्न सार्थक, विविधतापूर्ण एवं छात्रों के स्तर के अनुकूल हैं तब तो ठीक, नहीं तो सारी की सारी मूल्यांकन-प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है। अतः मूल्यांकन की सफलता एवं प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न-पत्र का निर्माण बहुत सावधानी एवं चिन्तन-मनन के प्रश्चात् करना चाहिए। प्रश्न-पत्र में प्रश्नों की विविधता होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, छात्रों के लिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए तथा हर प्रश्न के अंक आदि का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

एक अध्यापक को प्रश्न-पत्र का निर्माण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए :

1. प्रश्न-पत्र वनाने के लिए अब अध्यापक को पूरा पाठ्यक्रम देखकर अधिक से अधिक भाग पर प्रश्न बनाने चाहिए। इसके लिए पहले परीक्षा की समयावधि निश्चित कर लेनी चाहिए और फिर यह सोचना चाहिए कि उस समयावधि में यथा स्तरं के छात्र कितना कुछ लिख सकते हैं, यह विचार करने के उपरान्त प्रश्नों का चयन करना चाहिए।

2. प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण करने के लिए यह देखना चाहिए कि हिन्दी-शिक्षण के किस उद्देश्य की प्राप्ति की जांच किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा की जा सकती है। इसका निर्णय लेने के उपरान्त ही यथा प्रश्नों के प्रकार एवं संख्या का निश्चय करना चाहिए। जैसे—लिखित अभिव्यक्ति, समीक्षा आदि उद्देश्यों के लिए निबन्धात्मक एवं ज्ञान की जांच के लिए लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन किया जा सकता है।

3. प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण करने के उपरान्त यह देखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न कितने अंकों के हों। जैसे—निबन्धात्मक प्रश्न 50, लघु उत्तर 25 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 अंक के हो सकते हैं।

4. अब अध्यापक को यह निर्णय लेना चाहिए और पाठ्य-पुस्तक के किस भाग में से निबन्धात्मक प्रश्न पूछे जाएं, किस अंश में से लघु उत्तर और किस भाग में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएं।

5. अब अध्यापक को पाठ्य-पुस्तक सामने रखकर प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा सुबोध भाषा में बनाने चाहिए।

6. प्रश्न इस प्रकार के हों कि प्रतिभाशाली, सामान्य एवं पिछड़ी सभी बुद्धि के बच्चों का उचित मूल्यांकन हो सके।

7. प्रश्न-पत्र में यदि छात्रों को कुछ प्रश्नों की छूट देनी हो तो वह इस प्रकार

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

से दी जाए कि छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम तैयार करना पड़े। एक प्रश्न के अन्तर्गत ही यह करो या वह करो के आधार पर प्रश्न बनाए जाएं। ऐसा न हो कि छात्र कुछ निश्चित अध्यायों को ही तैयार करें।

8. प्रत्येक प्रश्न और उसके विभिन्न भागों के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित होने चाहिए और प्रश्न-पत्र में उनका उल्लेख भी होना चाहिए।

9. प्रश्न-पत्र में समय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

10. प्रश्न-पत्र में उत्तर देने से सम्बन्धित स्पष्ट निर्देश होने चाहिए।

11. प्रश्न-पत्र का निर्माण करने के उपरान्त बार-बार उसका मूल्यांकन करना चाहिए और उसकी कमियों को दूर करना चाहिए।

12. परीक्षकों के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रश्न-पत्र के साथ ही तैयार कर लेने चाहिए जिससे उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच करने में किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो सके।

13. प्रश्न-पत्र-निर्माण के उपरान्त उत्तर-तालिका का निर्माण भी करना चाहिए। लघु उत्तर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर साफ-साफ लिखे होने चाहिए। निबन्धात्मक प्रश्नों के उत्तरों की सीमारेखा भी एवं वांछित उत्तरों की संक्षिप्त रूपरेखा का उल्लेख भी होना चाहिए जिससे अंकन-कार्य में वस्तुनिष्ठता बनी रहे।

14. हिन्दी भाषा की शिक्षा छात्रों में अनेक योग्यताओं को विकसित करने के लिए दी जाती है। अध्यापक को सर्वप्रथम यह निर्धारित करना चाहिए कि छात्र की किस योग्यता का मापन करने के लिए प्रश्न-पत्र का निर्माण कर रहा है। विचार ग्रहण योग्यता, अभिव्यक्ति-योग्यता, सृजनात्मक योग्यता या किसी अन्य योग्यता की या इन सभी योग्यताओं के विकास का मापन करना है, इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए।

15. छात्रों की योग्यताओं के बारे में निश्चय कर लेने के उपरान्त इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि किस योग्यता को कितना महत्त्व देना है अर्थात् भाषा-शिक्षण के किस उद्देश्य के मापन को कितना स्थान देना है। किसी भी विधा के शिक्षण के जितने भी उद्देश्य पूर्वनिर्धारित किए गए हैं, उनमें से किसी भी उद्देश्य की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे हिन्दी-शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य यदि ज्ञान, अर्थबोध, अभिव्यक्ति और सौन्दर्यबोध हैं तो अध्यापक को यह सोचना चाहिए कि इन सभी उद्देश्यों के लिए प्रश्न-पत्र में कितने-कितने प्रतिशत अंक देने हैं। उदाहरण के लिए एक अध्यापक ज्ञान को 30%, अर्थबोध को 20% अभिव्यक्ति को 30% और सौन्दर्यबोध को 20% अंक दे सकता है तो दूसरा अध्यापक ज्ञान को 35%,

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
अर्थबोध एवं अभिव्यक्ति को 45% एवं रुचि तथा अभिव्यक्ति उद्देश्यों को 10-10% अंक दे सकता है।

16. उद्देश्यों का मान निर्धारित करने के पश्चात् अध्यापक को विषयवस्तु पर ध्यान देना चाहिए। हिन्दी की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की विषयवस्तु का चयन किया जाता है, जैसे—गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, रचना, व्याकरण आदि। प्रश्न-पत्र बनाने से पूर्व अध्यापक को यह निर्णय करना चाहिए कि किस विधा को या विधा के किस भाग को कितने अंक देने हैं—जैसे गद्य को 40 अंक, पद्य को 20 अंक, व्याकरण को 25 अंक, रचना को 15 अंक आदि। इसके आधार पर ही विषयवस्तु के हर भाग पर प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए।

इस प्रकार पूरी तरह से विचार करके प्रश्न-पत्र का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रश्न-पत्र में प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विषय की सम्पूर्णता, व्यावहारिकता, वैधता, सरलता, स्पष्टता, सुबोधता, सुसम्बद्धता आदि गुणों का पूरी तरह से समावेश हो सके।

परीक्षा होने के उपरान्त विषय के अध्यापकों, परीक्षकों एवं प्रश्न-पत्र-निर्माताओं को आपस में विचार-विमर्श करके प्रश्न-पत्र का विश्लेषण करना चाहिए और प्रश्न-पत्र में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

19

हिन्दी में वर्ण-व्यवस्था

मनुष्य अपने भाव, विचार एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही है। हमारे मुख के अंगों से घर्षण करती या टकराती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है उसी को ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ध्वनियों को अंकित करने के चिह्नों को लिपि या अक्षर कहते हैं। भाषा-विज्ञान के आचार्यों के अनुसार, ''ध्वनि-विज्ञान मानवीय भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन तथा वर्णन करता है।'' अक्षर शब्द का अर्थ है– अ + क्षर, कभी नष्ट न होने वाला। इसी को वर्ण भी कहते हैं। हिन्दी भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग-अलग अक्षर या वर्ण का प्रयोग होता है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के योग से वाक्य। इस प्रकार रचना का मूलाधार ध्वनियां है। हिन्दी भाषा की समस्त ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—स्वर तथा व्यंजन।

स्वर—जब प्राणवायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण के लिए किसी अन्य अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती है अर्थात् स्वरों का उच्चारण स्वतन्त्र रूप से होता है। स्वर भी दो प्रकार के हैं—ह्रस्व तथा दीर्घ। प्लुत भी स्वर की गिनती में है।

(1) ह्रस्व स्वर—जिन अक्षरों के उच्चारण में कम-से-कम समय लगता है। जैसे—अ, इ, उ, ऋ।

(2) दीर्घ स्वर—जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। जैसे—आ, ई, ऊ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ।

उपर्युक्त विभाजन में अ, इ, उ मुख्य स्वर हैं तथा आ, ई, ऊ दीर्घ।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

स्वरों का विभाजन अलग-अलग विद्वानों ने इस प्रकार किया है—

	प्रथम वर्गीकरण	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
	अ	अ	अ	अ
	आ	आ	आ	आ
	इ	इ	इ	
	ई	ई	ई	ई
	उ	उ	उ	उ
	ऊ	ऊ	ऊ	ऊ
	ए	ए	ए	ए
	ऐ	ऐ	ऐ	ऐ
	ओ	ओ	ओ	ओ
	औ	औ	औ, ऋ	औ, ऋ
	ऋ	अं, अः	अं, अः	अं अः, ऑ
कुल स्वर	11	12	13	14

प्लुत स्वर—जिन अक्षरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जैसे ॐ। इनको चिह्नित करने के लिए अक्षर के बाद ३ का अंक लिख देते हैं।

अनुनासिक स्वर—जिन स्वरों का उच्चारण करते समय नासिका पर बल पड़े। जैसे—अं, आं, इं, ईं, उं, ऊं, एं, ऐं, ओं, औं। इनका उच्चारण भी अन्य स्वरों के समान ही होता है। इतना अन्तर है कि वायु मुख से बाहर न जाकर नासिक विवर में पहुंचती है तथा वहां गुंजायमान होकर बाहर निकलती है।

संध्यक्षर स्वर—वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में ए, ऐ, ओ, औ को संध्यक्षर माना गया है। संध्यक्षर का अर्थ है—दो अक्षरों के मूल से बना स्वर। चार सन्धि स्वर—ए (अ + इ) ऐ (अ + ई), ओ (अ + उ), औ (अ + ऊ) हैं जो मुख्य स्वरों के मेल से बने हैं। इनका उच्चारण दो स्वरों के समान होता है। ए, ऐ का उच्चारण भी कण्ठतालु तथा ओ, औ का कण्ठोष्ठ दो उच्चारण स्थान हैं।

व्यंजन—व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के भीतर हवा के रास्ते में पूरी या अधूरी रुकावट होती है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। इस प्रकार व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वर की अपेक्षा होती है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं—

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(1) स्पर्श व्यंजन–जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये इस प्रकार हैं–

1. क वर्ग–क, ख, ग, घ, ङ।
2. च वर्ग–च, छ, ज, झ, ञ।
3. ट वर्ग–ट, ठ, ड, ढ, ण।
4. त वर्ग–त, थ, द, ध, न।
5. प वर्ग–प, फ, ब, भ, म।

(2) अन्तस्थ व्यंजन–जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच का सा होता है। जैसे–य, र, ल, व। ये चारों स्वर और व्यंजनों से मध्यवर्ती स्थिति के हैं।

(3) ऊष्म व्यंजन–जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गरम ऊष्मा-सी निकलती है। जैसे–श, ष, स, ह।

इस तरह 11 स्वरों तथा 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिन्दी भाषा में कुछ अन्य ध्वनियां भी प्रचलित हैं जो निम्न प्रकार हैं–

संयुक्त व्यंजन–क्ष, त्र, ज्ञ, श्र–ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। क्ष–क् +ष, त्र-त् +र, ज्ञ-ज+ञ तथा श्र-श्+र् के योग से बने हैं। दो वर्णों के योग से बने होने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है।

अनुस्वार व अनुनासिक–(–) तथा (–) चन्द्र बिन्दु को अनुस्वार तथा अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय नासिका से वायु निकलती है। ङ्, ञ्, ण्, न्, म् अनुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं।

हिन्दी भाषा में सभी ध्वनियों का उच्चारण स्थान तथा उनके उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न दोनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए ध्वनियों का वर्गीकरण करने के विभिन्न आधार हैं। जैसे–

(1) उच्चारण स्थान के आधार पर–

कण्ठ–अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, विर्ग (:)
तालु–इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श
मूर्द्धा–ऋ; ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ष
दन्त–ल, त, थ, द, ध, न, ल, स
ओष्ठ–उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, व
कण्ठ तालु–ए, ऐ
कण्ठोष्ठ–ओ, औ।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(2) प्रयत्न के आधार पर–हिन्दी भाषा की सभी ध्वनियों के उच्चारण में कण्ठ से पूर्व स्थित स्वरतन्त्री एवं काक आदि तथा कण्ठ के आगे मुख के अंग–जीभ, तालू, ओष्ठ, दांत आदि को सक्रिय होना पड़ता है, इसे ही उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है। इसमें भी स्वरतन्त्री के आधार पर तथा काक के प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है–

(क) स्वरतन्त्री के प्रयत्न के आधार पर–घोष एवं अघोष दो उच्चारण स्थान हैं।

(1) घोष–वैसे तो श्वास-प्रक्रिया में स्वरतन्त्रियां अलग-अलग रहती हैं परन्तु ध्वनियों का उच्चारण करते समय ये स्वरतन्त्रियां आपस में मिल जाती हैं। वायु इन्हें ढकेलते हुए बाहर निकलने का प्रयास करती है जिससे कुछ कम्पन्न, नाद अथवा घोष होता है। इस तरह से जिन वर्णों का उच्चारण होता हे उन्हें घोष ध्वनियां कहते हैं। इनमें सभी स्वर, (अ से लेकर और तक) पांचों वर्गो के तृतीय एवं चतुर्थ (ग, घ, ज, झ, ड-ढ, द-ध, ब भ) एवं पंचम व्यंजन (ङ, ञ, ण, न, म) तथा य, र, ल, व तथा ह हैं।

(2) अघोष–जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरतन्त्रियों के अलग-अलग रहने के कारण वायु को बाहर निकलने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है उन्हें अघोष ध्वनियां कहते हैं। इनमें सभी वर्गो के प्रथम व द्वितीय वर्ण, क-ख, च-छ, ट-ठ, त-थ, प-फ) तथा श, ष, स हैं।

(3) काक के प्रयत्न के आधार पर–काक के प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का विभाजन अल्पप्राण व महाप्राण दो प्रकार से किया जाता है।

(क) अल्पप्राण–जिन वर्णों के उच्चारण में अन्दर से आने वाली प्राणवायु को कम परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें अल्प्राण ध्वनियां कहते हैं। वर्गों की प्रथम, तृतीय व पंचम (क-ग-ङ, च-ज-ञ, ट-ड-ण, त-द-न, प-व-म) ध्वनियां तथा य, र, ल, व सभी स्वर एवं अनुस्वार अल्पप्राण ध्वनियां हैं।

(ख) महाप्राण–जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करना पड़ता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनमें सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ (ख-घ, छ-झ, ठ-ढ, थ-ध, फ-भ) श, ष, स, ह तथा विसर्ग ध्वनियां हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

20

देवनागरी लिपि की समस्या

इस विशाल संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करता है। यह अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित दो प्रकार से होती है। इसमें मौखिक रूप प्राचीन है। लिपि के उदय व विकास के साथ भाषा का लिखित रूप सामने आया। भाषा के इस लिखित रूप को लिपि ने जन्म दिया। लिपि मुख से उच्चरित ध्वनि समूह को लिखने के निश्चित चिह्नों को कहा जाता है। कुछ लोगों को कहना है कि प्राचीन काल में लिपि का अस्तित्व नहीं था। लेकिन वेद, अष्टाध्याई जैसे ग्रन्थों में अक्षर व 'लिख्' धातु का प्रयोग हुआ है। महाभारत, नाट्यशास्त्र, नारदस्मृति में भी लिपि का संकेत हुआ है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि लिपि का अस्तित्व का विकास वैदिक काल से हो गया था। अब प्रश्न पैदा होता है कि उस समय जो लिपि अस्तित्व में थी उसे किस नाम से जाना जाता था। इसके सम्बन्ध में भाषा वैज्ञानिकों का कथन है कि सबसे पुरानी लिपि 'ब्राह्मी' अै और 'ब्राह्मी लिपि' से ही भारतीय भाषाओं की लिपियां निकली हैं। लिपि के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि ब्राह्मी लिपि के अलावा प्राचीन काल में एक अन्य लिपि भी थी जिसका नाम 'खरोष्ठी' था। ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि में यह अन्तर है कि ब्राह्मी लिपि देवनागरी के समान बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बाद में ब्राह्मी लिपि उत्तरी, दक्षिणी तथा पाली तीन वर्गों में विभाजित हो गई। उत्तरी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई तथा दक्षिणी लिपि से तमिल, तेलुगू तथा कन्नड़ की लिपियां विकसित हुई तथा सिंगली तथा जावा भाषा की लिपियां पाली से विकसित हुईं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

लिपि की वैज्ञानिकता—कोई लिपि कितनी वैज्ञानिक है इसके लिए निम्न तथ्यों के आधार पर परीक्षण किया जाता है—

(1) क्या लिपि सुन्दर व सानुपातिक है?

(2) क्या जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है?

(3) क्या एक चिह्न से एक ध्वनि का बोध होता है या एक चिह्न से कई ध्वनियों का?

(4) क्या एक ध्वनि के लिए सदा एक ही चिह्न रहता है या एक ही ध्वनि को प्रकट करने के लिए कई चिह्न हैं?

(5) जिस भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है क्या उसकी सभी ध्वनियों के प्रतीक इसमें आ जाते हैं?

देवनागरी लिपि की विशेषताएं—देवनागरी लिपि संस्कृत, हिन्दी, नेपाली, मराठी तथा गुजराती भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती है। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं—

(1) **सुन्दरता**—कलात्मक दृष्टि से नागरी लिपि के अक्षर बड़े सुन्दर और सुडौल हैं। नागरी लिपि की शिरो-रेखा इसकी सुन्दरता को और बढ़ा देती है।

(2) देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है।

(3) देवनागरी लिपि में एक विशेषता यह भी है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिह्न का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ एक चिह्न से एक ही ध्वनि का बोध होता है। यह गुण अन्य किसी लिपि में नहीं पाया जाता है।

(4) नागरी लिपि के 52 अक्षरों में केवल हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं की ही नहीं वरन् संसार की सभी भाषाओं की ध्वनियों को सरलता से अंकित किया जा सकता है। देवनागरी लिपि में ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के साथ-साथ संयुक्त व्यंजनों व मात्राओं का भी प्रावधान है।

(5) देवनागरी के प्रत्येक वर्ण के उच्चारण हेतु नियत स्थान है।

(6) यह सभी लिपियों को आपस में ज़ोड़ती है।

(7) देवनागरी लिपि का सम्बन्ध भारतीय संस्कृति से भी है।

हिन्दी वर्णों के मानक और वैकल्पिक रूप

वर्णमाला में निम्न वर्णों का मानक रूप निम्न है—

(1) ख, छ, ण, ध, भ

(2)

अमानक रूप	**मानक रूप**
पक्का	क्का
दफतर	दफ्तर

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(3) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएं, जैसे–

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा

वाङ्य, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा नहीं लिखा जाना चाहिए।

(4) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे। जैसे–प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(5) श्र को श्र नहीं लिखा जाना चाहिए।

(6) त् + र को त्र तथा त्र दोनों रूपों में लिखा जाना चाहिए।

(7) हल् चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग सम्बन्धित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाना चाहिए। जैसे–

कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित।

(कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं।)

(8) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली में भी लिखे जाएंगे। जैसे–संयुक्त चिह्न, विद्या, चञ्चल, विद्वान, वृद्ध, अंक, द्वितीय, बुद्धि आदि।

अन्य वर्तनी से सम्बन्धित नियम

(1) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए। जैसे–आप ही के लिए, मुझ तक को।

(2) संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग-अलग लिखी जाएं। जैसे–पढ़ा करता है, खेला करेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं।

(3) द्वन्द्व समास में दो पदों के बीच हाइफन रखा जाए जैसे–राम-लक्ष्मण, चाल-चलन, खेलना-कूदना आदि।

(4) 'सा', 'जैसा' आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए। जैसे–तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।

(5) 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा अलग लिखे जाएं। जैसे–आपके साथ, यहां तक।

(6) जहां य, व का प्रयोग विकल्प से होता है वहां स्वरात्मक रूपों को ही अपनाया जाए। जैसे–किए (किये) नई (नई) हुआ (हुवा)।

जहां ये शब्द का ही मूल तत्त्व हो वहां स्वरात्मक प्रयोग न किया जाए। जैसे–स्थाई है स्थाई नहीं, दायित्व है, दाइत्व नहीं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

(7) अनुस्वार के लिए जिस वर्ग का बाद वाला अक्षर है उसका पञ्चम अक्षर होता है। जैसे—ठण्डा-ठंडा, व्यञ्जन-व्यंजन, गङ्गा-गंगा, सम्बन्ध, संबंध।

(8) निम्न शब्दों के हिन्दी में दोनों ही रूप स्वीकृत हैं। जैसे—गरदन-गर्दन, गरमी-गर्मी, बरफ-बर्फ, बिलकुल-बिल्कुल, सरदी-सर्दी, कुरसी-कुर्सी, भरती-भर्ती, फुरसत-फुर्सत, बरदाश्त-बर्दाश्त, वापिस-वापस, बरतन-बर्तन, दोबारा-दुबारा, दूकान-दुकान, बीमारी-बिमारी आदि।

(9) संस्कृत तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए। परन्तु जिन शब्दों के प्रयोग में हिन्दी में हलन्त लुप्त हो चुका है उनमें उसको फिर लगाने का यत्न न किया जाए। जैसे—महान्-महान, विद्वान्-विद्वान।

(10) संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिह्न अलग से लिखे जाएं। जैसे—राम ने, स्त्री ने।

सर्वनाम शब्दों के साथ ये चिह्न साथ लिखे जाएं—उसने, उसको, उस पर।

(11) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे—उसके लिए, इसमें से।

(12) शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।

(13) पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे—मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि।

(14) संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्समरूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। जैसे—दुःखानुभूति, यदि तद्भव रूप में विसर्ग विलुप्त हो गया हो तो वह रूप भी ग्राह्य है। जैसे—सुख-दुख।

(15) संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी ज्यों की त्यों ग्रहण की जाए। जैसे—ब्रह्मा, चिह्न को चिह्न, उऋण को उरिण नहीं। गृहीत को ग्रहीत, द्रष्टव्य को दृष्टव्य, अत्यधिक को अत्याधिक, अनधिकार को अनाधिकार लिखना गलत है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

आदर्श पाठ-योजना-1

पाठ-योजना

छात्र/छात्रा का अनुक्रमांक ..... कक्षा-छठी
विषय—हिन्दी (कहानी-रचना) अवधि—30 मिनट
उपविषय—बगुला और केकड़ा दिनांक ....

अनुदेशनात्मक-उद्देश्य

1. छात्रों को सरोवर, ग्रीष्म, केकड़ा आदि शब्दों का प्रयोग सिखाना।
2. छात्रों को वाक्य-रचना करने का अभ्यास कराना।
3. छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य बनाना।
4. छात्रों की निरीक्षण एवं कल्पना शक्ति को विकसित करना।
5. छात्रों को कहानी कहने एवं लिखने का अभ्यास कराना।
6. छात्रों में दूसरों से सावधान रहने एवं विपत्ति में हिम्मत से काम लेने की अभिवृत्ति का विकास करना।

अनुदेशनात्मक सामग्री

1. बगुला एवं केकड़े का मॉडल।
2. कहानी से सम्बन्धित कुछ चार्ट।

ये निम्न स्थितियां प्रदर्शित करते हों।

चार्ट नं. 1—एक तालाब, तालाब में मछलियां व उसके किनारे बैठा बगुला।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

चार्ट नं. 2—तालाब, उसके किनारे पेड़ पर बैठा बगुला, उसके मुंह में मछली।

चार्ट नं. 3—उड़ते हुए बगुले का चार्ट, बगुले की गर्दन को केकड़े ने पकड़ा हुआ है और नीचे कुछ हड्डियां पड़ी हैं।

चार्ट नं. 4—जमीन पर बगुला पड़ा है, पास में सरोवर व पेड़ है, केकड़ा सरोवर की तरफ जा रहा है।

प्रारम्भिक व्यवहार—छात्रों ने बगुले व केकड़े का नाम सुना है। वे सरल प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

प्रस्तावना—छात्राध्यापक पाठ की प्रस्तावना करने के लिए बच्चों से निम्न प्रश्न पूछेगा :

1. (बगुले का मॉडल दिखाते हुए) यह किस पक्षी का मॉडल है?
2. बगुला प्रायः कहां रहता है?
3. यह क्या खाता है?
4. (केकड़े का मॉडल दिखाते हुए) यह किस जीव का मॉडल है?
5. केकड़ा कहां रहता है?

उद्देश्य-कथन—छात्राध्यापक अपने उपविषय की घोषणा करेगा—बच्चों, बगुला एक बहुत ही चालाक जलचर होता है। वह बहुत चालाकी से मछलियों को मारकर खा जाता है। आज हम एक कहानी की रचना करेंगे जिसमें बताया गया है कि बगुले की चालाकी का क्या परिणाम हुआ।

प्रस्तुतीकरण—कहानी की रचना के लिए चित्र वर्णन प्रणाली एवं प्रश्नोत्तर प्रणाली की सहायता ली जाएगी। साथ-साथ अध्यापक श्यामपट्ट पर कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा भी देता जाएगा। अन्त में छात्रों से मौखिक चित्र वर्णन एवं रूपरेखा के आधार पर कहानी स्वयं लिखने को कहा जाएगा।

(चार्ट नं. 1 प्रदर्शित करते हुए, बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे उत्तर देंगे।)

प्रश्न—1. (सरोवर की ओर संकेत करते हुए) चार्ट में यह क्या दिखाई दे रहा है? (तालाब)

2. (सरोवर में मछलियों को दिखाते हुए) तालाब में ये कौन-से जीव दिखाई दे रहे हैं? (मछलियां)

3. (बगुला दिखाते हुए) तालाब के किनारे यह कौन बैठा है? (बगुला)

4. बगुला अपना पेट कैसे भरता है? (पानी के कीड़े-मकोड़े खाकर)

छात्राध्यापक द्वारा पूर्तिकथन—(बच्चे ध्यान से सुनेंगे) बहुत समय पहले एक जंगल में एक सरोवर था। उस सरोवर में बहुत पानी भरा रहता था। उसमें

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu
बहुत-सी मछलियां रहती थीं। वहीं सरोवर के किनारे एक बगुला भी रहता था। वह हर समय मछलियों को खाने की ताक में रहता, परन्तु अपने प्रयत्न में सफल न हो पाता। एक बार ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण सरोवर का जल सूखने लगा। बगुले ने मछलियों को खाने का उपाय सोचा। वह उदास मन होकर सरोवर के किनारे बैठ गया। मछलियों ने उसकी उदासी का कारण पूछा। बगुले ने कहा कि यह सरोवर सूखता जा रहा है। पानी खत्म होने से तुम सब मर जाओगी। पास ही में एक दूसरा सरोवर है। उसमें वहुत जल है। मैं तुम्हें उसमें ले जाना चाहता हूं। बगुले की यह बात सुनकर मछलियां दूसरे सरोवर में जाने को तैयार हो गईं।

(चार्ट नं. 2 प्रदर्शित करते हुए) बच्चों से निम्न प्रश्न पूछे जाएंगे : (बच्चे उत्तर देंगे)

प्रश्न-1. (तालाब तथा पेड़ दिखाते हुए) ये क्या दिखाई दे रहे हैं? (तालाब व पेड़)

2. पेड़ के ऊपर कौन बैठा है? (बगुले की ओर संकेत करते हुए)

3. बगुले की चोंच में क्या दबा है?

छात्राध्यापक द्वारा पूर्तिकथन–(बच्चे ध्यान से सुनेंगे) जब मछलियां दूसरे सरोवर में जाने को तैयार हो गईं तो बगुला प्रतिदिन एक-एक करके मछलियों को ले जाता और पेड़ पर बैठकर उनको खा जाता। इस प्रकार उसने सभी मछलियों को खा लिया। वह मछलियों की हड्डियां व कांटे पेड़ के नीचे जमीन पर डाल देता।

(चार्ट नं. 3 प्रदर्शित करते हुए) छात्रों से निम्न प्रश्न पूछे जाएंगे (बच्चों प्रश्नों के उत्तर देंगे)

प्रश्न–1. (उड़ते हुए बगुले की ओर संकेत करते हुए) बगुला क्या कर रहा है?

2. बगुले की गर्दन को किसने पकड़ा हुआ है?

3. केकड़े ने बगुले की गर्दन को क्यों पकड़ रखा है?

4. यह नीचे क्या पड़ा हुआ है?

छात्राध्यापक द्वारा पूर्तिकथन–(बच्चे ध्यान से सुनेंगे) जब बगुले ने सारी मछलियां खा लीं तो सरोवर में केवल एक केड़ा बच गया। बगुले ने सोचा इस केकड़े को भी खा लूं। अतः वह केकड़े से बोला–केकड़े भाई, सारी मछलियां तो दूसरे सरोवर में पहुंच गई हैं, आओ, तुम्हें भी वहीं ले चलूं। केकड़ा मान गया और उसने बगुले की गर्दन पकड़ ली। बगुला हड्डियां पड़ी देखीं तो बगुले से उनके बारे में पूछा। बगुला बोला–मैं सब मछलियां खा चुका हूं। ये उन्हीं की हड्डियां हैं। अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा।

(चार्ट नं.4 प्रदर्शित करते हुए) छात्राध्यापक बच्चों से निम्न प्रश्न पूछेगा और बच्चे उत्तर देंगे।

प्रश्न-1. (सरोवर व पेड़ की ओर संकेत करते हुए) चार्ट में यह क्या दिखाई दे रहा है? (सरोवर व पेड़)

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

2. (जमीन पर बगुला दिखाते हुए) जमीन पर यह कौन पड़ा है? (बगुला)

3. (सरोवर की तरफ जाते हुए केकड़े की ओर संकेत करते हुए) यह कौन है? (केकड़ा)

4. केकड़ा कहां जा रहा है? (सरोवर की तरफ)

5. बगुला नीचे कैसे गिरा? (केकड़े के द्वारा गर्दन दबाए जाने से)

छात्राध्यापक द्वारा पूर्तिकथन—(बच्चे ध्यान से सुनेंगे) बगुले की बात सुनकर केकड़ा एकदम से घबड़ा गया परन्तु उसने हिम्मत नहीं हारी। एक क्षण सोचा और अपने दांतों से बगुले की गर्दन दबा दी। कष्ट के मारे बगुला नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही केकड़ा सरोवर में चला गया।

प्रश्न—1. बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? (विपत्ति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।)

मौखिक अभिव्यक्ति—बच्चों से कहानी अपने शब्दों में सुनाने को कहा जाएगा और साथ-साथ मौखिक अभिव्यक्ति-सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर किया जाएगा।

लिखित अभिव्यक्ति—बच्चों से कहानी अपनी-अपनी अभ्यास-पुस्तिका में लिखने को कहा जाएगा।

कक्षा-कार्य एवं निरीक्षण—छात्र अपनी-अपनी कापी में कहानी लिखेंगे और छात्राध्यापक कक्षा का निरीक्षण करेगा कि सभी बच्चे अपना-अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं।

गृह-कार्य—बच्चों से पूरी कहानी घर से लिखकर लाने को कहा जाएगा।

श्यामपट्ट-कार्य—पाठ के विकास के लिए छात्रों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को संक्षेप में रूपरेखा के रूप में श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

आदर्श-पाठ योजना-2

पाठ-योजना

छात्र/छात्रा का अनुक्रमांक .... कक्षा—नवीं
विषय—हिन्दी (निबन्ध) समय—30 मिनट
उपविषय—'वर्षा ऋतु' औसत आयु—14 + वर्ष
दिनांक ....

अनुदेशनात्मक सामग्री :

1. नृत्य करते हुए मोर का चित्र
2. चारों तरफ छाई हुई हरियाली का चित्र।

अनुदेशनात्मक उद्देश्य :

1. छात्रों में ऐसी क्षमता विकसित करना कि वे प्रभावोत्पादक भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकें।
2. छात्रों की तार्किक, मानसिक, निरीक्षण शक्ति का विकास करना।
3. छात्रों की रचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति का विकास करना।
4. छात्रों की शब्दावली में वृद्धि करना।
5. छात्रों कां व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाना।
6. उनकी लिखित एवं मौखिक भाव प्रकाशन की क्षमता में वृद्धि करना।
7. छात्रों को वर्षा ऋतु से सम्बन्धित जानकारी देना।

प्रारम्भिक व्यवहार : बच्चे प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में वर्षा का आनन्द लेते हैं। वे अपनी अभिव्यक्ति में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

पूर्वज्ञान-परीक्षण :

1. भारत में कितनी ऋतुएं आती हैं?
2. उन ऋतुओं के नाम क्या हैं?
3. ग्रीष्म ऋतु के बाद किस ऋतु का आगमन होता है?

उद्देश्य-कथन : छात्रों से सन्तोषजनक उत्तर मिलने पर छात्राध्यापिका घोषणा करेगी कि आज हम वर्षा ऋतु पर निबन्ध की रचना करेंगे।

प्रस्तुतीकरण : पाठ को पढ़ाने में भाषण एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाएगा। निबन्ध के अग्रलिखित शिक्षण बिन्दु होंगे जिनका प्रस्तुति इस प्रकार किया जायेगा—

(1) **भूमिका :** भारत एक कृषिप्रधान देश है जहां क्रम से छः ऋतुएं आती हैं। वर्ष में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, पतझड़, वसन्त का आगमन होता है। इनमें से वर्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण है कि भातर कृषिप्रधान देश है। हमारी कृषि प्रायः वर्षा पर भी निर्भर है। जिस साल वर्षा नहीं होती, उस साल अकाल पड़ जाता है। अतः वर्षा ऋतु हमारे देश के लिए जीवनदायिनी है।

(2) **भीषण गर्मी :** ग्रीष्म में जब भगवान सूर्य उग्र रूप धारण कर लेते हैं, तब उसके प्रखर तेज से पृथ्वी अंगार बन जाती है। छाया भी छाया को ढूंढ़ने लगती है। यह भीषण गर्मी मानव को कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने के लिए विवश कर देती है। न दिन को चैन न रात को। लोग गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। गर्मी से व्याकुल होकर व्यक्ति इन्द्र देवता की ओर आंखें लगाए एकटक निहारते रहते हैं। किसान अकाल के भय से चिन्तित रहते हैं। जगह-जगह पर इन्द्रदेवता को प्रसन्न करने के लिए गीत गाए जाते हैं : "काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे।"

(3) **वर्षा का आरम्भ :** हमारे देश में वर्षा ऋतु आषाढ़ मास से आरम्भ होती है व आश्विन मास में समाप्त हो जाती है। प्रखण्ड ग्रीष्म में जब जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, तो यही जल आकाश में जाकर मेघ का रूप धारण कर लेता है। यही फिर वर्षा के रूप में जमीन पर आ जाता है।

(4) **वर्षा का स्वागत :** वर्षा आने पर लोग उसका स्वागत करते हैं तथा अभिनन्दन के गीत गाते हैं। जब मेघ पृथ्वी पर बरस पड़ता है, तो चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ जाती है। क्या मनुष्य, क्या पशु-पक्षी, सभी वर्षा का सहर्ष स्वागत करते हैं। बच्चे वर्षा में नहाकर खुश होते हैं। पक्षीराज मयूर आकाश

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

में छाई हुई काली घटाओं को देखकर नृत्य करने लगता है। अपनी सुध-बुध भूलकर नृत्य में मग्न हो जाता है। संसार को तपाने वाली लुएं न जाने कहां चली जाती हैं।

(5) **सुन्दर दृश्य :** वर्षा का दृश्य मनमोहक होता है। आकाश में काले-काले मेघ छा जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है—मानो बड़े-बड़े पर्वत हवा में उड़ रहे हों। कभी तो अंधेरा-सा हो जाता है, तो कभी बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है फिर वर्षा की झड़ी लग जाती है।

(6) **प्रकृति में परिवर्तन और किसानों के लिए लाभदायक :** वर्षा आते ही पृथ्वी का रंग बदल जाता है। सूखी हुई वनस्पति पानी मिलने पर हरी हो जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है।

कृषक वर्षा के आने पर प्रसन्न हो जाता है और खेतों में हल चलाने लगता है। पुरवैया अपना राग अलापने लगती है। पशुओं के लिए हरा चारा हो जाता है, जिसे चरकर गाएं, भैसें खूब दूध देती हैं। इसलिए किसानों के घरों में दूध की कमी नहीं होती। ग्वाले पशुओं को चराना छोड़कर बागों में आनन्द मनाते हैं।

(7) **वर्षा से हानियां—**

(क) **स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव :** जहां वर्षा से अनेक लाभ हैं, वहां इससे हानियां भी हैं। गड्ढों के जल से मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, इससे मलेरिया आदि का प्रकोप हो जाता है। ऐसे में पाचन-क्रिया शिथिल हो जाती है। फोड़े-फुंसियां इस ऋतु की सौगात है, जिससे बहुत कम लोग बच पाते हैं।

(ख) **बाढ़ आने का खतरा :** ज्यादा वर्षा आने पर बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ से गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, कई बार तो लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ता है।

(8) **उपसंहार :** इन हानियों के होते हुए भी वर्षा मानवजीवन के लिए वरदान है। इन सब बातों को देखते हुए यह मानना पड़ता है कि वसन्त ऋतुओं का राजा है तो वर्षा ऋतुओं की रानी है।

(9) **प्रश्न—**

(क) भारत में कितने ऋतुएँ आती है?
(ख) वर्षा का आरंभ किस मास में होता है?
(ग) लोग वर्षा का स्वागत कैसे करते हैं?

G.M. College of Education
Raipur, Bantalab
Jammu
Acc. No. 6988
Dated 30.11.06

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

G.M.C.E.J
6988

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

सरल व स्पष्ट भाषा शैली की धनी राधा शर्मा पूर्वाग्रहों से ग्रस्त नहीं है। वे तथ्यों, विचार-बुद्धि एवं तर्कों द्वारा अपना मार्गदर्शन करने वाली हैं। वे नित नये अन्वेषण में लीन हैं। वे कभी भी हार नहीं मानती। ये उनके स्वभाव का एक अनोखा गुण है। उनकी लेखनी अनुशासित व संयमित है इसका प्रमाण प्रस्तुत पुस्तक है।

उनकी जिज्ञासा, ज्ञान-पिपासा, वस्तुनिष्ठता, प्रश्न करने का साहस, क्रमबद्ध तर्क, प्रमाण या सत्यापन के पश्चात स्वीकृति, खुला दिमाग, पूर्णता प्राप्त करने की अभिलाषा तथा मिलजुल कर कार्य करने की भावना, उनके स्वभाव की जो रूप रेखा बनती है, वह नितांत ही उद्वेलित करने वाली है।

CC-0 Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant

Gandhi Memorial College Of Education Bantalab Jammu

संजय प्रकाशन
प्रकाशक एवं वितरक
4378/4 बी 209, जे० एम० डी० हाउस, गली मुरारी लाल,
अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली -2
फोन : 23245808,51045808,9312439193
E-mail: Sanjay_Prakashan@yahoo.com.

ISBN 81-745

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation,Chandigarh.Funding by IKS-MoE-2025-Grant